खण्ड-434, अंक-8
मंगलवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1922
(2 मई, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–86
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	86
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में परास्नातक कोर्स में पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद रायबरेली के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद सीतापुर के थाना रामकोट पुलिस द्वारा की जा रही तानाशाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87–88
जनपद बहराइच के कतिपय मुहल्लों में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद गाजीपुर के सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
मेरठ महानगर में समुचित पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88–89
जनपद लखीमपुर एवं पैला क्षेत्रान्तर्गत गांवों की अधूरी बनी सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	89
पूर्वांचल विकास निधि जिला योजना तथा दीनदयाल योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के शिलापट्ट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	89–95
हरिद्वार को विद्युत कटौती से मुक्त रखने सम्बन्धी वक्तव्य सदन में देने से पूर्व उस विषय पर घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	95–97
अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों की अवहेलना के सम्बन्ध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न	97–100
सत्र के दौरान चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	100–101
मध्यांचल निधि के गठन के सम्बन्ध में पीठ से किये गये ध्यानाकर्षण के संदर्भ में प्राप्त उत्तर पर किसी मंत्री का हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	101–103

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बाबूराम यादव द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता संघ के कथित आरोपात्मक पत्र के संदर्भ में उठाये गये अलग-अलग प्रकरण पर पीठ द्वारा सुरक्षित व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय	103–107
जनपद संत रविदासनगर के विकास खण्ड भदोही के ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री रवि गौतम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	107
जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में धनतुलसी डेंगरपुर घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने विषयक श्री देवी शंकर तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	107
लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता संघ के पत्र के संदर्भ में लोक निर्माण मंत्री पर लगाये गये गलत आरोप पर दी गई विशेषाधिकार की सूचना पर अध्यक्ष का निर्णय	108
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	108–112
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना को अस्वीकार किये जाने की जानकारी ...	112
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की कतिपय समितियों और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	112–113
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000	113
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	113–123
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की शेष सूचनाओं को अगले दिन लिये जाने के आग्रह पर पीठ द्वारा दी गयी व्यवस्था ...	123
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 (पारित) ...	124–147
"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय" सम्बन्धी नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	147–154
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) तथा अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण (जारी)	154–163

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (सदन के पटल पर रखा गया)	163
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) तथा अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण (स्वीकृत)	163–182
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–47—महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	182–190
"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय" सम्बन्धी नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा को श्री लालजी वर्मा द्वारा कल लिये जाने का अनुरोध (अनुमति प्रदान की गयी) ...	190
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (जारी) ...	190–194
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	194–197
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ...	197–200
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) ...	200–215
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)	215–221
कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	221
उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हज यात्रियों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	221
प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की स्थायी समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम–103 के अन्तर्गत श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	221
प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	221

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	221–223
बी० एल० एस० इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट गाजियाबाद में देश भर से चयनित एम० बी० ए० पाठ्यक्रम के तीन सेमेस्टर पढ़ चुके छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	223–224
उत्तर प्रदेश में सी० पी० एम० टी० की परीक्षा में प्रश्नपत्रों की प्रणाली बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	225
जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी बीहड़ क्षेत्र में आये भीषण आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि से 8 व्यक्तियों की मौत और सैकड़ों किसानों की फसलों को हुई क्षति विषयक नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य	225–226
जनपद संत रविदासनगर में स्थापित भू-अध्याप्ति इकाई को स्थानान्तरित/समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	226–227
जनपद एटा के कासगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर तथा उसके माइनरों में पानी न आने से किसानों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य ...	227
जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बन्द पड़े नलकूपों की रिबोरिंग कराकर उन्हें चालू कराने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	228
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में रोगियों हेतु दवाओं के मानकों में कथित विषमता होने विषयक नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	228
प्रदेश सरकार के ऊपर 31 अक्टूबर, 1997 को ऋणग्रस्तता की स्थिति तथा उसके पश्चात् लिये गये ऋण को कम करने हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी विशेष कार्य योजना के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	228
नत्थियां	229–238

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 2 मई, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	राजपाल सिंह,श्री	मुजफ्फरनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	राम नक्षत्र, श्री	पड़रौना
के० सी० सिंह ''बाबा'', श्री	उधम सिंह नगर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
चन्द्र पाल सिंह यादव,श्री	झांसी	लाखीराम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
जय नरायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	विजय सिंह,श्री	सोनभद्र
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई	विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू', श्री	गोण्डा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
बच्चा पाठक, श्री	बलिया	वेद प्रकाश सिंह,एम० एस०, डा०	बिजनौर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी	श्रीराम, श्री	मऊ
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून	सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
मुराद लारी, श्री	देवरिया	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर	सुमन लता सिंह,श्रीमती	बरेली
यशवन्त, श्री	आजमगढ़	सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
रमेश पोखरियाल ''निशंक'', डा०	गढ़वाल	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रवीन्द्र प्रताप चौधरी,श्री	सिद्धार्थनगर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 2 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभामण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश स्तर पर न्यायालयों में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष कार्ययोजना के विषय में जानकारी

**1—श्री राम औतार शाक्य तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यायालयों में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रदेश स्तर पर सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लम्बित वादों के निस्तारण के लिए योजना बनाने का सम्बन्ध मा० उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है काफी तरह के वाद होते हैं । एक तो फौजदारी, सिविल नेचर के और रिट याचिकाएं वगैरह । प्रायः देखा जाता है कि हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय एक टेन्डेंन्सी बनती जा रही है कि वाद बहुत लम्बी अवधि तक चलते हैं । यह जनता के हितों से जुड़ा सवाल है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं जिससे वादों का निस्तारण जल्दी हो सके ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद स्तर पर और तहसील स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन करते हैं और जिसमें सरल साधारण वादों का निस्तारण प्रभावी ढंग से हो रहा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह जो प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में तमाम वाद लम्बित हैं, उसका कारण श्रीमन् यह है कि तमाम न्यायालय हैं जहां पर अधिकारियों की कमी है । कहीं पर जज नहीं हैं, मुन्सिफ नहीं हैं और अधिकारी नहीं हैं जिसका नतीजा होता है कि मुकदमों के निस्तारण में देर होती है । मेरी जानकारी में है कि लगातार न्यायालय के माध्यम से लिखा पढ़ी की जाती है कि कोर्ट खुल जायं, इतने अधिकारियों की कमी है, उनकी नियुक्ति की जाय । इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन-जिन जगहों पर न्यायालयों में अधिकारियों की कमी बहुत समय से है, उनकी नियुक्ति के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, 1995 से अब तक जितने न्यायालयों की संख्या है उसका मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। जिला जज के 20, अपर जिला जज के.....

श्री अध्यक्ष–

संख्या नहीं पूछ रहे हैं । वे केवल यह पूछ रहें हैं कि क्या इसके अतिरिक्त भी न्यायालयों और न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

यह विषय उच्च न्यायालय का है और उच्च न्यायालय अपना प्रस्ताव शासन को देता है और शासन की आर्थिक स्थिति जैसी होती है, उस पर विचार किया जाता है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि न्यायालय के द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय ने समय-समय पर शासन को इस बात का, अपनी कमियों के बारे में, रिक्त स्थानों के बारे में लिखा है लेकिन शासन स्तर से इसका अब तक निस्तारण नहीं किया गया है । माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अब तक माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कितनी बार लिखा है और आपने उनकी अपेक्षा के अनुसार क्या कार्यवाही अब तक की है । नये जज की नियुक्ति के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत विस्तृत प्रश्न हो जायेगा । नियुक्तियों के बारे में मंत्री जी ने बताया कि प्रस्ताव उच्च न्यायालय द्वारा शासन को आता है तब शासन उस पर कार्यवाही करता है । क्या उच्च न्यायालय से प्रस्ताव आया है कि अधिक मात्रा में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय ? माननीय मंत्री जी इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैंने बता दिया जो प्रस्ताव उच्च न्यायालय से आते हैं उन पर विचार आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि न्याय हित प्रदेश में सर्वोपरि है इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में कितने वाद हैं जिनका निस्तारण एक समयावधि में होना चाहिए और कितने वाद ऐसे हैं जो लम्बित पड़े हैं जिन पर विचार करने की योजना हाई स्तर पर बनाई जा सकती है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

यह उच्च न्यायालय का विषय है शासन का विषय नहीं है योजना बनाने का ।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, सुझाव के रूप में कह रहा हूं उच्च न्यायालय में 70 फीसदी वाद ऐसे हैं जिसमें सरकार एक पक्ष है । इसमें शासन के विभिन्न विभाग सम्मिलित हैं जिनके न्यायालय में दो पक्षकारों के बीच में वाद रहे हैं लेकिन उच्च न्यायालय के स्तर पर शासन का कोई न कोई विभाग पक्षकार रहा है तो आप कोई लीगल सेल, विधिक सेल गठित कर दें, भले ही वह अस्थाई हो, वह अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित परीक्षण करा ले उसमें अगर वह समझते हैं कि यह शासन के आदेश के बाद रद्द हो जायेगा तो उसको तुरन्त वापस ले लें । अगर आप विधिक सेवा गठित कर देंगे तो शासन स्तर पर वह पुनर्विचार कर लेगी तो काफी आसानी हो जाएगी, यह मैंने सुझाव के रूप में कहा ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

विचार किया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने कहा कि लम्बित वाद के निस्तारण के संबंध में उच्च न्यायालय से है मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं क्या माननीय उच्च न्यायालय

ने कोई ऐसी योजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को दी है "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" इसमें विशेष अदालत खोलने की बात जिसके तहत लम्बित वादों को समाप्त करने के बारे में, विशेष न्यायालय खोलने की बाबत सुझाव है, तो इसको अंगीकार करने पर विचार किया जायेगा ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

पूर्व में भी मैंने उत्तर दिया कि जो प्रस्ताव आते हैं उन पर विचार करेंगे जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार क्रियान्वयन करने की व्यवस्था होती है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या उच्च न्यायालय ने कुछ विशेष अदालतों के गठन का सुझाव दिया है ? कुछ वादों के निस्तारण के लिए क्या उच्च न्यायालय ने विशेष अदालतों का सुझाव दिया है अगर दिया है तो क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

ऐसा अभी संज्ञान में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको दिखवा लें अगर माननीय सदस्य इसको अपनी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं तो इसको दिखवा लें ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

न्याय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं जानना चाहता हूं जो कहा गया उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने वाद लम्बित हैं जिनके लिए विशेष अदालतें गठित करने का सुझाव आया है ? आपने कहा कि आते रहते हैं । मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी इसी से मिलते जुलते एक प्रश्न का उत्तर दिया । यह प्रश्न बहुत ही विस्तृत है ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

जो छोटे-छोटे वाद हैं उनका निस्तारण तो जनता की अदालतों में हो जाता है लेकिन जो गम्भीर किस्म के वाद होते हैं उनके निस्तारण में देर लगती है । तो क्या माननीय मंत्री जी जजेज की संख्या या अदालतों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई योजना पर विचार करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को योजना के बारे में पता है नहीं तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप मूल प्रश्न देखें । उसमें यह है कि न्यायालयों में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रदेश स्तर पर सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, बहुत से मामले हैं जो प्रदेश सरकार ने वापस ले लिये हैं । लेकिन कोर्ट ने कागनिजेंस लेकर हियरिंग आरम्भ कर दी है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मामले उत्तर प्रदेश ने वापस ले लिये हैं और उसमें हियरिंग चल रही है, तो क्या कानून में संशोधन करेंगे जिसमें उसमें सुनवाई हो ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें एक अलग से प्रश्न कर लीजिये । एक अल्पसूचित बना लीजिये ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि कानपुर महानगरों में बड़ी संख्या में वाद लम्बित हैं तो क्या माननीय न्याय मंत्री जी न्यायालय की संख्या बढ़ाने के संबंध में विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय मंत्री जी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर दी है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष से कितने वाद लम्बित हैं, 10 वर्षों से कितने वाद लम्बित हैं.....

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत ही विस्तृत प्रश्न है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, जब लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण से सम्बन्धित है तो मैं यह जानना चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप खंड-खंड करके पूछ रहे हैं । यह विस्तृत प्रश्न है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने वाद लम्बित हैं यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, न्याय अगर सही समय पर न दिया जाय तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है । कितने वाद लम्बित हैं यह पूछा गया तो आपने कह दिया कि विस्तृत है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने वाद अभी लम्बित हैं और जितने न्यायालय अभी काम कर रहे हैं, अगर कल के दिनांक तक भी ले लें तो उन वादों के निस्तारण में जो आज की स्थिति में कोटा निर्धारित है, उस कोटे से निस्तारित हो जाय तो कितने वर्ष में उनका निस्तारण हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह निर्भर करता है कि किस प्रकार के वाद हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक कोटा निर्धारित है । इस पालिसी को रिवाइज करने के लिए सरकार माननीय उच्च न्यायालय से कोई परामर्श करेगी ? कई बार इस कोर्ट की पालिसी के कारण सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

यह प्रश्न उच्च न्यायालय का है सरकार का नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो कोटा निर्धारित होता है माननीय उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का कोटा निर्धारित करती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या कोटे की इस पालिसी को हाईकोर्ट प्रोलिटिकल बना दे, इस पर सरकार परामर्श करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, हाईकोर्ट को सरकार निर्देश नहीं दे सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, क्रिमिनल वाद बहुत बड़ी संख्या में लम्बित रहते हैं, अपराधी अपराध करते रहते हैं । इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति दे दें तो उपयुक्त होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर के दे दें ।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, प्रत्येक जिलों में सिविल केसों की संख्या बहुत अधिक हो रही है जैसे उत्तराधिकार के मामले इसमें त्वरित निस्तारण की आवश्यकता होती है प्रत्येक जिले में सिविल न्यायालय, सिविल जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता था कि कोई ऐसा भी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे कि क्या सरकार अधिनियम बनाकर के रेंट कंट्रोल के जितने मुकदमें हैं उनके निस्तारण के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनायेगी । शिक्षा विभाग के शैक्षिक विद्यालयों के मामलों के निस्तारण के लिए अधिनियम बनाकर अलग से ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी । लम्बित वादों के निस्तारण के लिए बहुत से उपाय हैं । आप अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस संबंध में बात कर लें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में हायर सेकेण्ड्री एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक बनाने की योजना

*1.—श्री राम औतार शाक्य तथा श्री राजेन्द्र यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हायर सेकेण्ड्री एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर शिक्षा को रोजगारपरक बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

हायर सेकेण्ड्री एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्क्रमों में रोजगारपरक शिक्षा पूर्व से ही लागू है ।

पाठ्यक्रम का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में मा० सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान में, प्रदेश में मैकाले की शिक्षा नीति चली आ रही है और इसके चलते रहने के कारण जो पढ़ने वाले लड़के हैं, छात्र हैं उनको जब

कोई रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगार हो जाते हैं तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो मेरा अनुरोध है कि यह तो रूटीन वे का जवाब है मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम बनायेंगे कि 50 प्रतिशत या ऐसा कोई प्रतिशत निर्धारित कर दें कि जो छात्र हैं उनकी बाध्यता हो जाय कि ये लोग रोजगार परक ही विषय लेंगे ताकि आगे के जो दूरगामी हो वे अच्छे हों, इस पर विचार करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, जैसा इन्होंने कहा है कि परिवर्तन कर शिक्षा को, तो यह तो पूर्व से ही लागू है 85-86 से, इसमें लगभग 35 ट्रेडों में कार्यक्रम चल रहे हैं और 910 विद्यालय में यह शिक्षा है । अगर ऐसा कोई सुझाव हो जिसमें जिसे शिक्षा नीति की चर्चा में ऐड कर सकते हैं तो सुझाव दे दें ।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हायर सेकेण्ड्री और इण्टरमीडिएट स्कूलों में प्रबन्धतंत्र की तरफ से कम्प्यूटर बैठाकर शिक्षा दी जा रही है और प्रत्येक छात्र से 300 से 500 रुपये फीस ली जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि जितने एडेड या अनएडेड विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें 80 फीसदी बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं तो क्या सरकार ऐसे स्कूलों में यह सुनिश्चित करेगी कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको शिक्षा दी जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, अब तक मैंने जो कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान रखा है, वह राजकीय विद्यालयों में रखा है और वह 100 विद्यालयों को दिया है, एडेड विद्यालयों की ऐसी कोई नीति नहीं है लेकिन मान्यता अवश्य दे सकता हूं अगर कम्प्यूटर है और ऐसी कंडीशन है जो कम्प्यूटर की शिक्षा दे सकते हैं, तो मान्यता दी जा सकती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कुछ हायर सेकेण्ड्री और इण्टरमीडिएट कालेज पहले से प्रदेश में चल रहे हैं जहां पहले से व्यवसायिक शिक्षा देने का प्राविधान था, बढ़ईगीरी या किसी दूसरे तरह की ट्रेनिंग इन विद्यालयों में शिक्षा के पाठ्यक्रम में था और अध्यापकों की व्यवस्था पहले से थी तो मान्यवर, कितने ऐसे विद्यालय हैं जिसमें व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही थी और बाद में वह बन्द कर दिये गये थे और वहां पहले से ट्रेन्ड अध्यापक थे वह बेकार हो गये हैं तो क्या ऐसे कार्यक्रम को व्यापक बनाकर पुनः लागू किया जायेगा और जहां व्यवसायिक शिक्षा बन्द कर दी गयी है उसको पुनः चलाये जाने के बारे में माननीय मंत्री जी इस सदन में आश्वासन देंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैं पहले माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि व्यवसायिक शिक्षा हाईस्कूल से नहीं है इण्टरमीडिएट से स्टार्ट होती है और जहां नियुक्तियां नहीं होती हैं वहां ऐसे गेस्ट टीचर को बुलाया जाता है और उनको एक दिन में 50 रुपये या एक माह में 1500 रुपये देते हैं और मान्यवर, ऐसा कोई संज्ञान में हो, जहां पर व्यवसायिक शिक्षा बन्द हो गयी वह आप हमें दे दें तो हम विचार कर लेंगे ।

(इस समय 11 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

श्री उदयराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो छात्र हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें इस शिक्षा से कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि क्या प्रदेश के सभी हायर सेकेण्ड्री तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में रोजगारपरक शिक्षा के उद्देश्य से क्या मिनी आई० टी० आई० खोलने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

मिनी आई० टी० आई० खोलना श्रम विभाग का काम है, वहां पर आप निवेदन करें और वह निर्णय लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सामान्य रूप से जब माननीय सदस्य प्रश्न लगाते हैं तो पुनरावृत्ति के आधार पर प्रश्न निरस्त हो जाते हैं । इस प्रश्न पर पूर्व में ही चर्चा स्वीकार हो चुकी है, अब चर्चा स्वीकार हो जाने के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, यह दोष किसका है, क्या पुनरावृत्ति होनी चाहिए, जबकि नियम–४७ में चर्चा स्वीकार हो चुकी है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियमों के अनुसार अध्यक्ष जी का विनिश्चय अन्तिम होता है । वह जब तय कर चुके हैं कि यह प्रश्न आयेगा तो इस पर पुनः ऐसा कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं केवल वस्तुस्थिति से माननीय पीठ को और माननीय सदन को अवगत करा रहा हूं । यह वास्तविकता है, कहीं चूक से बात आ गई है । इसलिए सदन का बहुमूल्य समय क्यों नष्ट किया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

मिलता-जुलता प्रश्न था, जिस पर चर्चा स्वीकार हुई है । चूंकि यह प्रश्न स्वीकार हो चुका है, इसलिए इसको पूरा करके समाप्त कर रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि रोजगार परक शिक्षा के बारे में हमने पूर्व से ही निर्णय कर लिया है और ऐसी शिक्षा हम विद्यालयों में पूर्व से ही दे रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने वर्षों से रोजगारपरक शिक्षा दी जा रही है तो कितने नवयुवकों को इससे रोजगार मिला है, क्या इसकी भी मानीटरिंग किसी स्तर से की जा रही है, यदि आंकड़े प्रस्तुत कर सकें तो बड़ी कृपा होगी ?

डा० नैपाल सिंह–

मैं इतना बता सकता हूं कि हमारे यहां से पर ईयर कितने छात्र निकलते हैं, बाकी प्रश्न मुझसे संबंधित नहीं है । हमारे यहां से 30 हजार छात्र प्रतिवर्ष इन्टर पास करके जाते हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि रोजगार परक शिक्षा का यही मतलब है कि रोजगार दिया ज़ायेगा, अगर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो यह रोजगारपरक शिक्षा देने का अर्थ क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मूल प्रश्न की जो भावना है, उसमें स्पष्ट कहा गया है जो वर्तमान पाठ्यक्रम हैं, उस पाठ्यक्रम में सरकार के द्वारा कोई ऐसा परिवर्तन लाया जायेगा, जिससे इसे रोजगारपरक बनाया जा

सके। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मौजूदा पाठ्यक्रम है जिसके रहते और चलते प्रति वर्ष लाखों बेरोजगारों की एक लम्बी कतार बनती जा रही है तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने पर सरकार विचार करेगी ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, नियमावली में इस सदन में अजनबियों के प्रवेश पर कुछ व्यवस्था दी गयी है और मैंने देखा है कि एक चूहिया इस सदन में प्रवेश कर गयी है और वेल में आ गयी है तो इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह मान्यवर, निश्चित रूप से उन्हीं का हिस्सा है जो वेल में आते है, इसे पकड़ कर ले जायें।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यह जो व्यावसायिक शिक्षा का विषय यहां पर उठाया है। यू० पी० बोर्ड में एक सब्जेक्ट कमेटी भी है जो समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है और कोर्स का निर्णय करती है। लेकिन मान्यवर, जो सवाल पूछा गया है उसमें सीधा है कि क्या जो पाठ्यक्रम है, उसमें परिवर्तन करेंगे तो हमारा जवाब है कि यह पहले से ही चल रहा है और जब नई नीति बनेगी और इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत होगी तो हम इस विषय को ले लेंगे।

प्रदेश में त्वरित यातायात हेतु द्रुतगामी राजमार्ग का निर्माण

*2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्वरित यातायात हेतु क्या द्रुतगामी राजमार्ग (एक्सप्रेस हाईवे) बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

जी हां।

सम्प्रति नोएडा व ग्रेटर नोएडा द्वारा जिला गौतमबुद्ध नगर में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का निर्माण सेक्टर 44 चौराहा नोएडा से सूरजपुर कासना मार्ग, ग्रेटर नोएडा तक, मै० इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) से कराया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई 23.627 किमी० है तथा इसकी निर्माण लागत रुपये 126 करोड़ आंकी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज देश में और पूरे प्रदेश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में द्रुत गति से चलने वाले वाहनों से आये दिन दुर्घटनायें हुआ करती हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई 23.627 कि०मी० है तथा इसकी निर्माण लागत रुपये 126 करोड़ बतायी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2 महानगर जो पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से प्रदेश में महत्वपूर्ण हैं, जिनकी लम्बाई वाराणसी से इलाहाबाद, जिन्हें वनारस और काशी के नाम से जाना जाता है, लगभग 125 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। विदेशों से पयर्टक, सैलानी और अन्य लोगों का आवागमन प्रति वर्ष लाखों की संख्या में हुआ करता है,तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं और सैकड़ों लोग प्रति वर्ष अकाल मौत के शिकार हो जाते

हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो महानगरों को मिलाने वाली जी० टी० रोड को एक्सप्रेस हाईवे के रूप में नियमित करने के लिए सिफारिश करें या आप योजना बनाकर हाईवे में परिवर्तित करेंगे ?

श्री राम प्रसाद कमल–

वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से ऐसा कोई प्रस्ताव इस सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ईंधन और समय की बचत की दृष्टि से जो हाईवे का सिद्धान्त भारत सरकार ने स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे राजमार्ग हैं जिनको एक्सप्रेस हाईवे में परिवर्तित करने या बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या उस सूची में दिल्ली–मंसूरी राजमार्ग भी है और दिल्ली–मंसूरी राजमार्ग का सर्वे हो चुका है या नहीं ?

श्री राम प्रसाद कमल–

इस वक्त कोई प्रस्ताव एक्सप्रेस हाईवे का शासन के विचाराधीन नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । भारत सरकार द्वारा दिल्ली–मंसूरी राजमार्ग के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, जमीन अधिग्रहीत करने की कार्यवाही चल रही है । मंत्री जी दोबारा जानकारी करा लें कि इस मार्ग के संबंध में प्रस्ताव लम्बित है और भारत सरकार के सहयोग से यह कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम प्रसाद कमल–

भारत सरकार का कोई प्रस्ताव होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, बिना उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक्सप्रेस हाईवे पर भारत सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती है । मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है । मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इस पर मुझे आपत्ति है ।

श्री राम प्रसाद कमल–

यह केन्द्र सरकार के विचाराधीन हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, भारत सरकार की एक गोल्डेन एक्सप्रेस हाईवे स्कीम पूरे देश में चल रही है जिसके तहत जिन सड़कों पर वेहीकुलर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर पैसा भारत सरकार दे रही है और हाईवे बनाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी रोड ली गयी हैं । मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे इसी के अन्तर्गत बन रहा है, आपकी जानकारी में होगा ?

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, एक्सप्रेस रोड बाम्बे और पूना भारत सरकार के द्वारा बन चुका है, जो आप सबको मालूम होगा । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने कानपुर–लखनऊ रोड एक्सप्रेस हाईवे के संबंध में पूछा है, बता दें ।

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, हमारी जो मार्ग विकास नीति है उसके अन्तर्गत एक्सप्रेस रोड को बनाने का प्रस्ताव है लेकिन इस वक्त कंक्रीट रूप में कोई एक्सप्रेस रोड को शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मंत्री जी पीठ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में प्रति गम्भीर हैं, यह खेदजनक है । कानपुर–लखनऊ राजमार्ग बन रहा है वह उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में है लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है । इस तरीके से बचकानेपूर्ण ढंग से बयान देना सदन के प्रति अनादर और सदन की अवमानना है । इसलिये निवेदन है कि इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें ।

(शोर)

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन की व्यवस्था की गयी है, पी० डब्लू० डी० द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है और मंत्री जी कह रहे हैं उनके संज्ञान में नहीं है । मैं अनुरोध करता हूं कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें, नीर क्षीर विवेक से उस पर निर्णय हो जायेगा ।

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की स्थिति से अवगत करा दिया । लखनऊ–कानपुर के बारे में कोई कार्यवाही नहीं चल रही है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की, प्रदेश में अधिक से अधिक एक्सप्रेस हाईवे बनें, इस संबंध में चिन्ता है और मंत्री जी शायद इस बारे में चिन्तित नहीं हैं । कई माानीय सदस्यों ने ठोस सबूतों के आधार पर कहा कि कानपुर–लखनऊ, दिल्ली–मंसूरी, दिल्ली–आगरा मार्गों के बारे में चर्चा की है । इसके लिये मंत्री जी के विभाग के अधिकारी सर्वेक्षण में लगे होंगे और इस्टीमेट बनाया होगा और कार्यवाही की जा रही होगी । तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध है, अगर नहीं है तो इसका कारण क्या है ?

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, मूल प्रश्न में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस रोड विचाराधीन हैं तो हमने कहा कि जो मार्ग विकास नीति है उसके अन्तर्गत एक्सप्रेस रोड बनने चाहिए लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कोई प्रस्ताव एक्सप्रेस रोड बनाने का नहीं है ।

नोयडा में वहां की लोकल अथारिटी उसके लिए रुपया दे रही है । हमारे पास रुपये की व्यवस्था नहीं है । एक्सप्रेस रोड का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी एक्सप्रेस हाईवे के कार्य में लगे हुए हैं । यदि हैं, तो बतायें यदि नहीं हैं, तो बतायें ? प्रदेश में सब कुछ हो रहा है और आपको जानकारी नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश के बारे में है । क्या कानपुर–लखनऊ और दिल्ली–मंसूरी उत्तर प्रदेश के बाहर हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें, मैंने इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया है।

[नत्थी 'ग' उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 338(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने की कार्य योजना पर विचार

*1.—श्री राम औतार शाक्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने हेतु सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां।

अभी भारत सरकार छात्राओं को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है। भारत सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि वह लड़कियों, महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। मैंने उच्च शिक्षा को निःशुल्क करने के बारे में सवाल किया सरकार ने सीधा उत्तर दिया कि हमारी कोई योजना नहीं है। मैंने यह भी पूछा था कि आगे की किसी योजना पर विचार करेंगे, ठीक है इस वक्त संसाधन नहीं हैं लेकिन भविष्य में किसी योजना पर विचार करेंगे ताकि छात्राओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क मिल सके। माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार में योजना विचाराधीन है, कौन सी योजना है ? यह मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में वित्तीय संकट है और यह पिछले कई वर्षों के दुष्परिणाम स्वरूप विद्यमान है। हमने स्पष्ट किया कि निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जहां तक विशेष योजना की बात कही वह भी प्रदेश के स्तर पर कोई योजना विचाराधीन है लेकिन महिलाओं को उच्च शिक्षा सुविधाजनक ढंग से हो सके, निःशुल्क हो सके इसके लिए "नेशनल एजेण्डा आफ गवर्निंग" जो सेण्ट्रल का है उसमें इस बात को सम्मिलित किया गया है कि हम महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार करेंगे। वह योजना बना रहे हैं। जब बन जायेगा तब उन्हें लागू करेंगे और हमें उन्हीं से वित्तीय संसाधन भी मिलेगा। क्या योजना बनेगी, उसका क्या रूप होगा, यह स्पष्ट नहीं है। हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। केन्द्र सरकार की योजना लागू करने से हमें वित्तीय संसाधन मिलेगा तब हम उसे लागू करने की स्थिति में होंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, छात्रायें इस प्रदेश की कुल आबादी का 50 फीसदी से ज्यादा हैं और उनमें शिक्षा का स्तर बहुत कम है । इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से परिवार कल्याण की योजनाओं को और अच्छे ढंग से अपनाया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शिक्षा देना अनिवार्य है । इसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे कि छात्राओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क दी जाये ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा–

मान्यवर, जो उत्तर दे रहे हैं, अभी तक का जो विचार है उसके आधार पर दे रहे हैं । इसलिए पुनः क्या विचार करें । जहां तक महिलाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क देने का प्रश्न है विभिन्न दृष्टिकोण से महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है । इसी उद्देश्य से इण्टरमीडिएट तक शिक्षा देने की नीति लागू कर रखी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण उनमें शिक्षा का अभाव है उच्च शिक्षा के माध्यम से उनकी स्थिति को ठीक किया जा सकता है । सरकार ने विभिन्न समय पर जो वक्तव्य दिये हैं उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है । माननीय मुलायम सिंह की सरकार में बालिकाओं को स्नातक तक शिक्षा मुफ्त की गई थी तो वह योजना किस वर्ष तक रही ? शिक्षा मुफ्त के उस निर्णय को समाप्त करने का निर्णय कब से किया गया ? किस सरकार ने यह निर्णय लिया ? क्या मुलायम सिंह जी की सरकार ने बालिकाओं को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय जो लिया था उस निर्णय को सरकार पुनः लागू करने का काम करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निःशुल्क शिक्षा देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । किस सरकार ने समाप्त किया यह जानकारी चौधरी जी के पास हो तो वह बता दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको किस वर्ष किस सरकार द्वारा समाप्त किया गया यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी अगर उत्तर देना चाहें तो दे दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सरकार कोई व्यक्ति नहीं होती केवल सरकार होती है । कब से लागू हुआ कब से नहीं यह जानकारी हमारे पास नहीं है उनके पास हो तो बता दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि भारत सरकार छात्राओं को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है । क्या केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि आपके यहां निःशुल्क शिक्षा स्नातक स्तर पर प्रारम्भ की जाए ? क्या इसके लिए वित्त पोषण केन्द्र सरकार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो निर्णय केन्द्र सरकार शिक्षण क्षेत्रों में लेती है उसे प्रदेशों से लागू करने के लिए कहती है उसमें निश्चित रूप से वह आर्थिक सहायता भी कुछ वर्षों तक देती है । यू० जी० सी० के बहुत से

प्राविधान उन्होंने किये उसमें दो, तीन, चार सालों तक आर्थिक सहायता भी दी । आर्थिक संकट होने के कारण महिलाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । भारत सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में जब योजना लागू की जायेगी तो निश्चित रूप से वह आर्थिक सहायता भी देंगे उनके सहयोग से हम योजना को लागू करने में सफल भी हो जायेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण उसका होना था यदि हुआ है तो फिर इसे रिजेक्ट करने का क्या कारण था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, इसलिए प्रस्ताव आने और रिजेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता । केन्द्र सरकार खुद योजना बना रही है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में छात्राओं और महिलाओं की अशिक्षा को देखते हुए माननीय मुलायम सिंह जी सरकार द्वारा एक स्पष्ट शासनादेश 16 जुलाई, 95 को किया गया था । क्या सरकार इसी प्रकार से भारत सरकार को कोई अलग से प्रस्ताव भेजकर निवेदन करेगी कि स्नातक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क की जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केन्द्र सरकार कोई भी नीति निर्धारित करेगी वह पूरे देश के लिए करेगी । अलग से प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ।

नत्थी 'घ'

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय सीमा में शिथिलीकरण सम्बन्धी जानकारी

*1—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य मृतक आश्रित सेवा नियमावली के नियम–3 के अन्तर्गत मृतक की मृत्यु 5 वर्ष से अधिक हो जाने पर उसके आश्रित को नौकरी में लिये जाने हेतु शिथिलीकरण की शक्ति शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो 21 अप्रैल, 1997 से उक्त शक्ति शासन के किस अधिकारी में निहित की गयी है ? क्या उक्त अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम–5 में संशोधन कर उ० प्र० सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993, 16 अप्रैल, 1993 को प्रख्यापित की गयी । इस संशोधन द्वारा व्यवस्था की गयी कि यदि सेवाकाल के लिए आवेदन करने के अधीन नियत समयसीमा 5 वर्ष से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो न्यायसंगत तरीके से कार्यवाही करना आवश्यक समझने पर राज्य सरकार समय सीमा शिथिल कर सकती है ।

यह अधिकार किसी अधिकारी को उपलब्ध नहीं है । सचिवालय की कार्य प्रणाली में प्रत्येक विभाग के परामर्शी बिन्दुओं के अतिरिक्त कार्य सम्पादन का अधिकारी विभाग के मा० प्रभारी मंत्री जी में निहित होता है ।

चूंकि उल्लिखित शक्ति किसी अधिकारी को उपलब्ध नहीं है । अतः उनके द्वारा शक्ति के प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आया है कि नियम–5 में संशोधन कर उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1993. 16 अप्रैल, 1993 को प्रख्यापित की गयी । मेरा माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि जिस नियमावली में संशोधन की बात कर रहे हैं वह हमारे पास है । यह प्राविधान कि 5 वर्ष से अधिक आवेदन करने में विलम्ब हो जायेगा और कोई अनुचित कारण होगा तो शिथिलीकरण किया जा सकता है, यथावत् नियम–5 में फिर रखा गया है जबकि यही बात नियमावली 1974 में भी कही गई है । यही 20 जनवरी, 99 में भी कही गई है । तो माननीय मंत्री जी अनुचित कठिनाई के आधार और मानक के बारे में बताने की कृपा करें और इसकी परिभाषा क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पहले इसमें समय की सीमा निर्धारित नहीं थी लेकिन एक प्रकरण जो कि सचिवालय का ही था उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने होल्ड किया कि दीर्घकाल तक मृतक आश्रित के लिए सेवायोजन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती । इस प्रकरण में 9 वर्ष व्यतीत हो चुके थे । इसलिए शासन को समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये गये । शासन ने समय सीमा निर्धारित भी की है और अब शिथिल करने का अधिकार शासन में निहित हो गया है । इसे सामान्य नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता । लेकिन वह अपवाद स्वरूप होगा । वह सामान्य नियम में नहीं लिया जायेगा । किसी अभ्यर्थी को यदि एक या दो महीने का विलम्ब हो गया है तो उन आधार पर सरकार विचार कर सकती है और उसे अपवाद स्वरूप देखा जा सकता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुचित कठिनाई का मानक और आधार क्या है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर एक या दो महीने का विलम्ब हो जाता है तो उस पर शासन विचार कर सकता है । जिस प्रकरण विशेष का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि 9 वर्ष का समय हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने यह जो निर्देश दिया था, उस प्रकरण पर शासन ने क्या निर्णय लिया ?

दूसरा, कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि यदि कोई बच्चा उस समय नाबालिग है और उसके माता या पिता की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो ऐसे प्रकरण में उसके आवेदन में शिथिलता प्रदान करते हुए सरकार उसे स्वीकृति प्रदान करेगी । मैं स्वयं इस मत का हूं कि अगर कोई राजकीय कर्मचारी राजकीय सेवा में रहते हुए मर जाता है तो उसके बच्चे को बालिग होने की तिथि तक सेवा प्रदान किया जाना चाहिए और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकृति प्रदान की है । तो क्या सरकार नाबालिग से बालिग होने की तिथि तक की समय सीमा निर्धारित करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, इस सेवा नियमावली का उद्देश्य यह था कि मृतक सरकारी सेवक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाय या उसको सहारा प्रदान किया जाय । जब सेवा नियमावली बनी

तो उस समय समय सीमा बंधित नहीं थी लेकिन हरवंश सहाय बनाम यू० पी० स्टेट में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 9 वर्ष के सेवा योजना का प्रार्थना-पत्र देना ग्राह्य नहीं है । इससे नियमावली के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिये इसमें संशोधन अपेक्षित किया जाना पाया गया और यह समय सीमा पांच वर्ष निर्धारित कर दी गयी । इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकरण गया और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक जजमेंट दिया कि किसी कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने से उसके आश्रित को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार नहीं हो जाता है । सिर्फ कर्मचारी है, इस आधार पर कि सेवाकाल में मृत्यु हो गयी है तो यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं हो जाता है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिवार की वित्तीय स्थिति क्या है, इस पर विचार किया जाना चाहिए । आश्रित सेवायोजन जब चाहे तब उसको प्रदान किया जाय, यह उचित नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए समय सीमा पांच वर्ष रख दी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया तो फिर सरकार ने 5 वर्ष के शिथिलीकरण को शासन ने क्यों लिया ? इसका मतलब है कि शिथिलीकरण का अधिकार है और जो संवेदनशीलता दिखायी है इसके लिए बधाई देता हूं । मैं स्वयं इस मत का हूं कि राजकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को बालिग होने तक मौका दिया जाना चाहिए तो क्या सरकार इसमें शिथिलता दिखायेगी । पुनः दोहरा दूं कि नाबालिग से बालिग होने तक की समय सीमा सरकार निर्धारित करेगी और उस मानक के आधार क्या हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि अधिकारस्वरूप नहीं है बल्कि परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यदि परिस्थिति है तो सरकार में शक्ति निहित है कि अपवाद स्वरूप समय सीमा को शिथिल कर दे ।

जनपद मिर्जापुर में पाषाण खनन पर रोक लगने के फलस्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन के प्रयास की जानकारी

*2—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद में पाषाण खनन पर रोक लगने के कारण हजारों की संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु पिछले डेढ़ वर्षों में क्या कोई प्रयास किये गये ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

जी हां ।

जनपद मिर्जापुर में बंद किये गये खदानों को पुनः खोले जाने हेतु वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की गई । जिन खदानों के लिए अनापत्ति प्राप्त हुई उनमें खनन कार्य की अनुमति प्रदान कर दी गयी । इसके अतिरिक्त नये क्षेत्रों के खनन पट्टे भी वन विभाग की अनापत्ति के आधार पर स्वीकृत किये गये।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद में पाषाण खनन का कार्य श्रमिकों से सीधा सम्बन्ध रखता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण सारी खदानें बन्द कर दी गयी हैं । मंत्री जी ने उत्तर में कहा है

कि श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी पूछा था कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु पिछले डेढ़ वर्षों में क्या कोई प्रयास किये गये ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? इसका मंत्री जी ने उत्तर दिया है जी हां। मान्यवर, जो खदानें बन्द की गयी हैं उनके संबंध में मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि–जनपद मिर्जापुर में बन्द किये गये खदानों को पुनः खोले जाने हेतु वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की गयी। जिन खदानों के लिए अनापत्ति प्राप्त हुई उनमें खनन कार्य की अनुमति प्रदान कर दी गयी और खदानें खुल गई हैं किन्तु सारी खदानें अभी नहीं खुल पायी हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बन्द खदानों में जो श्रमिक कार्य करते थे उनसे श्रम छिन गया है इसलिए उनको रोजगार देने के लिए शासन क्या कर रहा है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कई वादकारियों के सम्बन्ध में निर्णय दिया है कि उन्हें फिर से खनन का कार्य दे दिया जाय और कुछ में मानहानि के स्तर पर निर्णय होना है, क्या इन प्रकरणों की सरकार जांच कराकर उन खदानों में श्रमिकों को कार्य देगी ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मिर्जापुर जनपद में खनन कार्य बन्द किया गया था। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य किया गया और 89 पट्टे स्वीकृत करके कार्य शुरू किया गया, इसलिए सरकार प्रयत्नशील है कि खनन कार्य जहां बन्द है वहां किये जायं। लेकिन न्यायालय के आदेश की परिधि में रहते हुए पट्टे स्वीकृत किये गये इसलिए सरकार सजग है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मुख्य सचिव स्तर पर इस सम्बन्ध में तीन बैठकें हुई हैं और जो निर्देश दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं–वन क्षेत्रों का निश्चित रूप से सीमांकन करा लिया जाय, नये पट्टे देने का काम शुरू किया जाय, यह निर्देश सरकार की तरफ से दिये गये हैं। लेकिन वास्तव में वन क्षेत्र से जो रास्ता गुजर रहा था उसमें खनन का कार्य रोका गया था लेकिन उसमें भी शपथ-पत्र लेकर कि निकल सकते हैं तो अनुमति प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव स्तर से आदेश जारी किये गये।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, खदानें आज तक बन्द चल रही हैं इसलिए उनमें काम करने वाले श्रमिकों की क्या स्थिति है इसका उत्तर मंत्री जी से आप दिलवा दें ? दूसरे प्रश्न का भी मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप जो मानहानि की नोटिस चली गयी है उसमें क्या स्थिति है ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण खनन में बाधा हुई। लेकिन सरकार ने प्रयास किया है और उसी के परिणाम स्वरूप पट्टे जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और पट्टे दिये जा रहे हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप वहां यह खनन कार्य सम्पूर्ण रूप से बन्द करा दिया था तब क्या कोई एक खनन वहां पर अवैध रूप से खनन कार्य लगातार कर रहे थे। यदि वहां पर यह अवैध रूप से खनन का कार्य हो रहा था तो किस का था और किसकी अनुमति से वहां पर किया जा रहा था ? क्या शासन जांच करायेगा कि वह खनन का कार्य किसका था, किसी अनुमति से हो रहा था ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने बताया कि जनपद मिर्जापुर में उस समय 331 स्वीकृत थे और सभी का खनन कार्य बन्द करा दिया गया था।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या कोई एक खान प्रतिबन्ध के बावजूद लगातार खनन का कार्य किसकी अनुमति से करा रही थी ? क्या शासन इसकी जांच करायेगी और समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने जैसा कि निवेदन किया है लेकिन माननीय सदस्य यदि किसी के बारे में जानकारी देंगे तो विचार कर लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी कह रहे हैं कि संज्ञान में लायेंगे तो जांच करवा लेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अगर हम इसकी सूचना दें कि खनन का कार्य बन्द होने के बाद भी वहां पर अवैध रूप से खनन हो रहा था तो मंत्री जी उसकी जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे ? मंत्री जी जांच करने की बात नहीं कह रहे हैं । हम स्पैसिफिक सूचना देंगे तो मंत्री जी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

कह तो रहे हैं मंत्री जी, सूचना देंगे तो जांच करवा लेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आज यहां सदन में कह दें तो क्या दिक्कत है ? जो गड़बड़ी है वह पकड़ में आ जायेगी ।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

निश्चित रूप से कोई स्पैसिफिक सूचना की जानकारी देंगे तो कार्यवाही की जायेगी ।

[redacted]

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियों में आवासों के आवंटन का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनियों में ऐसे भी अध्यासी हैं जो बिना किराया भुगतान किये रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनसे किराया वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

आवास आवंटन के मानक सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 में विहित है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । किराया अवशेष होने पर नोटिस भेज कर वसूली की जाती रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज भी राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों में अनेकों लोग अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ये न तो किराया दे रहे हैं । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी किराया नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हें नोटिस दिया गया । तीन माह से अधिक के लोगी कितने हैं जो किराया नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हें बेदखल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई नोटिस भेजी गई ?

श्री हुकुम सिंह–

जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, संभवतः कहीं न कहीं भ्रांति है । मैंने भी इस आशय की जानकारी करनी चाही थी कि कितने लोग ऐसे हैं । ऐसे लोग तो हैं जिनका आवंटन निरस्त हो चुका है लेकिन वे माननीय न्यायालय के आदेश से स्टे लेकर रह रहेहैं । जहां तक किराये का प्रश्न है, वे किराया जमा कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पी० पी० ऐक्ट में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तीन माह से अधिक का किराया बकाया होज ाता है तो उसके बेदखल की कार्यवाही हो जाती है । किराया अवशेष होने पर नोटिस भेजकर वसूली की जा रही है । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों पर कितने-कितने महीने से बकाया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत वाद कायम किया गया कितनों के खिलाफ ?

श्री हुकुम सिंह–

पूरी जानकारी मेरे पास है । कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पी० पी० ऐक्ट में आवंटन निरस्त हो चुका है । आप चाहें तो मैं उनकी सूची पढ़ देता हूं । यह इतनी लम्बी सूची है, कुछ में मुकदमें चले कुछ निरस्त हो गये कुछ हाईकोर्ट में चले गये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जो लोग बगैर आवंटन के भवनों पर कब्जा जमाए हैं उनके नाम बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

5.1 कालीदास मार्ग, पूर्व मंत्री हैं श्री सुईदुल हसन इनके नाम आवंटन था बाद में निरस्त हुआ इसमें उच्च न्यायालय में याचिका लगी है, 4 लाल बहादुर शास्त्री यह पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी जी के नाम था इनका आवंटन निरस्त हो गया था उच्च न्यायालय से इसमें भी स्टे लिया गया है, 3-7 साउथ एवेन्यू यह श्रीमती पाना देवी के नाम था यह स्व० धर्म सिंह जी की धर्मपत्नी हैं यह निरस्त हो गया यह भी स्टे ले आयी हैं, 4–7 साउथ एवेन्यू है यह मंत्री आवास के रूप में मकान था यह भी निरस्त हो गया है यह भी हाईकोर्ट से स्टे लिए हुए हैं । 9–ए कालीदास मार्ग भी मंत्री आवास के रूप में घोषित हुआ है इसमें भी 15 दिन के अन्दर खाली करने की नोटिस दी गयी है । 11 कालीदास मार्ग है इसमें भी 15 दिन की नोटिस दी गई है इसमें भी कार्यवाही चल रही है । 3 विक्रमादित्य मार्ग है इसकी भी स्थिति यही है नोटिस दी गई है इसमें भी कार्यवाही चल रही है । 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है यह डा० संजय सिंह पूर्व मंत्री हैं इनके नाम आवंटित था इसमें भी कार्यवाही चल रही है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

उच्च न्यायालय से सरकार के माध्यम से कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

जितनी अच्छी पैरवी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है आज ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एडवोकेट जनरल से सम्पर्क करें ताकि कार्यवाही हो ।

*4—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में ''वन्देमातरम्'' व ''ईश वन्दना'' के गायन का प्रकरण

*5—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कल्प योजना के अन्तर्गत ''वन्देमातरम्'' व ''ईश वन्दना'' को आवश्यक बनाया गया था ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ? उसका औचित्य क्या था ? क्या उक्त योजना दोषपूर्ण होने के कारण वापिस ले ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

योजनान्तर्गत अन्य के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में ''ईश वन्दना'' तथा ''वन्दे मातरम्'' के गायन की संकल्पना की गयी थी ।

शासन के आदेश दिनांक 25-7-98 से ।

शिक्षा प्रणाली का विकास करने एवं गिरते हुए मानवीय जीवन मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने हेतु ।

शासन के संक्षम स्तर पर अनुमोदन न होने के कारण समस्त निर्गत आदेश/निर्देश निरस्त कर दिये गये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, ईश वन्दना और वन्दे मातरम् के प्रकरण पर एक मंत्री की कुर्बानी हो गई । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पहले शासन का आदेश था जो 25-7-98 से लागू हुआ उसके बाद फिर यह कहा गया कि शासन के सक्षम स्तर पर अनुमोदन न होने के कारण समस्त निर्गत आदेश/निर्देश निरस्त कर दिये गये । तो 'ईश वन्दना' और 'वन्दे मातरम्' को विद्यालयों में शुरू किया गया ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शासनादेश निर्गत हुआ था और चूंकि यह निर्णय सक्षम स्तर से नहीं लिया गया । इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पहले वाला शासनादेश किस स्तर का था और ''सक्षम'' से आपका आशय क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, किसी भी नयी योजना को लाने के लिए मंत्रि-मण्डल का अनुमोदन आवश्यक है । यहां तो न तो मुख्य मंत्री के स्तर से स्वीकृति हुई और न मंत्रि-मण्डल स्तर पर स्वीकृति हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रदेश में बन्द पड़े सीमेन्ट कारखानों–डाला तथा चुर्क को पुनः चलाने सम्बन्धी जानकारी

*6—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला तथा चुर्क बन्द पड़े सीमेन्ट कारखानों को चलाने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

जी नहीं ।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उ० प्र० राज्य सीमेण्ट निगम लि० को रुग्ण इकाई मानते हुए उसके परिसमापन (वाइण्डिग-अप) की संस्तुति दिनांक 2-7-97 को करते हुए प्रकरण को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संदर्भित कर दिया गया । मा० उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दिनांक 8-12-99 को अपना निर्णय सुनाते हुए सीमेण्ट निगम के परिसमापन के आदेश पारित कर दिये हैं। अतः सीमेण्ट निगम के परिसमापन की प्रक्रिया लागू हो गयी है ।

उपरिवर्णित स्थिति में डाला तथा चुर्क के बन्द सीमेण्ट कारखानों को चलाया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में कतिपय निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमों का अनुपालन

*7—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन निजी इंजिनियरिंग महाविद्यालयों को कक्षायें संचालित करने की अनुमति दी गयी है ? क्या उक्त महाविद्यालयों द्वारा नियमों शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में 35 अभियंत्रण संस्थाओं (सूची संलग्न) को अभियंत्रण कक्षायें प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी । इन संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों, नियमों एवं शर्तों के अनुपालन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जांच करायी जाती है । जहां नियमों व शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ पाया जाता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 229–230 पर)

जनपद लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी, कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग आदि में निर्मित कुल बंगलों एवं अनाधिकृत अध्यासियों से खाली कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

*8—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी, कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विडसर प्लेस एवं माल एवन्यू में कुल कितने बंगले हैं ? उनमें से कितने बंगले ऐसे हैं जिनमें पूर्व मंत्री अथवा अधिकारी वर्षों से अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं ? उक्त बंगलों को खाली कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उक्त कालोनियों में कुल 68 (अरसठ) बंगले हैं ।

11 (ग्यारह) बंगले अनधिकृत अध्यासन में हैं ।

नोट :–नत्थी (घ) तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

समस्त अनधिकृत अध्यासियों को नोटिस निर्गत की जा चुकी है, किन्तु इनमें से चार अध्यासियों द्वारा राज्य के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गयी हैं, वाद योजित होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है। शेष के विरुद्ध विधिवत् बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि फसलों की वनरोजों (नीलगायों) से बचाने के उपाय

*9—श्री भरत सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नीलगायों (वनरोज) से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

जी हां। कृषि फसलों के लिए हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु अनुज्ञा जारी करने के लिए वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम–1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–736/14-4-94-854/92, दिनांक 9 मार्च, 1994 द्वारा जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभावित कृषक उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु संबंधित जिलाधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के पुनर्निर्माण के मानक सम्बन्धी जानकारी

*10—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क का पुनर्निर्माण कितने वर्षों बाद करना मानक के अनुसार आवश्यक है ? क्या पूर्व-निर्मित सड़कों का तद्नुसार पुनर्निर्माण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मार्गों के पुनः निर्माण के लिए कोई मानक एवं समय सीमा निर्धारित नहीं है। मार्गों की भौतिक स्थिति, यातायात की आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर मार्गों का पुनः निर्माण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा वन अधिनियम में संशोधन

*11—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां। वन अपराधों को रोकने के लिए प्रचलित वन अधिनियम के संगत प्राविधान समसामयिक परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं हैं, अतः उसमें दण्ड के अपेक्षाकृत कठोर प्राविधान किये जा रहे हैं।

अयोध्या को आदर्श नगरी बनाने की योजना

*12—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या को आदर्श नगरी बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? इसमें कितने धन का क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है ? क्या मुख्य मंत्री ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1999 को अयोध्या को आदर्श नगरी बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

अयोध्या के विकास हेतु 27 मार्च, 1999 को तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा "अयोध्या पैकेज" की घोषणा की गयी थी । उक्त पैकेज के अन्तर्गत सड़क, सीवर, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के सृजन तथा विभिन्न सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं ।

उक्त पैकेज में सम्मिलित कार्यों का विवरण व लागत अनुलग्नक "क" में दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 231–232 .पर ।)

*13—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[दिनांक 6-4-2000 को ता० प्र० सं०–15 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों की मूल पेंशन में महंगाई भत्ता मिलाकर नवीन पेंशन प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही

*14—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के सेवा निवृत्त अध्यापकों की मूल पेंशन में मंहगाई भत्ता को मिलाकर नवीन पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या और यह निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के सेवा निवृत्त अध्यापकों की मूल पेंशन में महंगाई भत्ता को मिलाकर नवीन पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

आदेश दिनांक 17-10-98 को निर्गत किये गये हैं । उक्त राजाज्ञा में निहित आदेशों के अनुसार पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में गत वर्ष विधायक आवासों में उपलब्ध कराये गये कूलरों तथा फ्रिज पर हुए व्यय का विवरण

*15—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष विधायक आवासों में कूलर एवं फ्रिज उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ? क्या प्रश्नगत कूलर राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो किस दर पर और क्या उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी थी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या फ्रिज के क्रय हेतु भी गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । अब तक कुल 433 मा० विधायकों को कूलर एवं फ्रिज दिये गये हैं । 433 नग कूलर एवं 433 फ्रिज पर क्रमशः रुपये 17,10,350/- (रुपये सत्रह लाख दस हजार तीन सौ पाचास मात्र) एवं

रु० 39.31.640/- (रुपये उन्तालीस लाख इकतीस हजार छः सौ चालीस मात्र) अर्थात् कुल रुपये 56.41.990/- (रुपये छप्पन लाख इकतालीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र) धनराशि का व्यय हुआ है ।

जी हां । कूलर रु० 3,950/- (रुपये तीन हजार नौ सौ पचास मात्र) प्रति नग की दर से क्रय किये गये हैं । जी हां । कूलर बाजार में लोकप्रिय फर्म जिसके उत्पादन ब्रान्डेड हैं से आपूर्ति कराकर राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पब्लिक स्कूलों द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस आदि के सम्बन्ध में निर्गत आदेश

*16. श्री हरवंश कपूर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पब्लिक स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस, केपिटेशन फीस, बिल्डिंग फण्ड तथा अन्य देय निर्धारित करने का कोई मानक बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में कोई आधार निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शासनादेश दिनांक 30-11-91 द्वारा राज्य से अनापत्ति प्राप्त सी० बी० एस० ई०/आई० सी० एस० ई० से सम्बद्ध विद्यालयों हेतु निर्देश हैं कि फीस उन्हीं मदों में चार्ज किया जाय जो अनुमन्य हो फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो संभवतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थिति ऐसे विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है । काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय ।

सी० बी० एस० ई०/आई० सी० एस० ई० से मान्यता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में यह प्रतिबन्ध भी है कि जो 10% स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित है उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नीति विषयक है ।

प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों की फीस वृद्धि का विवरण

*17—श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री राजेन्द्र यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक छात्रों की फीस बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

राजाज्ञा संख्या–124/15-7-2000/1(114)/96, दि० 20-1-2000 द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं की फीस में वृद्धि की गयी है ।

बढ़ायी गयी फीस का विवरण निम्नवत् है :–

हाईस्कूल	रु० 15/- प्रतिमाह
इण्टरमीडिएट	
1–कला वर्ग	रु० 20/- प्रतिमाह
2–वाणिज्य वर्ग	रु० 20/- प्रतिमाह
3–विज्ञान वर्ग	रु० 25/- प्रतिमाह

बालिकाओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा है एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से उक्त शिक्षण शुल्क का आधा शुल्क लिया जा रहा है ।

*18—श्री राम सिंह सैनी—

[दि० 10-4-2000 को ता० प्र० सं०–19 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सड़क मरम्मत हेतु उपलब्ध धनराशि तथा करहल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मरम्मत योग्य सड़कों की स्थिति की जानकारी

*19—श्री बाबूराम यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बनी सड़कों की मरम्मत के लिये इस वर्ष कोई धनराशि निर्गत की गयी है ? यदि हां, तो कितनी और क्या वह पर्याप्त है ? क्या यह सही है कि धनाभाव के कारण मरम्मत न हो पाने से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें आवागमन के योग्य नहीं रही ? करहल विधान सभा क्षेत्र में इनकी संख्या कितनी है ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार वर्ष 2000–2001 में लोक निर्माण विभाग के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत व उनके नवीनीकरण हेतु 95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव है । यह धनराशि ग्रामीण मार्गों की लम्बाई के सापेक्ष पर्याप्त नहीं है ।

पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण सभी ग्रामीण मार्गों की मरम्मत न होने से बहुत सी सड़कों की दशा संतोषजनक नहीं है ।

करहल विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के जिन ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की दशा संतोषजनक नहीं है, उनकी संख्या–26 है ।

अतारांकित प्रश्न

संस्कृत अध्यापकों को अनुदान दिये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत अध्यापकों को अनिवार्य रूप से अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/ वि०को०/एम–1/2200/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय कन्या इण्टर कालेज की सेवा निवृत्त प्रवक्ता के देयकों का भुगतान किये जाने की मांग

2—श्री सुखवीर सिंह नेगी—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 30 जून 1999 को प्रवक्ता, समाज शास्त्र, सेवा निवृत्त हुयी है ? यदि

हां, तो क्या विभाग द्वारा इनको आज तक जी० पी० एफ०, ग्रेच्युटी, बीमा तथा शेष अन्य देयकों का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । कु० मधुर माधुरी डबराल प्रवक्ता, समाज शास्त्र दिनांक 30-6-1999 को सेवानिवृत्त हुई है ।

जी नहीं ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है । स्वीकृति प्राप्त होने ही भुगतान किया जायेगा ।

3—श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

| 4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित |

प्रदेश में नोयडा द्वारा अधिग्रहीत गांवों की आबादी के विवादों को निपटाने सम्बन्धी प्रकरण

4—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि नोयडा द्वारा अधिगृहीत गांवों की आबादियों के विवादों को निपटाने के लिये कोई कमेटी बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस कमेटी को इन विवादों को निपटाने के लिये कितना समय दिया गया था ? क्या उक्त कमेटी द्वारा विवादों का निपटारा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

इस प्रकरण को नोयडा द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ इण्टर कालेज, लखनऊ में आरक्षित जीव विज्ञान अध्यापक पद सामान्य श्रेणी द्वारा भरे जाने के संबंध में जानकारी

5—श्री अब्दुल कलाम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ इण्टर कालेज, लखनऊ में स्नातक वेतन क्रम के आरक्षित (अनु० जाति) जीव विज्ञान अध्यापक पद को आरक्षण नियमों व शिक्षा अधिनियमों की अवहेलना कर सामान्य श्रेणी के विज्ञान अध्यापक के एकल स्थानान्तरण से माह फरवरी, 1998 में भरा गया है ? यदि हां, तो आरक्षण व शिक्षा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

6--डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम विकास खण्ड के ग्राम गुरौली के मजरा पुसेड़ा जिसकी आबादी लगभग 600 है, ग्राम परचल रसूलपुर के मजरा रसूलपुर जिसकी आबादी 375 है तथा ग्राम शामपुर के मजरा हरैदी जिसकी आबादी 500 है, के 1.5 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि वाले मजरों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरों में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार मजरा पुसेड़ा की आबादी 680 है ।

सर्वेक्षण के अनुसार रसूलपुर की आबादी 500 है । ग्राम शामपुर में हरेंदी नाम का मजरा नहीं है बल्कि मजरा हर्रई है, जो मानक के अनुसार सेवित है ।

1 कि०मी० की दूरी पर प्रा० पा० शाहपुर स्थित है ।

जी नहीं । असेवित ग्रामों में प्रा० पा० की स्थापना हेतु सम्प्रति मैदानी क्षेत्र में 300 की आबादी तथा 1.5 कि०मी० दूरी का मानक निर्धारित है ।

मानक के आधार पर असेवित बचे ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापना जिला पंचायत के अनुमादन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर अवलम्बित होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7--डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–हथौरा जो अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत चयनित है, के मजरा अशरफ नगर जिसकी आबादी लगभग 325 है 1.80 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार प्रश्नगत मजरे की आबादी 526 है ।

असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी एवं 300 की आबादी का मानक निर्धारित है ।

उक्त मजरा असेवित श्रेणी में है । जिला पंचायत द्वारा असेवित ग्राम में विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया जाता है । अतः जिला पंचायत के निर्णय एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर मजरा अशरफ नगर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई के 91--मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–कुतुमपुर के मजरा बसहर जिसकी आबादी लगभग 458 है उसके 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासन की 250 की आबादी

तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

असेवित ग्रामों में प्रा० विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० दूरी का मानक निर्धारित है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने तथा जिला पंचायत के अनुमोदन पर विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

9–श्री उदय राज यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद चित्रकूट में अर्की से भदेंदू सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा उक्त निर्माण में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

10–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में अर्की से भदेदू सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग निर्माण हेतु अब तक कितना धन कब-कब दिया गया है ? क्या उक्त मार्ग निर्माण का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी वित्तीय वर्ष में भदेदू तक मार्ग निर्माण पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

वर्षवार आवंटित अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आवंटन
1992-93	—
1993-94	3.82 लाख
1994-95	7.80 ,,
1995-96	4.95 ,,
1996-97	4.66 ,,
1997-98	4.23 ,,
1998-99	2.16 ,,
1999-2000	0.75 ,,

जी हां।

वर्ष 1993-94 में 3 कि०मी० मिट्टी एक रपटा तथा 2 कि०मी० सोलिंग कोट, 1994-95 में 1 पुलिया, 1 कि०मी० सोलिंग कोट तथा 3 कि०मी० इन्टरकोट, 1996-97 में 3 कि०मी० टापकोट तथा 3 कि०मी० प्रथम सतह लेपन, 1997-98 में 1.75 कि०मी० में भूमि अध्यापित तथा 3 कि०मी० द्वितीय सतह लेपन, 1998-99 में 1.75 कि०मी० मिट्टी तथा 4 पुलियों का निर्माण कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में कन्या इण्टर कालेज के निर्माण की योजना

11–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में कन्या इण्टर कालेज के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

विधान सभा क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा एक और कन्या विद्यालय स्थापित करने हेतु एक मुश्त सहायता की योजना प्रारम्भ की गयी है,जो सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसे विकास खण्डों में समान रूप से लागू होगी ।

योजनान्तर्गत जनपद से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर शासन स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के पश्चात् ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवांया में निर्मित राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी

12–श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुवांयां में निर्मित राजकीय कन्या इन्टर कालेज के भवन को बिना हस्तान्तरित कराये कक्षाएं आरम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भवन कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

विद्यालय, जिला परिषद् के एक भवन में मात्र दो कमरों तथा एक बरामदे में चल रहा था । छात्राओं के बैठने का पर्याप्त स्थान न होने, बरसात में बैठने के स्थान की कमी होने, छात्रों व छात्राओं द्वारा आन्दोलन करने व बार संघ द्वारा भी उसका समर्थन करने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा कक्षायें नये भवन में प्रारम्भ करवा दी गयीं ।

नवीन भवन में पंखे, बल्ब इक्जहास्ट फैन, जेटपम्प, विद्युत कनेक्शन मशीन के पास ग्रिल न होने, जलापूर्ति की लाइनें चालू न होने तथा अन्य कमियों के रहते नवीन भवन अभी तक हस्तान्तरित नहीं हुआ है । इसके संबंध में निर्माण एजेन्सी (लो० नि० वि०) को कमियों का निराकरण हेतु कहा गया है । कमियों का निराकरण होते ही नवीन भवन विद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत शाहजहांपुर से खुटार तक रोड चौड़ीकरण तथा उस पर व्यय की गयी धनराशि सम्बन्धी जानकारी

13.–श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत शाहजहांपुर से खुटार तक रोड चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ है ? यदि हां, तो उक्त सड़क चौड़ीकरण हेतु शासन स्तर से कितनी धनराशि निर्मात्री संस्था को दी गयी है ? क्या सरकार उक्त सड़क के चौड़ीकरण का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार न कराये जाने की जांच कराकर मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुसार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

निर्माण खण्ड–2, शाहजहांपुर को वर्ष 1998-99 में रु० 189.00 लाख व वर्ष 1999-2000 में रु० 74.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य मानक के अनुसार कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुवांया में संचालित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षक, स्टाफ आदि की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

14.–श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुवांया में संचालित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षक, स्टाफ, सफाई कर्मचारी आदि की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

डा० नैपाल सिंह–

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पुवांया, शाहजहांपुर में स्वीकृत 31 पदों के सापेक्ष 16 पद रिक्त हैं, जिसमें एक प्रधानाचार्य, नौ प्रवक्ता, तीन स्नातक वेतनक्रम के शिक्षक एवं तीन चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं ।

प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एल० टी० के चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त तीन पदों पर नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी है ।

चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तथा चतुर्थ श्रेणी की नयी भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के समाप्त होने पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जायेगी ।

15.–श्री अब्दुल मन्नान–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु जमा धनराशि को व्यय करने सम्बन्धी प्रकरण

16.–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ग्राम्य निधि में जमा होने वाले धन को खर्च करने के लिए सम्बन्धित ग्राम के बजाय किसी सरकारी अधिकारी के नाम एकल खाता अथवा दो सरकारी

अधिकारियों के नाम से खाता खोलकर धन खर्च करने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । प्रश्नगत धनराशि ग्राम निधि के पृथक खाते में जमा कराने तथा इस खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से करने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानगंज के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री जयपाल सिंह के फण्ड एवं पेंशन भुगतान सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

17—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जयपाल सिंह सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक इमाइदपुर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के फण्ड एवं पेंशन भुगतान सम्बन्धी पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ सी०एम०वि०को०/एम–2/27260/मैनपुरी/99 दिनांक 30-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, प्रश्न में संदर्भित पत्र द्वारा श्री जयपाल सिंह के संबंध में नहीं अपितु श्री राजपाल सिंह, से०नि० प्रधानाध्यापक इमाइदपुर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के फण्ड व पेंशन भुगतान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है\। जहां तक श्री जयपाल सिंह का प्रश्न है वे उक्त विद्यालय में वर्तमान तक कार्यरत हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, अलूपुरा निवासी श्री महावीर सिंह को अध्यापन की नौकरी हेतु मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही

18—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महावीर सिंह निवासी अलूपुरा ब्लाक कुरखली जनपद मैनपुरी को प्रशिक्षित बी० एड० होने के कारण बी०टी०सी० के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद् में अध्यापन की नौकरी देने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम–2/27262/मैनपुरी/99 दिनांक 30-10-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी, श्री महावीर सिंह द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या : 27455/99 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-12-99 की प्रमाणित प्रति सहित प्रत्यावेदन दिनांक 5-1-2000 को प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रत्यावेदन पर मा० उच्च नयायालय के आदेशों के संदर्भ में कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक माधौगंज की ग्राम पंचायत सहिजना के मजरा टिकरिया में प्राइमरी पाठशाला खोलने की योजना

19–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक माधौगंज की ग्राम पंचायत सहिजना के मजरा टिकरिया की आबादी 400 के लगभग है? क्या इसके दो कि०मी० की परिधि में कोई भी प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार प्रश्नगत मजरे की आबादी लगभग 325 है ।

जी हां ।

उक्त मजरा असेवित श्रेणी में है । प्राथमिक विद्यालय स्थापना का निर्णय जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में प्रशासक की नियुक्ति का प्रकरण

20–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा जिला वाराणसी के प्रबन्ध तंत्र की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासक की नियुक्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने अपने पत्र सं०–484253 दिनांक 4-8-95 द्वारा शासन से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त विद्यालय में प्रशासक नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रकरण की स्थिति यह है कि शासनादेश सं०–782/15-9-87-2001(56)/83, दिनांक 27-2-87 द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (घ) (4) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी थी । किन्तु प्रबन्धतंत्र द्वारा दायर की गयी याचिका सं० 5209187 में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 6-3-87 द्वारा शासनादेश दिनांक 27-2-87 को स्थगित कर दिया गयां । सम्प्रति प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में अयोध्या को विकसित करने हेतु अयोध्या पैकेज की घोषणा सम्बन्धी प्रकरण

21—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सरकार द्वारा अयोध्या को विकसित करने हेतु अयोध्या पैकेज की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि से क्या-क्या कार्य होने प्रस्तावित हैं ? दिसम्बर, 1999 तक उपरोक्त पैकेज का कितना धन अवमुक्त किया

जा चुका है और कितना धन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा खर्च किया जा चुका है ? शेष धन कब तक अवमुक्त कर पैकेज के अनुरूप कार्य करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

अयोध्या को विकसित करने हेतु अयोध्या पैकेज की घोषणा वर्ष 1998-99 में की गयी थी ।

उक्त पैकेज में सम्मिलित कार्यों का विवरण व लागत अनुलग्नक "क" में दिया गया है ।

प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में दिसम्बर, 1999 तक रु० 673.475 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है । जनवरी, 2000 तक कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रु० 306.64 लाख की धनराशि व्यय कर ली गयी थी ।

प्रथम किश्त के सदुपयोग के आधार पर द्वितीय किश्त के रूप में रु० 412.46 लाख की धनराशि भी अवमुक्त की गयी है । कार्य प्रगति पर है जिसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 233 पर)

उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालय में वर्तमान रिक्त तकनीकी पदों की [illegible] रिक्तियों को भरे जाने की मांग

22—श्री राधेश्याम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय पुस्तकालय में वर्तमान समय में कितने तकनीकी पद रिक्त हैं ? क्या शासन उन रिक्तियों को भरने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

15 पद ।

उ० प्र० सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय सेवा नियमावली बनायी जा रही है । नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त ही रिक्त पदों को भरने के संबंध में विचार किया जायेगा ।

जनपद महोबा में लोक निर्माण विभाग द्वारा पनवाड़ी महोबा मार्ग पर [illegible]

23—डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद महोबा के पनवाड़ी महोबा मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है ? क्या उसमें जमाला–क्वारी द्वारा गिट्टी सोलिंग की सप्लाई कर 50 मील दूर स्थित कुम्हौरा क्वारी के रेट का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

इसकी जांच करायी जायेगी ।

जांच के परिणाम पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में शिक्षकों द्वारा लिपिकीय कार्य लिये जाने की शिकायत

25—श्री भाई लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा अपने कार्यालय में कार्यरत श्री रामनिवास, व्यायाम शिक्षक व जू०हा० स्कूल शिक्षक श्री बुद्धी लाल व प्रा० शि० श्री सलेहा चक्र मुकुल से कई वर्षों से लिपिकीय कार्य कराया जा रहा है ? क्या इस कारण शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26—श्री राम औतार शाक्य–

[छठे गुरुवार में अता० प्र० सं०–39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

27—डा० धर्मेश मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम बांखा जो अम्बेदकर ग्राम योजना में चयनित है मजरा मढिया मंगल दास जिसकी आबादी लगभग 558 है तथा उसके 2.08 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या सरकार की नीति के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं । आबादी लगभग 250 है तथा इसके लगभग 1 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कंथरी उपलब्ध है ।

उसेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र में 1.50 कि०मी० की दूरी तथा 300 की आबादी के मानक निर्धारित है । प्रश्नगत मजरे में उक्त मानक पूरा न होने के कारण प्रा० पा० खोले जाने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28—डा० धर्मेश मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम बेजीपुर जो अम्बेदकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित है, के मजरा कबीरपुर जिसकी आबादी लगभग 578 है उसके 2.800 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्रा०पा० खोले जाने की

सरकार की नीति के अन्तर्गत उक्त मजरे में सरकार प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

असेवित ग्राम के लिए प्रा० पाठशाला की स्थापना हेतु 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है । उक्त मजरा असेवित ग्राम के श्रेणी अन्तर्गत है ।

जिला पंचायत के अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत ग्राम के विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

29—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम बांखा जो स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित है के मजरा सथरा जिसकी आबादी लगभग 496 है उसके 2.800 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की सरकार की नीति के अन्तर्गत क्या सरकार उक्त मजरा में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

असेवित ग्राम के लिए 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की परिधि का मानक निर्धारित है ।

जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय की स्थापना वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठत. ।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मल्लावां की न्याय पंचायत शाहपुर पंवार के मजरा लानार में प्राइमरी पाठशाला की स्थापना की स्वीकृति तथा उसमें अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण

30— डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां की न्याय पंचायत शाहपुर पंवार के मजरा लानार में प्राइमरी पाठशाला स्थापित करने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त पाठशाला में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

मजरा लोनार प्राथमिक पाठशाला लकड़हा से सेवित है जो लोनार से लगभग 0.50 कि०मी० की दूरी पर है । मानक के अनुसार मजरा लोनार में विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिलग्राम की न्याय पंचायत परचल रसूलपुर के मजरा सखेड़ा में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

31—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि०स० क्षेत्र के विकास खण्ड बिलग्राम की न्याय पंचायत परचल रसूलपुर अम्बेदकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित है? क्या इसके मजरा सखेड़ा जिसकी आबादी लगभग 500 है क्या इसके 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई भी प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शासन की 250 की आबादी वाले मजरा में प्राइमरी पाठशाला स्थापित करने की सरकार की नीति के अन्तर्गत उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां, आबादी 500 से अधिक है ।

ग्राम सखेड़ा प्रा० पा० दघेला पुरवा से सेवित है, जो मात्र 0.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

जी नहीं ।

असेवित ग्रामों में प्रा० पा० की स्थापना हेतु 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी पर मानक निर्धारित है ।

मानक के अन्तर्गत नहीं आता है ।

जनपद मथुरा में मधुवन जूनियर हाईस्कूल महोली को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मधुवन जूनियर हाईस्कूल महोली को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/एम/1/21969/मथुरा 99, दिनांक 3-4-1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

ए० डी० (बे०) आगरा के पत्रांक शि०स०/6211-14/99-2000 दिनांक 23-2-2000 द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत शाहाबाद से वासितनगर मार्ग में गर्रा नदी पर सेतु निर्माण का प्रस्ताव

33–श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद से वासित नगर मार्ग में गर्रा नदी पर सेतु निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो सेतु निर्माण की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[redacted]

34–श्री राम प्यारे सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10-3-1999 को निर्धारित सुनवायी के उपरान्त क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

संदर्भगत प्रकरण में दिनांक 10-3-99 को सुनवाई नहीं हो सकी । सुनवाई हेतु पुनः आगामी तिथि निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

[redacted]

35–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91– मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पूरनमऊ के मजरा झरियम पुरवा की आबादी लगभग 450 है और 2 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की सरकार की नीति के अन्तर्गत क्या सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, प्रश्नगत मजरे की आबादी मात्र 200 है और यह यहां से मात्र 0.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित प्राइमरी पाठशाला पूरनमऊ नेकपुर मजरा झरियनपुरवा से सेवित है ।

जी नहीं । असेवित ग्राम के लिए मैदानी क्षेत्र में 1..5 कि०मी० की दूरी तथा 300 की आबादी का मानक निर्धारित है । प्रश्नगत मजरा उक्त मानक के आधार पर सेवित श्रेणी में होने के कारण विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम शाहपुर पवार के मजरा साहब गंज की आबादी 358 है और उसके 2.81 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या सरकार की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं। मजरा शाहगंज की आबादी मात्र 50 है तथा 1.5 कि०मी० की दूरी पर प्राइमरी पाठशाला शाहपुर पवार स्थित है।

असेवित ग्रामों में 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है।

प्रश्नगत ग्राम निर्धारित मानक से आच्छादित नहीं है। अतः पाठशाला की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता।

37—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि०स० क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम हथौड़ा नूरपुर के मजरा नूरपुर जिसकी आबादी 325 है उसके 1.90 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

असेवित ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला स्थापित किये जाने हेतु 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है।

उक्त मानक के आधार पर शेष बचे असेवित ग्राम में जिला पंचायत का अनुमोदन होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

38—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम हरैया के मजरा सढ़ियापुर की आबादी 368 है 2.01 कि०मी० परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की शासन की नीति के अन्तर्गत उक्त मजरे में सरकार प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, आबादी लगभग 200 है तथा यह 1.50 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत अवस्थित प्राथमिक पाठशाला हरैया से सेवित है।

असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.50 कि०मी० की दूरी का मानक है।

मजरा सढ़ियापुर प्रा० पाठशाला हरैया से सेवित है। अतः विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है।

[illegible]

39—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनादेवी खण्डेलवाल महिला पालीटेक्निक, मथुरा का प्रबन्धन विधिवत गठित प्रबन्ध समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में विधायक

कौष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/21973/मथुरा/99 दिनांक 3-4-1999 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्यां कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

प्रबन्ध समिति विवादित होने के कारण संस्था के हित में इसके प्रबन्ध को प्रबन्धतंत्र को सौंपे जांने का औचित्य नहीं पाया गया तथा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई है।

जनपद हरदोई के 89—शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत शाहाबाद पाली मार्ग के गर्रा नदी पर बने पुल पर आयी लागत की जानकारी

40–श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद पाली मार्ग के गर्रा नदी पर बने पुल पर कितनी लागत आयी थी ? उक्त पुल से कितना पैसा टैक्स के रूप में वसूला जा चुका है ? क्या सरकार इस पुल से टैक्स की वसूली समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

रु० 36.00 लाख।

प्रश्नगत पुल से मार्च, 2000 तक रु० 39,926 लाख पथकर के रूप में वसूला जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार सेतु पर पथकर वसूली प्रारम्भ होने की तिथि से 50 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अथवा सेतु की मूल लागत ब्याज सहित तथा रखरखाव पर हुआ व्यय वसूल होने पर जो भी पहले हो, पथकर वसूली समाप्त करने का निर्णय लिया जायेगा। अब उपरोक्तानुसार धनराशि वसूल होनी शेष है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन, ग्राम प्रसाद खेड़ा से सागर घड़ी लिंक मार्ग के निर्माण हेतु खेत से निकाली गयी मिट्टी के मुआवजे का प्रकरण

41—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत ग्राम परसाद खेड़ा से सागर गढ़ी लिंक मार्ग के निर्माण में अनुसूचित जाति के किसानों के खेत से निकाली गयी मिट्टी के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि सवर्ण किसानों को उक्त का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? अनुसूचित जाति के किसानों को उक्त मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में भू-स्वामियों के सहयोग से मिट्टी लेने की व्यवस्था की जाती तथा इस मिट्टी के मूल्य के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद महराजगंज में सोहगी बरवा जंगल की अध्यापित की गयी भूमि के सम्बन्ध में जानकारी

42–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में सोहगी बरबा जंगल की अभ्यारण में कुल कितना क्षेत्र सम्मिलित किया गया है ? क्या इसमें कास्तकारों की कृषि योग्य भूमि को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो कुल कृषि क्षेत्रफल कितना है ? क्या यह सही है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 11–ए में यह प्राविधान है कि अभ्यारण घोषित होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर अध्याप्ति की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए ? यदि हां, तो क्या इस अवधि के भीतर उक्त अभ्यारण के लिए भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी तथा किसानों की भूमि अध्याप्ति के बाहर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद महराजगंज में सोहगीबरवा वन्य जीव विहार में कुल 42820.10 है० क्षेत्र सम्मिलित किया गया है ।

जी हां ।

सोहगीबरवा वन्य जीव विहार की सीमा में 3600 है० कृषि क्षेत्र भी सम्मिलित है ।

जी हां ।

सोहगीबरवा वन्य जीव विहार के निकटवर्ती ग्रामीण के हक-हकूक का निर्धारण करने हेतु बन्दोबस्ती कार्यवाही किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–21 के अन्तर्गत उद्घोषणा दिनांक 26-8-1997 को जारी की गयी है । शासनादेश संख्या–4301/14-4-97-852/97, दिनांक 13 नवम्बर, 1997 के अनुसार अधिसूचित वन्य जीव विहार क्षेत्र में पड़ने वाले कृषि क्षेत्रों को अधिग्रहीत नहीं किया जाना है । परन्तु इससे वन्य जीव विहार के अधिसूचित क्षेत्र की सीमा नहीं बदलेगी ।

उपर्युक्त से स्थिति स्पष्ट है ।

जनपद देवरिया, तहसील बरहज के श्री कृष्ण इण्टर कालेज से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका की नियुक्ति के विषय में जानकारी

43–श्री अक्षयवर लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज बरहज देवरिया से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका की सरकारी अभिलेखों के अनुसार जन्म तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका की दिनांक 11-1-88 को बिना प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव से 18 वर्ष की आयु पूर्ण न होने पर भी नियुक्ति कर ली गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र रामकोला में जिला योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी

44–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर में वर्ष 1997-98 में जिला योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों को स्वीकृत करके धन अवमुक्त किया गया था

क्या उनका निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समस्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

कुल स्वीकृत 11 कार्यों में से 4 कार्यों को जून, 2000 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है शेष कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बहराइच के पश्चिम प्रभाग में स्थित कत्था फैक्ट्री में कत्था बनाते समय गैम्बियर नामक वनस्पति मिश्रण का प्रकरण

45–डा० वकार अहमद शाह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के पश्चिम प्रभाग में स्थित कत्था फैक्ट्री में कत्था बनाने में जंगल में पाई जाने वाली गैम्बियर नामक वनस्पति का मिश्रण किया जा रहा है ? क्या उक्त वनस्पति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद बहराइच के पश्चिमी वन प्रभाग (सम्प्रति कतर्निया वन्य जीव प्रभाग) के क्षेत्रान्तर्गत स्थित कत्था फैक्ट्री में कत्था बनाने में गैम्बियर नामक वनस्पति का मिश्रण किये जाने की जानकारी नहीं है । समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि केवल खैर-प्रकाष्ठ से निर्मित कत्थे की निकासी हेतु ही अभिवहन पास जारी किया जाये ।

वन विभाग इस पर टिप्पणी हेतु सक्षम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

46–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वि०ख० माधौगंज का ग्राम वावट मऊ का मजरा मढ़िया जो प्राइमरी पाठशाला वावट मऊ से 1.5 कि०मी० दूर है तथा उसकी आबादी 1000 है क्या मंत्री जी शासन की 1.5 कि०मी० दूरी और 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त मढ़िया ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने हेतु आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, आबादी लगभग 800 है तथा निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय, बाबटमऊ से 1 कि०मी० की परिधि में मजरा मटिया अवस्थित है ।

जी नहीं । असेवित ग्राम में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना के लिए 300 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० दूरी का मानक है ।

मानक के आधार पर मजरा मढ़िया सेवित है । अतः विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

47–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वि० ख० माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम ढेडनी सरैंया का मजरा दूलारायपुरवा प्राइमरी पाठशाला ढेडनी सरैंया से 1.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित है तथा उक्त ग्राम दूलारायपुरवा की आबादी 600 के लगभग है ? यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अन्तर्गत 1.5 कि०मी० की दूरी व 250 की आबादी वाले उक्त ग्राम दूलारायपुरवा में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के हेतु मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत मजरे की आबादी लगभग 400 है । किन्तु यह विद्यालय समीपवर्ती कई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सेवित है ।

असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 300 की आबादी तथा 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है ।

मजरा दूलारायपुरवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों से सेवित है ।

48–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वि०ख० माधौगंज की ग्राम पंचायत गौरा का मजरा विहार, गौरा ग्राम की प्राइमरी पाठशाला से 2 कि०मी० दूर स्थित है और ग्राम विहार की आबादी 500 के लगभग है ? यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अन्तर्गत 1.5 कि०मी० की दूरी व 250 की आबादी वाले उक्त ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने हेतु मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । आबादी लगभग 200 तथा यह मजरा निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर जो 1 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, से सेवित है ।

असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है ।

गौरा बिहार मजरा प्रा० विद्यालय फत्तेपुर से सेवित है । अतः विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

49–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में जंगल में पायी जाने वाली गैम्बियर नामक वनस्पति की जानकारी

50–डा० वकार अहमद शाह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जंगल में पाई जाने वाली गैम्बियर नामक वनस्पति जंगल का उत्पाद है ? यदि हां, तो इससे वन प्रभाग बहराइच को गत तीन वर्षों में कितनी आय हुई है?

श्री राजधारी सिंह–

भारत वर्ष के वनों में गैम्बियर नामक वनस्पति नहीं पायी जाती है । परन्तु बहराइच वन प्रभाग में दिनांक 9-9-99 को गैम्बियर से लदा हुआ (बिना अभिवहन पास के) ट्रक पकड़े जाने पर इसे वन उपज मानते हुए चालान किया गया । वर्तमान में यह प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

इससे वन प्रभाग बहराइच को विगत तीन वर्षों में कोई भी आय नहीं हुई है ।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत माधौगंज के ग्राम पडरा लखनपुर के मजरा लखनपुर तथा तोबा में प्राइमरी पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

51—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम पडरा लखनपुर के मजरा लखनपुर जो अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 3 कि०मी० दूर स्थित है और जिसकी आबादी 421 है क्या मंत्री जी शासन के 1.50 कि०मी० की दूरी तथा 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त ग्राम लखनपुर में प्राइमरी पाठशाला खोलने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत मजरे की आबादी लगभग 450 है और इसकी 1.50 कि०मी० की परिधि में सम्प्रति कोई प्राथमिक विद्यालय स्थित न होने के कारण यह असेवित श्रेणी में वर्गीकृत है । जी हां । असेवित ग्रामों में प्रा० पा० की आबादी तथा 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है । जिला पंचायत से अनुमोदन प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम तेखा अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 1.1/2 कि०मी० दूरी तथा उसकी आबादी 600 है ? यदि हां, तो शासन की 1.5 कि०मी० दूरी व 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त तेखा ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने हेतु मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । यह ग्राम मात्र 0.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित प्राइमरी पाठशाला, चन्दीपुर से सेवित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विभाग के अधीन क्षेत्रीय/जिला स्तर के पर्यटन अधिकारी के स्वीकृत पदों की जानकारी

53—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विभाग के अधीन कितने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी तथा जिला स्तर के कितने पर्यटन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री अशोक यादव–

पर्यटन विभाग के अधीन पर्वतीय क्षेत्र में 4 क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी तथा 4 पर्यटक अधिकारी के पद स्वीकृत हैं । वर्तमान में पर्यटक अधिकारी का एक पद रिक्त है जो लोक सेवा आयोग की परिधि का है । रिक्त पद को सीधी भरती द्वारा भरे जाने के संबंध में अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पद को भरा जा सकेगा ।

जनपद बलरामपुर के ग्राम पचपकड़ी में प्राइमरी विद्यालय के भवन की स्वीकृति हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

54—श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम पचपकड़ी में प्राइमरी विद्यालय का भवन स्वीकृत है ? यदि हां, तो वांछित धन कब आवंटित हुआ ? धन अवमुक्त हो जाने के बाद भी भवन न बनने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, प्राथमिक विद्यालय विर्जेयापुर नाम से विद्यालय संचालित है । विद्यालय जर्जर हो गया है ।

जर्जर भवन के पुनर्निर्माण हेतु जनवरी, 1999 में धनराशि सम्बन्धित खाते में जमा कर दी गयी है ।

स्थानीय विवाद के कारण ग्राम प्रधान समेत एक पक्ष कथित विद्यालय भवन अन्यत्र निर्माण कराना चाहते हैं तथा अन्य पक्ष उक्त संचालित स्थान पर ही निर्माण कराना चाहते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के ग्राम पचपकड़ी में जर्जर प्राइमरी भवन के पुनर्निर्माण सम्बन्धी जानकारी

55—श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पचपकड़ी जनपद बलरामपुर में प्राइमरी भवन जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

डी० पी० ई० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु जनवरी, 1999 में धनराशि आवंटित कर दी गयी । विद्यालय के लिए स्थल के विवाद के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। विवाद का निराकरण हो जाने पर निर्माण कराया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, पिथरौरा परमहंसपुरी मार्ग की जांच विषयक डा० राजेश कुमार मिश्र, स० वि० प० के पत्र पर कृत कार्यवाही

56—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० राजेश कुमार मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 10-12-98, जो मिर्जापुर जनपद में स्थित पथरौरा (अदलहाट) परमहंसपुरी मार्ग की जांच करने विषयक था, मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, लो०नि०वि०, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की गुणवत्ता की टी० ए० सी० से जांच कराने के आदेश दिये गये हैं । इस सड़क का पुनर्निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

57—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम जुजुवामऊ की आबादी 500 है अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 2 कि०मी० की दूरी पर स्थित है ? क्या शासन की 1.5 कि०मी० की दूरी तथा 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त जुजुवामऊ ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने हेतु मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । आबादी 500 से अधिक है तथा यह ग्राम लगभग 1.00 कि०मी० की दूरी पर संचालित प्रा० वि० महमूदपुर से सेवित है ।

ग्राम जुजुआमऊ एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रा० पा० महमूदपुर से सेवित है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

निर्दिष्ट मानक के आधार पर सेवित है ।

58—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम मुडियाखेड़ा के मजरा इन्दलापुर जिसकी आबादी 500 है दूसरे अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 1.5 कि०मी० दूर स्थित है ? क्या शासन की 1.5 कि०मी० की दूरी तथा 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत ग्राम इन्दलापुर में प्राइमरी पाठशाला खोलने हेतु मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

असेवित ग्राम के लिए 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.50 कि०मी० की दूरी का मानक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु है । उक्त मजरा मानक से आच्छादित है । जिला पंचायत के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम बढ़ैयाखेड़ा के मजरा चोखेपुरा दूसरे प्राइमरी पाठशालाओं से 1.5 कि०मी० दूर पर स्थित है और जिसकी आबादी 275 है ? क्या शासन की 1.5 कि०मी० की दूरी और 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त चोखेपुर ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने हेतु मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, आबादी लगभग 325 है तथा निकटस्थ विद्यालय 1.50 कि०मी० की दूरी पर है ।

प्रश्नगत ग्राम असेवित ग्राम में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना के लिए शासन के निर्धारित मानक 300 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की दूरी की परिधि में है । जिला पंचायत के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में श्री दुर्गा वंशल फर्टिलाइजर लि० मंगारी की जहरीली गैस रिसाव के फलस्वरूप नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति

60–श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थापित श्री दुर्गावंशल फर्टिलाइजर लि० मंगारी–फैजाबाद की जहरीली गैस रिसाव से ग्राम मंगारी-असरेवा खिद्दिरपुर परसीपुर व साल्हीपुर की खरीफ सन् 1999 की नष्ट हुई फसलों की क्षति पूर्ति दिलाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद ने प्रभावित 412 किसानों को पन्द्रह सौ रूपये प्रति बीघा के हिसाब से कुल तीन लाख तिहत्तर हजार तीन सौ पचीस रुपये भुगतान दिलाने का निर्णय दिनांक 22-11-99 को दिया है ? यदि हां, तो क्या श्री दुर्गा वंशल फर्टिलाइजर लि० मंगारी फैजाबाद द्वारा उक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया ? यंदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद के प्रश्नगत 22-11-99 के आदेश के विरुद्ध श्री दुर्गावंशल फर्टिलाइजर लि० द्वारा एक रिट याचिका दायर कर दी गयी । इस पर सुनवाई उपरान्त मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ ने अपने 21-12-99 के आदेश द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद के इंगित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है । इस प्रकार यह प्रकरण सबज्यूडिस है ।

प्रदेश में राजकीय इण्टर कालेजों के वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नत कर उप प्रधानाचार्य के स्थायी राजपत्रित पद के सजृन की जानकारी

61—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति देकर प्रत्येक विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के स्थायी राजपत्रित पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टेलीफोन आपरेटर को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीनीकरण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

62—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में टेलीफोन आपरेटर को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीनीकरण के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्र

सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–1-22511/मथुरा/99, दिनांक 17-4-99 प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

उक्त पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त टेलीफोन आपरेटरों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीनीकरण की मांग अस्वीकार कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में उल्ल नदी पर पुल के निर्माण का प्रकरण

63—श्री मोती लाल पैलवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीरा कुकरा मार्ग जनपद–लखीमपुर-खीरी में उल्ल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

कुमाऊं मण्डल में पर्यटन विभाग के अधीन संयुक्त निदेशक के पद के सृजन की मांग

64–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि पर्यटन विभाग के अधीन कुमाऊं मण्डल के लिए तैनात संयुक्त निदेशक के पद को आगरा में स्थापित कर दिया गया है ? यदि हां, तो पर्यटन बाहुल्य कुमाऊं मण्डल के लिए संयुक्त निदेशक के पद को पुनः स्थापित किये जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

पर्यटन विभाग के अधीन कुमाऊं मण्डल के लिए पृथक से संयुक्त निदेशक का पद सृजित नहीं किया गया था बल्कि संयुक्त निदेशक (पर्वतीय) का पद सृजित किया गया था जिसका मुख्यालय नैनीताल में था और जिसे शासकीय कार्यहित में नैनीताल से वर्ष 1990 में देहरादून स्थानान्तरित कर दिया गया था। तत्पश्चात् विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1996 में संयुक्त निदेशक (पर्वतीय) के पद को आगरा स्थानान्तरित कर दिया गया था और संयुक्त निदेशक (पर्वतीय) नैनीताल के स्थान पर एक उप निदेशक का पद स्थापित किया गया है।

वर्तमान में नैनीताल में उप निदेशक का कार्यालय स्थापित है और उप निदेशक तैनात हैं। उप निदेशक का पद मण्डलीय पद है। इस पद पर तैनात उप निदेशक कुमाऊं मण्डल के कार्यों के लिए नोडल अधिकारी है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए संयुक्त निदेशक का एक नया पद वर्ष 1998 में सृजित किया गया है। अतः वर्तमान में कुमाऊं मण्डल में संयुक्त निदेशक के पद को पुनः स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक व इण्टर कालेज के अध्यापकों को केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के समान पदनाम प्रदान करने की मांग

65–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक व इण्टर कालेज के वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त अध्यापकों व इसी स्तर के केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के वेतन व भत्तों में कोई अन्तर न होने

के बावजूद राज्य सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय के समान पदनाम नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के उक्त शिक्षकों को भी तद्नुरूप पदनाम प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

सम्प्रति इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

66–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम हर्रैया के मजरा मढिया की आबादी 388 है ? क्या उसके 2.05 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शासन की नीति के अन्तर्गत 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के अन्तर्गत क्या सरकार उक्त मजरों में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, आबादी लगभग 200 है ।

मजरा मढिया से 1.00 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हरैया से यह सेवित है ।

जी नहीं । मानक से आच्छादित न होने के कारण औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम भगतूपुर के मजरा मसूठा जिसकी आबादी लगभग 439 है जिसके 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । मजरा मसूढा से 0.5 कि०मी० की दूरी पर प्रा० पा० विश्वेश्वरपुर तथा 1.0 कि०मी० की दूरी पर प्रा० पाठशाला दारूकुईया संचालित है ।

जी नहीं ।

मानक के आधार पर औचित्य नहीं है ।

68–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम कोडरमऊ के मजरा कोडरमऊ जिसकी आबादी लगभग 789 है और जिसके 2.61 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, मजरा कोडरमऊ की आबादी 150 है तथा 3/4 कि०मी० की दूरी पर संचालित प्रा० पा० ग्राम कोडरमऊ से यह सेवित है ।

अर्सेवित ग्राम/मजरे में प्राथमिक विद्रालय की स्थापना हेतु 300 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्र में 1.50 कि०मी० की दूरी का मानक है ।

मानक के अनुसार औचित्य न होने के कारण ।

69–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम सुमेरपुर के मजरा दाउदपुर जिसकी आबादी 637 है और जिसके 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है क्या शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मजरा दाऊदपुर की आबादी 350 है और यहां से 0.5 कि०मी० की दूरी पर संचालित प्राइमरी पाठशाला मेंहदीपुर से यह मजरा दाऊदपुर सेवित है ।

जी नहीं ।

वर्तमान मानक के आधार पर सेवित है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती के प्राथमिक विद्यालय महदेव के सहायक अध्यापक, श्री कैलाश चन्द के वेतन सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री राम ललित चौधरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कैलाश चन्द, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय महदेव विकास खण्ड सांऊघाट जिला बस्ती के वेतन को लेखा अधिकारी द्वारा न लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिसम्बर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

श्री कैलाश चन्द सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय महदेव विकास क्षेत्र बस्ती सदर का उसी विद्यालय से वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामकोला में सड़कों का निर्माण कार्य

71–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर में जिला योजना एवं पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण 1998-99 तथा 1999-2000 में शुरू किया गया था ? क्या उनका निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, कार्य प्रगति पर है ।

स्वीकृत 9 कार्यों में से 3 कार्यों को जून, 2000 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । शेष कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद कुशीनगर के जंगलों से खैरा बेंत की लकड़ी की तस्करी सम्बन्धी जानकारी

72–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के जंगलों से खैरा बेंत की लकड़ी की तस्करी स्थानीय पुर्लिस के सहयोग से बड़े पैमाने पर की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् में भवन विहीन विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराये गये धन का विवरण

73–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के वे विद्यालय जहां पर नगरीय क्षेत्र हैं और गांव सभायें नहीं हैं उनमें भवन विहीन भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले धन को कौन-कौन विभाग खर्च करेगा ? क्या सरकार ने इस विसंगति को दूर करने की कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नगरीय क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय विद्यालय के नाम से खोले गये खाते के माध्यम से किया जाता है । यह खाता विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विद्यालय के क्षेत्र के निवासी किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी द्वारा संचालित किया जाता है ।

कोई विसंगति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि––

[दिनांक 11-4-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

जिला वाराणसी के देवराई–बरवां मार्ग ब्लाक पिंडरा में नाद नदी पर पुल एवं अप्रोच रोड के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

75–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवराई-वरवां मार्ग ब्लाक पिंडरा, जिला–वाराणसी में नाद नदी में बनने वाला पुल एवं अप्रोच रोड का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त पुल व अप्रोच रोड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

पुल का निर्माण हो चुका है तथा एप्रोच रोड का निर्माण होना शेष है ।

शेष कार्य को कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूल भवानीपुर के मजरा खरदीपुर में प्राइमरी पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में

76—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम भूल भवानीपुर के मजरा खरदीपुर जिसकी आबादी 458 है और जिसके 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है, क्या शासन की 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं, मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० की दूरी (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) तथा 300 की आबादी वाले असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित है । मजरा खरदीपुर की आबादी लगभग 225 है तथा इस मजरे के एक कि०मी० की दूरी पर प्राइमरी पाठशाला शुक्लापुर तथा भूल भवानीपुर स्थापित है ।

निर्धारित मानक के अनुसार असेवित न होने के कारण ।

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पूरनमऊ व ग्राम करवा के निकट कल्याणी नदी पर पुल के निर्माण की मांग

77—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पूरनमऊ व ग्राम करवा के पास स्थित कल्याणी नदी पर पुल न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जन समस्या के निदान हेतु प्रश्नगत पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, केवल वर्षा ऋतु में, प्रश्नगत पुल न होने से वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

जी नहीं ।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बाराबंकी के प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त श्री देवकीनन्दन दीक्षित के वेतन भुगतान के विषय में

[illegible]—श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 11 मार्च, 1997 को श्री देवकीनन्दन दीक्षित, प्रा० पाठ० हेपूलापुर, सूरतगंज, जनपद बाराबंकी की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी ? क्या श्री देवकीनन्दन दीक्षित को अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4-10-1999 द्वारा उक्त को वेतन भुगतान करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त का वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है । नियुक्ति के समय 50 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण श्री दीक्षित को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका । श्री दीक्षित द्वारा इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, प्रकरण में दायर पुनर्विचार याचिका मा० न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण वेतन भुगतान की कार्यवाही नहीं की गयी ।

मा० न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के प्रधानाचार्य स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मन्दिर जाहिदपुर के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराने विषयक श्री ओम प्रकाश यादव के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मंदिर जाहिदपुर, हरदोई के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का वितरण न किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 22 मई, 1999 को समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को एफ० आई० आर० दर्ज कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या एफ० आई० आर० दर्ज कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराये जाने विषयक माननीय श्री ओम प्रकाश यादव, सदस्य विधान सभा का दिनांक 12 अगस्त, 1999 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, सिधौली, सीतापुर के अवकाश प्राप्त प्रवक्ता के अवशेष भुगतान का प्रकरण

80—श्री श्याम लाल रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज सिधौली, जनपद–सीतापुर के अवकाश प्राप्त प्रवक्ता हर दयाल अवस्थी की अनुमन्य अनुतोषिक व अन्य अवशेष धनराशि के भुगतान का प्रकरण डी० डी० आर० (माध्यमिक शिक्षा) षष्टम् मण्डल लखनऊ के कार्यालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक प्रकरण का निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी भुगतान की कोई समय सीमा निर्धारित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रकरण सम्प्रति निस्तारित ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 1998 की परिषद् परीक्षाओं में सम्मिलित व नकल करते पकड़े गये परीक्षार्थियों की संख्या की जानकारी

81—श्री मो० मुकीम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 के बोर्ड की परीक्षा में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे तथा कुल कितने नकल करते पकड़े गये ? क्या यह सही है कि श्रीमती राजदेवी इन्टर कालेज, खुनियांव, जनपद सिद्धार्थनगर के परीक्षा केन्द्र पर छात्रों के साथ दो अध्यापकों को भी जेल भेजा गया है ? क्या शेष केन्द्र के अध्यापकों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार श्रीमती राजदेवी इण्टर कालेज के अध्यापकों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमें वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वर्ष 1998 की परिषद् परीक्षाओं में हाईस्कूल में 1934061 तथा इण्टरमीडिएट में 899191 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तथा प्रदेश में कुल 8613 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गये थे।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के लोक निर्माण विभाग में मल्लाह के पद पर कार्यरत श्री जानू की मृत्योपरान्त उनके आश्रित की सेवा में भर्ती की जानकारी

82—श्री मो० मुकीम–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में लोक निर्माण विभाग में मल्लाह के पद पर कार्यरत रहे श्री जानू की मृत्यु दिनांक 14-2-1989 को सेवाकाल में हो गयी थी ? क्या मृतक आश्रित को सेवा नियमावली संबंधी शा० सं० 8/12/1973 दिनांक 7-10-1974 के प्राविधान के अनुसार सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर नगर के राजकीय बालिका इण्टर कालेज के संचालन हेतु भवन का निर्माण

83—श्री राम अचल राजभर तथा श्री लालजी वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, कुर्की बाजार, अम्बेडकर नगर किराये के भवन में संचालित है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2000-2001 में परिव्यय की उपलब्धता तथा बजट ; धनराशि उपलब्ध होने पर ही निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

84—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात निगम, कानपुर द्वारा किये गये व्यवसाय

85—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी उ० प्र० राज्य निर्यात निगम, कानपुर ने वित्तीय वर्ष 1998-99 में कुल कितनी पूंजी का व्यवसाय किया ? वित्तीय वर्ष 1999-2000 में उक्त कम्पनी का कुल टर्न ओवर क्या रहा ? क्या यह कम्पनी घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में ग्राम पंचायत रेहटा, प्राथमिक विद्यालय रेहटा विकास खण्ड तिन्दवारी, बांदा को विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रदान की गयी धनराशि की जानकारी

86—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1992-93 में ग्राम पंचायत रेहूटा, प्राथमिक विद्यालय रेहूटा विकास खंड तिन्दवारी, बांदा को विद्यालय भवन निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी, निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से कितना निर्माण कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में फर्श, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे आज तक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय की तकनीकी जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

रुपये 90 हजार मात्र स्वीकृत किये गये थे। जो प्लास्टर, खिड़की एवं दरवाजे को छोड़कर भवन का शेष कार्य पूर्ण कराया गया।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय रेहुटा के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के विरुद्ध कतिपय शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

87—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-11-1999 जो प्राथमिक विद्यालय, रेहूटा विकास खण्ड तिन्दवारी के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक द्वारा स्कूल बन्द रखने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक द्वारा मार्च, 1998 से लेकर नवम्बर, 1999 तक का बाल पुष्टाहार वितरित नहीं किया गया ? क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है ।

जी हां ।

जी हां । कार्यवाही कर दी गयी है दोषी अध्यापकों को निलम्बित किया जा चुका है । जांच पूर्ण होने पर दोषी को दण्डित किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गौतमबुद्ध नगर के जिला नोयडा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर की सफाई हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण

88—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा, जिला गौतमबुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था पर पिछले तीन वर्षों में कितना धन खर्च किया गया है ? क्या वर्तमान समय में ठेके पर कूड़ा-करकट उठाने की व्यवस्था से वित्तीय भार बढ़ा है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री राम प्रकाश–

नोएडा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था पर–

वर्ष 1997-98 में रु० 278.45 लाख

वर्ष 1998-99 में रु० 347.29 लाख

वर्ष 1999-2000 में रु० 319.10 लाख

की धनराशि का व्यय किया गया है ।

जी हां ।

वर्तमान व्यवस्था से रुपये 66.33 लाख का व्यय बढ़ा है ।

उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर के जिला नोयडा के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसानों के मुआवजे सम्बन्धी जानकारी

89—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर में किसानों के मुआवजे संबंधी अब तक कितने विवाद न्यायालय में लम्बित हैं ? क्या सरकार इन विवादों में समझौता कर उन्हें निस्तारित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

नोयडा में किसानों के मुआवजे सम्बन्धी 1343 वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं ।

इस हेतु नोयडा प्राधिकरण स्तर पर विवादों में समझौता करने हेतु एक समिति गठित की गयी है, समिति की संस्तुति पर विगत वर्षों में 246 प्रथम अपीलें वापस ले ली गयी हैं और जनपद न्यायालय द्वारा बढ़ाये गये मुआवजे की धनराशि का भुगतान किसानों को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला–गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर पालीटेक्निक कालेज की स्थापना समारोह में किसानों को ग्रेटर नोयडा के आधार पर मुआवजा प्रदान करने पर विचार करने की मांग

90—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या प्राविंधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बादलपुर पालीटेक्निक कालेज, जिला–गौतमबुद्ध नगर की स्थापना समारोह वर्ष 1999 में तत्कालीन प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने किसानों को ग्रेटर नोयडा के आधार पर मुआवजा देने पर विचार करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गौतमबुद्ध नगर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर चिकित्सा मद में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

91—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा प्राधिकरण, जिला–गौतमबुद्ध नगर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर चिकित्सा मद में पिछले तीन वर्षों में कितना धन खर्च हुआ है और किस-किस हास्पिटल को कितना-कितना धंन अदा किया गया है ?

श्री राम प्रकाश–

नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर चिकित्सा मद में निम्न प्रकार–

वर्ष	1996-97	में	रु० 38.75 लाख
	1997-98	में	रु० 88.03 लाख
	1998-99	में	रु० 132.20 लाख
	योग		रु० 258.98 लाख

की धनराशि व्यय की गयी है और निम्नलिखित अस्पतालों को निम्नानुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की गयी–

	(रु० लाख में)
1–धर्मशिला कैन्सर अस्पताल	8.43
2–दीपाक्षी नर्सिंग होम	5.75
3–कैलाश अस्पताल	37.68
4–मैट्रो अस्पताल	16.76
5–सुमित्रा नर्सिंग होम	7.29
6–चौहान आर्थोपेडिक अस्पताल	0.64
7–सत्या मेडिकल अस्पताल	0.32
8–नोएडा मेडीकेयर	6.90
9–अन्य अस्पताल	48.44

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा–सरहुरपुर मार्ग पर सुल्तानगढ़ पुल निर्माण सम्बन्धी प्रकरण

92—श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–अम्बेदकर नगर के टाण्डा–सरहुरपुर मार्ग पर सुल्तानगढ़ पुल निर्माण हेतु मंत्री जी द्वारा उसका शिलान्यास कर दिया गया है ? क्या उक्त पुल के

निर्माण के संबंध में अम्बेदकर नगर एवं आजमगढ़ सेतु निगम इकाइयों में कोई विवाद है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विवाद को समाप्त करते हुए उक्त पुल का निर्माण करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के मेहनाजपुर खरियानी मार्ग का पुनर्निर्माण

93—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मेहनाजपुर खरियानी मार्ग जनपद आजमगढ़ (लम्बाई 20 कि०मी०) दलदल होने से चलने योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेहनाजपुर-खरिहानी मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, मार्ग क्षतिग्रस्त है ।

जी हां ।

उपलब्ध संसाधनों से मार्ग की मरम्मत करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के मेहनाजपुर–देवगांव–जिवली मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

94—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मेहनाजपुर–देवगांव–जिवली मार्ग (जनपद आजमगढ़) क्षतिग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेहनाजपुर–देवगांव-जिवली मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात के लिए खुला हुआ है ।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए लोक निर्माण विभाग में गैर योजनागत मद में आवंटित धनराशि की जानकारी

95—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये लोक निर्माण विभाग में कितना धन गैर योजनागत मद में आवंटित किया गया ? उक्त आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और कितनी अवशेष है ? उत्तरांचल क्षेत्र के लिये यह धनराशि कितनी निर्धारित की गई थी ?

श्री कलराज मिश्र–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग में रु० 73583.92 लाख की धनरशि गैर योजनागत मद में आवंटित की गयी ।

आवंटित धनराशि में से 31 मार्च, 2000 तक रुपये 71417.94 लाख की धनराशि व्यय की गयी ।

उत्तरांचल क्षेत्र के लिए गैर योजनागत मद में रुपये 11164.01 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

प्रदेश में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सड़कों पर धन आवंटन के मानक के निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

96—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सड़कों पर धन आवंटन का क्या कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इस मानक के अनुसार जौनपुर जनपद के मडियाहूं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मडियाहूं बाईपास पर धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मार्गों के महत्व एवं उनकी प्रगति तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आवंटन का निर्णय लिया जाता है ।

जी हां । 31-3-98 तक रु० 23.02 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी । इस कार्य की पुनरीक्षित लागत 136.57 लाख रु० है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी में चनुकीघाट पर सेतु निर्माण की योजना

97—श्री मुराद लारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 में जनपद–देवरिया में छोटी गंडक नदी में चनुकीघाट पर सेतु निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण का प्रस्ताव नाबार्ड को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है, नाबार्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

नोएडा विकास प्राधिकरण में भूमि प्रबन्ध व्यवस्था नियमावली, 1983 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव की जानकारी

98—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि नोएडा प्राधिकरण में भूमि प्रबन्ध व्यवस्था नियमावली, 1983 की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रस्ताव पर स्वीकृति कब तक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

नोएडा प्राधिकरण से आबादी एवं भूमि प्रबन्ध व्यवस्था विनियमावली, 1986 स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई थी ।

प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड के पुनर्विचारार्थ रखे जाने के निर्देश नोएडा को दे दिये गये हैं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में उदंती नदी, वेसों नदी तथा मगई नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

99—श्री विजय कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जखनियां तहसील में बहने वाली नदियों पर जखनियां को जोड़ने के लिये कितने पुल हैं ? क्या सरकार सैदपुर–वाराणसी को जोड़ने के लिये उदंती नदी पर मजुई पुल, वेसो नदी पर वृन्दावन सेतु जखनियां-आजमगढ़ को जोड़ने के लिये वेसी नदी पर जाहीपुल तथा जखनियां-मऊ को जोड़ने के लिये मगई नदी पर चौजापुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

गाजीपुर जनपद की जखनियां तहसील में बहने वाली नदियों पर जखनियां को जोड़ने के लिए 4 पुल हैं तथा एक पुल निर्माणाधीन है।

सैदपुर वाराणसी को जोड़ने के लिए मजुई दूल्हापुर मार्ग पर उदंती नदी पर मजुई पुल तथा जखनियां–मऊ को जोड़ने के लिए मगई नदी पर चौजा पुल नाबार्ड वित्त पोषित आर० आई० डी० एफ० फेज–5 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिनके निर्माण कार्यों की स्वाकृति नाबार्ड के वित्त पोषण की सहमति पर निर्भर है। सैदपुर–वाराणसी को जोड़ने के लिए बेसो नदी पर प्रस्तावित वृन्दावन सेतु तथा जखनियां–आजमगढ़ को जोड़ने के लिए बेसो नदी पर प्रस्तावित जाही पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

[illegible] के अन्तर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग समूह 'क' का गठन कर अधिकारियों की तैनाती [illegible]

100–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अधीन पर्वतीय उप संवर्ग के समूह "क" के अधिकारियों के उप संवर्ग का गठन कर उन अधिकारियों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों में कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समूह 'क' के पदों पर विकल्प स्वीकार करने की अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक 15 जनवरी, 2000 को जारी की गयी है। परिषदीय परीक्षाओं के पूर्ण होने पर वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में अधिकारियों की तैनाती उक्त संवर्ग में की जायेगी।

101–श्री नरेन्द्र सिंह–

[दिनांक 11-4-2000 को अता०प्र०सं०–12 द्वारा उत्तरित]

102—श्री नरेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़–दोहरीघाट मार्ग को हाट मिक्स प्लांट द्वारा बनवाया जाना

103—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़–दोहरीघाट मार्ग किस श्रेणी में आता है ? क्या सरकार आजमगढ़–दोहरीघाट मार्ग को हाटमिक्स द्वारा बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

यह मार्ग राज्य मार्ग है ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इस कार्य को सम्पादित कराना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1999 में जनपद आजमगढ़ में निर्मित लहुआ–खुम्भा–देवरी मार्ग की गुणवत्ता की जांच एवं पुनर्निर्माण

104—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लहुआ-खुंभा-देवरी मार्ग, जनपद–आजमगढ़ के अवशेष मार्ग के निर्माण के लिये (लम्बाई 3 कि०मी०) धन कब निर्गत हुआ ? क्या यह सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार 1999 में बने लहुआ–खुंभा-देवरी मार्ग की गुणवत्ता की जांच करके सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत कार्य हेतु वर्ष 1997-98 में रु० 2.26 लाख, वर्ष 1998-99 में रु० 8.80 लाख की धनराशि आवंटित की गयी ।

जी नहीं, इस मार्ग का निर्माण जून, 1999 में पूर्ण हो गया था, लेकिन ऊसर क्षेत्र से होकर गुजरने वाले इस मार्ग पर वर्षा काल में अत्यधिक वृष्टि के फलस्वरूप दोनों ओर जल भराव के कारण मार्ग की सतह में दबक होकर सतह कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मार्ग की मरम्मत करायी जा रही है । मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता की जांच करायी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105—श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 4-1-2000 को अता० प्र० सं० 140 द्वारा उत्तरित ।

जनपद हरदोई की तहसीलों में स्वैच्छिक संस्थाओं को महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

106—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा तहसील स्तर पर महाविद्यालय की स्थापना के लिये 50 (पचास) लाख रुपये दो किस्तों में अनुदान देने के निर्णय के अन्तर्गत जनपद हरदोई की किस-किस तहसीलों में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

असेवित विकास खण्डों में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित योजना में हरदोई की किसी भी संस्था को अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि हरदोई जनपद की किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जनपद पिथौरागढ--चम्पावत में जुलाई 1999 तक स्थापित जूनियर हाईस्कूल एवं प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के सृजित/रिक्त पदों की जानकारी

107--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में जुलाई, 1999 तक कितने जूनियर हाईस्कूल व प्राइमरी पाठशाला स्थापित किये जा चुके हैं ? उक्त विद्यालयों में क्रमशः कितने अध्यापकों के पद सृजित हैं तथा वर्तमान में क्रमशः कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

जुलाई, 1999 तक जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में निम्नवत् विद्यालय स्वीकृत हैं :-

	पिथौरागढ़	चम्पावत
1-प्रा० पाठ०	926	343
2-जू० हाईस्कूल	192	84
स्वीकृत पद स० अ० (प्रा०)	1717	636
,, प्र० अ० (प्रा०)	542	201
,, स० अ० (जू०)	570	263
,, प्र० अ० जू० हा०	192	84
रिक्त पद स० अ० प्रा०	239	185
,, ,, प्र० अ० प्रा०	79	—
,, ,, स० अ० जू० हा०	147	41
,, ,, प्र० अ० जू० हा०	135	36

अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता होने पर भरे जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय के दो अवर अभियन्ताओं (सिविल) को कार्य मुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

108--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय, लखनऊ के दो अवर अभियन्ताओं (सिविल) का स्थानान्तरण माह जून, 1999 में किया गया था ? क्या यह सही है कि उनके स्थान पर प्रतिस्थानियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, परन्तु स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं को कार्यमुक्त नहीं किया गया ? क्या यह भी सही है कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिनांक 6-10-99 द्वारा दिनांक 15-10-99 तक उन्हें कार्यमुक्त करने के आदेश भी किये गये हैं ? यदि हां, तो कार्यमुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय लखनऊ के केवल एक अवर अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण जून, 1999 में किया गया था । उक्त के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने नवतैनाती स्थल हेतु दिनांक 30-6-99 को प्रस्थान कर दिया था । क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय में जिन अवर अभियन्ताओं की तैनाती हुई उन्होंने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

माह जून, 1999 में खण्ड अन्वेषणालय, लखनऊ के स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं को 15-10-99 तक कार्यमुक्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गयी थी क्योंकि सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा स्वयं ही अपने नये तैनाती के खण्ड में योगदान कर लिया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के प्रचार प्रसार की मद में धन का उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

109–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में अब तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ० प्र० लखनऊ द्वारा कितना धन प्रचार-प्रसार मद में खर्च किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में किन-किन राजनेताओं के कट आउट/होर्डिंग पर राजधानी लखनऊ में कितना-कितना धन खर्च किया गया ? क्या सरकार उक्त सभी खर्चों का किसी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में अब तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों में कुल रु० 45,72,39,969.55 व्यय किया गया ।

उक्त अवधि में राजधानी लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल, 1997 को डा० अम्बेडकर के 8 कट-आउट लगवाये गये जिन पर रु० 79,000.00 की धनराशि व्यय हुई है । इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह के 107 कट-आउट होर्डिंगों पर लगवाये गये जिन पर रु० 5,88,996.00 की धनराशि व्यय हुई तथा वर्तमान मुख्य मंत्री जी के 12 कट-आउट बनवाकर होर्डिंगों पर लगवाये गये जिन पर रु० 40,930.00 की धनराशि व्यय हुई है ।

जी नहीं, समस्त कार्य नियमानुसार कराये गये हैं, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के नगरीय क्षेत्र में निर्माण हेतु खाता खुलवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

110–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के नगरीय क्षेत्र में निर्माण हेतु खाता खुलवाने की विसंगति को दूर करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०/ वि०को०/ एम/3705/99 (10) दिनांक 30-11-99 के साथ मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

नगरीय क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय विद्यालय के नाम से खोले गये खाते के माध्यम से किया जाता है । यह खाता विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा

अधीक्षक, नगर क्षेत्र, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट उस विद्यालय के क्षेत्र के निवासी किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी द्वारा संचालित किया जाता है ।

इस खाने के संचालन में कोई विसंगति नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनियमित कार्य करने वाले दोषी प्रधानों के नाम में प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माणार्थ खाता न खुलवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

111–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनियमित कार्य करने वाले प्रधानों के ऊपर पहले से प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के निर्माण में वसूली की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए नये विद्यालयों के निर्माण हेतु उनके नाम खाता न खुलवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के सी०एम०/वि०को०/ एम/99 (20) दिनांक 30-11-99 के साथ मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अम्बेडकर नगर के इन्द्रजीत वर्मा कन्या हाईस्कूल की सहायक अध्यापिका स्वर्गीय श्रीमती मुअज्जिज जहरा के बकायों का भुगतान उनके वारिस को कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

112–श्री हीरा लाल गौतम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्रीमती मुअज्जिज जहरा, सहायक अध्यापिका, इन्द्रजीत वर्मा कन्या हाईस्कूल रामनगर अम्बेडकर नगर पूर्व जनपद–फैजाबाद में कब से कब तक कार्यरत रही तथा उनका कितना वेतन व अन्य भुगतान शेष है ? क्या वह शेष सभी बकायों का भुगतान उनके द्वारा नामित वारिस मसरूर तलत को कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

दिनांक 19-2-82 से 11-8-96 तक कार्यरत रहीं । स्व० श्रीमती मुअज्जिज जहरा सहायक अध्यापिका के दिनांक 1-12-95 से 4-6-96 तक की अवधि के चिकित्सीय अवकाश का देयक संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत होने पर देय वेतनादि की कुल धनराशि रु० 56,257.00 का देय दिनांक 29-2-2000 को जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा पारित कर दिया गया है । स्व० श्रीमती मुअज्जिज जहरा के जी० पी० एफ० लेखे में जमा कुल धनराशि रु० 67,377.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । सामूहिक जीवन बीमा की देय धनराशि का दिनांक 20-2-2000 को जीवन बीमा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है ।

जी हां ।

चिकित्सीय अवकाश अवधि के वेतन की धनराशि एवं जी० पी० एफ० लेखे में जमा कुल धनराशि का भुगतान हो रहा है । सामूहिक जीवन बीमा की देय धनराशि की स्वीकृति जीवन बीमा निदेशालय से प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में जानकारी

113–श्री हीरा लाल गौतम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के पठन-पाठन हेतु अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति तथा मानदेय संबंधित नियम क्या है ? क्या वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० की परीक्षा का परीक्षक बनाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । शासनादेश संख्या–4166/15-8-3065-85. दिनांक 3 अगस्त, 1987 में निहित आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिनियम के अन्तर्गत अर्हता की पूर्ति न होने के कारण ।

प्रदेश के इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यवसायिक एवं पूर्व व्यवसायिक शिक्षकों की नियुक्तियों में आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी

114–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडियेट कालेजों में व्यावसायिक एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो इनका नियुक्ति प्राधिकारी कौन है ? क्या इन नियुक्तियों में भी आरक्षण का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है । इन्हें प्रति व्याख्यान रु० 50/- और एक माह में अधिकतम रु० 1500/- देय होता है ।

जनपद गोण्डा में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में प्राइमरी पाठशालाओं में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

115–श्री राम विशुन आजाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति कितने प्राइमरी पाठशालाओं में वितरण किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड छपिया, मनकापुर, वजीरगंज और मनकापुर में उक्त वर्षों में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है ? यदि हां,तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद–गोण्डा में वर्ष 1998-99 की कुल 715 प्राइमरी विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी । वर्ष 1999-2000 में कुल 1177 प्राइमरी विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्रों

को छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है । प्रश्नगत विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में भी वर्ष 1998-99 की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है तथा वर्ष 1999-2000 की छात्रवृत्ति वितरण का कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं है ।

छात्रवृत्ति वितरण में हुए विलम्ब के लिए दायित्व निर्धारित करके यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बरेली के एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में बी० फार्मा० की मान्यता फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया से होने के विषय में जानकारी

116–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली में बी० फार्मा० की कक्षायें 4 वर्षों से संचालित है ? यदि हां, तो क्या बी० फार्मा० को मान्यता फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया से है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मान्यता प्राप्ति प्रक्रिया में है ।

बेसिक शिक्षाधिकारी, बरेली द्वारा मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कुमारी गजाला परवीन एवं कुमारी शीला परवेज की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

117–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु दिनांक 9-7-98 से लम्बित कु० गजाला परवीन व कु० शीला परवेज की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली द्वारा कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी हां ।

दिनांक 3-6-99 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में वर्ष 1991 के बाद राज्य सेक्टर से जिला सेक्टर में हस्तान्तरित मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

118–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में 1991 के बाद वर्षवार व तहसीलवार कौन-कौन मार्ग राज्य सेक्टर में लिये गये हैं और उनमें से कौन-कौन मार्ग राज्य सेक्टर से जिला सेक्टर में हस्तान्तरित हुए हैं ? क्या उन मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो

क्या सरकार अधूरी सड़कों को विशेष सहायता से निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

विवरण संलग्न है ।

कुल 30 कार्यों में से 10 कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सड़कों का निर्माण पूरा कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 234–236 पर)

जनपद बलिया में घाघरा नदी पर बन रहे घाघरा सेतु एवं मांझी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

119–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के घाघरा नदी पर देवरिया जनपद को जोड़ने के लिये बन रहे घाघरा सेतु और बलिया जनपद को बिहार राज्य के छपरा जनपद से जोड़ने के लिये मांझी सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? उक्त दोनों सेतुओं पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? अब तक उक्त सेतुओं के निर्माण हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत किया जा चुका है ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद देवरिया में तुर्तीपार के निकट घाघरा सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बलिया में मांझी घाट पर घाघरा नदी पर मांझी सेतु का निर्माण कार्य मार्च, 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जनपद देवरिया में घाघरा सेतु के निर्माण की पुनरीक्षित लागत रु० 2819.44 लाख है तथा जनपद बलिया में मांझी सेतु के निर्माण की पुनरीक्षित लागत रु० 3905.04 लाख है ।

जनपद देवरिया में घाघरा सेतु के निर्माण हेतु अब तक कुल 2363 लाख तथा जनपद बलिया में मांझी सेतु के निर्माण हेतु अब तक कुल रु० 1656 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री राम औतार वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

120–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उनके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 1373-वी० आई० पी०/1999, दिनांक 23-3-99 में श्री चन्द्रनाथ सिंह, विधायक को यह अवगत कराया गया है कि राम औतार वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच आख्या शासन को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच कराई जा रही है ।

रायबरेली रोड पर स्थित कन्नावां से रानीखेड़ा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण

121-श्री श्याम सुन्दर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली रोड पर स्थित कन्नावां से रानीखेड़ा सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 1985 में पत्थर डाले गये थे ? क्या उसके पत्थर इधर-उधर बह जाने के कारण लाखों रुपये का नुकसान तथा जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां । कन्नावां रानीखेड़ा-मार्ग को 6.00 कि०मी० लम्बाई से सोलिंग स्तर तक निर्माण कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्ग के सोलिंग स्तर तक निर्मित होने के कारण पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं है। लेपन स्तर का कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

सीतापुर निर्माण खण्ड दो स्थित लहरपुर जाने वाली सड़क के निम्न स्तरीय निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

122-श्री ओम प्रकाश गुप्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी०आर०डी० ए० सीतापुर द्वारा उपलब्ध कराये धन से निर्मित लो० नि० वि० सीतापुर निर्माण खण्ड-2 में स्थित लहरपुर जाने वाली सड़क पर निम्न स्तर की ईंटों से पटरी बनायी गयी है ? क्या उसकी पटरी ऊंची बनाने के कारण सड़क ध्वस्त हो गयी है ? क्या उसमें पोला व कम ईंटों का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं । जांच में ईंटों की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तेजीपुर में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां विकास खण्ड के ग्राम तेजीपुर के मजरा सतोहिया की आबादी लगभग 258 है तथा इसके 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या 250 की आबादी तथा 1.50 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला खोलने का शासन की नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त जरे में प्राइमरी पाठशाला खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्राइमरी पाठशाला की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिये 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी-व 300 की आबादी का मानक निर्धारित है। मानक के अनुसार प्रश्नगत मजरा असेवित श्रेणी में न होने के कारण उक्त मजरे में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में नौरंगिया क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बनध में जानकारी

124 श्री दीपलाल भारती–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का नौरंगिया क्षेत्र जनपद–कुशीनगर में एक डिग्री कालेज खोलने संबंधी पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम2/27322/ कुशीनगर/99 दिनांक 1-11-1999 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में डिग्री कालेज खोलने की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सम्प्रति स्वीकृति सम्भव नहीं है।

क्योंकि राज्य शासन की अर्थोपाय की स्थिति इस कार्य के लिए सम्प्रति अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त असेवित क्षेत्रों में एकमुश्त सहायक अनुदान देकर निजी संस्थाओं को महाविद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना भी चल रही है।

125–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

14थे बुधवार में अना० प्र०सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

मथुरा के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

126–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22916/ मथुरा/99. दिनांक 29-4-1999 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं और प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कालेजों में शुल्क वृद्धि के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, शिक्षा को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127 श्री अजय कुमार पोइया–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी इंजीनियरिंग कालेजों में शुल्क वृद्धि के संबन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22917/मथुरा/99 दिनांक

29-4-1999 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की हुई है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों में शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम-2/22917/मथुरा/99. दिनांक 29-4-1999 प्रमुख सचिव, शिक्षा के कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क का निर्धारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों एवं उन्नीकृष्णन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर की जाती है जिस पर कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के इन्द्रजीत वर्मा कन्या हाईस्कूल की सहायक अध्यापिका स्वर्गीय श्रीमती मुअज्जि जहरा के देयकों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को किये जाने के विषय में जानकारी

128–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्रीमती मुअज्जि जहरा, सहायक अध्यापिका, इन्द्रजीत वर्मा कन्या हाईस्कूल, रामनगर, अम्बेडकर नगर पूर्व, जनपद फैजाबाद में कार्यरत थी ? यदि हां, तो क्या उनके देयकों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

स्व० श्रीमती मुअज्जि जहरा, सहायक अध्यापिका के दिनांक 1-12-95 से 4-6-96 तक की अवधि के चिकित्सीय अवकाश का देयक संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत होने पर वेतनादि की कुल धनराशि रुपये 56,257.00 का देयक दिनांक 29-2-2000 के भुगतान की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा पारित कर, की जा रही है ।

स्व० श्रीमती मुअज्जि जहरा के जी० पी० एफ० लेखे में जमा कुल धनराशि रु० 67,377.00 (अगस्त, 97 तक का देय ब्याज सहित) का अन्तिम भुगतान की स्वीकृति मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, फैजाबाद के आदेश दिनांक 14-3-2000 द्वारा प्रदान की जा चुकी है । सामूहिक जीवन बीमा की देय धनराशि का प्रकरण निदेशालय के पत्र दिनांक 29-3-2000 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, इलाहाबाद को स्वीकृत हेतु भेजा जा चुका है । स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 51–मल्लावां विकास खण्ड माधोगंज के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

[illegible]

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 51–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम बाबहमऊ के मजरे अरई अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 3 कि०मी० दूर स्थित है और उसकी आबादी 1500 है ? यदि हां तो, क्या मंत्री जी शासन की 1.50 कि०मी० की दूरी व 250 की आबादी पर प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं,

आबादी लगभग 1000 है तथा इसके 1.5 कि०मी० की परिधि में प्राथमिक पाठशाला मुचुआपुर एवं धनीगंज स्थापित हैं।

जी नहीं, असेवित ग्राम में पाठशाला की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी व 300 की आबादी का मानक निर्धारित है।

निर्धारित मानक के अनुसार प्रश्नगत मजरा असेवित श्रेणी में न होने के कारण औचित्य नहीं है।

130–डा० धर्मेंद्र मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम राधौपुर का मजरा अंटिया अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 2 कि०मी० दूर तथा उसकी आबादी 400 है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासन की 1.50 कि०मी० की दूरी 250 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त अंटिया ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मजरा अंटिया की आबादी 400 है। उससे एक कि०मी० की परिधि में प्राथमिक विद्यालय राघवपुर व भगतपुरवा संचालित हैं।

असेवित क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र हेतु एक कि०मी०) की दूरी का मानक निर्धारित है। इस मानक के अनुसार मजरा अंटिया प्राथमिक विद्यालय राघवपुर व भगतपुरवा से सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, 91–मल्लावां के ग्राम बरहस का मजरा टेढ़िया में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

131–डा० धर्मेंद्र मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम बरहस का मजरा टेढ़िया अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 1.50 कि०मी० दूर स्थित है तथा उसकी आबादी 400 है ? यदि हां, तो शासन की 1.50 कि०मी० की दूरी तथा 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत क्या मंत्री जी उक्त ग्राम टेढ़िया में प्राइमरी पाठशाला खोलने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० की दूरी (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी० की दूरी) तथा 300 की आबादी वाले असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित है। उक्त गांव टेढ़िया की आबादी 200 की है एवं उससे एक कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पिलखना स्थापित है। अतः मानक के अनुसार उक्त गांव असेवित न होने के कारण विद्यालय की स्थापना सम्भव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई, ५।---मल्लावां विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम रूदामऊ के मजरा छेदापुरवा में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

132 डा० धर्मेश मिश्र--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ५।-मल्लावां वि० ख० माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम रूदामऊ के मजरा छेदापुरवा में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या उक्त मजरा ग्राम रूदामऊ से 3 कि०मी० दूर है तथा उसकी आबादी 500 है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी 1.50 कि०मी० की दूरी व 250 की जनसंख्या वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत उक्त छेदापुरवा ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

जी हां ।

जी नहीं ।

संस्तुत ग्राम के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी तथा 300 की आबादी का मानक निर्धारित है ।

मजरा छेदापुरवा 1.5 कि०मी० की दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालय चन्दौली से सेवित है । सेवित होने के कारण उक्त मजरे में विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ५।—मल्लावां, विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम तरौली के मजरा बैफरिया में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

133--डा० धर्मेश मिश्र--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ५।-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के वि० ख० बिलग्राम के ग्राम तरौली के मजरा बैफरिया अन्य प्राइमरी पाठशालाओं से 1.5 कि०मी० दूर स्थित है ? यदि हां, तो शासन की 1.5 कि०मी० की दूरी तथा 250 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत क्या मंत्री जी उक्त ग्राम बैफरिया में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम तरौली का मजरा बैफरिया नहीं है । बैफरिया से 1.5 कि०मी० की दूरी पर कोई विद्यालय नहीं है ।

संस्तुत ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिये 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) का मानक निर्धारित है । परन्तु बैफरिया में पूर्व से ही प्राइमरी विद्यालय संचालित है।

प्रश्नगत मजरा पहले से ही सेवित है । अतः विद्यालय स्थापना का औचित्य नहीं है ।

जनपद मथुरा वृन्दावन में डी० एफ० ओ० द्वारा अवैध रूप से पेड़ कटवाकर धन की वसूली विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही

134-श्री अजय कुमार पोइया--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृन्दावन जनपद मथुरा में डी०एफ०ओ० द्वारा अवैध रूप से पेड़ कटवाकर धन की वसूली किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का

पत्रांक--सी०एम०/वि०को०/ एम०--2/27216/मथुरा/99, दिनांक 28-10-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राजधारी सिंह--

अभिलेखों के अनुसार पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायत नेबुआ, रायगंज में ग्राम पंचायत की भूमि पर बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

135 श्री महेश्वर सिंह--

क्या सरकार के ज्ञात है कि दिनांक 21-11-98 को ग्राम पंचायत कुशनगर के बैठक के प्रस्ताव संख्या (5) द्वारा ग्राम पंचायत नेबुआ, रायगंज में ग्राम पंचायत की भूमि पर बालिका इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया था ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायत में बालिका इण्टर कालेज कब तक खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह--

उक्त ग्राम पंचायत में बालिका इण्टर कालेज खोलने हेतु दिनांक 28-12-98 को निर्गत कार्यकारी सिद्धान्त में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बालिका इण्टर कालेज खोलने की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी ।

प्रस्ताव पर जिला समिति की संस्तुति न होने के कारण ।

जनपद झांसी, गुर सारय, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारी की निलम्बन अवधि में जीवन यापन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

136 श्री श्याम सुन्दर--

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ लिपिक, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुर सारय, जनपद झांसी को निलम्बन की अवधि का जीवन यापन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह--

कनिष्ठ लिपिक नहीं, अपितु परिचारक श्री पन्ना लाल, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरसराय, जनपद झांसी को निलम्बन की तिथि से निलम्बन भत्ता नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, 91--मल्लावां, विकास खण्ड बिलग्राम के जफरपुर तिगावा का मजरा महसोनामऊ ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

137-डा० धर्मेन्द्र मिश्र--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91--मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम के जफरपुर तिगावां का मजरा महसोनामऊ जिसकी आबादी 500 है और प्राइमरी पाठशालाओं की वहां से काफी दूरी है ? यदि हां, तो क्या शासन की 1.5 कि०मी० के अन्दर तथा 250 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत ग्राम महसोनामऊ में प्राइमरी पाठशाला खोलने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

असेविन ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी तथा 300 की आबादी का मानक निर्धारित है ।

मजरा महसोनामऊ में पूर्व से ही प्रा० विद्यालय संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, 91–मल्लावां, विकास खण्ड माधौगंज के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

1.38–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या• बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वि०ख० माधौगंज के ग्राम शहब्दा का मजरा रुद्दीखेड़ा वहां स्थित प्राइमरी पाठशालाओं से 1.1/2 कि०मी० दूर स्थित है और उसकी आबादी 500 है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासन की 1.5 कि०मी० के अन्दर एवं 250 की आबादी वाले ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने की नीति के अन्तर्गत उक्त रुद्दीखेड़ा ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । मजरे की आबादी लगभग 300 है तथा उसके 1.5 कि०मी० की परिधि में प्राइमरी पाठशाला पिलखना स्थापित है ।

जी नहीं ।

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी तथा 300 की आबादी का मानक निर्धारित है । मानक के आधार पर उक्त मजरा प्रा० विद्यालय पिलखना से सेवित है ।

निर्धारित मानक के अनुसार सेवित है अतः औचित्य नहीं है ।

1.39–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम खन्धेरिया का मजरा खन्जहानपुर वहां स्थित प्राइमरी पाठशाला से 2.5 कि०मी० दूरी पर है तथा उसकी आबादी 245 है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासन की 1.5 कि०मी० की दूरी व 545 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त ग्राम खन्जहानपुर में प्राइमरी पाठशाला खोलने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

परन्तु प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी एवं 300 की आबादी का मानक निर्धारित है ।

उक्त मजरा असेविन श्रेणी में है । जिला पंचायत द्वारा असेवित ग्राम में विद्यालय स्थापना का निर्णय लिया जाता है । अतः जिला पंचायत के निर्णय एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर मजरा खन्जहानपुर में विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

140–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वि०ख० माधौगंज के ग्राम बढ़नवा का मजरा घेघइयां की आबादी 475 है तथा वहां पर स्थित प्राइमरी पाठशालाओं से 2.5 कि०मी० की दूरी पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन की 1.5 कि०मी० की दूरी व 250 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत ग्राम घेघइयां में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मजरे की आबादी लगभग 320 है तथा उससे 1.00 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बढ़नवा स्थित है ।

जी नहीं, असेवित ग्राम में प्राइमरी पाठशाला की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी का मानक निर्धारित है ।

प्रश्नगत मजरा निर्धारित मानक के आधार पर असेवित श्रेणी में नहीं है । अतः विद्यालय स्थापना का औचित्य नहीं है ।

141–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वि०ख० माधौगंज के ग्राम शुक्लापुर भगत का मजरा सियरहना जो वहां स्थित प्राइमरी पाठशालाओं से 2.5 कि०मी० दूरी पर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासन की 1.5 कि०मी० के अन्तर एवं 250 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की नीति के अन्तर्गत उक्त सियरहना ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, आबादी 300 से अधिक तथा निकटस्थ विद्यालय की दूरी 1.50 कि०मी० से अधिक है।

असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 1.5 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक कि०मी०) की दूरी एवं 300 की आबादी का मानक निर्धारित है ।

उक्त मजरा असेवित श्रेणी में है । जिला पंचायत द्वारा असेवित ग्राम में विद्यालय स्थापना का निर्णय लिया जाता है । अतः जिला पंचायत शिक्षा समिति के निर्णय एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर मजरा सियरहना में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना अवलम्बित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम में वर्ष 1998-99 में हुए उत्पादन एवं उसे बंद किये जाने आदि के सम्बन्ध में जानकारी

142–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान राज्य सीमेन्ट निगम ने वर्ष 1998-99 में कुल कितने सीमेन्ट का उत्पादन किया ? वर्ष 1999-2000 में निगम का कुल टर्न ओवर क्या रहा है ? क्या यह सच है कि भारी घाटे के कारण उक्त निगम को बन्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक का घाटा क्या रहा तथा निगम में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

श्री राम प्रकाश–

निगम में वर्ष 1989-90 में कुल सीमेण्ट का उत्पादन 19548.00 मै० टन हुआ ।

शून्य

जी हां ।

विगत वर्षों में निरन्तर भारी घाटे के परिणाम स्वरूप औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उ० प्र० राज्य सीमेण्ट निगम लि० को रुग्ण इकाई मानते हुए उसके परिसमाप्न को संस्तुति दिनांक 2-7-97 को करते हुए प्रकरण को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को संदर्भित कर दिया गया । मा० उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दिनांक 8-12-99 को अपना निर्णय सुनाते हुए निगम के परिसमापन संबंधी आदेश पारित कर दिये हैं तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु आफिसियल लिक्वीडेटर इलाहाबाद को निगम का लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया गया है । इस प्रकार सीमेण्ट निगम के परिसमापन की प्रक्रिया लागू हो गयी है ।

वर्ष 1999-2000 तक निगम के खाते के अनुसार कुल अनन्तिम घाटा लगभग रु० 809.00 करोड़ है । निगम में मा० न्यायालय के परिसमापन आदेश के समय विभिन्न श्रेणियों के लगभग 5200 कर्मचारी कार्यरत थे ।

जनपद संत रविदासनगर, शहीद धुवलाल मेमोरियल शिक्षा निकेतन, सुरयांवा को अवमुक्त धनराशि का प्रकरण

143—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ० प्र० शासन के पत्रांक 1738/15-8-97. 3007(48)/96. दिनांक 9-1-1998 द्वारा जिलाधिकारी, संतरविदास नगर को शहीद धुवलाल मेमोरियल शिक्षा निकेतन, सुरियावां को अवमुक्त की गयी धनराशि रु० 50,000/- बैंक खाते में जमा कराने एवं विद्यालय के स्थान पर अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त कर 14-1-98 तक जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

धनराशि वापस करने हेतु प्रबन्धक को जिला विद्यालय निरीक्षक, सन्त रविदास नगर के पत्रांक : 2351-56/98-99, दिनांक 29-8-98 को पत्र लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

144–श्री भोला शंकर मौर्य–

[दिनांक 11-4-2000 को अता० प्र० सं० 45 द्वारा उत्तरित]

वर्ष 1995-96 की अनुदान सूची में शामिल 125 माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

145–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 की अनुदान सूची में सम्मिलित 125 माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त बकाये वेतन का भुगतान कब तक करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय से आवश्यक सूचना न प्राप्त होने के कारण धनराशि अहरित न हो सकने के कारण ।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से सूचना प्राप्त हो जाने के बाद यथाशीघ्र ।

146–श्री रामशंकर पाल–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

जिला पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार के राजकीय कन्या इण्टर कालेज से सेवानिवृत्त प्रवक्ता, समाजशास्त्र के सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान

147–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 30-6-99 को प्रवक्ता समाजशास्त्र सेवानिवृत्त हुई हैं ? क्या प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इण्टर कालेज कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय द्वारा सेवा निवृत्त प्रवक्ता को सामूहिक बीमा की धनराशि दिलाने विषयक पत्रांक सामूहिक बीमा–140, दिनांक 1-10-99 सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां । सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा दिनांक 14-3-2000 को प्रश्नगत दावे के सम्बन्ध में कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल में संस्कृत अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

148–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूलों में वर्तमान समय में कितने संस्कृत अध्यापक के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि संस्कृत अध्यापकों के अभाव में छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उन रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद में वर्ष 1995-96 में कुम्भ मेला के समय निर्मित काली पुल एवं त्रिवेणी पुल की जांच

149–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण खण्ड–4 (कुम्भ मेला) लो०नि०वि०, इलाहाबाद में वर्ष 1995-96 कुम्भ मेला के समय काली पुल एवं त्रिवेणीपुल का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो क्या मेला समाप्त होने के पश्चात् पैन्टून एवं गडर चकर प्लेट आदि बेच दिया गया था ?

क्या अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद, फतेहपुर वृत्त द्वारा उक्त मामले की जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 95-96 में माघ मेला के अवसर पर प्रश्नगत पैन्टून सेतुओं का निर्माण कराया गया था ।

जांच कराई जायेगी ।

जी नहीं ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

150–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[दि० 4-1-2000 को अता० प्र० सं०–24 द्वारा उत्तरित]

वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद को स्टेट सेक्टर के कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये धन एवं इसके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी

151–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मुरादाबाद को स्टेट सेक्टर में कार्य कराने हेतु कुल कितना धन उपलब्ध कराया गया और उसका उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया ? क्या यह सच है कि इस धन का उपयोग स्टेट सेक्टर के कार्यों में न करके अन्य मदों में किया गया है तथा इसी वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्राप्त लगभग (48,00,000 रु०) अड़तालिस लाख रुपये का स्टेट सेक्टर के बिलों के भुगतान में खर्च किया गया है ? क्या स्टेट सेक्टर में अभी तक कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1998-99 में प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, मुरादाबाद को स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत रु० 206.74 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसके विरुद्ध रु० 206.70 लाख का व्यय किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष (1999-2000) में स्टेट सेक्टर में प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, मुरादाबाद को रु० 37.30 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 238 पर)

मुरादाबाद के जिलाधिकारी द्वारा लो० नि० वि०, प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद के निर्माण कार्यों सम्बन्धी निरीक्षण रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

152–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 3-11-1999 को जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अधीक्षक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद एवं माननीय मेजर जे०पी०सिंह विधायक मुरादाबाद के साथ अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद के कुछ निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया था ? क्या किये गये कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार न पाये जाने पर

जिलाधिकारी की निरीक्षण टीम ने अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की संस्तुति के साथ रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

153–श्री अजय कुमार पोइया–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

सुल्तानपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 56 के कि०मी० 130 में मार्ग की स्थायी भूमि पर बधुआ कला बाजार में अवैध मकान के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

154—श्री सूर्यभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय मार्ग के कि०मी० 130 बधुआ कला बाजार में रोड से लगा हुआ मकान अवैध रूप से बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । राष्ट्रीय मार्ग संख्या–56 के कि०मी० 130 में मार्ग की स्थायी भूमि पर कोई भी मकान नहीं बना है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

तिलहर क्षेत्र में अवैध कटान के विषय में जिला वनराजि अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तिलहर को प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही

155—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 29-10-99 जो तिलहर क्षेत्र में अवैध कटान के संबंध में है जिला वनराजि अधिकारी, शाहजहांपुर तथा उपजिलाधिकारी, तिलहर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

अभिलेखों के अनुसार पत्र दिनांक 29-10-99 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

156—श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के ब्लाक मुख्यालय तिन्दवारी में राजकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल के भवन का शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

157—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के ब्लाक मुख्यालय तिन्दवारी में राजकीय कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, जू० हा० स्कूल के भवन में गत 10 वर्षों से संचालित है ? यदि

हां, तो अभी तक उक्त भवन के निर्माण हेतु नगर पंचायत के प्रस्ताव पर आवंटित की गई भूमि पर भवन निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त राजकीय कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवन का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित भूमि स्कूल के नाम आवंटित न होने तथा जिला योजना में परिव्यय न मिलने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है । स्कूल हेतु भूमि, परिव्यय तथा बजट की व्यवस्था होने पर भवन निर्माण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन–जतीपुरा–राधाकुण्ड स्थित प्रमुख मन्दिरों को अधिग्रहीत कर परिक्रमा मार्ग सहित गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग के विकास की मांग

158—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन, जतीपुरा-राधाकुण्ड स्थित प्रमुख मंदिरों को अधिग्रहण करके परिक्रमा मार्ग सहित गोवर्धन के विकास के लिये शासन स्तर पर कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जनपद मथुरा के गोवर्धन–जतीपुरा–राधाकुण्ड स्थित प्रमुख मन्दिरों को अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं है । जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में एक मुश्त व्यवस्था प्रस्तावित है । आय-व्ययक पारित होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है ।

जनपद शाहजहांपुर में डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त धन एवं व्यय का विवरण

159—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत कितना-कितना रुपया दिनांक 1-4-98 से 1-11-99 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ ? इसमें से कितना-कितना रुपया निर्माण कार्यों में कहां-कहां खर्च हुआ ? कितना रुपया प्रशिक्षण में खर्च हुआ तथा कितने अध्यापक प्रशिक्षित हुए ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

डी० पी० ई० पी० योजनान्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर को इस अवधि तक कुल धनराशि रु० 4,46,20,900/- (रुपया चार करोड़, छियालीस लाख, बीस हजार नौ सौ मात्र) प्राप्त हुई ।

इसमें से 132 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पर रु० 1,00,84,800.00, 75 जर्जर भवनों के निर्माण पर रु० 57,30,000.00, 680 शौचालयों के निर्माण पर रु० 02,56,000.00 तथा 185 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण पर रु० 1,01,77,500.00 खर्च हुआ । डी० पी० ई० पी०

योजनान्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ददरौल, शाहजहांपुर को प्राप्त कुल धनराशि 77,94,600/- में से प्रशिक्षण पर कुल 53,40,786 खर्च हुआ । इसके अन्तर्गत 7129 अध्यापक तथा 23650 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रशिक्षित हुए ।

160—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 11-4-2000 को अता० प्र० सं०–37 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में सार्वजनिक मार्गों के किनारे की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कराये गये निर्माणों, दुकानों, चाट टालों से सरकारी दर पर किराया वसूलने की मांग

161—श्री राम कृपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या सरकार सार्वजनिक मार्गों के किनारे की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कराये गये निर्माणों, दुकानों, चाय टालों से सरकारी दर पर किराया वसूलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा करना जनहित में नहीं होगा ।

बभनान खोडारे रोड, बलरामपुर को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से चौड़ा करवाने अथवा उसका बाईपास खुलवाने के सम्बन्ध में जानकारी

162—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दि बलरामपुर शुगर मिल, बभनान इकाई द्वारा गन्ना ढुलाई से बभनान खोडारे रोड पर सामान्य यात्रियों एवं छात्र-छात्राओं को भारी असुविधा होती है तथा दुर्घटनाओं की सम्भावनायें रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड को हर्रैया बभनान रोड की भांति चौड़ा कराने अथवा बाईपास खोलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

गन्ना पेराई के मौसम में रोड पर यातायात बढ़ जाता है ।

प्रश्नगत मार्ग प्रमुख जिला मार्ग है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सरकार द्वारा इसे चौड़ा करना अथवा बाईपास बनवाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला बांदा के प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये निम्न कोटि के निर्माण कार्यों की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

163—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आयुक्त, चित्रकूट धाम, मण्डल बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-9-99 प्राप्त हुआ है जो प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बांदा द्वारा कराये गये निम्न कोटि के निर्माण कार्यों की जांच विषयक था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 12-9-99 का प्राप्त हुआ था ।

पत्र में अंकित निर्माण कार्यों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जसपुरा के ग्राम अमारा विकास खण्ड में छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि का प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा गबन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र एवं कृत कार्यवाही

164—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य विकास अधिकारी बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-10-99 प्राप्त हुआ है जो ग्राम अमारा विकास खण्ड जसपुरा में छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 1997-98, 98-99 की धनराशि वितरित न कर प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा गबन करने की शिकायत विषयक था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

165—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[दि० 3-4-2000 को अता० प्र० सं०–80 द्वारा उत्तरित]

जनपद पीलीभीत, बहराइच, बस्ती मार्ग के शेष मार्ग मानपुर से मनौढ़ी तक चौड़ा किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

166—श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पीलीभीत, बहराइच, बस्ती मार्ग के शेष मार्ग मानपुर से मनौढ़ी तक चौड़ीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह जनवरी, 2000 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

प्रश्नगत चौड़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद देवरिया, सोहनाम सलेमपुर के भगवान परशुराम धाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में की गयी अनियमितताओं की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

167—श्री सुधाकर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भगवान परशुराम धाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोहनाम सलेमपुर, देवरिया की अनियमितताओं की जांच आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने दिनांक 26-3-94 को संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को भेजी है ? यदि हां, तो इसमें कितने लोग दोषी पाये गये तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । पत्र दिनांक 26-3-94 के द्वारा नहीं बल्कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के पत्र दिनांक 23-6-94 के द्वारा जांच आख्या मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को भेजी गई थी।

संस्था प्रबन्धतंत्र दोषी पाया गया ।

प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा–16 डी०, (2) का कारण बताओ नोटिस निदेशालय के पत्र संख्या–सा० (1)प्रथम/146/2000-2001, दिनांक 24-4-2000 निर्गत की गई है।

168—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय भवन का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराया जाना

169—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 8-9-1999 तथा 29-8-1999 जो स्कूल के निर्माण में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जांच कराई गयी और यह पाया गया कि विद्यालय भवन में प्लास्टर, फर्श, खिड़की तथा दरवाजे का कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान को विज्ञान अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

170–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान विषय की प्रगति हेतु अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, जनपद गोण्डा को उक्त विज्ञान अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं। केवल कम साक्षरता वाले 12 जनपदों के 375 चयनित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को ही अनुदान दिया गया है।

जी नहीं।

विज्ञान विषय की प्रगति हेतु अनुदान दिये जाने के लिये कम साक्षरता वाले 12 जनपदों के चयनित विद्यालयों की सूची में गोण्डा जनपद का जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनान सम्मिलित नहीं है।

जनपद मिर्जापुर में कैलहट–परमहंसपुरी–अदलहाट मार्ग के पूर्ण निर्माण हेतु आंकलन के सम्बन्ध में जानकारी

171—इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, मि०सो०म० वृत्त, मिर्जापुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 22-7-99 उनके पत्रांक 2903/62काम–मि०सो०म० वृत्त/99, दिनांक 4-8-99 के अन्तर्गत अधि० अभि० प्रान्तीय खण्ड/नि०खण्ड, लो०नि०वि०, मिर्जापुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या में कैलहट-परमहंसपुरी-अदलहाट मार्ग के कि०मी० 2, 3, 4 में खराब

निर्माण के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त सड़क का मानक के अनुसार पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

टी० ए० सी० की जांच के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्नगत सड़क का पुनर्निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

172–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत धरवासपुर, वि० खं०–नसयनपुर, जनपद–मिर्जापुर के शिकायती-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-99 जो अधि० अभि०, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, मिर्जापुर के आर्थिक अनियमितता की जांच करने विषयक था, प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह के प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

173—इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रविन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, लो०नि०वि० का प्रत्यावेदन पत्रांक–शिविर/99, दिनांक 23-12-99 जो मुख्य अभियन्ता–II लो०नि०वि० हेतु चयन के सम्बन्ध में है, उचित माध्यम द्वारा प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रत्यावेदन विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

174—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[दिनांक 11-4-2000 को नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

लखनऊ मोतीझील स्थित सचिवालय कालोनी की मरम्मत कार्य से प्राप्त पुरानी सामग्री के सम्बन्ध में जानकारी

175—श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–131 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त निर्माण कार्य की कोई समय सीमा शासन/विभाग द्वारा निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या थी ? क्या उक्त निर्माण से निकाली गयी पुरानी ईंट, सरिया तथा राविश का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुराने निकाले गये साबुत ईंटों को चुनाई तथा टूटे-फूटे को गिट्टी बनाकर उपयोग किया जाता है तथा पुरानी सरिया जिसमें जंग लगने से उनका साइज (व्यास) कम हो जाने के कारण मजबूत नहीं रह जाता है, स्टोर में जमा कर दिया जाता है ।

जनपद सीतापुर के नैमिषसारण्य में डामर सतह लेपन तक रुद्रावर्थ तीर्थ पहुंचने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

176—श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैमिषसारण्य जनपद सीतापुर में डामर सतह लेपन तक रुद्रावर्थ तीर्थ पहुंचने वाली सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं, क्योंकि वर्ष 98-99 में सीतापुर में मिश्रिख तथा नैमिषसारण्य के आंतरिक मार्गों के सुधार/निर्माण हेतु स्वीकृत कार्यों में यह मार्ग सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित सड़क का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के इण्टरमीडिएट कालेजों में लागू व्यावसायिक एवं पूर्ण व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी

177—श्री हीरा लाल गौतम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट कालेजों में लागू व्यावसायिक एवं पूर्ण व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति प्राधिकारी कौन है ? क्या इन नियुक्तियों में भी आरक्षण का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या और कितने प्रतिशत है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1990 से वर्ष 1998 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में जानकारी

178—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990 से वर्ष 1998 तक तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1998 तक तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

राज्याधीन सेवाओं में वर्तमान में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित करने हेतु "उ० प्र० (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण यथा संशोधित नियमावली, 1979" एवं "उ० प्र० (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण यथासंशोधित नियमावली, 1979" प्रवृत्त है, जिसमें दिनांक 01-10-86 तक ही तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित करने का प्राविधान है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाना पट्टी (यादवगंज) सिकरारा में "बी" श्रेणी की मान्यता का प्रकरण

179—श्री श्रीराम यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाना पट्टी (यादवगंज) सिकरारा को दिनांक 9-6-99 को "बी" श्रेणी की मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मान्यता को सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी द्वारा विद्यालय के नाम की समिति पंजीकृत एवं एक परिवार की व्यक्तिगत संस्था होने के आधार पर दिनांक 25-10-99 को अनियमित रूप से निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त संस्था की पंजीकृत समिति की संख्या क्या है ? क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी सहायक निदेशक (बेसिक) वाराणसी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के लोक निर्माण खण्ड एक द्वारा वर्ष 1997-98 में मार्ग निर्माण कार्यों की की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

180—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित विधान सभा क्षेत्र उतरौला में लो० नि० खण्ड एक द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में मार्ग निर्माण कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 24-9-97 व 25-9-97 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-9-97 प्राप्त हुआ है । दिनांक 24-9-97 का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

दिनांक 25-9-97 के शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों को 1-1-96 से अनुमन्य पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर उनके सचिवालय विशेष वेतन एवं विशेष भत्तों की दरों में संशोधन किये जाने की मांग

181—श्री रामपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-1-1996 से संशोधित/पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर सचिवालय कर्मियों को सचिवालय विशेष वेतन एवं विशेष भत्तों की दरों में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को वर्तमान में मिल रहे विशेष वेतन/विशेष भत्तों की दरों को यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

जिला प्रतापगढ़, माऊपुर शहीद स्थल का सुन्दरीकरण

182—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश सी०एम०/ वि०को०/एम–3/12390/एवं 12391/प्रतापगढ़/98. दिनांक 27-6-98 जो शहीद स्थल सरे, माऊपुर, प्रतापगढ़ के सुन्दरीकरण के संबंध में है, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में पर्यटन विकास किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर जीत सिंह द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

183—श्री अफजाल अहमद–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में पर्यटन विकास किये जाने के संबंध में कोई ज्ञापन उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष को दिनांक 18-8-98 को श्री अमरजीत सिंह द्वारा दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र में चौकियाधाम जौनपुर का पर्यटन विकास भी सम्मिलित है, जिसके लिए पूर्व वर्षों में रुपये 8.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । पत्र में निहित शेष कार्यों को वर्ष 2000-2001 में जिला अनुश्रवण समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश सम्बन्धित को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के इटावा कस्बे की सड़क और जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के विषय में जानकारी

184—श्री विश्वनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद--सिद्धार्थनगर के इटावा कस्बे की सड़क और जल निकासी हेतु नाली का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गाजीपुर बहीरियाबाद मार्ग के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

185—श्री विजय कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में गाजीपुर बहीरियाबाद मार्ग का निर्माण करते समय जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था क्या उन किसानों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? क्या यह सही है कि ग्राम करकापुर, परगना सदियाबाद में आराजी नं०–1660. 163. 178. 167. 176. 174. 155/2. 156/2. 153 का अधिग्रहण किया गया है ? इन आराजी नम्बर के काश्तकारों श्रीराम नारायण, श्री जीवत, श्री सकलदीप, अम्बिका, प्रेम नारायण को मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण से प्रभावित 10 ग्रामों के सम्बन्धित किसानों को प्रतिकर वितरित कर दिया गया है । ग्राम करकापुर के प्रभावित किसानों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं । आज दिनांक 2 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

(स्वीकृत सूचनाओं में से श्री बनवारी लाल दोहरे के अनुपस्थित रहने पर प्रतीक्षा सूची से डा० कौशल किशोर की सूचना स्वीकार की गई)

(निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में परास्नातक कोर्स में पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रदेश के मेडिकल कालेजों के परास्नातक कोर्स में पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश न हो पाने से उत्पन्न स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर 07 मेडिकल कलोजों में परास्नातक कोर्स के प्रवेश वर्ष 2000 में कुल 453 रिक्तियों में अनुसूचित जाति के मात्र–13 अभ्यर्थियों। छात्रों का चयन किया गया है कि जबकि उक्त जाति/वर्ग के लिए 14 सीटों का आरक्षण बनता है यही हालत पिछड़े वर्गों की है उनके साथ भी जानबूझकर नाइंसाफी की गई है। यह क्रम वर्ष 1995 से 2000 तक बराबर जारी है और इन वर्गों को लागू आरक्षण के अनुसार भी प्रवेश नहीं दिलाये गये यह जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। यह पूरे प्रदेश का अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर मैं उक्त वर्गों के प्रवेश के लिए आरक्षण कोटा पूरा करने एवं इस सम्बन्ध में दोषियों की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद–रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो निम्न प्रकार है।

यह कि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समस्त कर्मचारियों से एरियर भुगतान पर वसूली कराई गई जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जो सत्य पाई गई।

मान्यवर, लेकिन जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उक्त मामले पर जिलाधिकारी रायबरेली की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर के थाना रामकोट पुलिस द्वारा की जा रही तानाशाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[मान्यवर, जनपद सीतापुर, थाना राम कोट के अन्तर्गत डा० एजाज रासूल की दिनांक 16-3-2000 को ट्रैक्टर संख्या यू० जी० सी० 3394 के चालक के द्वारा मौत हो गयी, जिसकी रिपोर्ट मु०अ०सं० 60/2000 धारा 279/304 ए आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज की गयी। पुलिस ने चालक व ट्रैक्टर मालिक की रिपोर्ट में नामजद नहीं किया और मृतक के पास नकद रुपये व इन्दिरा विकास पत्र

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

40 हजार के थे । कहीं अंकित नहीं किये बल्कि ट्रैक्टर चालक व मालिक को थाना रामकोट के पुलिस गिरफ्तार करने के जगह मृतक के परिवार वालों को धमकी दे रही है कि कोई प्रार्थना-पत्र न दिया जाये।

थाना रामकोट पुलिस के तानाशाही के प्रति जनता में बड़ा रोष व्याप्त हो गया है और थाने की पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो रहे हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की जाय ।]

जनपद बहराइच के कतिपय मुहल्लों में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बहराइच के पीने के लिए पानी की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं । पानी की समस्या बहुत ही जटिल हो गयी है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है । लगभग सभी नलकूप खराब हैं मोहल्ला बड़ी हाट व मोहल्ला नौवा पट्टी में बोरिंग हो गई है और ट्रायल भी हो गया है परन्तु विद्युत कनेक्शन न मिलने के कारण अभी तक चल नहीं रहा है जबकि विद्युत विभाग को धन भी दिया जा चुका है । बिजली के अभाव में पानी की समस्या का निदान नहीं हो रहा है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल दोनों नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने व चालू कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजीपुर के सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र यादव–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत रसूलपुर से गौरा बाया अलावलपुर तक सड़क निर्माण तथा तारा कासमाबाद मार्ग से महेशपुर मुसल्लापुर धारवां मार्ग तथा सरवनडीह से चौरा बोझ बाया विहरा व जंगीपुर हंसराजपुर मार्ग से त्रिलोकपुर मार्ग जिसमें मार्गों की लम्बाई लगभग 4 कि०मी० तक है । इन सम्पर्क मार्गों के न बनने से जिला मुख्यालय तक पहुंचने में जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ता है । रसूलपुर से गौरा मात्र दो किमी० है । परन्तु बीच में मंगई नदी पर पुल न बनने से वहां की जनता को दो कि०मी० दूरी के बजाय 15 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है । उसी तरह सरवनडीह से चौरा बोझ की दूरी मात्र दो किमी० है और रोड न बनने से 10 किमी० घुमकर जाना पड़ता है । क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी है । जो बच्चे जिला मुख्यालय पर पढ़ते हैं । दूरी मात्र 12 किमी० है । परन्तु रोड न होने से बच्चों को जिला मुख्यालय पर ही रहना पड़ता है । अभिभावकों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ता है । अधिकांश अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने से वंचित हो जाते हैं ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं ।]

मेरठ महानगर में समुचित पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ महानगर में पेयजल का उत्पादन सामान्यतः संतोषजनक सीमा में है । लेकिन बाधित विद्युत आपूर्ति के कारण ग्रीष्मकाल के प्रारम्भ में ही भीषण पेयजल संकट खड़ा हो गया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नगर निगम ने विद्युत आपूर्ति के अभाव में समुचित पेयजल आपूर्ति न कर पाने की घोषणा पर हाथ खड़े कर दिये हैं। मेरठ नगर निगम पर जनरेटर पूरी मात्रा में न होने के कारण यह कठिनाई और बढ़ाई है। जनता को पेयजल चाहिए जनरेटर की कमी दूर कर सुचारु विद्युत आपूर्ति तथा निर्बाध जल आपूर्ति हेतु या तो नये जनरेटर खरीदे जायें या किराये पर जनरेटर लिये जायें। नगर निगम मेरठ को तत्काल निर्देश दिया जाना चाहिए।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल निर्देश जारी कर मेरठ महानगर में समुचित पेयजल आपूर्ति की मांग करता हूं।]

[illegible]

डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, लखीमपुर अलीगंज मार्ग से ग्राम हरिहरपुर विधान सभा क्षेत्र 69 पैला होते हुए ग्राम गनरेशपुर विधान सभा क्षेत्र 70 लखीमपुर से होते हुए एक मार्ग ग्राम सिकीटिहा विधान सभा क्षेत्र 69 पैला तक जाता है लेकिन उस इस मार्ग पर 15–20 वर्ष पूर्व पत्थर डाला जा चुका है लेकिन उस समय इस मार्ग पर लेपन का कार्य नहीं करवाया गया था। फलतः पत्थर भी कहीं-कहीं उखड़ गया है आवाममन के दृष्टिकोण से यह मार्ग बनना अति आवश्यक है।

लोक महत्व की यह अति अविलम्बनीय समस्या है आपके माध्यम से इस सड़क का डामरीकरण करने की मांग करता हूं।]

[illegible]

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 2-5-2000 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री जगदम्बिका पाल जी की है। यह पूर्वांचल विकास निधि जिला योजना तथा दीन दयाल योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के शिलापट्ट पर संबंधित विधायक का नाम अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम–300 में नहीं आती इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

[illegible]

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सुन तो लीजिये। मान्यवर, आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हम आपका ध्यान भारत के संविधान 164(2) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट कसना चाहता हूं। इसमें यह उल्लिखित है कि "मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में 27 मार्च, 2000 को वित्तीय वर्ष 2000-2001 का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है तथा उसी दिन बजट अनुदानों पर माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण भी दिया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, पृष्ठ 42 और 43 पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए 267 करोड़ रु० का विधायक निधि में प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इसके अन्तर्गत विधान सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर जन आकांक्षाओं की मांग पर क्षेत्रीय विकास से संबंधित कार्य इस उद्देश्य और आशय से कराते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विधायक निधि की धनराशि से किये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलापट्ट पर उनका नाम अंकित हो ताकि यह विदित हो सके कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा ये कार्य कराये गये हैं । इस आशय के दिशा-निर्देश भी शासन द्वारा जारी किये गये हैं । इस प्रकार के शासनादेश पूर्वांचल विकास निधि, जिला योजना और दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों के संबंध में भी जारी किये गये हैं । किन्तु खेद है कि विगत दिनों लोक निर्माण अनुभाग–11 द्वारा दो शासनादेश इन उद्देश्यों के विपरीत जारी किये गये हैं । पहला शासनादेश संख्या 326/म/23-11-2000-22 ई/2000, दिनांक 25-3-2000 है–इसमें अंकित है कि "शासन के संज्ञान में यह आया है कि इस विभाग के कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा बिना शासन की अनुमति के लोक निर्माण विभाग के मार्गों का शिलान्यास कराया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासन की पूर्व अनुमति के बिना लो०नि०वि० के मार्गों का शिलान्यास न कराया जाय तथा यदि अधिशासी अभियन्ताओं को शिलान्यास कराने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो उसे तत्काल आवश्यक विवरण देते हुए शासन को अनुमति हेतु भेजा जाय । यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि शासन की अनुमति से कोई शिलान्यास कराया जाता है तो मार्ग पर लगाये जाने वाले शिलापट्ट पर केवल मार्ग का नाम ही अंकित किया जाय तथा किसी व्यक्ति विशेष का नाम अंकित न किया जाय । दूसरा शासनादेश 1467, दिनांक 22 अप्रैल, 2000 को जारी हुआ इसमें उक्त दिनांक 25 मार्च, 2000 के जारी शासनादेश के एक अंश को विलोपित करते हुए व्यवस्था दी गयी है परन्तु यह प्राविधान किया गया है कि विभाग द्वारा यदि कोई बोर्ड लगाया जाता है तो उसमें 25 मार्च के शासनादेश की अविलोपित व्यवस्था लागू रहेगी ।

इस तरह से 25 मार्च के जी० ओ० को इस अंश तक संशोधित किया गया है शेष बातें यथावत् रहेंगी ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आप अवगत हैं कि विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि और जिला योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाते हैं वह क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर ही बनते हैं । तो जब क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर और उसके विधायक निधि का धन जब लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा और उक्त शासनादेश के चलते क्षेत्रीय विधायक की अपेक्षा होगी तो उसके क्षेत्र की जनता को इसकी जानकारी कैसे होगी कि अमुक कार्य उसके क्षेत्रीय विधायक के सौजन्य से हुआ है । उत्तर सरकार के वित्त मंत्री जी ने अपना बजट इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत कर दिये हैं और विधायक निधि से संबंधित दिशा निर्देश भी समस्त जिलाधिकारियों को जारी हो चुके हैं कि विधायक निधि के धन से निर्मित कार्य संबंधी शिलापट पर अवश्य ही संबंधित क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित किया जाय । लेकिन इस सम्मानित विधान सभा में जो प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसके विपरीत लो० नि० विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया जा रहा है । यह सरकार अनुच्छेद 164(2) की अवहेलना कर रही है । यह सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना ही नहीं बल्कि इस सदन की सर्वोच्चता तथा गरिमा की भी अवहेलना है इस प्रकार इस सरकार के दो विभागों के माननीय मंत्रियों के विचारों में भिन्नता है । इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मा० विधायकों की गरिमा के विरुद्ध जारी इस शासनादेश को वापस कराने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदेश सरकार को देने की कृपा करें ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कदाचित इस औचित्य के प्रश्न पर सम्पूर्ण सदन सहमत होगा और मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी भी जो उनके समक्ष दोनों शासनादेश का संदर्भ संदर्भित किया है माननीय सुभाष जी ने उसे आज इस सदन में सुनिश्चित करके पुनः विधायक को, अपने सम्मानित सदन को, सम्यक रूप से निर्वाचित सदस्यों के सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा को बहाल रखेंगे। श्रीमन्, परम्पराएं वह होनी चाहिए या भविष्य में उस तरह की चीजें होनी चाहिए जिससे प्रजातंत्र मजबूत हो, प्रजातंत्र की बुनियादी आत्मा जनता है और जनता की आत्मा उसका प्रतिनिधि है। आज जनप्रतिनिधि की जवाबदेही होती है जनता के प्रति और क्षेत्र के प्रति इसलिए सम्मानित विधायक शासन से, विभाग से, मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के साथ मिलकर प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा विकास का कार्य अपने क्षेत्र में स्वीकृत करा सके और क्षेत्र के लोगों की उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। वह कार्य जो वह स्वीकृत कराता है वह उस विधायक ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। इससे जनता में यह भावना भी बनेगी कि यह सड़क या यह योजना अमुक जनप्रतिनिधि के द्वारा इसको स्वीकृत कराया गया और इसके लिए वित्तीय स्वीकृति हुई और उसका एक सार्वजनिक जीवन में यह श्रेय हो जाता है।

मान्यवर, आप देखें कि आज केन्द्र सरकार किसी योजना का उद्घाटन हो तो चाहे किसी पार्टी का सांसद हो अगर किसी रेल के किसी प्लेटफार्म पर बोर्ड लगता है तो अगर केन्द्र का मंत्री आयेगा तो उस क्षेत्र के सांसद का नाम अवश्य लिखा जायेगा तो यह परम्परा यहां क्यों नहीं हो सकती ? मान्यवर, शिलान्यास में क्षेत्रीय सांसद भी रहता है विशेष अतिथि के रूप में वहां का सांसद शिलापट में रहता है लेकिन आज यहां कम से कम संसदीय कार्य मंत्री को यह कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई उद्घाटन मंत्रीगण या मुख्य मंत्री करते हैं तो उसमें यह न देख करके कि कौन सत्तापक्ष का है कौन विपक्ष का है।

श्री अधिष्ठाता–

जो औचित्य की सूचना दी गयी है वह इस संदर्भ में नहीं है जो आप चर्चा कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो शासनादेश है मैं उस पर कह रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसको कहेंगे। आप जानते हैं कि वह आज मंत्री हैं कल मुख्य मंत्री हो सकते हैं और विपक्ष में भी बैठ सकते हैं और जो निर्णय होता है वह वर्तमान के लिए नहीं होता है वह भविष्य के लिए भी होता है। हम गुणवत्ता मेनटेन करने के लिए तमाम सम्मानित सदस्य विधायक अपने विधायक निधि का पैसा लोक निर्माण विभाग को अपना पैसा देते हैं। विधायक निधि का पैसा लोक निर्माण को दिया लेकिन लोक निर्माण का यह शासनादेश बाधित करता है, शासन की बिना अनुमति के उद्घाटन नहीं हो सकता और उद्घाटन होगा भी तो केवल मार्ग का नाम लिखा जायेगा, यह ब्यूरोक्रेट्स निर्णय कर लें कि जन-प्रतिनिधियों का नाम न आये। आखिर जवाबदेही तो जनप्रतिनिधि की होती है, चाहे वह किसी पक्ष के भी हों।

इस तरह का शासनादेश केवल विधायक का अपमान नहीं है, केवल गरिमा और अधिकारों की कटौती करने वाला शासनादेश ही नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण विधायकों, सम्पूर्ण सदन के अधिकारों की रक्षा करने की बात है। जिला योजना की बैठक होती है, उसमें जिला योजना के, पूर्वांचल से प्रस्ताव आते हैं, पी० डब्लू० डी० विधायक निधि का कार्य करता है, महत्वपूर्ण सड़कों का कार्य करता है लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह का शासनादेश कैसे जारी हो गया । मैं संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि वह जनभावनायें और सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए निर्णय करके कोई बात कहेंगे, जिस क्षेत्र में विधायक निधि, जिला योजना, पूर्वांचल से कार्य हुआ है, उसको करेंगे, जहां मंत्री करता है, वहां मंत्री करें, वहां भी विधायकों के नाम अंकित होंगे ।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संवेदनशील विषय पर जो किसी राजनैतिक दल तक सीमित नहीं है बल्कि सभी सम्मानित विधायकों, सदन के सभी सदस्यों की गरिमा और उनके राजनैतिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ विषय है । मैं आग्रह करूंगा कि इसमें आप दो पहलू जरूर देख लें, अपनी व्यवस्था देने से पहले । आज जवाबदेही जनप्रतिनिधि की होती है और जनता की आशा क्या होती है कि जनप्रतिनिधि उसके क्षेत्र में विकास के कार्य करेगा और हर चुनाव में निर्वाचन के समय जनप्रतिनिधि से एक सवाल पूछा जाता हैं कि वहां के मतदाता के लिए उसने क्या किया ।

यह जो सदन चलता है, नियमावली से चलता है, संविधान से चलता है और इस नियमावली के नियमों का, संविधान के अनुच्छेदों को काफी विचार करने के बाद, इस पीठ पर बैठे योग्य और योग्यतम पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय लिये हैं, कदाचित आपको याद भी होगा, आप लम्बे दौर से बैठ रहे हैं । बारम्बार यह निर्देश दिये गये हैं सम्पूर्ण सदन को, संसदीय कार्य मंत्री की स्मरण शक्ति को याद दिलाकर कहता हूं कि संबंधित उद्घाटन जो भी होंगे, उसे जनप्रतिनिधि करेंगे, अधिकारीगण नहीं करेंगे, ऐसे आदेश हैं । अगर उससे हटकर किसी को करना हो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कर सकते हैं । कदाचित आशा यही थी कि इससे उनको इसका श्रेय मिलेगा ।

इस व्यवस्था के बाद यह कहा है, आप जानते हैं कि पी० डब्लू० डी० के काम अक्सर विलम्ब से शुरू होते हैं । आप विधायक निधि, जिला योजना का पैसा दे भी दें, तो भी पी० डब्लू० डी० की व्यवस्था ऐसी है कि साल-साल दो-दो साल काम शुरू होने में लग जाते हैं । विधायक निधि मिली है, क्षेत्र विशेष के लिए और क्षेत्र विशेष के लिए हमने कार्य किया है, उसमें उस कार्य के माध्यम से जनता को पता भी न हो सके कि हम कार्य करा रहे हैं तो इससे राजनैतिक पहलू कमजोर होता है । एक क्षेत्र से कई विधान परिषद् सदस्य भी होते हैं, वह 8-8, 10-10 जिलों के प्रतिनिधि होते हैं । सांसद भी होते हैं और सम्मानित विधान सभा के सदस्य भी होते हैं । पता लगा विधायक जी ने वह काम कराया, जिला योजना में स्वीकार कराया, विधायक निधि से स्वीकार कराया, दीनदयाल योजना में स्वीकार कराया । हम शिलान्यास के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह काम हमने कराया है । कभी-कभी इसके पहले ही सांसद कह देता है कि यह काम हमने कराया, विधान परिषद् का सदस्य कह देता है, यह काम हमने कराया, बहुत से मंत्री जी कह देते हैं कि यह काम हमने कराया, शायद इसी से बचने के लिए शिलान्यास करके हम जनता को बताना चाहते हैं कि यह काम हमने कराया है ।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नियमावली का पालन नहीं हो रहा है, भारत के संविधान का भी पालन नहीं हो रहा है । इस शासनादेश से किसी की अवहेलना हो रही है तो इस सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिये गये निर्णयों की अवहेलना हो रही है जिसमें व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी शिलान्यास का कार्य जनप्रतिनिधि करेंगे । मैं आग्रह करना चाहता हूं यह सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही नहीं अन्य विभागों को आज स्पष्ट निर्देश जाना चाहिए । कदाचित मंत्री जी भी इसको अस्वीकार नहीं करेंगे और सार्वजनिक निर्माण मंत्री के संज्ञान में होता तो उनका विभाग यह आदेश निर्गत नहीं करता । मान्यवर, विधायकों के सम्मान की रक्षा के लिए यह शासनादेश तत्काल वापस लिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाना चाहिए और यह निर्देश जाने चाहिए कि जहां पर सम्बन्धित विधायकगण शिलान्यास करना चाहते हैं तो उनके द्वारा ही यह कार्य सम्पादित कराये जायेंगे ।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, नियम–300 के अन्तर्गत, जहां तक विधायक निधि का प्रश्न है और माननीय विधायक ने अपने विवेकानुसार सड़क का या किसी भी चीज का निर्माण कराया है और उसे निर्माण करने के बाद शिलापट पर माननीय विधायक का नाम होना चाहिए । जिस शासनादेश का उल्लेख किया है ऐसा तथ्य कोई शासनादेश से आया है तो उसका संशोधन कर लिया जायेगा । विधायक निधि का जो पैसा है वह विधायक के विवेक पर खर्च होता है, उसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है और मैं शासनादेश का परीक्षण करा लूंगा यदि कठिनाई है तो उसका संशोधन कर दिया जायेगा ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरा हो जाने दीजिए, दीनदयाल योजना के बारे में विचार बाकी हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कई मुद्दे उठाये गये हैं, हमें उनका परीक्षण करना पड़ेगा । कई बार विवाद आए, स्थानीय स्तर पर भी कोई विवाद न हो, शासन की अनुमति पहले ले ली जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, इसका परीक्षण करना पड़ेगा इसलिए कोई आश्वासन देना मेरे लिए सम्भव नहीं है । एक बात मैंने कहा कि शिलापट के बारे में, माननीय सुबाष जी हर बात अपने संविधान से शुरू करते हैं, मुझे कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं मिला कि शिलापट कहां लगाया जायेगा, कौन लगायेगा, ऐसा कोई अनुच्छेद मिला नहीं । जो समस्या थी उसका निस्तारण मैंने करने का आश्वासन दिया है, लेकिन संविधान में है, उसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि शिलापट पर किसका नाम होगा ।

(श्री लालजी वर्मा और श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर माननीय सुबाष जी की सूचना थी ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि आज तक की जो परम्परा रही है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं इस बात से अवगत हैं कि लोक निर्माण विभाग की जिला योजना माननीय विधायक के प्रस्ताव पर बनती है । पूर्वांचल विकास निधि का जो जिलांश है वह हर हालत में विधायक के प्रस्ताव पर ही खर्च होता है ।

मान्यवर, जो विधायक निधि प्रदेश सरकार ने दिया है तथा उससे सम्बन्धित जो दिशा-निर्देश निर्गत किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शिलापट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित किया जाय जिससे यह परिलक्षित होना चाहिए कि विधायक निधि के धन से यह कार्य हुआ । पूर्वांचल विकास निधि, जिला योजना, दीन दयाल योजना एवं विधायक निधियों की जो 4 योजनायें हैं, इनके संदर्भ में उपरोक्त शासनादेश को संशोधित कराकर पुनः इसे जारी करायें, इसमें कोई परेशानी नहीं है । यह कोई नहीं कह सकता कि जिला योजना विधायक की नहीं है, पूर्वांचल या जिलांश विधायक का नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सुबाष जी ने जो कहा है उससे मैं शतप्रतिशत सहमत हूं और आप भी सहमत हैं। दीन दयाल योजना व जिला योजना आदि में विधायक से सहमति मांगी जाती है कि आप सड़क का नाम बता दें यह बात अलग है कि हमको दो मिलते हैं उधर बैठे हुए लोगों को 4 मिलते हैं। जिला योजना जो एक-दो करोड़ की बनती है उसमें हर विधायक का अंश होता है। उसमें 20, 25 या 40 लाख का सुझाव देना है वह भी हमारे कोटे में, हमारी संस्तुति पर होता है। कभी-कभी यही स्थिति राज्यांश में होती है। तमाम कार्य जनप्रतिनिधि अपने श्रम से कराता है और वह उसे अपने क्षेत्र में बताना चाहता हूं। प्रदर्शित करना चाहता है कि यह काम हमने कराया है। आपका निर्देश है कि जनप्रतिनिधि उसका उद्घाटन करे तो उसमें क्या बात है। अभी हैं तो मंत्री जी के रूप में कर सकते हैं लेकिन कल [× × ×] हो जायेंगे, विधायक हो जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

[× × ×] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×] शब्द तो एक मुहावरा है। इतना कहना चाहता हूं कि यह जो सुझाव हैं कि पूर्वांचल विकास निधि, विधायक निधि, दीन दयाल योजना और जिला योजना कम से कम इन 4 में जहां पर राज्य योजना भी विधायक के प्रयास से हो उस पर हर हालत में विधायक ही शिलान्यास करे और अगर उसे कोई और करता है तो शासन से परमीशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं यह कह दूं कि हाशिये पर चले जायेंगे इसका यह महतलब नहीं कि कापी के हाशिये पर चले जायेंगे। मान्यवर, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप [× × ×] हो गये।

श्री हुकुम सिंह–

मैं एक बिन्दु तो स्पष्ट कर चुका हूं। जहां तक विधायक निधि का प्रश्न है अगर विधायक निधि का जो काम हुआ है उसमें शासनादेश कहीं रुकावट बन रहा है कि शिलापट विधायक का लगे या विधायक उद्घाटन करे तो यथोचित संशोधन कर दिया जाएगा। अन्य के सम्बन्ध में कुछ बातें शासन के संज्ञान में आई थीं जिन बातों को लेकर शासनादेश जारी किया गया जो बातें आपने अब यहां कही हैं उन बातों का परीक्षण कर लिया जायेगा अगर आवश्यकता पड़ी तो संशोधन कर दिया जायेगा नहीं पड़ी नहीं किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय नियम–300 में नहीं आता अतः सूचना अस्वीकार। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि विधायक निधि के बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये एवं अन्य के बारे में सम्यक् विचार करने के उपरान्त निर्णय करेंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके अवलोकनार्थ शासनादेश भेज रहा हूं। मा० मंत्री जी ने जिला योजना, दीन दयाल योजना, पूर्वांचल विकास निधि के बारे में स्पष्ट बात नहीं कही है।

श्री अधिष्ठाता–

शेष योजनाओं के बारे में कह दिया।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस विषय की संवेदनशीलता को देखिए, यह राजनीतिक आवश्यकता को देखिये एवं आपकी पीठ से दिये गये पूर्व निर्देशों को देखें । इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया जाए एवं गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त जो निर्णय हो उससे पीठ को अवगत करा दें जिससे पीठ के माध्यम से सदन को अवगत करा दिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने पूरी गम्भीरता के साथ इस बात का उल्लेख किया था । कुछ परिस्थितियां शासन के संज्ञान में आयीं कहां कौन उद्घाटन करेगा सारी बातों को देखकर शासनादेश जारी किया गया जो बातें यहां आयीं उनके संबंध में शासन स्तर पर परीक्षण कर लेंगे यदि आवश्यक होगा संशोधन कर दिया जाएगा नहीं आवश्यक होगा नहीं करेंगे ।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, श्री तिवारी जी, सुबाष जी एवं अन्य साथियों ने जो छोटी सी मांग रखी वह वाजिब है । यह विधायकों के सम्मान का प्रश्न है । अगर उन्होंने प्रयास करके चाहे जिला योजना हो, चाहे दीन दयाल योजना हो, चाहे पूर्वांचल योजना हो अगर विधायक के प्रयास से कार्य सम्पन्न होता है तो अगर प्रस्ताव जाता है तो विधायक का नाम शिलापट पर होना आवश्यक है । इस तरह का निर्देश देने में मैं समझता हूं कि सारे विधायकों का सम्मान बढ़ेगा कि अमुक विधायक ने अमुक कार्य सम्पन्न कराया यह साधारण सी बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं । जो माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों या उनके प्रयासों से जो भी निर्माण कार्य होता है स्वाभाविक रूप से उनकी और जनता की यह इच्छा होती है हमारे जनप्रतिनिधि का कहीं न कहीं उल्लेख हो । इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपना वक्तव्य दें तो अच्छा होगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जो शासनादेश होता है उस पर तत्काल कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है । हम परीक्षण करवा लेंगे ।

(अनेक विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

देखिये, संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य आ गया है और मैंने इस सूचना को नियम–300 में निरस्त भी कर दिया है । अतः आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें । समुचित उत्तर आ गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

हरिद्वार को विद्युत कटौती से मुक्त रखने सम्बन्धी वक्तव्य सदन में देने से पूर्व उस विषय पर घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, 10-4-2000 को नियम–51 में मैंने सूचना दी थी जिस पर 28 अप्रैल की तिथि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के वक्तव्य के लिए नियत की गई । परन्तु इससे पहले जब माननीय ऊर्जा मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी हरिद्वार गये तो वहां यह घोषणा की कि हरिद्वार को 31 अक्टूबर, 2000 तक विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायगा परन्तु इधर सदन में शाम को वक्तव्य आया कि 31-5-2000 तक हरिद्वार को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायगा । तो मान्यवर, दो बिन्दु हैं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं जब 22 अप्रैल को ऋषिकेश गया तो वहां की जनता ने मांग की कि यात्रा चल रही है और उस समय विद्युत कटौती से यात्रा क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाय और उसी समय यह निर्णय लिया गया हरिद्वार व ऋषिकेश को विद्युत कटौती से मुक्त दिनांक 31-5-2000 तक रखा जाय क्योंकि एक लाख से ज्यादा यात्री वहां आते हैं । मैंने 28 तारीख को पत्रकारों से कहा कि यह आदेश 24 को निर्गत हो गये हैं । 28 तारीख को सदन में जवाब होना था और जवाब में यह लिखित भी था । यदि अम्बरीष जी इसका विरोध कर रहे हैं तो स्पष्ट कर दें ताकि उस क्षेत्र की जनता समझ जाये कि विधायक जी इसका विरोध कर रहे हैं ।

24 तारीख का आदेश था और 28 तारीख को पत्रकारों ने पूछा तो हमने 31 मई तक किया था । अब अखबारों में क्या निकला, इसका संज्ञान हम नहीं लेते हैं । पावर कारपोरेशन का फैसला है । इसमें तो हित की बात है इसलिए सदन की अवमानना का कोई प्रश्न नहीं है इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि हम अलग से जारी करें । इसलिए यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अम्बरीष कुमार--

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं । माननीय मंत्री जी ने नियम 51 के अन्तर्गत मेरी सूचना को पढ़ा होगा, उससे स्पष्ट हो जायेगा कि मैं क्या चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऋषिकेश में 22 तारीख को उनसे पूछा गया । मैंने तो सदन में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना 10 अप्रैल को दी हुई थी और अनुरोध किया था कि यात्राकाल को देखते हुए हरिद्वार को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय और शासन से इस पर वक्तव्य चाहा था और 28 तारीख को वक्तव्य लगा हुआ था । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि जब 28 तारीख को वक्तव्य नियत था तो उससे पहले सदन से बाहर उस विषय पर वक्तव्य देना सदन की गरिमा के अनुकूल है या प्रतिकूल है । 31 मई तक है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह केवल हरिद्वार के लिए ही नहीं था अपितु इसमें ऋषिकेश, मन्सूरी और नैनीताल भी शामिल हैं । 51 की नोटिस तो केवल हरिद्वार के लिए थी । इन सब क्षेत्रों के लिए यह आदेश था क्योंकि पर्यटक ज्यादा आ रहे थे । उस स्थिति को देखते हुए यह किया गया । इससे सदन की कोई अवमानना नहीं हुई है । माननीय सदस्य को तो बधाई देनी चाहिए । कम से कम क्षेत्र के हित का तो कार्य किया । दुबारा जब हम हरिद्वार जायेंगे तो बता देंगे कि अम्बरीष जी इसका विरोध कर रहे थे, फिर भी हमने यह आदेश जारी किये ।

श्री अम्बरीष कुमार--

इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं । मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि 28 तारीख को वक्तव्य नियत था तो उससे पहले आपने सदन के बाहर घोषणा क्यों की । आपको बधाई देने में मैं कोई कोताही नहीं बरत रहा हूं आप बधाई के पात्र हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन के चलते समय नीति संबंधी घोषणायें सदन से बाहर न की जायं, ऐसे निर्देश इस पीठ से पूर्व में भी जारी किये जा चुके हैं । नीतिगत संबंधी यह मामला मेरे विचार में नहीं है, इसलिए इसे अस्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों की अवहेलना के सम्बन्ध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न

*श्री शिवचरण प्रजापति–

मान्यवर, मेरे प्रकरण में 29-3-2000 को आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि मेरे साथ पुलिस ने जो अभद्रता की उसकी जांच करवायी जायेगी और यह भी हुआ था कि शस्त्र लाइसेन्स तुरन्त वापस कर दिये जायेंगे । आज तक कुछ नहीं हुआ है । जनता में आक्रोश व्याप्त है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें आयुक्त झांसी मण्डल से जांच करवायी गई थी । आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । क्योंकि अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुए थे, इसलिए मैंने मण्डलायुक्त की रिपोर्ट की एक प्रति माननीय अध्यक्ष जी के पास भेजी हुई है । उस पर वह अध्ययन कर रहे हैं । उसके बाद जो भी कार्यवाही उस पर होनी होगी, वह हो जायेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आयुक्त से जांच की बात मंत्री जी ने कहा था और कहा था कि 10 दिन में उसकी सूचना हम दे देंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट की क्या स्थिति है ?

मान्यवर, पीठ से कहा गया था कि यदि सदन रहेगा तो 10 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाती है तो यहां उसको रखा जायेगा इसलिए मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री प्रजापति अपनी बात कहने में सक्षम हैं इसलिए वह अपनी बात ठीक ढंग से कह सकते हैं ।

श्री शिवचरण प्रजापति–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दिनांक 2-2-2000 को मेरे साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया था जिसके संबंध में दिनांक 29 मार्च, 2000 को माननीय विधायकों ने यहां उठाया था कि मामला अशोभनीय है इसलिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए पुलिस के मनोबल को बढ़ाया गया है । मान्यवर, जिस कमिश्नर को जांच दी गयी थी उन्होंने पी० डब्लू० डी० के अधिशासी अभियन्ता को लिखा और जो जांच के लिए गये थे पुलिस अधीक्षक वहां बैठे थे । मैं यहां चला आया था । मान्यवर, यह गम्भीर मामला है और जनता में आक्रोश व्याप्त है । मान्यवर, मुझे मेरे असलहे दिलवाये जायें । यह एक विधायक और सदन के अपमान का मामला है । इसलिए इसमें अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय । इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जांच की बात कही थी, तो कमिश्नर से जांच करायी गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य जिनका यह मामला था उन्हें दो बार समय दे दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे हैं इसलिए आप बैठ जायं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों को अवगत कराया है कि जांच, आयुक्त से आयी है। उन्होंने अभी एक लाइसेंस के बारे में व्यक्तिगत बात बतायी है, उसको मैं दिखवा लूंगा और उसका निस्तारण कर दिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस दिन यह प्रकरण यहां सदन में उठा था तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि असलहा उनको तत्काल वापस कराया जाय। उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़कर जो चिन्ता व्यक्त की थी। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि माननीय विधायक को ट्रक पर बैठाकर ले जाना निश्चित रूप से अनुचित प्रतीत होता है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कार्यवाही होनी चाहिए। थाने में भी माननीय विधायक जी को जमीन पर बैठाया गया इसको भी अनुचित कहा था। आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें। तीसरी बात यह थी कि असलहे लाइसेंस तत्काल वापस दिलवाये जाने का निर्देश दिया था।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक जी का निजी मामला है, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा शासन को निर्देश दे दिया गया था कि तत्काल असलहा वापस दिला दिया जाय। इनका कोई आपराधिक मामला नहीं है। जब से राजनीति शुरू की है इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

यह कहीं भी किसी ने भी उल्लेख नहीं किया कि इनके विरुद्ध आपराधिक मामला है। राजनीति में आने से पहले या बाद, इस बात का यहां कोई उल्लेख नहीं किया गया। न आपके सामने आया। बल्कि ये ही बार-बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। मान्यवर, एक व्यवस्था के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जायेगी कि नहीं। सारे प्रकरण की जांच आयुक्त से करा ली जाय, तो जांच करा ली गई। जांच आ गई है वह जांच हमने इस सदन का सर्वोच्च जो आसन है उसको समर्पित कर दी और यह भी लिखा है कि 'मार्ग दर्शन हेतु'।

मान्यवर, जब मार्गदर्शन मिलेगा तो उसका पालन होगा। शस्त्र के लाइसेंस के बारे में मैंने स्वयं आश्वस्त किया है। बार-बार इसका उपयोग इस बात के लिए किया जाय कि दबाव बनायेंगे। मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं और सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसी बात न कहें जिससे अनुशासन भंग हो। हर व्यक्ति हर विषय पर दबाव बनाने का प्रयास करता है तो इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह मामला 15 दिन पूर्व का है.....

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप बैठ जायं और आपने बोलना प्रारम्भ कर दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इनकी कही हुई बातों को अंकित नहीं किया जायेगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे)

उक्त सूचना में माननीय सदस्य जो भी कह रहे हैं अंकित नहीं किया जायेगा। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। यह शब्द मेरे नहीं है। आपके एक माननीय सदस्य उत्तेजना से कह रहे हैं कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आपके जिन माननीय सदस्य की सूचना थी उनको मैंने सुना। विषय की गम्भीरता को देखते हुए श्री बी० आर० वर्मा और श्री लाल जी वर्मा को सुना। संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो-तीन बार उठकर अपनी बात कही। मैंने आपसे आग्रह किया कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं दल के नेता हैं अगर हम और आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने विषय को सम्यक रूप से सुन लिया है, मुझे भी व्यवस्था देने का अधिकार है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अंकित नहीं किया जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

(व्यवधान)

[समय–1 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी के शब्दों को बिना संज्ञान लिये हुए माननीय शिव चरन प्रजापति.....

श्री दद्दू प्रसाद–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप मुझे व्यवस्था देने दें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसको लिखा नहीं जायेगा।

श्री दद्दू प्रसाद–

[× × ×]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जा रहा है। इस औचित्य के प्रश्न पर मैंने माननीय शिवचरन प्रजापति और मेरी अनुमति से बोले दो माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा और श्री बी० आर० वर्मा तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह विषय गम्भीर है और विधायक की गरिमा और सुरक्षा से संबंधित है। इसमें मैंने कार्यवाही मंगा रखी है और कार्यवाही अभी मुझे प्राप्त हुई है। व्यवस्था देना, जब तक सम्यक बात न हो तब तक व्यवस्था देना सम्भव नहीं हो पाता है। यह विषय संवेदनशील हो सकता है लेकिन अपने आपे को खो देना उचित नहीं है। मैं कार्यवाही को देख रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आख्या आ चुकी है और उसकी एक प्रति माननीय अध्यक्ष जी को भी भेज दी है, कार्यवाही का अध्ययन करने के पश्चात् और जो सूचना आयी है उसको देखने के बाद निर्णय लेना समीचीन होगा। अभी मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं। फिर भी मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सदन के एक-एक सदस्यों की गरिमा की चिन्ता की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विगत समय में.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान)

सत्र के दौरान चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, पीठ से विगत समय में अनेक बार निर्देश हुए हैं कि जब सत्र चल रहा हो तो कोई बैठक आयोजित न की जाये जिसमें माननीय सदस्यों का भाग लेना आवश्यक हो। मान्यवर, कानपुर में चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक 10 मई को आहूत कर दी गयी है और 10 मई को उपवेशन है इस तरह से शासनादेशों की अवहेलना हो रही है। वहां के अर्थ नियंत्रक श्री जगदेव प्रसाद जी का पत्र दिनांक 20 अप्रैल इसमें लिखा है, इसको काटकर 10 अप्रैल कर दिया

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया है जिसमें उल्लेख है कि 10 मई को 11 बजे बैठक कानपुर में आयोजित कर रहे हैं उसमें हमें और माननीय श्री इन्द्रजीत सरोज जी को बुलाया गया है । मान्यवर, अगर कोई बहुत शीघ्रता हो तो शनिवार को बैठक आयोजित कर सकते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसी तरह से 11 मई को फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की बैठक है ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, कानपुर वाली बैठक को स्थगित करने के निर्देश दे दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस संबंध में पूर्व में भी इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि जनपदों में उपवेशन के दौरान बैठक न बुलायी जाये जिनमें माननीय सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो । इस संबंध में शासन को यथोचित कार्यवाही हेतु, चाहे जो विषय लिया गया है या जो विषय लालजी वर्मा द्वारा उठाया गया है, के साथ मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

मध्यांचल निधि के गठन के सम्बन्ध में पीठ से किये गये ध्यानाकर्षण के संदर्भ में प्राप्त उत्तर पर किसी मंत्री का हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, दिनांक 17 अप्रैल, 2000 को मध्यान्चल निधि की स्थापना के सन्दर्भ में सूचना दी थी जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था । माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मुझे माननीय राज्य मंत्री नियोजन जी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है । "मा० मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनांक 21-4-99 की बैठक में उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र के जनपदों के विकास हेतु एक पैकेज तैयार करने के निर्देश दिये गये थे । विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में सुझाव प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र के जनपदों के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक दिनांक 1-5-99 को आयोजित की गयी थी और इस बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विकास विभागों के कतिपय कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करते हुए, एक पैकेज के रूप में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मा० मंत्रि-परिषद् की उपसमिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए, समिति के संयोजक मा० संसदीय कार्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया गया । इस प्रकरण पर अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।"

मान्यवर, इसलिये मैंने पढ़कर इसे सुनाया क्योंकि इस पर माननीय मंत्री जी के दस्तखत नहीं हैं और पढ़ना इसलिए जरूरी था कि यह कार्यवाही का अंग कम से कम बन जाय । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कम से कम ऐसे निर्देश पहले भी जारी किये गये थे, जब विधान सभा से सम्बन्धित कोई कार्यवाही होती है और उसका माननीय मंत्री जी उत्तर देते तो उस उत्तर के नीचे दस्तखत अवश्य करने चाहिए । अगर किसी अधिकारी के यहां या किसी न्यायालय में हम कागज को प्रस्तुत करेंगे और माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो इंडियन इवीडेंस ऐक्ट में यह दस्तावेज ग्राह्य नहीं होगा इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

यह कागज कोई दूसरा भी लगा सकता है । मैंने आपके अवलोकनार्थ इसकी छायाप्रति लगायी है तो आप इसके निर्देश देने के पहले एक बात और है कि जब मध्यांचल निधि की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चिन्ता व्यक्त कर रही है और किसी सीमा तक कुछ कार्यवाही करना चालू कर दिया है तो इस पर जब उत्तर आये तो यह स्पष्ट हो जाय कि मध्यांचल निधि में कौन-कौन से जिले आते हैं और दूसरी बात यह आ जाय कि मध्यांचल निधि के लिए कितना पैकेज स्थापित किया जा रहा है उसका विवरण आ जाय इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि बड़े विस्तार से आपने सारी सूचना को पढ़ दिया, जो संलग्नक है उसको भी पढ़ दिया और तर्क यह दिया कि अगर मैं न्यायालय में जाना चाहूं तो चूंकि हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए इवीडेंस एक्ट में ग्राह्य नहीं होने का यह कारण दिया, बड़े विद्वान सदस्य हैं, यह सदन की सम्पत्ति हो गयी, सदन में यह आ गया, कार्यवाही का हिस्सा बनने के बाद अगर आपने न्यायालय में जाने की तैयारी भी की हो तो सबसे पहले माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी उसके बिना कोई भी अभिलेख इस सदन की सम्पत्ति होने के बाद न्यायालय में नहीं जा पायेगा ।जब हमारी नीयत हो गयी कि सूचना इसलिए दे रहा हूं कि न्यायालय में जा सके तो यह कहां तक उचित है । आप न्यायालय की बात छोड़ दीजिए माननीय मंत्री जी के इस पर हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर कवरिंग लेटर में है । यह पैड पर है श्री सुरेश कुमार खन्ना राज्य मंत्री नियोजन का पैड है नीचे हस्ताक्षर हैं और उसके साथ संलग्न है ।

मान्यवर, जो नियमों का हवाला दे रहे हैं जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं और यह व्यवस्था दी गयी थी कि जो संलग्नक यहां पर आया उस पर मंत्री महोदय के हस्ताक्षर होने चाहिए यह प्रकरण उससे संबंधित नहीं है । इसलिए यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल निधि पश्चिमांचल निधि यह सारी अलग-अलग निधियां दी गयी हैं गत सत्र में यह कहा गया था कि मध्यांचल निधि, मध्यांचल पैकेज मध्यांचल के जिलों को दिये जायेंगे और इसमें सदन में आश्वासन भी हुआ और सरकार की तरफ से यह कहा गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का उत्तर आ चुका है । औचित्य का विषय इस पर नहीं है औचित्य इस बात पर है कि हस्ताक्षर हैं कि नहीं ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया लेकिन अभी तक मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बीच में कौन-कौन से जिले होंगे, जिनका अलग पैकेज होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं औचित्य प्रश्न पर चर्चा नहीं करा रहा हूं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं यह जानने का तो हकदार हूं कि बीच में कौन-कौन से जिले ऐसे होंगे, जिनको मध्यांचल निधि का पैसा दिया जायेगा, कब तक इसकी घोषणा होगी, कितना पैकेज दिया जायेगा । यह पिछले साल घोषणा हुई थी, परन्तु अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला, जबकि बुन्देलखण्ड का मिल गया, पूर्वांचल का मिल गया, लेकिन मध्यांचल को बीच में छोड़ दिया गया । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार मध्यांचल के लिए कितना पैकेज देगी, पिछले वर्ष का कितना देगी और इस साल का कितना देगी ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूं कि औचित्य प्रश्न के माध्यम से इसकी सूचना चाहना उचित नहीं लगता ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि हम न्यायालय में जाना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा हमारी नहीं है। मैं नियम, कायदा, नियमावली की बात करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी के इस पीठ से निर्देश हो चुके हैं, पत्र के साथ कोई संलग्नक होगा, तो उस पर भी हस्ताक्षर होंगे। मान्यवर, दो लाइनों का पत्र लिख दिया गया, यह इतना महत्वपूर्ण मामला था,. उसमें टिप्पणी तो लिख दी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने दस्तखत नहीं किये। मेरा तो निवेदन इतना था कि दस्तखत हो जाते हैं तो इसको पढ़ा जा सकता था, अदालत में इसको पढ़ा जा सकता था, वैसे इसमें न्यायालय में जाने की कोई बात नहीं है, उसमें तो आपके निर्देश की उम्मीद रखता हूं और इसमें भी आपका निर्देश हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को, जो माननीय मंत्रियों के उत्तर जाते हैं, उस पर संबंधित माननीय मंत्री के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। कभी-कभी संलग्नक के रूप में जब कोई पत्र होता है, उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाय, तो बात अलग है, क्योंकि मंत्री तो उसे संलग्नक के रूप में ही प्रयोग करेंगे लेकिन उत्तर पर माननीय मंत्री के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए, इसके साथ ही मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूं।

माननीय श्री परवेज हलीम जी की सूचना सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान न किये जाने के संबंध में है, यह नियम 300 में नहीं आती, यह कहीं से सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए निरस्त की जाती है। श्रीमती कृष्णा राज की सूचना का भी यहां की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह सूचना भी निरस्त की जाती है। श्री राधेश्याम जायसवाल की सूचना निर्माण कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, यह भी 300में नहीं आती, इसलिए निरस्त की जाती है, शेष सभी अस्वीकार।

श्री बाबूराम यादव द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता संघ के कथित आरोपात्मक पत्र के संदर्भ में उठाये गये अलग-अलग प्रकरण पर पीठ द्वारा सुरक्षित व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मैंने दिनांक 28 अप्रैल को एक प्रकरण पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी, उसके पहले दिनांक 27 अप्रैल को भी एक प्रकरण पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस विषय पर मैंने नियम–163 में एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

इस विधान सभा का इतिहास बहुत लम्बा है। इस विधान सभा ने बहुत ही उत्कर्ष के क्षण देखे हैं, संकट भी आये हैं। कभी उत्तेजना के क्षण भी हुए हैं, अपवाद स्वरूप। लेकिन सामान्य तौर पर यह पहली विधान सभा से तेरहवीं विधान सभा तक इसने सदैव ही अपनी गरिमा और मर्यादा की रक्षा की है और वह तभी संभव हो पाया है, जब हमारे सभी माननीय सदस्यों ने एकजुट होकर नियम और परम्पराओं का अनुपालन किया है और जहां कहीं कोई त्रुटि अपने में महसूस की गयी, वहां बिना संकोच के उसको भी स्वीकार करते हुए सदनकी मर्यादा और गरिमा को सर्वोच्च स्थान देकर उसे बनाये रखने में अपना सक्रिय और सार्थक योगदान सदैव दिया है। जिस प्रकरण पर मेरी दो व्यवस्थायें सुरक्षित हैं और जिन को मैं यहां देना चाहता हूं, उससे सारा सदन अवगत है। माननीय बाबू राम जी ने अपने भाषण में एक पत्र का उल्लेख किया था और उसके पश्चात् माननीय लोक निर्माण मंत्री ने सदन में

त्यागपत्र की घोषणा की थी फिर मैंने एक अभियन्ता को इस सदन में बुलाया था। माननीय बाबू राम जी के कथन पर व्यवस्था सुरक्षित की थी और अभियन्ता को बुलाने के सम्बन्ध में कि अधिकार है अगर है तो संविधान के किस अनुच्छेद में किस रूप में तथा किस व्यवस्था के तहत उसे बुलाया गया, किस रूप में उसे बुलाया गया, उस पर भी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। जैसे इस सदन में हम रोज कहते हैं कि यह सदन परम्पराओं से चलता है, इसका मतलब अच्छी परम्पराओं से चलता है। तो मैं उस परम्परा के अनुपालन में अगर बाबूराम जी व्यवस्था देने के पहले कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूंगा कि वह कह ले। चूंकि उनके भाषण से यह बात प्रारम्भ हुई थी इसलिए मैंने सोचा कि माननीय बाबूराम जी से पूछ लें।

श्री बाबू राम यादव–

अध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट की चर्चा पर अभियन्ता संघ का एक पत्र जैसे हम लोगों को मिला, मुझे भी मिला.....

श्री अध्यक्ष–

पत्र की फोटोकापी।

श्री बाबू राम यादव–

पत्र की फोटो कापी। मेरी चर्चा की पहली लाइन यह है कि यह मेरा आरोप नहीं है, अभियन्ता संघ का आरोप है। अभियन्ता संघ ने जो आरोप लगाया और यह चिट्ठी 1-9-99 की है तो मुझे जरूर यह हुआ कि विभाग के मंत्री को पत्र लिखा अभियन्ता संघ के अध्यक्ष ने तो 1-9-99 को तो इस पर जांच होनी चाहिए, वही मैंने कहा। मेरा व्यक्तिगत आरोप न उस दिन था न अब है। मेरी पहली लाइन यह है कि यह मेरा आरोप नहीं है यह अभियन्ता संघ का आरोप है, उसकी जांच की जानी चाहिए। इसी बीच मंत्री जी ने कह दिया कि यह पत्र बाबू राम जी ने बनाया है, फर्जी बनाया है, कितनी हास्यास्पद बात है, मैं क्यों बनाऊंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है, अभियन्ता संघ का पत्र था अभियन्ता संघ के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि उनका पत्र था तो संसदीय कार्य मंत्री जी की बात भी सदन के सामने है, माननीय सदस्यों के सामने है।

माननीय मंत्री जी पर मेरा आरोप उस दिन भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैंने यह जरूर कहा है कि 1-9-99 का पत्र विभाग में रहे मंत्री जी के नाम संदर्भित है, मंत्री जी को लिखा गया है और इतने आरोपों के बाद उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। मेरा आज भी यही मानना है कि उस पर जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप 27 अप्रैल की असंशोधित कार्यवाही देख लें। मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि बाबू राम जी जो कह रहे हैं, बाबूराम जी ने ठीक कहा है, अभियन्ता संघ से उनको पत्र प्राप्त हुआ होगा, यहां पर चर्चा हुई है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, न मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने आरोप लगाया है, पत्र की चर्चा हुई, सार्वजनिक हुई, मेरा नैतिक हनन, चारित्रिक हनन हुआ, चाहे जिस कारण हुआ मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जो एजेन्सी उपयुक्त समझें उससे जांच करा लें, यह सार्वजनिक होना जरूरी है जब तक नहीं होता है मैं सदन के अन्दर नैतिकता के आधार पर मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने की घोषणा करता हूं। यह मंत्री जी ने कहा है मेरी बात को उन्होंने सही ठहराया है।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं बाबूराम जी से कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जो पत्र मंत्री जी को लिखा गया उसे मैंने संदर्भित किया मेरा खुद का आरोप नहीं था न आज है।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह बात कही थी जिसके कारण प्रकरण उठा। मंत्री जी के ऊपर आपने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। उसके संबंध में मैंने सोचा कि स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री बाबूराम यादव–

अध्यक्ष जी, मैंने आरोप नहीं लगाया जो पत्र अभियन्ता संघ ने लिखा उस पत्र को मैंने संदर्भित किया।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अब तो स्थिति स्पष्ट हो गयी, अब प्रकरण समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री बाबूराम यादव–

जांच हो जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह चीज स्पष्ट हो जाये कि माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई रिश्वतखोरी का आपका आरोप नहीं है जो भी लिखा है वह विभाग के लिए था।

श्री बाबूराम यादव–

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी जांच हो जाये तो सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा यह बात भी कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यह आरोप लगाया था कि बाबूराम जी ने बनावटी पत्र दिया है यह उनकी गरिमा के खिलाफ है। इतनी हल्की बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं करनी चाहिए।

*गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, माननीय बाबूराम जी ने कहा कि अभियन्ता संघ का आरोप है, मेरा नहीं है। उस पत्र में कहीं भी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं है। जो भी आरोप है वह विभाग के अभियन्ता के ऊपर है। इसलिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के ऊपर आरोप तो अभियन्ता ने भी नहीं लगाया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस पत्र का उल्लेख आया, आपने माननीय बाबू राम जी को अवसर दिया। जब उत्तेजना एवं तनाव के क्षण आते हैं तो कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं लेकिन बाबूराम जी ने कहा कि न मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप उस दिन था न आज है तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के उस कथन के बावजूद आप व्यवस्था देने जा रहे हैं। यह बात स्पष्ट हो गयी कि कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है तो इसमें कोई विवाद कराना उचित नहीं होगा और उस परिपेक्ष्य में आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो आपने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी उसके संदर्भ में आपने माननीय बाबूराम जी से पुनः जानकारी चाही कि आपका कुछ कहना है। माननीय बाबूराम जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा कोई आरोप न पहले था न अब है। पत्र में जो भी आरोप लगाये गये हैं वह अपनी जगह हैं उनकी जांच हो जानी चाहिए। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। माननीय बाबूराम जी की कोई मंशा मंत्री जी को आरोपित करने की नहीं है। श्रीमन्, अब प्रकरण को समाप्त हो जाना चाहिए। इस पर अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उत्तम रहेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन उत्कृष्ट परम्पराओं का आपने उल्लेख किया है और जो सदन का माहौल बनकर आया है । उन परम्पराओं के पुनर्जीवित होने का नमूना यह है कि हमने कितने शांत माहौल में एक ऐसे प्रकरण का पटापेक्ष करने में लगे हैं जो हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण था मैं इसके लिए माननीय बाबूराम जी और नेता प्रतिपक्ष की प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं कि यही माहौल बनना चाहिए । कहीं ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है या भावावेश में कुछ बातें कही जाती हैं तो हमें उस पर चिन्तन करने का अवसर मिल जाता है । चिन्तन करने के बाद सोचने के बाद हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं । एक बात दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि जिस पत्र को लेकर सारा प्रकरण जगा, प्रमाणित नहीं थी न मेरी जानकारी में ही था, मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए ऐसी बात मैंने कही थी मेरी मंशा आपके ऊपर आरोप लगाने की नहीं थी कोई प्रकरण चल रहा था उसी की कड़ी में मैंने अपनी बात कही थी जैसा कि अब स्पष्ट हो गया नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा पत्र सबके सामने है, पत्र में कोई आरोप नहीं हैं, माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है इसलिए सारे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया जाए ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

श्रीमन्, आज इस माननीय सदन में इतने गम्भीर प्रकरण पर चर्चा समाप्त होने जा रही है । मैं माननीय बाबूराम जी, नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए परस्पर सौहार्द उत्पन्न करने के लिए जो पहल की है वह सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है । श्रीमन्, इस सदन के माननीय सदस्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं । इनका सम्मान जनता के अन्दर बहुत महत्व का है । हम ही अगर इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान को नीचे करने का काम करेंगे तो सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी । हमारी परम्परा बड़ी गौरवपूर्ण है मैं तो यही प्रयत्न करता हूं कि चाहे पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों सबका बराबर सम्मान हो । हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य कर सकें, आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है इसके लिए दूसरे स्थान हैं यहां पर हर माननीय सदस्य के प्रति सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम लोग आचरण करेंगे । मैं इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूं । आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया जाए । मैं लोक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अपना त्याग-पत्र वापस ले लें उन पर कोई आरोप नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जिस पत्र के कारण सदन में यह विवाद उत्पन्न हुआ था और दो व्यवस्थाएं सुरक्षित रखी गयी थी वह पत्र यद्यपि प्रमाणित नहीं था, सत्यापित नहीं था फिर भी माननीय बाबूराम यादव के भाषण के अंग के रूप में सदन की कार्यवाही पर आ गया है । मैंने उस पत्र के एक-एक शब्द का अवलोकन किया है और दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को जिस पत्र की फोटो-प्रति बाबू राम जी ने मेरे कहने पर मुझे उपलब्ध कराई थी । उससे और उनके भाषण में जिस पत्र का उल्लेख किया गया था मैंने दोनों की तुलना की कि दोनों एक ही हैं । इस पत्र में माननीय लोक निर्माण मंत्री के विरुद्ध कहीं भी व्यक्तिगत रूप से रिश्वतखोरी अथवा किसी अन्य प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है । उसमें उनके विभाग के अभियन्ताओं के ऊपर और लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय आदि के ऊपर जरूर टिप्पणी की गयी है । शासन के कुछ तथाकथित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है परन्तु लोक निर्माण मंत्री जी के ऊपर ना तो कोई आरोप है और न ही कोई आक्षेप लगाया गया है बल्कि उन्हीं को यह पत्र सम्बोधित है और उन्हीं से आग्रह किया गया है कि जो जनसमस्यायें हैं उनको समाप्त होना चाहिए । आज इस चिट्ठी को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय बाबूराम जी ने और स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लोक निर्माण मंत्री जी पर ना तो पहले कोई आरोप की मंशा थी और ना ही आज । लगता है कहीं भ्रम हुआ है ।

माननीय नेता सदन और नेता विपक्ष ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं और यह अपेक्षा की है, मैं भी समझता हूं कि हम सब सदन में एक दूसरे के सदस्यों के सम्मान की रक्षा करें । मैं सारी मर्यादाओं और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए उचित समझता हूं कि इस प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया जाय और इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाय । मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि जो हम सबकी मर्यादायें हैं, जो नियमावली है उसके अनुरूप ही यदि कभी ऐसे अवसर आते हैं, अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करेंगे तो स्थिति के और भी अच्छे, सुखद और सार्थक परिणाम सामने आयेंगे । इसी अपेक्षा के साथ इस प्रकरण को समाप्त करता हूं और इस व्यवस्था के अतिरिक्त जो दो व्यवस्थायें मैंने सुरक्षित रखी थी अब उनकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, 27-28 को माननीय लोक निर्माण मंत्री पर कुछ आक्षेप हुए थे उनको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसी सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समय माननीय बाबूराम जी ने अपनी बात कही थी उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि नियम 289-क के अनुरूप कार्यवाही नहीं हो रही है और माननीय लोक निर्माण मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक अपराधात्मक प्रवृत्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, मैं समझता हूं कि मानहानिकारक शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय। चूंकि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं इसलिए इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । आप सभी माननीय सदस्यों ने इस पीठ को निर्णय देने में सहयोग किया इसके लिए सभी को धन्यवाद ।

जनपद संत रविदासनगर के विकास खण्ड भदोही के ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री रवि गौतम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदासनगर के विकास खण्ड भदोही के ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री रवि गौतम तथा राम लखन यादव, निवासी जनपद संत रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में धनतुलसी डेंगरपुर घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने विषयक श्री देवी शंकर तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में धनतुलसी डेंगरपुर घाट के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने विषयक श्री देवी शंकर तिवारी तथा श्री बंशीधर तिवारी, निवासीगण–जनपद संत रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता संघ के पत्र के संदर्भ में लोक निर्माण मंत्री पर लगाये गये गलत आरोप पर दी गई विशेषाधिकार की सूचना पर अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है । लेकिन माननीय लक्ष्मीकान्त बाज़पेई जी ने जिस विशेषाधिकार की नोटिस का उल्लेख किया था माननीय बाबूरामजी के विरुद्ध और माननीय राम औतार शाक्य जी ने मौखिक रूप से विशेषाधिकार के बारे में नोटिस दी थी मैं उनको निरस्त करता हूं ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 मई, 2000 की बैटक में विधान सभा के 2 मई से 26 मई, 2000 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :—

मई, 2000

2 मंगलवार

1—उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000, पर विचार एवं पारण, (आधा घण्टा) ।

2—नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण विधान सभा द्वारा अभिसूचित तथा श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी (एक घण्टा) ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय ।"

3—वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

4—"कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन" के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

5—"उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हज यात्रियों को हुई असुविधा" के संबंध में श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

6—श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल-स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय ।"

मई, 2000

7—"प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल-स्तर से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चा हेतु लम्बित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

3 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर आधे घण्टे की चर्चा ।

4 गुरुवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

5 शुक्रवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"कानपुर जिले के वाजिदपुर पेबन्दी शेषपुर, मोतीपुर, ओलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गम्भीर समस्या" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

6 शनिवार
7 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

मई, 2000

8 सोमवार 1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय- व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

3–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करे ।"

9 मंगलवार 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–"प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा० कौशल किशोर व डा० अशोक बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

10 बुधवार 1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–"प्रदेश में आई०एस०आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

11 गुरुवार वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

12 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

मई, 2000

13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
15 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की स्थापना किये जाने" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।
16 मंगलवार 17 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
18 गुरुवार 19 शुक्रवार 20 शनिवार 21 रविवार 22 सोमवार 23 मंगलवार	(बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश) बैठक नहीं होगी । (महाबीर जी के मेले का अवकाश)
24 बुधवार 25 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
26 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन किया जाना पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज अभी श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या–8 में कोई वक्तव्य नहीं है ।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना को अस्वीकार किये जाने की जानकारी

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं–

आज दिनांक 2 मई, 2000 को नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना श्री समर पाल सिंह, श्री बनारसी दास चांदना, श्री परवेज हलीम खां, श्री बाबू लाल तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की प्राप्त हुई जो कि अस्वीकार की गयी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की कतिपय समितियों और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि–

यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2000-2001 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशित कर दें तथा उसके साथ उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2000-2001 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशित कर दें तथा उसके साथ उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है

और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000†

आबकारी राज्य मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2-5-2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल–19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई जिनमें से प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष के बारे में यदि आवश्यकता होगी माननीय सदस्यों को अति संक्षेप में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दे देंगे । मेरा एक आग्रह है कि कई विभागों की मांग हम सबके सामने है । यदि यह सदन सहमत हो तो 2.45 मिनट तक कार्य स्थगन का प्रस्ताव ले लें उसके पश्चात् जो हमारी कार्य सूची है उसकी अगली मद ले ली जाय । जिन सदस्यों की सूचनाएं आज बच जायं वे कल के लिए दे दें । उनको कल ले लिया जायेगा इस तरह से सदन का कार्य ठीक से चलेगा और सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिल जायेगा आज विभिन्न विभागों की मांगों पर चर्चा करने का ।

पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री रामजग, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री राजेन्द्र यादव, श्री पीतम राम की नगरपालिका परिषद् बस्ती द्वारा आयोजित जनसभा में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की कार्यवाही किये जाने तथा उद्घाटन शिला पट्ट तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री रामकुमार एडवोकेट, श्री रामविशुन आजाद, श्री उदयराज यादव की प्रदेश के अधिकांश जनपदों में निरन्तर फैल रहे संक्रामक रोगों की भयावह स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना डा० कौशल किशोर की प्रदेश में आसन्न शुद्ध पेयजल के गम्भीर संकट के संबंध में है । चौथी सूचना श्री अम्बरीष कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह की हरिद्वार नगर में अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति से पीलिया फैलने के संबंध में है । पांचवीं सूचना

---

† दिनांक 16-5-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्रीमती मौसी बेबी की संजय पेपर मिल खलीलाबाद के प्रदूषित उत्प्रवाह से गोरखपुर में आमी नदी का जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री राम पाल की विद्युत लाइनों की निरन्तर तार चोरी व कटिंग के कारण प्रदेश का एकमात्र हाथ कागज उद्योग कालपी बन्द होने के कारण हजारों श्रमिकों के भुखमरी की कगार पर होने व श्रमिकों के पलायन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री बुनयाद हुसैन अंसारी, श्री अरविन्द गिरि, श्री प्रमोद तिवारी, श्री रमेश राही, श्री अम्बिका चौधरी, श्री धनीराम वर्मा की जनपद सीतापुर की जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने की कार्यवाही से जिले के विकास कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री राम ललित चौधरी की सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों को अलग-अलग सोसाइटी गठित कर आरक्षण तथा कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किए जाने से जनमानस में व्याप्त असन्तोष के संबंध में है। नवीं सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बाबू लाल, श्री बनारसी दास चान्दना की ओर से सरकार द्वारा निजी नलकूपों के नये कनेक्शन दिये जाने पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पहली सूचना मैं ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि मेरी सूचना अगले नम्बर पर है। मैं इसको लगातार तीन दिन से लगा रहा हूं। मान्यवर, इसको आज न लेकर कल ले लें लेकिन यह इतनी महत्वपूर्ण सूचना है और तीन दिन से लगातार लगाई जा रही है। कल इसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कल प्रथम पांच में आ जावेगी।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ और जो इनका भवन बना हुआ था उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बी० जे० पी० के कार्यकर्ताओं ने अपना झंडा फहरा दिया।

श्री अध्यक्ष–

पहले यह चलने दें।

(श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के खड़े होने पर)

मुन्ना जी आपकी सूचना निरस्त हो गई है। मैंने अभी व्यवस्था दी थी श्री समरपाल सिंह, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री परवेज हलीम खां, श्री बाबू लाल तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी की जो सूचना 311 में थी वह अस्वीकार कर दी गयी। पहली सूचना पर श्री जगदम्बिका पाल जी को बुला रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सूचना दी है मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रकरण है कि कुछ देर पूर्व सदन में एक ऐसे विषय का पटाक्षेप हुआ है जिस विषय में कई दिनों से गतिरोध था, तनाव था। पूरे प्रदेश के लोगों की आंखें लगी थीं कि उस प्रकरण पर आपकी क्या व्यवस्था होगी। विधान सभा में क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों में गतिरोध बना रहा। आज उस प्रकरण का पटाक्षेप हुआ है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों ने बड़ी उदारता दिखाई है। बाबू राम जी हों या अन्य लोग हों जिस तरह से सार्वजनिक जीवन का एक व्यक्ति मर्माहत हुआ था, उनके सम्बन्ध में जो लोगों के विचार आये। इन्हीं राजनैतिक मूल्यों की स्थापना रहेगी ऐसी प्रजातांत्रिक परम्पराओं से भविष्य में प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा, अन्यथा प्रजातंत्र पर प्रश्नचिह्न लग जायेगा।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं बहुत मर्माहत हूं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं मान्यवर, 19 अप्रैल को प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह जी बस्ती डिग्री कालेज का उद्घाटन करने गये वहां के अध्यक्ष अरविन्द भी उद्घाटन में गये, इसके बाद बस्ती नगरपालिका परिषद् द्वारा बनाई गई सड़क का उद्घाटन भी चौधरी नरेन्द्र सिंह जी को करना था। उसमें विधायक निधि का सम्पूर्ण पैसा हमने दिया, मान्यवर, पुरानी परम्परायें और मूल्य हैं आप इस तरह से उद्घाटन को रोकने के लिए क्या करेंगे ? जब विपक्ष की, नगरपालिका परिषद् के द्वारा बनाई सड़क का उद्घाटन करने मंत्री जी गये तो भारतीय जनता पार्टी के दिवाकर मिश्र 20–25 लोगों के साथ शराब पीकर आये और कहने लगे मंत्री जी इसका उद्घाटन नहीं करेंगे, मंत्री जी ने कहा अगर आपको कहना था तो आप डाक बंगले में कहते या फिर मुझे फोन कर देते तो मैं इस कार्यक्रम को स्थगित कर देती, लेकिन उद्घाटन स्थल पर यह कहना सही नही हैं यह शासकीय कार्यक्रम है नगरपालिका ने आमंत्रित किया है तो वह कहने लगे कि सड़क पूरी नहीं है, मंत्री जी ने कहा कि सड़क अधूरी है पूरी नहीं है गुणवत्ता ठीक नहीं है तो इसकी जांच करा लेंगे नगरपालिका अध्यक्ष को बर्खास्त कर देंगे, एक सप्ताह में जांच कराकर इसमें कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन बल या दबाव न डालें कि आप उद्घाटन न करें। फिर उन्होंने मुर्दाबाद शुरू कर दिया, लेकिन माननीय मंत्री जी की सदाशयता देखिए उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रहे औरों से भी चुप रहने को कहा, मंत्री जी को अपशब्द भी कहे गये। जिस वार्ड में उद्घाटन था वहां की सभासद सरला शुक्ला भी थीं वह भी बहुत मर्माहत हैं।

इसके बाद मंत्री जी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उस जन समूह ने मंत्री जी का भाषण चल रहा था और उन लोगों ने मंत्री जी का पत्थर तोड़ दिया, बैनर जला दिया गया, गेट तोड़ दिया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह इतिहास की पहली घटना है, कार्यकर्ताओं के नाम पर गुण्डे भेजे जाएं, इसी तरह से पूर्व में एक अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण को लेकर उन्हें गन्दी-गन्दी गाली दी गई उसका नतीजा यह हुआ कि वहां एक भी भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिली, इस घटना से पूरे पूर्वांचल के लोग आश्चर्यचकित हैं इस घटना की एफ० आई० आर० की गई, लगतार दबाव पड़ रहा है इसमें एक अपराधी जिसका बैंक डकैती से संबंध था वह भी था, क्या राजनीतिक मूल्यों में यह होगा विपक्ष किसी मामले में मंत्री जी को आमंत्रित करता हो तो उस पर बलपूर्वक शासन से जुड़े जो लोग हैं रोकने की बात करें और अगर न रुकता तो उस पत्थर को, प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तोड़ दिया जाय यह उचित नहीं है।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून विपक्ष या आम नागरिक के लिए है या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का भी है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता है। यह तात्कालिक भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, आपकी दो सूचनाओं पर हस्ताक्षर हैं आप इस पर बोलेंगे या दूसरी सूचना पर बोलेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कल यह सूचना लगी थी नियम–56 में। कल सदन में व्यवधान हो जाने के कारण आज के लिए स्थगित कर दी थी। जो आज लगी है वह तो है ही। मैं दूसरी सूचना को वापस ले लूंगा और इस पर बोलूंगा। पहले अम्बिका जी को बोल लेने दें, फिर मैं बोलूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जिस घटना का जिक्र कार्य-स्थगन प्रस्ताव.....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका जी, आपकी भी दो सूचनाओं पर हस्ताक्षर हैं । आप किस पर बोलना चाहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस पर आपने अनुमति दे दी है मैं इस पर बोल लूं । दूसरी पर देखा जायेगा ।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी वह 56 में ली गयी है कि नहीं बता दें । यह सरकार महिला विरोधी है, बोलने नहीं देती है ।

श्री अधिष्ठाता-

आपका नियम-56 में नाम है । जब आपका नाम आयेगा तो बुला लिया जायेगा ।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं एक शेर के साथ कहना चाहूंगा-

"कहने को दिल की बात को जिन्हें ढूंढते थे हम,
महफिल में आ गये वह अपने नसीब से ।"

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी संयोग से बैठे हैं, आज उनके सहयोग दल के मंत्रीगण अपमानित हो रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भले ही पीड़ा को महसूस न करें लेकिन एक संदेश सारे प्रदेश में जाता है कि यह सरकार अपने सहयोगी दल के दूसरे मंत्रियों के सम्मान की हिफाजत नहीं कर सकती है तो इसका जो संवैधानिक दायित्व है उसके पाये भरभरा कर गिर रहे हैं । आपके मंत्री उद्घाटन करते हैं, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है, मैं उसे प्रमाणित करके पीठ को प्रेषित कर रहा हूं, तो उनका जो उद्घाटन का पत्थर था, उसको पुलिस की मौजूदगी में गिरा दिया और यह सब इनकी शह पर हो रहा है ।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कृत्यों को करने वालों का विरोध होता संभवतः इसमें एफ० आई० आर० दर्ज हो गयी है, लेकिन कोतवाल के साथ बैठकर चाय पी रहे थे और धौंस जमा रहे थे तो कानून का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है । इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का केवल इस कारण से सम्मान किया जाय कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो यह उचित नहीं है । यह फासिस्ट मनोवृत्ति को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं ।

मान्यवर, इस फासिस्ट को बढ़ावा देने का, मान्यता देने का जो काम माननीय मुख्य मंत्री जी, और आपके इस स्तर से हो रहा है जिसमें अपने मंत्री को भी अपमानित करने से आप रोकने का काम उन लोगों को नहीं कर रहे हैं । यह घातक प्रवृत्ति है । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आपने अंकुश लगाने की घोषणा नहीं की तो थानों में किस विश्वास के साथ लोग एफ० आई० आर० दर्ज कराने का काम करेंगे । माननीय जगदम्बिका पाल व्यक्तिगत घटना से जुड़े होने के कारण मर्माहत हैं । सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी इस तरह के कार्यक्रम हों .उनके शिलान्यास में इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो किसी भी स्थिति में, कानून व्यवस्था की दृष्टि से और संवैधानिक नियमों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पालन की दृष्टि से इस सरकार के बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। मान्यवर, इस गम्भीर प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूं।

* श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, 29 अप्रैल, 2000 को जनपद बस्ती में हुए कार्यक्रम के संबंध में माननीय पाल साहब ने जो अपनी व्यथा इस सदन में कही इन सारी घटना के बाद पाल जी के समक्ष, खाद्य और रसद मंत्री जी के समक्ष, पुलिस बल के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुण्डों ने जिस तरह से गुंडई की, पुलिस मूकदर्शक बनी रही, मात्र इसलिए उन पर कार्यवाही नहीं होगी कि वे लोग सत्तापक्ष से जुड़े हुए हैं। खाद्य एवं रसद मंत्री जी सड़क का उद्घाटन करने गये थे वहां की नगरपालिका की चेयरमैन पाल साहब की धर्मपत्नी हैं इससे यह संदेश जाता है कि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उनके द्वारा विकास कार्यों के शिलान्यास या उद्घाटन उनके लिए करने की बात तो दूर लगती है किसी भी सरकारी आयोजन में विपक्षी विधायक का शरीक होना खतरे से खाली नहीं है इससे बड़ी विस्फोटक स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*श्री रामजग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 29 अप्रैल की, बस्ती शहर की घटना है आवास विकास कालोनी मार्ग जिस पर हमारे इस सदन के सम्मानित साथी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री जगदम्बिका पाल जी ने 10 लाख रुपये भी दिये, सड़क का काम पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार के रसद एवं खाद्य मंत्री माननीय नरेन्द्र सिंह के द्वारा उस सड़क का उद्घाटन हुआ, शिलापट भी लगा है।

यह एक गम्भीर घटना है उत्तर प्रदेश के इतिहास में सत्तापक्ष से जुड़े हुए एक मंत्री के समक्ष जब वह अपना उद्घाटन कर रहे थे सभा कर रहे थे तो जिस ढंग से उनका शिलापट तोड़ा गया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतंक और गुण्डाराज कायम करने का काम किया। वहां पुलिस मौजूद थी और वह मूकदर्शक बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली घटना है सत्तापक्ष के मंत्री के साथ यह घटना हो सकती है शिलापट तोड़ा जा सकता है बाउण्ड्री गिरायी जा सकती है और जिस तरह से पुलिस मूकदर्शक बनी रही उससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति उजागर होती है आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है यह फासिज्म के रास्ते पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्यकर्ता जिस तरह से फासिस्ट के रास्ते पर जा रहे हैं उसमें विपक्ष के सभी नेतागण, कोई भी क्यों न हो यहां तक कि सत्तापक्ष का मंत्री भी आज सुरक्षित नहीं है।

ऐसी हालत में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, तात्कालिक है और माननीय जगदम्बिका पाल जिनके बारे में पूरा प्रदेश जानता है सदन के सभी साथी जानते हैं जिन्होंने किसी को कोई शब्द नहीं कहा जिससे किसी को कोई ठेस पहुंची हो, हमे सदन के नेता मौजूद हैं और यह आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर इसमें कुछ कड़ाई नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता जो यह महसूस भी कर रही है कि आज कानून का राज नहीं है जंगल का राज है, माफ नहीं करेगी। इसलिए जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं चाहता हूं कि सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने कार्य-स्थगन की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, घटना 29 अप्रैल, 2000 की है जिसका जिक्र माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल जी ने अभी पूर्व में किया है । मान्यवर, यह बहुत दुख की बात है और इस घटना से उन लोगों को एक सबक लेना चाहिए जो यह कहते हैं कि उनकी आस्था लोकतंत्र में है, जमहूरियत में है तो जिनकी आस्था लोकतंत्र में है वह इस बात को कबूल करने में हिचकिचायेंगे नहीं कि यदि जनतंत्र की व्यवस्था में असहमति की गुंजाइश नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता । असहमति का सम्मान नहीं करने वाले लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं हो सकते ।

मान्यवर, माननीय पाल साहब की पत्नी बस्ती नगरपालिका की अध्यक्ष हैं । उन्होंने घटना का विवरण प्रस्तुत किया है । उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह जी वहां गये थे और वहां आवास विकास कालोनी की एक प्रमुख सड़क जिसको नगरपालिका परिषद् ने बनवाई थी उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी को करना था । इस उद्घाटन समारोह में तथा उसके बाद आयोजित जनसभा में माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी तथा उनकी पत्नी श्रीमती स्नेह लता पाल और भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सभासद श्रीमती शुक्ला भी उपस्थित थीं माननीय मंत्री जी उपस्थित थे, पुलिस वहां मौजूद थी और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी वहां थे । सभास्थल के बगल में माननीय मंत्री जी के नाम का जो शिलापट, मार्ग के उद्घाटन का लगा हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में, अराजक तत्वों ने उस शिलापट को ध्वस्त करने का काम किया तथा सभा में गालीगलौज किया । आज प्रदेश की सरकार को इस घटना के संबंध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यह कैसी बिडम्बना है कि आज इस सरकार को चलाने वाले एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल के वरिष्ठ मंत्री, के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने विघ्न पैदा करती है । किसान मजदूर बहुजन समाज पार्टी जो सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी दल है, उसके अध्यक्ष माननीय चौधरी नरेन्द्र सिंह जी जो प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवधान उपस्थित करें, इससे बड़ी चिन्ताजनक बात और क्या हो सकती है । माननीय पाल साहब ने मुझे बताया कि जिन लोगों ने शिलापट तोड़ा और सभा में विघ्न पैदा किया, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराया है, उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी न कर, उल्टे स्थानीय प्रशासन माननीय श्री जगदम्बिका पाल और उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने की साजिश कर रहा है । इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? माननीय पाल साहब इस सदन के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य हैं, वह आज मर्माहत हैं ।

मैं अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि इस घटना में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने जो एफ० आई० आर० दर्ज कराया है, उसमें जो वांछित अभियुक्त हैं, प्रदेश की सरकार तत्काल उनकी गिरफ्तारी करावे । इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की समस्त कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह अत्यन्त निहायत संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं । विशेष रूप से इस घटना की गम्भीरता को समझते हुए वह इसके निदान के लिए कोई कदम उठायें अन्यथा हम एक वरिष्ठ साथी का किया हुआ अपमान इतनी सहजता से नहीं लेंगे । यदि इस पर सरकार मौन बैठी रही और हमें न्याय नहीं मिला तो न्याय पाने के लिए हम लोकतंत्र में हरसम्भव प्रयत्न करेंगे । इसमें 3-4 बिन्दु हैं, इसकी ग्राह्यता के सन्दर्भ में मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । इसमें 3-4 बातों को मद्देनजर रखा जाय । मंत्री जी कहीं रास्ते में नहीं जा रहे थे कि उनके साथ घटना हो गई । पूर्व घोषित कार्यक्रम था, समय निश्चित था, तारीख निश्चित थी और स्थल निश्चित था । प्रशासन को पूर्व सूचना भी थी, पुलिस की उपस्थिति भी थी । जब एक पूर्व घोषित कार्यक्रम था और पूरी तरह प्रशासन के लोग मौजूद हैं तो उन अराजक तत्वों को यह नग्न तांडव करने का अवसर किसने प्रदान किया ।

इस समाज में सदैव नारी का सम्मान होता है, वह इतने बड़े बहादुर लोग थे, जिनको मैं कायर और बुजदिल कहता हूं, नगरपालिका की अध्यक्ष महिला, कोई मनोनीत महिला नहीं है, बल्कि निर्वाचित महिला है और विपरीत परिस्थितियों में चुनकर आयी हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, एक नगरपालिका की सभासद हैं और भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित महिला सभासद हैं, वह भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं, कार्यक्रम में उनकी भागीदारी थी । एक निर्वाचित अध्यक्ष, एक महिला सभासद और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, इन सबके बावजूद भी एक नग्न तांडव वहां हुआ । आप देखें, यह चित्र कि कौन-कौन अराजक तत्व हैं, किसने इसको तोड़ा है ? जब एक बार उद्घाटन हो गया तो वह सरकार की सम्पत्ति हो गई । उसके बाद उसको ध्वस्त करने का अधिकार किसी को नहीं **था**, चाहे वह सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी ही क्यों न हो ? क्या किया आपने और क्या किया स्थानीय प्रशासन ने, कैसे गुण्डे घूम रहे हैं ।

आप कुछ भी जवाब दे दीजिये, लेकिन गलत परम्परा को मत चलाइये वरना जनप्रतिनिधियों का सम्मान सदा-सर्वदा के लिए खत्म हो जायेगा । नामजद एफ० आई० आर० मौजूद है, क्यों गिरफ्तार नहीं किया, क्यों न आप पर शक किया जाय । यह सदन के एक सदस्य से जुड़ा प्रश्न है, अरसे तक मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, हम उन्हें मानते हैं कि मुख्य मंत्री रहे हैं, पूर्वांचल के मजदूरों की आवाज उठाते रहे हैं । आज उन्होंने सदाशयता दिखायी कि एक कैबिनेट मंत्री को ले जाकर कार्यक्रम करा रहे थे । आपने उनको इतना अधिकार दे दिया कि वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर नारेबाजी करें, अभद्रता करेंगे, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे ?

मान्यवर, यह जितना चिन्तनीय विषय है, उतना ही निन्दनीय विषय है । इसमें सरकार बराबर की भागीदार है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायें । यदि उनके राजनीतिक दल के लोग हैं तो ऐसे लोगों से दल मजबूत नहीं हुआ करता है, दल में दाग लगा करता है । आप संगठन के स्तर पर कार्यवाही करें और यह सुनिश्चित करायें कि किसी की हिम्मत न हो । एक महिला जो एक सभासद हैं आपके मंत्री की उपस्थिति में, गुण्डे अराजकता करते हैं तो उनकी जगह जेल में है, समाज में नहीं । अगर कार्यवाही नहीं करायेंगे तो हम पूरी विनम्रता से कह देते हैं कि हम लोकतांत्रिक ढंग से उसके खिलाफ हर सम्भव कदम उठायेंगे ।

* श्री समरपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी मैं दोहराना नहीं चाहता । मैं बहुत संक्षेप में केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय पाल साहब के साथ जो घटना हुई, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । मान्यवर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती । इससे सत्तारूढ़ दल की मानसिकता का पता चलता है । पूरे प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और अब इनका दुस्साहस इतना बढ़ता जा रहा है माननीय पाल साहब इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वहां पर माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में उन्होंने शिलापट तोड़ दिया, बैनर फाड़ डाले और माननीय पाल साहब के जो कार्यकर्ता थे, उनको दौड़ा-दौड़ा कर मारा । वहां पर पुलिस बल मौजूद था, सी० ओ० मौजूद थे, उन लोगों ने सारे कार्यक्रम को तहस-नहस कर दिया और पुलिस बल खड़ा देखता रहा क्योंकि इन लोगों को सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था । वहां पर सी० ओ० और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आये दिन इस तरह की चर्चा होती है कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर, इस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विरोधी दल के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। मान्यवर, इस सदन में कई बार ऐसी घटनाओं पर चर्चा हो चुकी है। यह घटना उसी की एक कड़ी है।

मान्यवर, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जब पाल साहब धरने पर बैठे तो जाकर कहीं एफ० आई० आर० लिखी गयी। एफ० आई० आर० लिख तो ली गयी लेकिन सरकार के दबाव के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। भाजपा फासिस्टवादी पार्टी है, यह लोकतंत्र को नहीं देखना चाहती है विरोध पक्ष को नहीं देखना चाहती है और विरोध पक्ष का दमन करना चाहती है। विरोध पक्ष के लोगों को मरने, पिटवाने और उनकी हत्या करवाने की साजिश करवा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उनकी मौजूदगी में शिलापट तोड़ दिया गया। जिनके खिलाफ एफ० आई० आर० लिखायी गयी वह खुले आम घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया नहीं गया। यह घटना अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की है इसलिए सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें और पीठ से निर्देश दें कि सरकार कार्यवाही करे ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगदम्बिका पाल और अन्य माननीय नेताओं ने गम्भीर प्रकरण की ओर नियम 56 के माध्यम से इस घटना को रखा। हम लोग प्रति दिन सदन में कहते हैं कि यह मौजूदा भाजपा सरकार फासिस्ट सरकार है। यह दूसरी पार्टी के नेताओं का सम्मान करने की बात छोड़ दीजिए अपनी पार्टी, अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों का सम्मान नहीं करती है। वैसे भी बेचारे सहयोगी दलों के मंत्री नम्बर–2 के मंत्री हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो शिलापट लगे हैं उनमें भी जितने भाजपा के मंत्री हैं उनके शिलापट आगे हैं और सहयोगी दलों के नामों के शिलापट बाद में हैं।

श्री हुकुम सिंह–

जरा आगे देखिये कि किसके नाम हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

8वे नम्बर से दूसरे सहयोगी दलों के मंत्रियों के नाम हैं। यह भाजपा के लोग हिटलर के बंशज हैं और स्वास्तिक इनका निशान है जो हिटलर का निशान था।

एक आवाज–

कुंवर साहब पार्टी में नम्बर 2 के सदस्य हैं इसीलिए पीछे बैठाये गये हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हम लोग इस हाउस में बराबर यह कहते हैं कि आर० एस० एस० के लोग यह कुकृत्य करा रहे हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि आर० एस० एस० एक ऐसी संस्था है जिसका इतिहास है। लेकिन जहां पर एक पूर्व घोषित कार्यक्रम में जिसमें नगर महापालिका के अध्यक्ष मौजूद थे और भाजपा के सहयोगी दल के मंत्री मौजूद थे वहां न केवल मंत्री की मौजूदगी में शिलापट तोड़ा गया बल्कि वहां पर ऐसा कृत्य किया गया जिसको सदन में बताया नहीं जा सकता है। इनकी पुलिस मूकदर्शक रही। हम लोग बराबर सदन में कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है तो संसदीय कार्य मंत्री हर मामले में कहते हैं, सरकारी गवाह की तरह कि हमारी सरकार कानून का राज्य स्थापित कर रही है। अगर आपका यही कानून का राज्य है तो यह कानून का राज्य आपको मुबारक।

जिन लोगों ने यह कार्य किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । माननीय खाद्य मंत्री इतने मर्माहत हैं कि वह सदन में आये तो थे लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं क्योंकि यहां इस घटना पर चर्चा हो रही है ।

श्री रामजग–

मंत्री जी अस्पताल गये हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अभी इनके जितने सहयोगी दल हैं सबका ब्लड प्रेशर हाई होना है । मैं मान्यवर, मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत कार्य स्थगन पर हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा रखी मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । यह फासिस्टवादी सरकार है जिसमें माननीय चौधरी नरेन्द्र सिंह जी भी शामिल हो गये किसी कारणवश । ऐसे योग्य और वरिष्ठ लोग जो प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं ऐसे लोगों ने भाजपा को सहयोग क्यों दिया यह मैं नहीं जानता ।

श्रीमन्, भाजपा यह कार्य कर रही है जो हिटलर ने किये थे । मान्यवर, फासिस्टवाद की जो परिभाषा एक महान विद्वान ने की है वह यह है कि फासिस्टवादी येनकेन प्रकारेण पहले समर्थन लेकर और उससे शक्ति अर्जित कर लेते हैं और फिर अपने सहयोगियों को नष्ट कर देते हैं और अकेले अपने को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं । यही सारा काम भाजपा कर रही है और इनके सहयोग से यह हो रहा है और भाजपा की सरकार प्रदेश में कानून का नंगा नाच कर रही है ।

श्रीमन्, चौधरी नरेन्द्र सिंह उद्घाटन करने गये थे माननीय जगदम्बिका पाल जी ने उनको आमंत्रित किया था । उद्घाटन करते समय पाल साहब वहां पर मौजूद थे । जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है वहां पर पुलिस मौजूद थी और उद्घाटन के बाद पुलिस की मौजूदगी में वह शिलापट तोड़ दिया जाता है । भाजपा के लोग ऐसा जघन्य अपराध करते हैं जिसका उदाहरण शायद मिले । भाजपा की एक सभासद स्वयं कहती हैं अपने पत्र में कहा है । मैं आपके पास निर्णय लेने के पहले सहायता के लिए भेज दूंगा । श्रीमती सरला शुक्ला जी, सभासद, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि–"भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेता बस्ती शहर के विकास के शत्रु हैं और निर्माण के स्थान पर अनावश्यक विध्वंश कर विकास की गति को बाधित करना चाहते हैं जिसे बस्ती शहर और आवास विकास कालोनी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ।" श्रीमन्, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार फासिस्टवादी तो है ही, साथ ही साथ सारे प्रदेश को ऐसी मान्यताओं और ऐसे मूल्यों की तरफ ले जा रही है जिसकी तरफ हम लोगों का देखना भी अनुचित है । निरन्तर प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता चला जा रहा है ।

मैं चाहूंगा कि इनके सहयोगी दल जिसमें माननीय चौधरी साहब भी हैं उनको तुरन्त ऐसी पार्टी को सहयोग देना बन्द कर देना चाहिए । जिनके सहयोग से यह पार्टी प्रदेशवासियों को गर्त में डालने का काम कर रही है और जिसने सारे प्रदेश के विकास को रोक रखा है, अपमानित कर रखा है । श्रीमन्, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर बल देते हुए सदन की सारी कार्यवाही रोककर उस पर चर्चा करायी जाये । सरला शुक्ला जी के पत्र तथा तमाम फोटोज को जिसमें चौधरी साहब को उद्घाटन करते दिखायी दे रहे हैं जिसमें पुलिस गश्त करते हुए दिख रही है और शिलापट तोड़ते हुए दिखायी दे रहा है, वह श्रीमन्, आपके पास भेज रहा हूं और मांग करता हूं कि इन अपराधियों के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर तुरन्त कार्यवाही करके उनको जेल भेजा जाये ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस गम्भीर घटना की ओर माननीय पाल साहब ने कल भी जानकारी दी थी और आज भी उल्लेख किया है। मैं 3 भागों में बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। जहां तक घटना के तथ्यों का उल्लेख है कि इसमें क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही प्रस्तावित है इसके साथ-साथ मान्यवर, 3-4 सम्मानित सदस्यों ने इस सारे घटनाक्रम को लेकर के पार्टी के ऊपर आक्षेप किया, फासिस्टवादी ताकतें, हिटलरवादी ताकतें आदि से अलंकृत किया। माननीय समरपाल सिंह जी ने भी पार्टी के बारे में कहा उनकी पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती। माननीय रेवती रमण सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातें कहीं।

आज मुझे नेता प्रतिपक्ष का एक दूसरा ही स्वरूप दिखायी दिया। मुझे नहीं पता था कि फासिस्टवाद के ऊपर नेता प्रतिपक्ष ने इतना दर्शन पढ़ रखा है कि फासिस्टवादी पार्टी और हिटलरवादी पार्टी का क्या स्वरूप होता है उसका उल्लेख किया। मुझे जिज्ञासा है जानकारी दीजिएगा कि 1989-90 में इस पार्टी के सहयोग से मुख्य मंत्री पद मिला था।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जनता दल का स्पष्ट बहुमत था उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं थी।

श्री हुकुम सिंह–

शामिल तो हम थे ही नहीं और न कभी होंगे। इस पार्टी की कृपा से मुख्य मंत्री थे और जब इस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था तब प्रमोद जी की कृपा हुई थी तब फिर मुख्य मंत्री बने। आज आपको पता चला कि यह फासिस्टवादी ताकतें हैं। जब सरकार बनानी होती है तब यह फासिस्टवादी नहीं दिखायी देते हैं। अकेला मात्र यह दल ऐसा है जहां गांव से लेकर मण्डल स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक निर्वाचित होने के बाद सारा संगठन बनता है, अध्यक्ष बनता है। अगर लोकतंत्र में विश्वास करने वाला दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। यहां दल कौन है ? एक व्यक्ति है वही दल है। वही बिना दल है इसलिए आपका हाल दलदल हो रहा है कभी उनसे बाहर आप सोच भी नहीं सकते आप कठपुतली हैं। जहां डोर हिलाई जाएगी हिलते रहेंगे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आपने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उसमें अदला बदली की बात है। मैंने कल भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की थी और आज भी प्राप्त की है। यह जो सड़क बनी है वहां पर जो सभासद हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी की हैं ऐसा नहीं है कि यह अपोजीसन की समस्या हो। दूसरा मामला है जो लोग उसका विरोध करने वाले थे उनका कहना यह था कि आगे कालोनी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए उसका उद्घाटन नहीं करने देंगे। इस पर वह 30–35 आदमी आ गये वह नारे बाजी करने लगे जिन्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाये जहां तक उद्घाटन और शिलापट का प्रश्न है दो कार्यक्रम थे एक कार्यक्रम उद्घाटन का था दूसरा कार्यक्रम जो आपने स्वागत समारोह का रखा था नगर पालिका परिषद् में वह कार्यक्रम था। जो उद्घाटन कार्यक्रम था वह सम्पन्न हुआ शांति पूर्वक सम्पन्न हुआ जब मंत्री जी उद्घाटन करने के बाद चले गये तब अवांछनीय तत्वों ने शिलापट को नुकसान पहुंचाया। बाद में पुलिस बल ने उनको खदेड़ दिया एवं शिलापट की मरम्मत कर दी एवं उन लोगों के खिलाफ़ भारतीय दण्ड संहिता के 427, 143 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं जो मुकदमा कायम हुआ है उसके अन्तर्गत निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष की बात नहीं है जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर नेता प्रतिपक्ष, कुंवर रेवती रमण सिंह, सर्वश्री प्रमोद कुमार, सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, अम्बिका चौधरी, रामजग, जगदम्बिका पाल, समर पाल सिंह, राजेन्द्र यादव और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के मैं इसे नियम 56 में अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की शेष सूचनाओं को अगले दिन लिये जाने के आग्रह पर पीठ द्वारा दी गयी व्यवस्था

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि नियम 56 की सूचनाएं 2.45 के बाद न ली जाएं बाद की सूचनाएं कल सुन ली जाएं क्योंकि रेलवे बोर्ड के अधिकारी बुलाए गये थे वह आ गये हैं अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि उसमें मैं भी उपस्थित रहूं। आज शेष एजेंडा शुरू हो जाए। कई विभागों के बजट भी हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरा नाम बुला लिया गया है।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने आग्रह कर लिया कि आज की नियम 56 की शेष सूचनाएं कल ले ली जायं और आज जब यह प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आया है तो जो नियम-56 के अन्तर्गत शेष सूचनाएं हैं उनको कल इसी क्रम में यथावत् ले लिया जाय नोटिस न लगानी पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था आप दे दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ऐसा पहले भी हुआ है अतः कल इन सूचनाओं को इसी क्रम में ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

क्रम यही रहेगा केवल इतना है कि सूचना दिलवा दीजिएगा।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, हमारा बहुत गम्भीर मामला है। कल पांचवे में ले लिया जाय तभी हम छोड़ेंगे आपको।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना पांचवे स्थान पर है उसे उसी क्रम में सुन लिया जायगा।

शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी हैं वे हैं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री रामतेज यादव, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री विजय पाल सिंह, श्री विनोद मणि, श्री राम सिंह सैनी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री भोलाशंकर मौर्य।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विद्यालय, 2000

* महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, आज से पूर्व जब कि प्राविधिक शिक्षा से छात्र वर्ग वंचित रहता था इसी कारण इसी विशेष उद्देश्य को लेकर पिछले पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 37 इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की गयी है । चूंकि परीक्षा की तिथियों तथा सैलेवस में काफी अन्तर रहने से जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं इसी कारण एकरूपता लाने के उद्देश्य मे प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है जिस पर विचार करके इसे पारित किया जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।)

*गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर इंजीनियरिंग की शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रयास किये गये हैं । मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि तीन वर्ष पहले, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहां पर इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश लगभग 2000 का था । हमारे प्रदेश के छात्रों को मजबूरन दूसरे प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में जाना पड़ता था। मुझे भी प्राविधिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला, मैंने भी इस पर विस्तार से चर्चा की कि क्यों हमारे उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे प्रदेशों में मजबूर होकर जाना पड़ता है ।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या केवल 12 थी और जिसकी क्षमता लगभग 2 हजार की थी । इसकी जानकारी प्राप्त करके उत्तर प्रदेश के कई हजारों छात्र दूसरे प्रदेशों में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और लगभग प्रदेश का 100–150 करोड़ दूसरे प्रदेशों में चला जा रहा है । उत्तर प्रदेश के अन्दर निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया गया जैसा कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है पिछले 3 वर्ष के अन्दर 37 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया गया इसके फलस्वरूप आज प्रवेश की क्षमता 10 हजार से ज्यादा हो गयी है । अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और प्राविधिक शिक्षा वह प्रदेश के अन्दर ही प्राप्त करेंगे । अभी तक जितने प्राइवेट इंजीनियरिग कालेज थे वह विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध रखे गये थे जिससे सामंजस्य में कठिनाई हो रही थी कि कैसे परीक्षायें हों । इसलिए उस दृष्टि से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है जिससे प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश तरक्की कर सके ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री रामप्रकाश गुप्त जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्ष के अन्दर, 1987 से प्रदेश के अन्दर कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला गया था, 4 विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया–राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाहाबाद में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में तथा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में । यह एक सराहनीय कार्य है । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह इसको पारित करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह बात सही है कि निजी संस्थाओं में टेक्निकल एजूकेशन की जो शिक्षा है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर एक कुकुरमुत्ते जैसी बाढ़ आ गयी है और इनको मान्यता अखिल भारतीय तकनीकी संघ द्वारा दी जाती है । लेकिन ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि निजी क्षेत्र में जो यह संस्थायें काम कर रही हैं वहां पर मानकों के अनुरूप व्यवस्था नहीं है और न ही कोई निर्धारित शुल्क है । उससे अधिक शुल्क छात्रावास के नाम पर या किसी अन्य मद के नाम पर छात्रों से वसूल किया जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम इतने अधिक तकनीकी संस्थायें खोल दें कि पान और चाय की दुकान पर भी इंजीनियर बैठा हो तो यह शिक्षा की गरिमा को गिराने का काम होगा । इसलिए आवश्यक है कि आप प्रदेश में इस प्रकार की योजनायें भी बनायें कि अगले वर्षों में कितने प्रशिक्षित अभियन्ताओं/तकनीकी लोगों की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप यदि इन तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को खोलने की अनुमति दें जिनसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स तथा कितने डिप्लोमा इंजीनियर निकलेंगे तो मैं समझता हूं यदि अधिक तकनीकी हैण्ड हो जायेंगे तो रिर्सोसेज जो लगता है उसे दूसरे विकास के काम में लगा सकेंगे । इसलिए मंत्री जी उत्तर देते समय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की योजना क्या है और आने वाले अगले वर्षों में कितने प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी । मान्यवर, प्रदेश में निजी कारपोरेट क्षेत्र में और सरकारी सेवाओं में कितने प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी इस संबंध में यदि इनकी कोई योजना है तो उसके अनुरूप हम निजी क्षेत्र में तकनीकी संस्थायें खोलेंगे तो नियोजित विकास हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं श्री शाक्य जी के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी अपने कुछ विचार व्यक्त किये और कहा कि इस प्रदेश को हम आगे ले जाना चाहते हैं तथा प्रदेश में जो इंजीनियर्स की समस्या है उसे हल करने के लिए यह विधेयक लाये हैं । मान्यवर, इसमें इनकी नीयत ठीक नहीं है और उनका स्वार्थ इसमें निहित है । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने मेडिकल कालेजों के बारे में कहा । तो मैं मेडिकल कालेजों के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 में 453 रिक्तियां थीं जिसमें अनुसूचित जाति के मात्र 13 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । तो आप देखें इसमें कितनी बड़ी साजिश है कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग की भर्ती में कितनी बड़ी अनियमितता की जा रही है । इसलिए यदि किसी तरह इंजीनियरिंग कालेज खुलेंगे और खोल करके कुछ विशेष वर्ग को लाभ पहुंचायेंगे तो जमीनी स्तर के जो अशिक्षित लोग हैं, शोषित और पिछड़े लोग जो हैं उनको लाभ नहीं होने वाला है । इसलिए मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति आप करना चाहते हैं वह होने वाली नहीं है । इसीलिए निजी क्षेत्रों में आप अपना जाल फैला रहे हैं और उसमें मेरी नजर में आप साम्प्रदायिक संगठनों को लाभ पहुंचायेंगे तथा शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई अधिकार और लाभ नहीं मिलने वाला है । इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पीठासीन हुए ।)

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, शाक्य साहब ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसमें ताकत इसलिए है कि अभी शाक्य साहब ने एक बड़ी सूची पढ़ दी कि इतने लोगों में अनुसूचित जाति और पिछड़ों का प्रतिशत कितना हुआ। यह सही है कि इसके माध्यम से ये ऐसी व्यवस्था ला देना चाहते हैं जिससे फासिस्टवादी, हिटलरवादी ताकतों को प्रोत्साहन मिले जो कमजोर तबके के दबे कुचले लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कहीं से न होने पावे इसलिए माननीय मंत्री जी ने बहुत ही खूबसूरती से ऐसा मामला लाना चाहते हैं। यह ज्यादा दिन नहीं चल पायेगा इसका पर्दाफाश होने वाला है। संशोधन के माध्यम से शाक्य साहब ने इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। इस सरकार को होश आ जाय लेकिन यह अपने व्यूहरचना में खुद फंसते चले जा रहे हैं और इससे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है न निकल पायें। इनमें पानी तो है नहीं। मंत्री जी ने अपने विचार बड़ी खूबसूरती के साथ रखे। इस तरह से बात करने से कोई फायदा नहीं है। अनुसूचित जाति को, पिछड़े लोगों को, कमजोर लोगों को उठाकर इन जगहों पर लाने की कोशिश की जाती तो कोई बात थी। मुट्ठी भर लोगों को पोषित करना चाहते हैं। शाक्य जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। "जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"। विरोध करना बड़ा आसान काम है। यदि कहीं कुछ अध्ययन न किया हो तो फासिसवादी, दलित, दबे, कुचले, शोषित इतने शब्द कह दीजिये, हो गया काम, छप गया। माननीय अधिष्ठाता जी, राम औतार शाक्य जी स्वयं विद्वान सदस्य हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सरकार की उन्हें तारीफ करनी चाहिए थी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी ने एक विधेयक रखा उसके मूल के कारण से मान्यवर पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी ने विस्तार से बात रखी, इसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था। प्रदेश में इंजीनियरिंग में 10 हजार से अधिक लोग शिक्षा पा सकें इसके लिये यह अभूतपूर्व काम किया गया है। तमाम जो विसंगतियां थीं उनको दूर करने लिये प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाया जायेगा इसके लिये उन्हें साधुवाद देना चाहिए था। साधुवाद दिया नहीं बस कह दिया कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। इतनी जानकारी होनी चाहिए थी कि जो संयुक्त परीक्षा होती है उसके अन्तर्गत जहां पहले सीटें बहुत कम थीं निर्धारित फीस पर बढ़ने के लिये जिसके बारे में आपने जिक्र किया दबे, कुचले लोगों के बारे में।

इसी कारण से यह विश्वविद्यालय बनाया गया है। इंजीनियरिंग शिक्षा के लिये अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो आपने कहा है उसको वापस ले लेंगे और यह जो पुनीत काम किया गया है इसके लिये कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं केशो मेहरा जी का आभारी हूं जो उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। सचमुच विरोध करना बहुत आसान है। सरकार द्वारा यह जो प्रस्ताव लाया गया है उसका विरोध करना सचमुच आसान है जैसा उन्होंने इंगित किया है। मैं समझता हूं और यह इसलिये आसान है। अपने आप में उस प्रस्ताव को देखने से लगता था कि उसकी मंशा क्या होगी। और माननीय शाक्य जी द्वारा तथ्य रखे गये और संशोधन पर तर्क प्रस्तुत किये, कारण बताये, संशोधन रखने के क्या कारण है उसमें अनुसूचित जाति,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का जिक्र किया उससे स्पष्ट हो गया कि विरोध करना क्यों आसान हो गया आधा वाक्य जो छोड़ दिया गया उसको पूरा करना चाहता हूं आप जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलना कठिन है इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए हमारी आसानी का जिक्र करना चाहिए था लेकिन इस कठिनाई को नहीं रखा, माननीय शाक्य जी ने यह तो नहीं कहा है कि सदैव के लिए इसको वापस ले लें, अगर कुछ समुचित सुझाव आ सकें और प्रवर समिति अध्ययन कर ले जो जरूरी है, कुछ चीजें जो जानबूझकर छोड़ दी गई हैं ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसके लिए प्रवर समिति के गठन की आवश्यकता है, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि माननीय शाक्य जी के संशोधन को स्वीकार करते हुए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर विचार करें।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

मान्यवर, बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रवेश के संबंध में, मैं बताना चाहती हूं कि आरक्षण का जो नियम है वह प्रवेश परीक्षा में लागू है उसका जो प्रतिशत जिस वर्ग में जो होना चाहिए वह छात्रों को दिया जाता है तो आपकी यह चिन्ता निर्मूल है। इस पर चिन्तन मनन के बाद इसको सदन में प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी शिक्षा में एकरूपता आये सबमें एकरूपता हो, यहां के पढ़े छात्र ए ग्रेड में माने जाएं इस उद्देश्य को लेकर इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव आया है। आप बुद्धिजीवी सदस्य हैं मेरा निवेदन है खासतौर से शाक्य जी से, कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 41 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।

परिभाषायें

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "विद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है;

(ख) "विद्यमान विद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यालय या संस्था से है, जो प्राविधिक शिक्षा प्रदान कर रहा हो और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा चलाया और पोषित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालय का कोई संकाय भी है जो प्राविधिक शिक्षा प्रदान कर रहा हो;

(ग) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(घ) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

(ङ) "प्रधानाचार्य" का तात्पर्य विद्यालय के प्रधान से है, चाहे उसे जिस नाम से जाना जाय, और उसके अन्तर्गत, जहां कोई प्रधानाचार्य न हो, वहां प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति, और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में समयक् रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य, भी है;

(च) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम से है;

(छ) "प्राविधिक शिक्षा" का तात्पर्य अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुविद, प्रबंध, नगर योजना, भेषजी, और व्यवहारिक कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय प्रौद्योगिकीय शिक्षा परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा, घोषित करें ।

(ज) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से है ।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3—(1) लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी ।

(2) कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर एक निगमित निकाय उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा ।

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

4—(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्राविधिक शिक्षा प्रदान विद्यमान विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जायगा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय या संस्था में, प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसी शिक्षा जारी रखने और पूरा करने का हकदार होगा और उसे ऐसा करने की अनुज्ञा भी दी जायगी और पूर्व विश्वविद्यालय ही ऐसे छात्र की, पूर्व विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा और उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा ।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पक्षों के लिए होगा

5—विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में विनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय किसी विद्यालय को अनन्य रूप से महिलाओं के लिए पोषित कर सकती है ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

6—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) प्राविधिक शिक्षा में, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना और उनका उन्नयन करना और उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से प्राविधिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना;

(ख) किसी विद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी विद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे विद्यालयों का मार्ग दर्शन करना और उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(ग) उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना और प्रदान करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें प्रदान करना और सम्प्रदान करना,–

(एक) जिन्होंने किसी विद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या

(दो) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो ;

(ङ) विनियमों में अधिकथित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(च) विनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(छ) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों द्वारा नियत किये जायें ;

(ज) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के लिए उपबन्ध करना ;

(झ) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना,–

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर या तत्समान अन्य संगठनों का पोषण ;

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण ; और

(तीन) खेलों और खेल-कूद क्लबों ;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ट) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान या सन्दान प्राप्त करना और यथास्थित, वसीयतकर्ता, दानकर्ता या अन्तरक से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत, दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना ;

(ठ) विद्यालयों की सम्बद्धता की शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(ड) अन्य विश्वविद्यालयों या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, सहकार्य या सहयोग करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे व उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों ।

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) वित्त अधिकारी;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

कुलाधिपति

8.—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा । वह अपने-अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायं ।

कुलपति

9.—(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा ;

(ख) अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति ।

(3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(4) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सस्कार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कुलपति की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(5) जहां कुलपति अनुपस्थित, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां प्रति-कुलपति तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर लें।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकता है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय,–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे यह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

10—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,–

(क) विश्वविद्यालय और विद्यालयों के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायें और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) कुलपति कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें विनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्यपरिषद्, को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकती है या उसे पलट सकती है ।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि विनियमों द्वारा निंर्धारित की जायं ।

प्रतिकुलपति

11—(1) कुलपति, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विद्यालयों के आचार्यों में से किसी एक को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है ।

(2) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त यथाविनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थित में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करे ।

वित्त अधिकारी

12––(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके परिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा ।

(2) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का हकदार न होगा ।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखिन कर्तव्य होंगे :––

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो ।

(6) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं ।

कुल सचिव

13––(1) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी, जैसी विहित की जाय ।

(3) कुल सचिव, को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी । वह कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा, और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जायं या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(5) कुल सचिव को विनियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा ।

परीक्षा नियंत्रक

14—(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा ।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जायं या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा । वह किसी विद्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा ।

(7) यदि किसी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा संपादित किया जायगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय ।

अन्य अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य सेवा की निबन्धन और शर्तें

15—इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नियुक्ति के ढंग, सेवा के निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होंगी जैसे विहित की जायं ।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) परीक्षा समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं।

कार्य परिषद् का गठन

17–(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो ;

(ग) कुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय ;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ;

(ङ) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;

(च) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;

(छ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी परिषद् या उसका नाम निर्देशिती ;

(ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति ;

(झ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ख्याति प्राप्त प्रोद्योगिकीविद् ;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नाम-निर्दिष्ट विद्यालयों के दो प्राचार्य।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(3) खण्ड (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट होने और सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त, किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा में "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी है।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

18.—(1) कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;

(ग) कुलपति की परिलब्धियों और सेवा के निबंधनों और शर्तों की संस्तुति करना ;

(घ) शैक्षिक कार्यक्रमों को अनुमोदित करना ;

(ङ) विनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना ;

(च) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना ;

(ज) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बौधिक सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना ;

(झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना ;

(ञ) ऐसी समितियां नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपेक्षित हो ;

(ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की परिलब्धियां और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें अवधारित करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों का संचालन प्राधिकृत करना ;

(ड) इस अधिनियम या विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना ।

(2) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत की जाय ।

(3) कार्य परिषद् के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा विहित किया जाय ।

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यपरिषद, बंधक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण पट्टे के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अंतरण करेगी और न भारत राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की आशा के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(5) कार्यपरिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यया उपगत नहीं करेगी ।

(6) कार्यपरिषद्, विनियमों में निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति की अपनी ऐसी कोई शक्ति जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है ।

विद्या परिषद्

18—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं और वह विद्या संबंधी समस्त विषयों पर, कार्यपरिषद् को सलाह दे सकती है।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति	...	अध्यक्ष
(ख) प्रतिकुलपति	...	सदस्य
(ग) विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद् के सदस्य न हों ;	...	सदस्य
(घ) रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष ;	...	सदस्य
(ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट उक्त संस्थान् का एक विभागाध्यक्ष	...	सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी ।

वित्त समिति

20—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति	...	अध्यक्ष
(ख) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	...	सदस्य
(ग) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव	...	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य	...	सदस्य
(ङ) वित्त अधिकारी	...	सदस्य

(2) वित्त समिति कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी । वह, विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुछ आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यया की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आबद्धकर होगी ।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं ।

(4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्यपरिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

परीक्षा समिति

21.—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो विनियमों में यथा उपबंधित रूप से गठित की जायगी ।

(2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :–

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्यापरिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद् को सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की समीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों की परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति, किसी उपसमिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा । यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो ।

(5) इस अधिनियम और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे ।

अन्य प्राधिकारी

22.—(1) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायं ।

अध्याय–5

सम्बद्धता

विद्यालयों की सम्बद्धता

23.—(1) यह धारा विद्यालयों पर लागू होगी ।

(2) कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायं, पूरा करने वाले विद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी विद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी ।

(3) किसी विद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा ।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथाउपबंधित के सिवाय, किसी विद्यालय का प्रबंधतंत्र विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध और नियंत्रण करने केलिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखें तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) प्रत्येक विद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विशिष्टयां प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् या कुलपति मांगे ।

(6) कार्यपरिषद्, प्रत्येक विद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायगी ।

(7) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी विद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(8) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे विद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, विद्यालय के प्रबंधतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से विनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा ।

(9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी विद्यालय का प्रबंधतंत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो कुलाधिपति, प्रबंधतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा ।

प्रबन्धतंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

24—कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा घोषित विद्यालय से भिन्न) किसी विद्यालय के प्रबंधतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरहित होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे विद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम केलिए कोई पारिश्रमिक या ऐसे विद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है ।

स्पष्टीकरण :–पद "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 17 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

निरीक्षण और जांच

25—(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा वह निर्देश दे, किसी विद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है, और विद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे विद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को देगी और प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो विद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा । किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय विद्यालय की ओर से कोई विधिव्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(4) राज्य सरकार विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश दे सकेगी और प्रबंधतंत्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा ।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबंधतंत्र को दी गयी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा ।

(6) तत्पश्चात् कुलपति, ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे ।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय विद्यालय के प्रबन्धतंत्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांग सकेगी ।

संस्थान

26—विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा ।

विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

27—किसी विद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के, सिवाय; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

विद्यालय को अंशदान और दान

28—जहां किसी विद्यालय द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित विद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहा इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा जिसके लिए वह विद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित विद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

अध्याय–छः

विनियम

विनियम कैसे बनाये जायेंगे

29—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे ।

(2) कार्यपरिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई विनियम तब तक नहीं बनोगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार न किया गया हो ।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी ।

विनियम

30—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध, किसी विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और उनके कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना ।

(ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(घ) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन विद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा संबधता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और उनके लिए अर्हतायें और उस प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बनध में ली जाने वाली धनराशि ;

(छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए ली जाने वाली फीस ;

(ज) अधिछात्र वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमको के पद की शर्तें और उनके नियुक्ति की रीति और कर्त्तव्य भी है ;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबनधन और शर्तें ;

(ट) अन्य सभी विषय जो इस अध्यादेश द्वारा विनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे ।

अध्याय–सात

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

शीर्षक प्रतिवेदन

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यपरिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेग़ा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे ।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाय ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ।

लेखा और लेखा परीक्षा

32—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायगी ।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण, कार्यपरिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे । ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्यपरिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

33—(1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या अधिकार संपत्ति की हानि, दुर्व्यय, या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझें तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि; दुर्व्ययय या दुरुपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करें ।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी ।

(4) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय तो अधिभार भू-राजस्व के बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाय; वसूल किया जायगा ।

अध्याय–आठ

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्त करने की रीति

34–(1) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में से सदस्य, यथासंभव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे ।

(2) जहां इस अधिनियम या विनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध किया गया हो वहां चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही जो विहित की जाय ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

35—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसको रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे ।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

36—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी ; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

37—कार्यपरिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो, या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी, और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी ।

कुलाधिपति को निर्देश

38—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधि मान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश,–

(क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्, या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायगा ।

वाद का वर्जन

39—राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

40—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती जो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की, या उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

41—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे :

परन्तु 31 दिसम्बर, 2002 के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 से 41 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा विधेयक पारित किये जाने का प्रश्न रखे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मद संख्या–13 आया नहीं ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 पारित किया जाए ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय'' सम्बन्धी नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

नियम–103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा; श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित तथा श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय''

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य जो चुनाव राज्य सभा और विधान परिषद् का होता है, राज्य सभा की एक महत्वपूर्ण गरिमा है और इसी तरह से विधान परिषद् का जो गठन हुआ उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । हमारे संविधान निर्माताओं ने जब राज्य सभा और विधान परिषद् का गठन किया तो उसे उच्च सदन का दर्जा दिया । इसमें ऐसे लोग जीत आये जो अनुभवी थे, नियम कानून के बारे में जिन्हें जानकारी थी, सामाजिक सेवाओं के बारे में प्रतिबद्धता थी इसलिए इस सदन का गठन हुआ ।

मान्यवर, जो राज्य सभा का चुनाव हुआ उसके बारे में विभिन्न अखबारों में लेख लिये गये उससे विवश होकर मैंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है । मान्यवर, 31 मार्च, 2000 का राष्ट्रीय सहारा में लिखा है कि "विधायकों ने अपने दलों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने पंसदीदा उम्मीदवारों को मत दिया । इसके एवज में उन्हें नोटों की गड्डियां मिलीं और वे घुडबाजार में बिक गये ।''

इसी तरह से ''नवभारत टाइम्स'' में लिखा है ''राज्य सभा के इस अवमूल्यन में राज्य विधान सभाओं के अवमूल्यन की झलक देखी जा सकती है । विधायक क्यों ऐसे व्यक्तियों को वोट देते हैं जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं ? क्योंकि निहित स्वार्थों से उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बड़ी हो गयी है । जब राजनैतिक दल राज्य सभा का उम्मीदवार तय करते समय योग्यता नहीं, दूसरी चीजों को महत्व देने लगे हैं, तो फिर विधायकों से यह उम्मीद कैसे हो सकती है कि वे पार्टी के प्रति वफादार होंगे ? विधायक दल का घोड़ा मंडी में बदलना राजनीतिक अवमूल्यन की एक क्रमिक प्रक्रिया की स्वाभाविक परिणति है ।''

इसी तरह से ''इण्डियन एक्सप्रेस'' में भी जिक्र किया गया । इसमें भी राज्य सभा के चुनाव में जो स्थितियां बनीं और जो उसके आधार पर हुआ उसकी तरफ इशारा किया है । इसी तरह से ''राष्ट्रीय सहारा'' में लिखा है यह 11-4-2000 का है उसमें हेडिंग है ''विधान परिषद् चुनावों में खरीद-फरोख्त पर खुफिया विभाग की नजर'' लोकां०, जनबसपा, कांग्रेस और लोकदल उम्मीदवारों ने वोट जुटाने के लिए दूसरे दलों से सेंधमारी की थी, जिसमें मोटे अनुमान के अनुसार 20 से 22 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ ।''

इसी तरह से विभिन्न अखबारों में लिखा है । ''इण्डियन एक्सप्रेस'' में है–एडवाणी प्रबेजेस ओपेन बैलेन फार राज्य सभा'' राज्य सभा में जो राजनीतिक अवमूल्यन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना चाहिए कि राज्य सभा और विधान परिषद् में अपने पार्टी के लोगों से मतदान कराया जाय । जो देश और विदेश के अन्य नेता हैं उन लोगों ने भी इस चुनाव के बारे में महसूस किया उसके आधार पर सोचने पर विवश हुए ।

इस चुनाव में खुले मतदान की आवश्यकता है । राज्य सभा की कुर्सी पर सही आदमी बिठाने की सोचो यह स्वतंत्र भारत में लिखा है । हमारे संविधान निर्माताओं का मकसद यह था कि राज्य सभा और विधान परिषद् में सही आदमी पहुंचे, अनुच्छेद 80 में यह व्यवस्था की गयी कि राज्य सभा के प्रतिनिधि इस रीति से चुने जायेंगे जो संसद विधि द्वारा निहित करें । मान्यवर, जो हमारी जनता है उसको सामान्य रूप से वोट देने का अधिकार मिला, सदस्य, विधान सभा और सदस्य, लोक सभा का खुला निर्वाचन होता है ।

विधायकों को इनडायरेक्ट निर्वाचन का अधिकार मिला है । विधायक क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षेत्र की जनता ने उनको विधान सभा में निर्वाचित कर के भेजा है । मान्यवर, जब हम वकील करते हैं तो देखते हैं कि वे हमारे पक्ष में कितना आरग्युमेंट कराने वाला है उस आधार पर हम अपने प्रतिनिधि के रूप में वकील चुनने का काम करते हैं । जनता ने हमे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि हम सुख दुख की चर्चा करें उनकी आवाज को विधान सभा में उठायें और उसे अमली जामा पहनाने का काम करें । तो जो इनडायरेक्ट वोट देने का हमें अधिकार है, जनता को यह जानने का अधिकार मिला होना चाहिए कि हम कहां पर मत दे रहे हैं । विधायक अपने आप में अकेले कोई शक्ति नहीं है वह प्रतिनिधि है । तो उसे जानने का अधिकार है जनता को कि हमारा प्रतिनिधि सही वोट का उपयोग करता है या धन्ना सेठों के हाथ में बिकने का काम करता है ।अगर यह खुला मतदान नहीं होगा तो उसको जानकारी नहीं हो पायेगी ।

मान्यवर, इसी दृष्टि से यह प्रस्ताव लाये हैं, यह गौरवमयी विधान सभा है इसने देश को कई प्रधान मंत्री देने का काम किया है, तो जो राजनीति का अवमूल्यन हो रहा है, विधायिका पर आक्षेप लग रहे हैं, राष्ट्रीय सहारा जो चैनल है उसमें उस दिन जो लोग भाग ले रहे थे विनोद दुआ का आ रहा था आइये उत्तर प्रदेश में चलें जहां विधायकों को 10 लाख पहुंच गया है । खुला मतदान न होने के कारण विधायकों पर आक्षेप लगा है ।

हमारा जो राजनीतिक ह्रास होता जा रहा है इसको जो हमारी जनता जिसने मेहनत से हमें यहां निर्वाचित करके भेजने का काम किया हैं, काफी मारधाड़ के बाद और दुखदर्दों को सहने के बाद निर्वाचित करके भेजा है उसको यह जानने का अधिकार मिलना चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधि है वह सही वकालत कर रहा है कि नहीं, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, हमारे द्वारा निर्वाचित होने के बाद धन्नासेठों की वकालत तो नहीं कर रहा है । इसके साथ ही साथ मेरा प्रस्ताव रखने का उद्देश्य यह भी होता है कि इस विधान सभा के करीब 50–60–70 विधायकों ने बिकने का काम किया होगा लेकिन पूरे 425 विधायकों पर उंगली उठने का काम हुआ है, चन्द लोगों के कारण पूरे विधान सभा के सदस्यों के ऊपर उंगली उटाने का काम हुआ है ।

इसलिए मैंने इस सदन के माध्यम से इस देश का नेतृत्व करने के लिए, जिस तरह से विधान सभा की गरिमा रही है उसको बरकरार रखते हुए इस बात को रखा है यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, इस प्रस्ताव को जो 103 में आया है इसको पास करके इसे देश की संसद में भेजना चाहिए कि वह इस तरह की नियमावली बनाये ताकि यह जो प्रतिनिधि हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह जनता के बताये हुए दिशा निर्देश पर चले और जनता को यह मालूम हो कि हमारा जो प्रतिनिधि गया है वह उनकी इच्छाओं के अनुसार मत दे रहा है । ताकि जनता यह आंकलन कर सके जो प्रतिनिधि गया है वह उनकी इच्छा के अनुसार खरा उतरा है या नहीं । इसलिए पहले एक तो इस प्रस्ताव को भेजने का काम करना चाहिए ।

एक बात जरूर है कि इस तरह की शंकाएं की जायेंगी जब यह प्रस्तावं पास हो जायेगा कि उसमें दलों के नेताओं की तानाशाही चलने लगेगी और लोगों की इच्छा अपनी नहीं रह जायेगी तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में कोई विचार करना हो तो कर लिया जाय । खुले मतदान के बाद जब विधायक वोट देते हैं तो उसके आधार पर जो दलबदल विधेयक है वह प्रभाव वाला नहीं है अगर चाहें तो इस बात की व्यवस्था की जा सकती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को आज खुले मन से विचार करें पक्ष और विपक्ष के सारे व्यक्तियों को एक सोच पैदा करके इस सदन में प्रस्ताव को पास किया जाना चाहिए यह देश हित में है, विधायक के हित में है जनप्रतिनिधियों के हित में हैं और साथ ही साथ देश की करोड़ नता के हित में हैं जिसने विधायक बनाकर हमें यहां भेजा है जिसने वोट देकर वोट की वैल्यू बनाकर राज्यसभा और विधान परिषद् में वोट करने के लिए भेजा है ।

मैं विशेष रूप से नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई यहां सरकारी पक्ष से खड़ा होकर यह कहे कि हम इससे सिद्धान्ततः सहमत हैं लेकिन प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता ऐसा न हो, इस विधान सभा की एक गरिमा रही है इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं समस्त सदस्यों से कि इस प्रस्ताव को आप सर्वसम्मति से पास करें, हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ उस जनता को जिसके बल पर हम यहां चुनकर पहुंचे हैं उसको सम्मान दिलाने का काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, आज जो प्रस्ताव संकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ है, इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्मा जी ने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला । हम लोग सदन में चुनकर आये हैं, हमें गौरव प्राप्त है कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश में जनप्रतिनिधि के रूप में हम यहां बैठे हैं । विगत दिनों में हम लोगों के बारे में जनता में एक संदेश गया, उससे हमकों जो पीड़ा है, उस पीड़ा के फलस्वरूप यह संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है । हम 16 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं । करोड़ों मतदाता हमें चुनकर यहां भेजते हैं । हम जो कुछ यहां आचरण करते हैं, यह पूरा दृष्टान्त बनता है, पूरी जनता के सामने इसका स्वरूप प्रस्तुत होता है , यह इतिहास भी बनता है ।

इस भवन के अन्दर बैठकर हम इसके गौरव को बढ़ाना चाहते हैं । लेकिन जो हमारा अवमूल्यन हुआ और जो कुछ पेपरों में छपा, उससे हम सबकी छवि गिरी है, इसके लिये हम लोगों को कष्ट हुआ है और इसके लिए इस संकल्प का आना बहुत जरूरी है । हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते प्रदेश के प्रतिबिम्ब के रूप में देखे जाते हैं और प्रतिबिम्ब को साफ-सुथरा और निर्मल होना चाहिए ताकि मतदाताओं को यह ग्लानि न हो कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं, वह बिक तो नहीं रहा है । हम जो यहां बैठकर आचरण करते हैं, वह इतिहास बनता है और युगों-युगों तक रहेगा । अखबारों के माध्यम से हमारा अवमूल्यन जो हुआ, पूरी दुनिया में उसका सन्देश गया है, उसको देखकर गांव का आदमी यह कहे कि यह तो बिक रहा है या कोई सब्जी वाला यह कहे कि विधायक बेईमान हो गया तो अगर हम बेईमानी करते हैं तो क्या हुआ ?

मान्यवर, आज हम दलीय मान्यताओं के अन्दर बंधे हैं और हम दल के सिम्बल पर चुनकर आते हैं । संविधान में यह निहित है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राज्यसभा में चुनाव हो तो फिर खुला मतदान न कराने का क्या औचित्य है ? यह न करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा है । राज्यसभा बहुत ही उच्च सदन है और वहां अनुभवी लोगों को भेजा जाता है, वहां पर धनी लोगों को भेजने की परम्परा चल पड़ी है, कोई धन पशु वहां जाना चाहता है तो उसके लिए नामीनेशन करने की व्यवस्था है, सरकार उसको नामित करे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव में भेजना उचित नहीं है, इससे दुरुपयोग होता है । पत्रकारिता और उद्योगपति आप में मिले हुए हैं, इनमें शुरू से सामंजस्य रहा है और इसी कारण राजनीति पर उद्योग हावी हो रहा है, यह प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात है ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, राष्ट्रीय सहारा के 31 मार्च के अंक में लिखा गया है "जिस राज्य सभा को हमारा संविधान उच्च सदन का दर्जा देकर महिमा मंडित करता है, उस सदन में पहुंचने के लिए निम्नकोटि के हथकंडों का इस्तेमाल एक शर्मनाक कृत्य है और सिर्फ भर्त्सना ही नहीं, बल्कि इससे बचने के लिए उपाय भी ढूंढे जाने चाहिए । राज्यसभा कोई जिमखाना क्लब या गोल्फ कोर्स नहीं है जहां उद्योगपति जुटते हैं, ऐय्याशी करते हैं और फिर अपने-अपने पांच सितारा घरों में वापस लौट जाते हैं"आज यह राज्यसभा लोगों की ऐशगाह बनता जा रहा है । हम लोग बचन से सुनते आ रहे हैं, बार-बार पूंजीपति चुनाव लड़ने के लिए गये हैं लेकिन माननीय विधायकों ने उनका बहिष्कार किया है, लेकिन आज यह अवमूल्यन कहां से हो रहा है ? इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है, मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए पुनः अनुरोध करूंगा कि सदन इसे एकमत से पारित कर केन्द्र सरकार को भेजे जिससे चुनाव खुले मतदान से कराया जाय, तभी इसकी निष्पक्षता बनी रहेगी ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, राज्यसभा के निर्वाचन में हुई क्रास वोटिंग के फलस्वरूप जो सामान्य समाज के भीतर विधायक की अप्रतिष्ठा हुई, नियम 103 के तहत प्रस्ताव रखने का उद्देश्य भविष्य में किसी प्रकार की, इस प्रकार के निर्वाचनों में क्रास वोटिंग की सम्भावना को समाप्त करने की है । इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य यह है कि हम भारत सरकार से मांग करें, इस बात की सिफारिश करें कि जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें, इस आशय का संशोधन करें कि भविष्य में राज्य विधान परिषद् के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ऐसे निर्वाचनों में, जैसे कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है, विधायकों का बाजार में बिकना, मंडी में अपने को नीलामी के लिए रखना, इससे मुक्ति पायी जा सके और धन बल के आधार पर ऐसे सेठों को उस उच्च सदन में जाने से रोका जा सके जिस उच्च सदन का गठन, हमने जिस उच्च सदन की कल्पना समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लिए की थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं स्मरण कराना चाहता हूं उन महीन मनीषियों को जिन्होंने कभी इस उच्च सदन को सुशोभित किया . मैं अली करीम भाई छाबड़ा जो मंत्री भी रहे हैं, को याद करना चाहता हूं। कम्युनिस्ट नेता भूपेश गुप्त जी को, जिन्होंने राज्य सभा में रहकर राजनीति के कीर्तिमान स्थापित किये। आंज उसी राज्य सभा में प्रवेश पाने के लिए ऐसे-ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास से हम विधायकों की गरिमा का अवमूल्यन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यदि खुले मतदान की प्रणाली से हमें डर है, हम कैसे मतदान करेंगे, तो अगर चुने हुए विधायक को डर है तो फिर वह समाज को क्या सुरक्षा देगा यदि वह खुद डर कर रहेगा। जैसा कि लालजी वर्मा ने कहा कि संविधान में यह कहा गया है कि जिस प्रकार विधि द्वारा व्यवस्था की जाय, उस तरह से राज्य सभा का चुनाव किया जायेगा।

संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान रहा होगा कि इस प्रकार के अवमूल्यन की स्थिति आयेगी। कुछ ऐसी पद्धति विकसित की जाए जिससे इस प्रकार से धन बल का सहारा लेकर न जा सकें। मान्यवर, लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 साल की उम्र है, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए 30 साल की उम्र है। इसकेपीछे भी संविधान मनीषियों का कुछ आशय होगा। राज्य सभा के गठन का अर्थ है, लोकसभा के ऊपर सांस्कृतिक अंकुश लगाने वाली संस्था। जब धन-बल के आधार पर कोई व्यक्ति जायेगा तो वह सांस्कृतिक अंकुश लगा पायेगा, इसमें संदेह है, यदि संदेह है तो यह सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है, संविधान की वयवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

मान्यवर, यह जो कुछ राज्यसभा के चुनाव में हुआ है। यह मैं कहूं कि यह निहित स्वार्थी तत्वों का मिलाजुला खेल था और यदि इससे बढ़कर कहूं तो यह खेल राजनीति का, उद्योग का, नौकरशाही का और कुछ हद तक पत्रकार बन्धुओं का या समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का खेल है। मैं पूछना चाहता हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश और चौथा जुड़ा नारद और इन चारों ने मिलकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आज विधायक के नाते एहसास होता है कि यह भी मण्डी में बिकने वाला माल जा रहा है।

इस भावना से वशीभूत होकर यह प्रस्ताव सदन में लाया गया था। बंगाल में कांग्रेस हारी, यू० पी० में हारी और भा०ज०पा० में भी क्रासवोटिंग हुई कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं बचा जहां क्रास वोटिंग न हुई हो। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि खुले मतदान की प्रणाली स्थापित की जाय। जैसा कि समाचार पत्रों में निकला और भारत सरकार के गृह मंत्री ने विधि मंत्री राम जेठमलानी को पत्र लिखा कि संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था करें और ओपेन बैलेट प्रणाली लागू की जाय। भूपेश गुप्त जी ने राज्य सभा में कहा था कि इस राज्य सभा में कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनकर नहीं जाना चाहिए। उच्च सदन में समाज के प्रबुद्ध वर्गों के लोग आने चाहिए, जिन लोगों को जनता के द्वारा वर्तमान निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना नहीं जा सकता ऐसे लोगों को वहां पर स्थान दिया जाय।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि कांस्टिट्युयेंट असेम्बली का निर्वाचन हुआ था और उस समय अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया था और अपना हाथ उठाकर कांस्टिटियूटिड असेम्बली में चुनाव करवाया था तो वैसा चुनाव आज तक क्यो नहीं हो सकता है। राज्य सभा चुनाव में क्रास वोटिंग हुई और विधान परिषद् के चुनाव में क्रासवोटिंग की सम्भावना को देखते हुए, राजनीतिक अवमूल्यन को देखते हुए और भविष्य में जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा बची रहे इसको देखते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है। इस संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे भविष्य में क्रासवोटिंग न हो सके। लंदन में हाउस आफ कामंस है अमेरिका में उच्च सदन सीनेट है लेकिन वहां पर कहीं पर भी धन के बल पर पर लोग नहीं जाते हैं। यहां पर जो व्यवस्था है उससे क्रासवोटिंग से बचा नहीं जा सकता है। इन चुनावों में लोग धन के सहयोग और धनपशुओं को जितवा कर उनके तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तित करते हैं ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। श्रीमन्, आर्टिकिल 328 में व्यवस्था है ।

पावर आफ लजिसलेचर आफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजन्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिसलेचर- वैसे तो यह व्यवस्था इसलिये है कि जहां पर संसद कानून न बनाये तो विधान सभा अपना कानून बन सकती है लेकिन जहां पर सदस्यों के अस्तित्व और उनकी प्रतिष्ठा का सवाल हो वहां कानून बनान चाहिये ।

सबजेक्ट टू द प्रोवीजन्स आफ दिस कांस्टीट्यूशन एण्ड इन सो फार ऐज प्रोवीजन्स इन दैत बिहाफ इन नाट मेड बाई पार्लियामेन्ट द लेजिसलेचर अफ ए स्टेट में फ्राम टाइम टू टाइम बाई लॉ मेक प्रोवीजन विद रिस्पेक्ट टू आल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन्स टू हाउस आ आइदर हाउस आफ द लेजिसलेचर आफ द स्टेट इनक्लूडिंग द प्रिपेरेशन आफ इलेक्टोरल फॉल्स एण्ड आल अदर मैटर्स नैसमरी फार सिक्योरिगं द ड्यू कॉंस्टीट्यूशन और सच हाउस और हाउसिज ।

इस सबके साथ मैं इस समूचे सदन से यह निवेदन करता हूं कि आज अपनी प्रतिष्ठा पर लगे हुये इस प्रश्नचिन्ह को समाप्त करने के लिये हम इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित करके भारत सरकार को प्रस्तुत करे और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में ऐसा संशोधन किया जाय जिससे राज्य सभा और विधान परिषद् में धन के आधार पर खरीद फरोख्त का बाजार हमेशा के लिये बंद हो जाय और उचित लोगों को चुनकर जाने की प्रक्रिया है उसका पालन हो सके और विधायकों की अप्रतिष्ठा होने की सम्भावना को भविष्य में नकारा जा सके ऐसा आवश्यक संशोधन किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, आप जानते हैं कि इस चर्चा के लिए एक घण्टे का समय निर्धारित है इसलिए पांच-पांच मिनट में अपने विचार रखें ।

श्री राम नरेश रावत–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । माननीय लालजी वर्मा तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसके सम्बन्ध में आपके समक्ष मैं एक-दो बातें रखना चाहूंगा–अधिष्ठाता जी राजस्थान में एक जगह पिलानी है. वहां के रहने वाले बहुत बड़े उद्योगपति बिड़ला जी है । वहां हमने कई साल शिक्षा ग्रहण की है । पिलानी गांव है वहां उन्होंने कई करोड़ रुपये खर्च किये । मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि जब मैं 10-11 बी० क्लास में पढ़ता था तो के० के० बिड़ला जी झुंझनूं से लोकसभा का चुनाव लड़े और वह चुनाव हार गये ।

(माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा अनुरोध है कि आपस में बात न करें जो भी बात कहनी हो पीठ को सम्बोधित करके कहें ।

श्री राम नरेश रावत–

मैंने इसलिए रखा कि जो बिड़ला फेमिली है वह इज्जतदार व्यापारी मानी जाती है । उनका अपना जिला, अपना गांव जहां करोड़ों रुपया खर्च कर दिया वह लोकसभा का चुनाव हार गये और जनता ने उन्हें नकार दिया । उच्चसदन में जाने के लिए आज यह फैशन बन गया है कि जैसे-तैसे पैसा कमा लिया, ताकत अर्जित कर ली, जनता चुनकर भेजेगी नहीं किसी न किसी तरह से इज्जतदार बनना चाहिए और विधान परिषद् और राज्य सभा जाना चाहिए । यह अकेले सिर्फ हमारे समाज के पूंजीपतियों की ही मान्यता नहीं है । हमने पिछले चुनाव में देखा है हमारे एंक पत्रकार मित्र जिन्हें हम टेलीविजन पर सुनते थे, मर्यादाओं और सिद्धानतों के बारे में और जो बड़े-बड़े साक्षात्कार लेते थे वह सबसे ज्यादा वोट हॉसिल करके राजय सभा में पहुँचे । सब जानते हैं कि कैसे-कैसे वोट हासिल करके पहुँचे । मैं आपके

माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जिक्र किया हाऊस ऑफ लार्ड्स का । एक लम्बी प्रक्रिया से लोकतंत्र आया है ।

इंग्लैंड में एक जमाना था जब सीटों की बोली लगती थी, नीलामी होती थी । उन्होंने लगातार विचार-विमर्श किया उन्होंनेअपनी पद्धति में संशोधन किया और सर्वसम्मति के आधार पर लगातार अपने कानूनों को परिपक्व बनाया और हम अमेरिका और इग्लैंड का जिक्र करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं । उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो परिपक्व हो । मैंने भी लगातार 20-25 साल नारे लगाये, पार्टी में काम किया, सार्वजनिक जीवन में काम किया । मेरी भी इच्छा इस सदन का सदस्य बनने की थी भगवान की दया से और आप लोगों के आर्शीवाद से इस सदन में आ गये ।

मान्यवर, आज तो जब बाहर सड़क पर चलते है तो लोग कहते हैं कि 12 लाख, में विधायक बिका तो शर्म आती है । 15 लाख में बातें आयीं । उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में यह बीमारी फैल गयी है । उत्तर प्रदेश को नेतृत्व करना चाहिए कि राज्य सभा व विधान परिषद् का चुनाव ओपेन बैलेट से हो । इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन हूँ । जैसी कि लाल जी वर्मा ने कहा कि जो लीडस या जो पार्टियां हैं उनकी डिक्टेटर शिप हो जायेगी इसका कोई खतरा नहीं है । अगर कोई दूसरे को मत देता है तो उसे कारण को पेश करना होगा जनता समझदार है वह जानेगी कि इन्होंने पैसा लेकर वोट दिया है या कैसे वोट दिया है । इसी के साथ ही साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, एक गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है यह पूरे देश के लिए चिन्ता की विषय है । वह राजनीतिक दल जिनके पास अपना राजनीतिक कार्यक्रम है, नीतियां है, पार्टी का अपना अनुशासन है जब वही विधान परिषद् राज्य सभा के चुनाव में बिक जाते हैं पैसे के बल पर ।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि इस पर काफी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं मैं भी चाहता हूं कि बहस को कम न किया जाए अतः आज के एजेंडे को देखते हुए इस पर चर्चा जारी रखी जाए ।

डॉ० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मैं इस प्रस्ताव से असहमत नहीं हूँ लेकिन चार तारीख से पहले जनता के बीच सदन का मन्तव्य चला जाना चाहिए ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् के चुनाव हो रहे हैं उसके संबंध में जो नियम है वह अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश में निर्देश संख्या 121 में दिये हैं । यह अधिकार अध्यक्ष मैं निहित है उन्होंने सारी प्रक्रिया निर्धारित की है मैं नियम 121 का उल्लेख कर रहा हूँ । जब सदस्य को शलाका पत्र प्राप्त हो जाय तो वह उसे एक दृष्टि व्यवहित स्थान में ले जायेंगे जिसकी इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जायेगी । मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह निर्देश है इसमें सबकी राय है कि एक दृष्टि व्यवहित स्थान की जगह खुले स्थान पर ले जायेंगे और जो मतदान अभिकर्ता होगा उसकी उपस्थिति में मतदान करेंगे इतना हो जाये । निर्वाचन तो अध्यक्ष के निर्देश में होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर एक घंटे की चर्चा है 35 मिनट हो चुके हैं 25 मिनट बाकी हैं इसको समाप्त हो जाने दें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है । लोग अपनी पार्टी के हित के विपरीत पैसे लेकर मतदान कर रहे हैं । माननीय बाजपेयी जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ । आज यहाँ उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और वहाँ पश्चिम बंगाल में हमारी मार्क्सवादी पार्टी की सरकार है । आपकी पार्टी सत्ता में रहते हुए भी आपके 22 से जयादा विधायकों में पार्टी हित से हटकर क्रास वोटिंग की है लेकिन हमारी पार्टी के लोग पार्टी हित में काम करते हैं । अगर आपकी पार्टी में अनुशासन होता तो आप इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते । जब आप पैसे दे कर, एक करोड़, दो करोड़ देकर, आपराधिक किस्म के लोगों को टिकट देकर सत्ता में सत्ता में आयेंगे तो आपकी पार्टी के हित में कोई विधायक कार्य नहीं करेगा । लाठी डंडों के बल पर कमजोर आदमी वोट नहीं डाल पाता है । तो मान्यवर मेरा कहना यह है कि जिस पार्टी में अनुशासन नहीं हो, जहां पार्टी के लोग पार्टी के हित में कार्य न करते हों वे लोग ही इसका समर्थन करेंगे ।हमारी पार्टी में अनुशासन है, हमारे कार्यकर्ता पार्टी हित में कार्य करते हैं इसलिए हम गुप्त मतदान का समर्थन करते हैं और इस प्रस्ताव का चूँकि कोई औचित्य नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, अगर चर्चा जारी कर दें तो मैं बैठ जाऊँ ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव चर्चा जारी करनें का प्रस्तुत किया है अतः चर्चा जारी रख दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलाँग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) तथा अनुदान संख्या–87
सैनिक कल्याण

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55, 94, 40, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी और भी राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5, 11, 68, 91, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9, 61, 78, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11, 31, 97, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं इसे अपना सौभाग्य और ईश्वर की अनुकम्पा मानती हूं कि समाज के उस निर्बल आय वर्ग के जो सदियों से अपनी हकतलफी के कारण, सामाजिक अव्यवस्था के कारण और आर्थिक कमजोरी से ग्रस्त होकर समान्य जन से बहुत पीछे रह गये हैं, इनकी प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा अनेक तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनके कार्यक्रमों के लिये बजट के प्रस्तुतीकरण का अवसर मुझे मिला, मैं इसके लिये हर्ष का अनुभव करती हूँ और यह बिना संकोच के कहना चाहती हूँ कि आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता इसलिये भी है कि हमारे इन अनुदानों से संबंधित जो वर्ग हैं, उनकी आबादी का जो प्रतिशत है, अगर हम पिछड़े वर्ग के संदर्भ में देखें, तो वह 42 प्रतिशत है, अनुसूचित जाति के वर्ग के संबंध में देखें तो वह 21 प्रतिशत है ।

यह इतना बड़ा समाज अगर आर्थिक विपन्नता के कारण और शैक्षिक अपनी आवश्यकता की प्रातिपूर्ति न होने के कारण बहुत पीछे रह गया है तो हम विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बिना संकोच के यह भी कहना चाहती हूँ कि आज इस अवसर पर यह जो प्रतिशत है, इसकी स्थिति और भी भयावह तब हो जाती है जब 42 प्रतिशत का एक बहुत बड़ा 49 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता है और 21 प्रतिशत का एक बहुत बड़ा प्रतिशत लगभग 57 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता है । इसके साथ ही जिसे हम जनजाति के रूप में वर्गीकृत करते हैं, उसके बारे में चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र के हमारे स्थानों के संदर्भ में हों, चाहे वह बलरामपुर गोण्डा और लखीमपुर आदि क्षेत्रों के संदर्भ में हों, उनके जीवन यापन से संबंधित समस्याओं, उनको आगे लाने के लिये और उनके हितों के संरक्षण हेतु यह अनुदान मैं लेकर आयी हूँ ।

हमारी सरकार की संवेदनशीलता, महती आवश्यकता और कार्य प्रणाली, मैं इस पर विशेष बल इसलिये दे रही हूं क्योंकि पिछले बीते वर्षों में जहाँ विकेन्द्रीकरण के नाते हमने बहुत ही सीमित 12 विभागों को चिन्हित किया, वहीं सबसे पहले प्राथमिकता इन वर्गों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर हमारे तमाम प्रदेश की पेंशनों के अनुदान थे, चाहे वह छात्रवृत्ति का हो, चाहे वह भरण-पोषण का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे विकलाँग पेंशन का हो, इन सारे कार्यक्रमों को हमने ग्राम पंचायत स्तर पर ले जाकर इसकी पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाय, इसकी निश्चितरूप से हमने अगुवाई की है और उसके सुपल परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं ।

जब हमने इस समस्या के कार्य का शुभारम्भ किया तो सबसे पहले ध्यान उस वर्ग की ओर गया जो स्वच्छकार पेशे से जुड़ा वर्ग है, जो आज भी अनेक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश समेत उस अस्वच्छ पेशे से जुड़ा है जिसके लिये सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में इस समस्या का जड़ मूल से हम समाधान करेंगे । इस अवसर पर मैं सदन में घोषित करना चाहती हूं कि हम सभी का अथक प्रयास होगा, पिछले वर्ष शुरुआत किया था और 19 हजार परिवारों को चिन्हित करके उन्हें पूरी तरह से पुनर्वासित करने की योजना थी, हम कल्पना कर रहे थे कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे लेकिन लक्ष्य के निकट 12 हजार परिवारों को इसमें सहायता दी गयी है । लेकिन अभी भी अनेक जिलाधिकारियों के इस पत्र के बाद कि हमारे जिले में अब कोई इस तरह की स्थिति नहीं है, हम संतोष नहीं महसूस कर रहे हैं, हम इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं कि पुनः उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में एक बृहद सर्वे हम करायेंगे और एक-एक परिवार को पुनर्वासित करेंगे तथा शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता उनको उपलब्ध

करायेंगे । मान्यवर, अगला वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश में अस्वच्छ पेशे से जुड़ा एक भी परिवार नहीं बचेगा, यह हमारा संकल्प और प्रयास होगा ।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे विकलांग वर्ग से जुड़ी समस्यायेंहों जितना हम उसके अन्दर जाते हैं उतना ही हम अनुभव करते हैं कि बड़ी भारी संख्या में विकलांगों की संख्या है, जितना हम सोच रहे हैं उससे और भी कहीं अधिक है । आज 3 प्रतिशत शासन की संवेदनशीलता के नाते राशन की दुकानों में विकलांगों के लिए आरक्षण किया है । शहरों में बड़े-बड़े भवनों और सरकारी इमारतों में निश्चय किया है कि उनके लिए बाधा रहित वर्ग का निर्माण किया जाय और सीढ़ियों द्वारा रास्ता बनाया जाय । इस विधान भवन के इर्दगिर्द एक कि० मी० की रेंज में जो भी हमारे सरकारी भवन हैं वहां सीढ़ियां बनाने हेतु धन आरक्षित किया है जिससे उनको कठिनाई न हो । हम यह अनुभव कर रहे हैं कि जितना इसमें अन्दर जा रहे हैं उतना ही कठिनाई हमें दिखाई पड़ रही है जिसके कुछ कारण हैं । उन कारणों को हम जानना चाहते हैं ।

मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ रुपये का हमने प्राविधान एक बहुउद्देशीय संस्था के बनारस में निर्माण करने का निश्चय किया है जिसमें यह भी एक सेक्टर/सेक्शन होगा । एक सेक्शन होगा कि हम उसमें यह देखें कि आखिर विकलांगता के कितने कारण हैं । किस तरह की विकलांगता जन्म के समय उपस्थित होती है । टैफिक नियमों को उल्लंघन के कारण कितनी विकलांगता होती है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सड़कों पर होने वाली भीड़ से कितनी विकलांगता होती है या इसके अतिरिक्त और अन्य कारण कौन से हैं जिनसे विकलांगता होती है । मुझे तो यह अनुभव हो रहा है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर पोलियो ड्राप का जो अभियान चलाया गया उसकी सफलता हमको आगे मिलेगी । वर्तमान समय में यह संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस चिन्ता के नाते यह अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग के द्वारा एक अच्छा प्रयास हुआ कि वर्तमान समय में जो जनगणना होने जा रही थी उसमें समय से पहले चेत कर भारत सरकार को लगातार पत्र लिखकर कि किस तरह से यह जो सामान्य जनगणना हो रही है उसमें विकलांगता का चिन्हीकरण हो जाय । प्रारम्भ में तो हमको उसका उत्तर निराशाजनक मिला । लेकिन यह हर्ष का विषय है कि अंत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिखे हुए पत्र के आधार पर भारत सरकार ने उसमें विकलांगता का कालम भी जोड़ा ।

वास्तविक विकलांगता का प्रतिशत प्रदेश और देश स्तर पर हमारे सामने आये इसकी हमने चिन्ता की । इसी कड़ी में एक और प्रयास हम कर रहे हैं 2001 में केन्द्र के द्वारा चलाई गई योजना में ग्राम पुनर्वास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों का आवंटन मिला है । पूरे देश में 107 जिलों में यह केन्द्र खुलेगें । बरेली में लखनऊ में कम्प्यूटर रीजनल सेन्टर को भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों की पूर्ति के बाद इस सेक्टर के लिये हम बहुत कुछ कर सकेंगें । हरिद्वार से बलिया, कानपुर, झाँसी आदि नगरों में अपने निकटतम के एक दो जिलों को छोड़कर अपने विकलांग भाइयों, बहिनों के लिये बहुत अच्छी व्यवस्था देने की स्थिति में हम होंगें । यह बताते हुए सदन में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। इसी के साथ समाज में एक बहुत बड़ी चर्चा है ।

मैं इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहती पेंशन की स्वीकृति की व्यवस्था हो, पेंशन वितरण की व्यवस्था में अब कोई भागीदारी नहीं है यह ग्राम पंचायत स्तर से चली गई । परिवार लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं । इसी के साथ जो विधवा की पुत्री के विवाह, अनुसूचित वर्ग की पुत्री के विवाह की योजना यह महत्वपूर्ण योजनाएं हैं । जिनसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को एक बहुत बड़ा भाग जुड़ता है और निश्चित रूप से यह व्यवस्था बहुत पारदर्शी है, बहुत पारदर्शी और कारगर और प्रभावशाली होनी चाहिए । इसलिये इसमें विशेष व्यवस्था करते हुए पारिवारिक लाभ योजना और विधवा की पुत्री की शादी, अनुसूचित वर्ग की पुत्री की शादी की योजना

में एक कमेटी बना दी है । इसमें सांसद, विधायक या उनके प्रतिनिधि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी में भागीदारी कर सकेंगें ।

मेरा मानना है कि क्षेत्रीय स्तर पर यह व्यवस्था हो जाने के बाद इस तरह की बातों पर अंकुश लगेगा और यह व्यवस्था पारदर्शी हो जावेगी । एक और शिकायत आ रही थी और उस शिकायत में मुझे लगा कि कुछ थोड़ी सी व्यवहारिक व्यवस्था कर दी जाय तो उस शिकायत को दूर किया जा सकता है । वह शिकायत थी जो विधवा की पुत्री का विवाह या अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की पुत्री का विवाह के लिये धनराशि दी जाती है उसमें बहुत विलम्ब हो जाता है । आज किसी-किसी जिले में वर्ष 97-98 के आवेदन-पत्र लम्बित हैं और समाधान हो रहा है । लगता है जिस उद्देश्य के लिये वह है उसकी पूर्ति नहीं होनी । शादी के बाद बच्चा भी हो जाता है और तब तक पैसा नहीं मिलता । पैसा मिलने में देरी होती है, ऐसी शिकायतें मिली थीं । इसके लिये भी व्यवस्था दुरुस्त करने के अग्रिम कार्यक्रम में दो बातें की हैं । एक तो यह किया है कि जिस वित्तीय वर्ष का आवेदन है वह उसी वित्तीय वर्ष में निस्तारित होगा कोई बैक लॉग नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि इसमें वर्गीकरण व्यवस्था लागू करेगें । इसमें आनुपातिक ढंग से करेगें । गर्मी के दिनों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों में विवाह बहुत होते हैं । परसेन्टेज की दृष्टि से इस तरफ इन दिनों ज्यादा धन देंगें । पूरे वर्ष इसमें कुछ न कुछ धन रहे इसकी व्यवस्था करेंगें । इस तरह से व्यवस्था करके जिस उद्देश्य से यह योजना है उसके लिये पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके । व्यवस्था करेंगे कि इसको बहुत अधिक लम्बित न रखा जाय । इसमें जो अनियमितताएं और शिकायतें आ रही थीं उससे बच सकें और व्यवहारिक रूप से उस पात्र व्यक्ति के उपयोग में सहयोग कर सकेंगें ऐसा मेरा मानना है ।

[समय–4 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत फ्री-बोरिंग की योजना है बड़े पैमाने पर पूर्व के वर्षों से यह काम चल रहा है । हमने यह आवश्यक समझा कि अब इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए । हमने 904 मंडलों में, ब्लाकों में, प्रत्येक जिले के एक ब्लाक को अपनी ओर से चिन्हित करके सूची तलब कर ली है । उसके बाद टोकन के रूप में भौतिक सत्यापन करायेंगे । प्रत्येक ब्लाक के एक गाँव में भौतिक सत्यापन करायेंगे । तीन मंडल में यह कार्य किया गया है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं पूरे प्रदेश में इस योजना को हम चलायेंगे यह प्रयास होगा कि अनुसूचित वर्ग के लोगों को फ्री बोरिंग के अन्तर्गत जो सुविधा मिली है उनको निर्देश देंगे, अनौपचारिक आदेश देंगे कि ऋण में प्राथमिकता पम्पिंग सेटों को दें, फ्री बोरिंग जिन्होने कराई है, वह ज्यादा पम्पिंग सेटों को खरीदने में प्राथमिकता दें क्योंकि फ्री-बोरिंग तो हो जाती है लेकिन अन्य उपकरण को खरीदने के लिए धन नहीं होता है, और उपकरण नहीं होते हैं फिर किराये पर चलाने के अलावा कोई साधन नहीं रहता है तो फ्री-बोरिंग की सार्थकता हो इस ओर निर्देश दिये हैं इसको सफल बनाया जाएगा ।

इसी के साथ जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जो धन मुख्यालय से विभिन्न विभागों को निर्धारित होता है उस धन का उपयोग हो जाता है तब तो अच्छा है वरना उपयोग न होने पर पूरे वर्ष पड़ा रहता है इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है उसमें अधिकारियों को रखकर अधिकार दिये हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में यदि इस धन को उपयोग में नहीं लाया गया हो तो उनके हितों में खर्चा करने के लिए डायवर्ट किया जा सकेगा । इस संबंध में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग जो हैं उनके उपयोग में यह धन काम आ सकेगा । यह व्यवस्था आ सके, यह हमारा प्रयास होगा । इसके अतिरिक्त इन सारे प्रयासों के बाद सीमित संसाधन की नीति किसान पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में उत्तर प्रदेश में 13 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है और 2 लाख 56 हजार पेंशन फार्म प्रदेश स्तर पर अब भी लम्बित हैं ।

भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना जो है वह समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर 2 लाख 56 हजार लोगों को कुछ न कुछ भुखमरी के कगार से बचा सकें इसमें कुछ योगदान इस योजना के माध्यम से कर सकेंगे । यह परिवर्तन है समाधान है । मान्यवर, बहुत बड़ी संख्या में विकलांग हैं विकलांग बंधुओं की 1 लाख 47 हजार संख्या है इनको पेंश देकर लाभान्वित कर रहे हैं लगभग इतनी ही संख्या जो हमारा मानक है उस दृष्टि से हम लगाते हैं कि हमारे लम्बित आवेदन फार्म हैं । इसी के साथ जो सेवायोजित करने की योजना है विकलांग बंधुओं की योजना है इसमें एक अव्यवहारिक तथ्य देखने में आया है उसको परिवर्तित करने का निश्चय किया गया है जो हमें अव्यवहारिक लगा वह है 20 हजार रुपये दुकान के लिए उपलब्ध कराते हैं उसमें एक शर्त है कि उनके पास मार्केट में दुकान बनाने लायक भूमि होनी चाहिए तब 20 हजार रुपया मिलेगा । हमारे पास बहुत जिलों की जानकारी आई कि ऐसी भूमि किसी विकलांग बंधु के परिवार के पास नहीं है । जो बीस हजार रुपये के लिए हमारे पास हाथ फैलायें आ सकता है हमने यह निश्चय किया कि भूमि की शर्तों को शिथिल करेंगे जिससे वह किराये की दुकान लेना सुनिश्चित कर हम नयी व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे ।

हम इसी के साथ दस हजार की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे व्यवहारिक करने की बात कर रहे हैं । इसी के साथ मुझे स्मरण हो रहा है उस मनीसी का, उस अमर शहीद दीन दयाल उपाध्याय जी का जिसके चिन्तन में, मनन में और आचरण में, आचरण में इसलिए कि देश के रचनात्मक कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था और सबसे ऊँचे स्थान पर बैठा वह व्यक्ति आधी धोती पहनता था और आधी धोती धो लिया करते थे और, मनन यह था कि अन्त्योदय समाज के सबसे नीचे बैठे हुए लोग के आँसू पोछें जायें और पैरों की बिवाई न पड़ने पाये, इस लक्ष्य और उद्देश्य को हम धारण करेंगे । इस कड़ी में मुझे स्मरण हो रहा है उनका वह वाक्य उन्होंने चलते-चलते एक स्थान पर कहा था, बहुत बड़ा संदेश था उसे हम ले सकते हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि आगे गढ्ढा है और मान लो इसमें हम गिर गये, सात आठ फीट नीचे गिर गये तो क्या होगा ।

वही स्थिति है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की । हम उस गढ्ढे में खड़े हैं, उसमें हम गिर सकते हैं तो हमको झुकना होगा और हाथ झुकाकर उनको निकालना होगा । मैं यह उद्धरण इसलिए देना चाहती हूँ कि शासन की ओर से अपने कार्यों को पूर्णता देने का प्रयास किया गया है और दूसरी ओर समाज को उजागर करने का प्रयास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो हम गढ्ढे के पास खड़े हैं जो समाज के निर्बल वर्ग के लोग हैं जो पीछे रह गये हैं उनको हाथ झुकाकर के पकड़ लें और अपने बराबर कर लें इस उद्देश्य से राष्ट्र के बहुआयामी विकास की कल्पना कर सकते हैं । मैं इसलिए भी अपनी अनुदान की मांग लेकर उपस्थित हुई हूँ, मैं यह जानती हूँ कि कटौती का प्रस्ताव आयेगा और सामान्य रूप से एक रुपया रख दिया जाय यह होगा । लेकिन जब यह बात कही जाय तो यह बात ध्यान में रखा जाय कि.....

कुँवर रेवती रमण सिंह–

15, 16 करोड़ नहीं लाख ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, यह 15, 16 लाख है । तो जो लोग भुखमरी की कगार से ग्रसित हैं जिन्हें 125/- रुपय प्रति माह पेंशन मिलती है उनके लिए यह प्रस्ताव आया है । मैं यह भी आवश्यक समझती हूँ कि इस पूं के पूरे विभाग की कार्य प्रणाली को, इसकी सारी व्यवस्थाओं को, जिसके लिए है, उसके हाथ तक पहुंच दिया जाय । जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वह कार्यक्रम जिनके लिए चल रहे हैं तो उनको वह लाभ मिल जाय इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चुनौती के साथ इस कार्य को करना है और इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा काम विकेन्द्रीकरण के नाते हो गया है और बहुत बड़े काम बड़े पैमाने पर सर्वे और भौतिक सत्यापन के आधार पर हो रहा है सिर्फ सर्वे सत्यापन नहीं हो रहा है बल्कि जो भी

अनियमितता निकल रही हैं, उसके लिये इस व्यवस्था में बाधक बने लोगों को सबक देने के लिये हमने कार्यवाही की है ।

231 विद्यालयों की अनियमितता प्रकाश में आयी उनकी मान्यता समाप्त हुई । 75 विद्यालयों के विरुद्ध संबंधित जनपदीय अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । 12 प्रधान अध्यापकों को निलम्बित किया गया । 58 विद्यालयों से धनराशि वसूल की गयी । 105 जगहों पर जो छात्रवृत्ति अवितरित थी उसमें 22, 128 रु० की वसूली हुई । 5 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 अन्य अधिकारियों को भी निलम्बित किया गया । मान्यवर, समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि वे इस तरह का विशेष जांच अभियान जारी रखें इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई यह हुआ करती थी कि बिना पैसे लिये, जो चर्चा होती थी, लेखपाल सर्टिफिकेट नहीं बना पाते थे । उसमें 225 रु० मासिक आय का प्रमाण-पत्र देना होता था मान्यवर, इस विभाग ने आज सभी तरह की पेंशन के लिये, सभी तरह की अन्य सुविधाओं के लाभ के लिये, चाहे छात्रवृत्ति, पेंशन, विकलांगता की पेंशन हो, दुकान की योजना हो, सबमें एकरूपता लाते हुए गरीबी की रेखा के नीचे 1 हजार रु० प्रतिमाह आय करके व्यवस्था की है ताकि कोई अनियमितता न होने पाये । मान्यवर, यह समाज का बजट है, सभी से आग्रह करूँगी कि इस यज्ञ के कार्य में कुछ बढ़ाने की बात करें, कटौती की बात करें, उनकी सारी बढ़ाने की बात हम मान लेंगे । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80 समाज कल्याण (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण सदन में दिया और जो बजट प्रस्तुत किया उससे स्पष्ट है कि मंत्री जी कोई ऐसी बात आपने नहीं कही कि समाज के दबे कुचले लोगों को उपेक्षित लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका जीवन स्तर बहुत नीचा है उनके सम्बन्ध में आपने कोई नई बात नहीं कही, कोई आपने नया कार्यक्रम, कोई नयी नीति नहीं रखी जिससे हम आपसे अपेक्षा करें कि आपकी सरकार दलितों के पक्ष में समाज के कुचले लोगों के प्रति कोई कार्यक्रम रखी है । आज उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में हम सबसे पहले उन परिवारों के छात्रों को लेतें हैं जो दलित समुदाय से आये हुए हैं और वे छात्र जो अनुसूचित जाति के हैं जो अनुसूचित जनजाति के हैं और वास्तव में उनके माँ-बाप गरीब हैं और इसके कारण उनके अधिकांश बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं ।

आज उत्तर प्रदेश में जो छात्र परिथिति है हमारी सरकार आज मंत्री जी स्वयं इमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर कह दें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वह आज इस मंहगाई में नाकाफी हैं । मुझे पूरा याद है कि 1970 में इण्टरमीडिएट में 27 रुपया छात्रवृत्ति मिलती थी जब उससे 90 किलो अनाज मिलता था और आज जो छात्र वृत्ति मिलनी है अगर वह 90 किलो अनाज खरीदेगा तो उसे 600-700 या 800 रुपया खर्च करने पड़ते हैं । अगर माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की घोषणा करती तो मैं धन्यवाद करता वह ऐसा न करके दलित जाति के छात्रों के साथ अन्याय कर रही हैं ।

आज पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि पिछलेवर्ष 378 करोड़ रुपये बजट में आपने व्यवस्था किया, फरवरी तक 245 करोड़ छात्रवृत्ति बांटी गयी लेकिन इसके बाद शेष धनराशि कहाँ गयी बटी कि नहीं यह आपको मालूम नही है । आज हम आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 97-98 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है 97-98 के पहले जो भ्रष्टाचार हुआ था तो गड़बड़िया की गयी थीं यह बताया गया कि उसकी जाँच की जा रही है लेकिन 97 के बाद जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको तो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए इसलिये यह सरकार की मंशा समझ में नही आ रही है इसी तरह से अनेक विश्वविद्यालयों की शिकायत है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है ।

दूसरी, परीक्षा फीस छात्रों को वापिस नहीं होती है, सरकार बार-बार कहती है और अखबारों में बात आती है कि एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी लेकिन यह अब तक नहीं मिल पाई है । आज वे विद्यालय जहाँ प्रभावशाली मैनेजर हैं, प्रधानाचार्य हैं, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वे पास करके चले जाते हैं या फेल हो जाते हैं, हड़प ली जाती है । आपने छात्रवृत्ति के संबंध में जो व्यवस्था की है, सीधे ट्रेजरी से चेक बनाने की, उसको बैंक मानेगा या नहीं, इसको ध्यान नहीं रखा है । बैंक वाले चेक वापस करते हैं और आज बैंक और ट्रेजरी के बीच छात्रों की छात्रवृत्तियां लटकी हुई हैं ।

नयी पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रधानों के खाते पर चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, इसलिये भी छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल पा रही हैं । आज भी बड़े पैमाने पर, उच्च पदों पर बैठे लोग, सामन्तवादी परिवार के लोग हैं, वह अपने विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों का या तो समय से छात्रवृत्ति नहीं देते हैं या फिर देते ही नहीं । यह सरकार अनुसूचित जाति छात्रों के कल्याण के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह इस बात से पता चलता है कि यह पहली सरकार है, जिसने अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस आधी कर दी । जब इस सरकार ने सामान्य छात्रों की फीस को बढ़ाया तो अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस आधी कर दी, जबकि इससे पहले कभी उनसे फीस ली ही नहीं जाती थी, आखिर आपकी मंशा क्या है ? गरीब परिवारों से जो छात्र आते हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार वह कतई नहीं पढ़ पायेंगे, यह मंशा आपकी झलक रही है ।

जहां तक वृद्धा पेंशन की बात है, आपने इस बार कोई स्वीकृतियां नहीं बढ़ाई । अभी आपने बताया था कि 13 लाख वृद्धों को हम पेंशन देते हैं, लेकिन पिछले साल मात्र 12 लाख 40 हजार लोगों का पैसा मिला और 60 हजार लोगों का पैसा नहीं दिया गया । आप पेंशनर्स की संख्या बढ़ाने के बजाय घटा रही हैं, क्योंकि प्रदेश का हिस्सा आप नहीं दे रही हैं । यह सरकार नहीं चाहती है कि पात्र व्यक्तियों को पेंशन मिले । मेरा तो कहना यह है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के जो पात्र लोग हैं, वह ग्रामीण अंचल में बहुत गरीब हैं और एक आदमी अथवा महिला को कितनी परेशानी इस पेंशन के लिए उठानी पड़ती है, लोगों ने फार्म भरे, फोटो खिंचवाया, फार्म जमा किये उसके बाद उनके फार्म दफ्तरों में पड़े हैं, उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं, इससे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । आपने यह भी कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए आपने एक हजार मासिक आय को तय किया है, आपने शासनादेश जारी कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने शासनादेश जारी किया है तो क्या आप उसे सदन के सामने रख सकती हैं ? यदि ऐसा है तो उसके क्रियान्वयन में टाइम लगेगा या फिर सरकार अपनी पालिसी को बदल देगी ।

मान्यवर, जहां तक अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी का सवाल है, विधवाओं की लड़कियों का सवाल है । पिछले साल जिला योजना से 12 करोड़ 85 लाख की स्वीकृतियां होकर आयी थीं लेकिन उसमें से मात्र 5 करोड़ 16 लाख ही जारी किया गया और 7 करोड़ 29 लाख रुपया जारी नहीं किया गया तो क्या यह अनुसूचित जाति के लड़कियों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है ? आपको जिला योजना से एकमुश्त पैसा जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके आपने आधा से कम पैसा भेजा 7 करोड़ 29 लाख रुपया अभी तक जारी नहीं किया । इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जातियों के वे लोग जो गरीब हैं, अपनी लड़कियों की शादी के लिए सरकार से उम्मीद किये हैं कि सरकार उन्हें पैसा देगी, उनका पैसा पिछले वर्ष का पैसा जारी नहीं किया, अगले साल क्या होगा, भगवान जानें । मान्यवर, आज ग्राम्य अंचल में टी० बी० की बीमारी का सवाल है । टी० बी० की बीमारी पर भी 2 हजार रुपये मिलता है । बड़े पैमाने पर लोगों के फार्म मौजूद हैं । टी० बी० के मरीजों को पैसा मिलना चाहिए । अनुसूचित जातियों के इने-गिने लोगों को पैसा मिलता है । लोगों के फार्म पड़े हैं और अनुसूचित जातियों की लड़कियों की शादी के संबंध में जिस प्रकार से यह मासिक आमदनी लगभग 300 रुपये दिखाया गया है । मैं कहता हूं कि यह 80–85 का यह फैसला है, सरकार ने लिया था । केन्द्र सरकार 110 रुपये तक आमदनी वाले को गरीबी रेखा से नीचे मानती है । इसलिए आप मासिक आमदनी को ठीक करें क्योंकि इससे यह समस्या पैदा हुई है ।

मान्यवर, आज भी बड़े पैमाने पर लोगों के फार्म लम्बित हैं, जांच-पड़ताल करके पात्र व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के लिए पैसा मिलना चाहिए । एक ब्लाक में चार आदमी को गया है । मान्यवर, मेरा तो कहना है कि किसी प्यासे को ओस चटाने से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है । इसलिए मेरा कहना है कि आप बजट में अधिक धन की व्यवस्था करें और वह भी जिला योजना से जो भी स्वीकृतियां तय होकर आती हैं वह पूरा पैसा जारी करें जो बकाया पैसा है, वह जारी हो जायेगा तो लोगों को मिलेगा । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में आश्रम पद्धति के विद्यालय चलते हैं । 7 जनपदों से जमीन का प्रस्ताव हो कर आया, लोग अपने आश्रम पद्धति विद्यालय खोलना चाहते हैं । यह उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी गम्भीर है कि 7 जिलों से प्रस्ताव आए, आश्रम पद्धति विद्यालय खोलना चाहते हैं, केवल आपने दिया, जहां भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विधायक हैं, पूरे प्रदेश में कहीं भी आपने स्वीकृत नहीं किया । दूसरी बात मान्यवर, 17 ऐसे आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं जहां मात्र 1 और 2 में पढ़ाई होती है, कक्षा–3, 4 और 5 में पढ़ाई नहीं होती है । मैं कहना चाहता हूं कि आखिर मंत्री जी, आश्रम पद्धति के विद्यालय खोलने का क्या औचित्य है । यह जो आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं उनमें कम से कम हाईस्कूल तक पढ़ाई की व्यवस्था की जाय । पूरे प्रदेश में आश्रम पद्धति के विद्यालयों में सरकार इतना पैसा नहीं देती है कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे ठीक से खा सके । वहां बच्चे नंगे रहते हैं, उनको नाश्ता ठीक से नहीं दिया जाता, उनको सड़े आलू की सब्जी और सड़े आलू की रोटी दी जाती है और बच्चे नंगे तथा भूखे रहते हैं आप इसकी जांच करवा लें । आप इस तरह से आश्रम पद्धति के विद्यालयों के साथ मजाक कर रहे हैं और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं ।

लखनऊ में मोहान रोड पर एक ज्योतिबा फुले आश्रम पद्धति विद्यालय है वह 1997 में खुला था और उस पर 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । वहां पर कक्षा 6–9–11 की कक्षायें चलती हैं । वहां पर टीचर्स और कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया है जबकि उनके पद सृजित हैं । आप पैसा नहीं दे रहे हैं । बाहर से 100-200 रुपये पर अध्यापक लाकर पढ़ाई करायी जाती है और वहां के विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा देते हैं । सरकार यदि गम्भीर है तो कम से कम इंटरमीडिएट तक शिक्षा की व्यवस्था इस विद्यालय में की जाय और इसको मान्यता दिलायी जाय । इसी तरह से सरकार द्वारा आश्रम पद्धति के विद्यालयों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया जाता है जिससे खिड़कियां टूटने पर, दीवाल टूटने पर मरम्मत नहीं हो पाती है और विद्यालय मरम्मत के अभाव में धराशायी हो जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश की सरकार को इस ओर गम्भीरता से सोचना चाहिए और मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए । अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रतिशत 26 प्रतिशत है और जनरल का 42 प्रतिशत है इनमें से अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत 10 और जनरल का 26 प्रतिशत है । आज गांवों में समाज कल्याण विभाग के जो स्कूल हैं उनमें अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है । अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या 585 है इनकी स्थिति यह है कि इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है । हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया तो आपने कहा कि शासन की तरफ से वेतन नहीं रोका गया है । आखिर बात क्या है कि इन अध्यापकों का वेतन रोका जा रहा है । इसी तरह से जो स्कूल हैं उनमें कुर्सियों, मेजों की व्यवस्था नहीं है ।

इसी तरह से जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनको जीप नहीं मिलती है । जब अध्यापकों को वेतन नहीं मिलेगा, उनके वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, स्कूलों का रख-रखाव नहीं होगा दबे कुचले लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो इन वर्गों के लोगों की उन्नति कैसे होगी । सरकार को इनके हित में विद्यालय चलाने चाहिए । जो भ्रष्टाचार घुस गया है उसको आप रोकिये । जो विद्यालय चल रहे हैं उनके अध्यापकों को आप समय से वेतन दें । 545 विद्यालय चल रहे हैं । 345 नये विद्यालयों को अनुवर्ती सूची में लिया है वह पैसा रिलीज नहीं हुआ । जब आपके पास पैसा नहीं था तो पिछली बार क्यों अनुवर्ती सूची में लिया गया । तत्कालीन मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इन विद्यालयों को अनुवर्ती सूची में लेंगे । आप धन की व्यवस्था कीजिए । अभी 3-2-2000 को हाईकोर्ट से एक आर्डर हुआ मैनेजमेंट कमेटी, बाराबंकी बनाम उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य । गलत शासनादेश हुआ था उस पर रोक लगाया है । उस पर स्पष्ट आदेश हैं उसके बाद आपकी तरफ से आनन-फानन में जवाब दिया गया कि हमने कोई शासनादेश इस सम्बन्ध में नहीं किया है ।

मेरा कहना यह है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके साथ भेदभाव न बरता जाय और जिस प्रकार से प्रबन्धकीय स्कूलों को लाभप्रिय योजनाओं का लाभ मिलता है जो समाज कल्याण विभाग के विद्यालय हैं उनको भी मिलना चाहिए । आज पूरे प्रदेश में स्थिति यह है कि जो राजकीय छात्रावास हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है ।

श्री अधिंष्ठाता–

माननीय रामजग जी, अब समाप्त करें । 22 मिनट आप बोल चुके हैं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 180 राजकीय छात्रावास हैं जिसमें से 74 छात्रावास बंद हैं, उनका संचालन नहीं हो रहा है । पूरे प्रदेश में मात्र 106 छात्रावास ही चल रहे हैं । जो छात्रावास बंद हैं उनमें 24 करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन उसका संचालन नहीं कर रहे हैं । 40 छात्रावास ऐसे हैं जो अधूरे हैं । 58 में दरवाजे खिड़कियां टूट गयी हैं, मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है । वहां पर जो पद चौकीदार, रसोइया, कहार के सृजित हैं उसके लिए पैसा नहीं है । अनुसूचित जाति के जो छात्रावास हैं उनके लिए पैसा नहीं है । पिछली बार छात्रावास के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई थी, एक करोड़ क्या है । पैसा जारी किया गया लेकिन छात्रावास क्यों नहीं बना । घोषणा दूसरी चीज है, क्रियान्वयन दूसरी चीज है । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात आयी कि उससे हम रोगजार दे रहे हैं । 16 अक्टूबर, 1995 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक शासनादेश जारी किया उस शासनादेश के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सुविधायें दी जायं । मान्यवर, आबादी के अनुरूप स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राइबेल सब प्लान हेतु समाज कल्याण विभाग धन व्यय करे । 1996-97 में इसी को लागू किया गया था तो अम्बेडकर ग्राम योजनाओं में विद्युतीकरण का काम हुआ, सड़कें बनीं । 1997-98 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना तैयार करके भारत सरकार के पास भेजा है । उसकी तत्कालीन प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, योजना आयोग के अध्यक्ष सभी लोगों ने इस प्रारूप की भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।

यह कहा कि पूरे देश के लिए व अन्य प्रदेशों के लिए माडल है । आपने क्या किया 12 जनवरी, 1998 को एक अन्य शासनादेश जारी कर दिया एवं इसके द्वारा 16 अक्टूबर, 1995 के शासनादेश को निष्प्रभावी कर दिया । जिस शासनादेश को प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति तक ने माडल माना उस पर आपने विपरीत रुख अपनाया । आपने प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं प्रमुख सचिव, नियोजन की एक समिति बना दी उसने कौन सी कार्यवाही की । मेरा कहना यह है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है । मंशा साफ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं । सचिव को कुछ सदन को सूचना देनी है ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

संयुक्त सचिव, विधान सभा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) तथा अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण (क्रमागत)

श्री राम जग–

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के बारे में 16 अक्टूबर, 1995 को जो शासनादेश जारी हुआ था यदि उसको बहाल कर दिया जाए उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाए तो मैं समझूं कि यह सरकार संवेदनशील है । अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के प्रति

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

1996-97 में सरकार ने योजना परिव्यय को 21.2 प्रतिशत धन इन वर्गों के विकास के लिए खर्च किया था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब जब आप उत्तर भाषण दें उस समय बाकी बातें रख दें ।

श्री राम जग–

यह सरकार जो सैनिक कल्याण योजना है उसके बारे में अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है । यह अनुसूचित जाति, जनजाति के सवाल पर कटौती कर रही है । 11वां वित्त आयोग आया उसमें सरकार ने समाज कल्याण विभाग की किसी योजना को नहीं रखा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह अनुसूचित जातियों, जनजातियों की रक्षा करने में नाकाफी है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो सदस्य बोलना चाहते हैं अपना नाम भिजवा दें तो सहयोग हो जायेगा ।

*श्री बेचन राम–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं । मैं इस बजट को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं । समाज के शोषित, कमजोर, पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश में इस विभाग की स्थापना 55 में हुई थी । शुरू में इस विभाग का नाम हरिजन कल्याण विभाग था परन्तु 91-92 में हमारी सरकार ने इसका नाम संशोधित कर समाज कल्याण विभाग रख दिया । इसके अन्तर्गत समाज के अत्यन्त उपेक्षित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उनका शैक्षिक उन्नयन करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

इस सरकार ने पिछड़े बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास किया है । शिक्षा के उन्नयन के लिए 345 प्राथमिक विद्यालयों को अनवरत सूची में लेने का काम इस सरकार ने किया है । अध्यापकों के भरण पोषण के लिए भी इसमें योजना है । यह कार्य किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया है । मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने दलितों के उत्थान, छात्रों के उन्नयन के लिए जो यह बजट प्रस्तुत किया है सराहनीय कार्य है । इस बजट में सब कुछ है चाहे वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात हो, छात्रवृत्ति योजना की बात हो, अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान की बात हो, उनके पुत्र-पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान की बात हो, पी० सी० एस०, आई० ए० एस० कम्पटीशन के लिए कोचिंग के लिए अनुदान की बात हो । अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए 20 हजार रुपये का प्राविधान और मृतक आश्रित के लिए दो लाख रुपये की यह योजना प्रशंसनीय है । आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से इस सरकार ने समाज के दबे, कुचले वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने का प्रशंसनीय कार्य किया है । मेरे जिले चौरीचौरा में विशुनपुरा गांव में आश्रम पद्धति विद्यालय है जहां पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है, वहां हास्टल है जिससे छात्रों को रहने की पूरी सुविधा है, मैंने वहां बच्चों से बात की है वे वहां दिये जा रहे भोजन से संतुष्ट हैं ।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ला पीठासीन हुए ।)

मैं अपनी इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहना चाहता हूं । हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के छात्रों के लिए जिनके गणित, विज्ञान, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषय हैं, उनकी फाईनल की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करके अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों को प्रथम श्रेणी में पास करने के लिए तैयार करती है । अनुसूचित जाति की जो आबादी 25 प्रतिशत है उसके विकास की दिशा में यह सरकार प्रयास कर रही है और इस बजट के माध्यम से भी यह व्यवस्था की गयी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे एक ऐसे विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, जो विभाग प्रयासरत है हजारों साल से वंचित और उपेक्षित समाज के उन्नयन के लिए । अगर उनका कल्याण करना है, उनको मुख्य धारा में लाना है तो उसके लिए आवश्यकता है वित्तीय व्यवस्था की । जो पैसा विभिन्न कार्यों/योजनाओं के लिए दिया जा रहा है वह सही लाभार्थी तक पहुंच सके यही दो मुख्य आवश्यकतायें हैं कि इन सारी स्कीमों को सही ढंग से संचालित किया जाय । माननीय मंत्री जी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक सही लाभार्थी तक पहुंचने की हालत है अगर उसमें आप कोशिश करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें तो यह आपकी बड़ी सफलता होगी । जो मेरी जानकारी है, यह विभाग दलालों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है । इसमें आपको काफी कठोर कार्यवाही करनी होगी ।

दूसरा है, वित्तीय स्थिति । आपने जो यह 2000-2001 की दिग्दर्शिका दी है, उसे मैं देख रहा था । आपके पास वित्तीय स्रोत क्या हैं । केन्द्रीय सहायता वाली कुछ योजनायें हैं जिनमें 50 प्रतिशत आपको केन्द्र से मिलता है और कुछ शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली योजनायें हैं । 1998-99 में जो 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त वाली योजना है, उसमें जो एक्चुअल प्राप्त हुआ वह 41 करोड़ 98 लाख 10 हजार रुपए है । अब, आप 1999-2000 देखें, जिस काम के लिए 1998-99 में कोशिश करके केन्द्र सरकार से 41 करोड़ 98 लाख 10 हजार रुपये प्राप्त किये गये थे, वहीं आपके समय में वर्ष 1999-2000 में जो बजट में प्राविधान किया गया था 6 करोड़ 85 लाख था, उसके सापेक्ष आपको जो एक्चुअल प्राप्ति हुई वह 4 करोड़ 65 लाख 73 हजार रुपये की है । यह तो एक्चुअल देखा जाय तो आगे कम होगा । इस वर्ष 89.75 लाख रुपये केन्द्र द्वारा दिये गये, इस प्रकार 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार का अंश है । उत्तर प्रदेश का जो अंश है 50 प्रतिशत मैचिंग अंश या तो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए केन्द्र सरकार से हम नहीं ले पा रहे हैं जहां हमें 41 करोड़ 98 लाख रुपया केन्द्र से प्राप्त हो चुका है और आज 89 लाख पर हम उतर आये हैं । यह चिन्ता का विषय है ।

मान्यवर, वर्ष 98-99 में सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम के अन्तर्गत रुपया 82.76.05.000 वास्तव में प्राप्त हो चुका है । जबकि पिछले साल प्लान साइड में 8 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था और जो प्राप्त हुआ है वह कम है तथा योजनागत मद में और भी कम प्राप्त हुआ है । मान्यवर, इस वर्ष आपने 102.31 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, यह सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम है जिसे आपको प्राप्त करना चाहिए चूंकि उसमें शत प्रतिशत पैसा भारत सरकार से मिलना है । जरूरत है बजट में जो प्राविधान किया है उसको भारत सरकार से रिलीज करवा लें ।

इसलिए राज्य सरकार द्वारा जो-जो व्यवस्था की गयी है उसमें देखें तो वर्ष 1998-99 में प्लान साइड में 165 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया है । उसके सापेक्ष वर्ष 1999-2000 में बजट में 323.25 करोड़ रुपया का प्राविधान किया था और पुनरीक्षित बजट 323.25 करोड़ के सापेक्ष 225 करोड़ 47 लाख 15 हजार रुपये की व्यवस्था किया है । इस वर्ष कोशिश है कि वर्ष 2000-2001 में 330 करोड़ 51 लाख 72 हजार रुपये बजट में रखा है जिसका सही मूल्यांकन अगले वर्ष होगा । इसलिए जो बजट प्राविधान आपने किया है, पिछले सालों के सापेक्ष सेन्ट्रली स्पासर्ड स्कीम में बढ़ा है लेकिन दूसरी योजनाओं में नहीं बढ़ा है । यही कारण है इस वर्ष जो खर्च का विवरण दिया है उसमें आपने प्लान साइड में अनुसूचित जातियों के कल्याण की मद में वर्ष 1998-99 में जो वास्तविक बजट खर्च कर चुके हैं वह 209 करोड़ 29 लाख 83 हजार रुपये है जबकि प्राविधान 232 करोड़ 32 लाख 16 हजार रुपये का किया गया था किन्तु खर्च 168 करोड़ 9 लाख 16 हजार रुपये हुआ है ।

[समय–5 बजकर 30 मिनट]

यह पुनरीक्षित है एक्चुअल आयोग तो वह इससे भी कम होगा । जहां प्रदेश में 98-99 में अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया गया है वह है 20929.86 लाख । 99-2000 में यह 16809.16 लाख था आज जब महंगाई बढ़ी है आप कितना खर्च करके कितना कल्याण कर पायेंगे । आपने इस वर्ष जो बजट प्रोविजन रखा है वह 24064.07 लाख है । यह तो आने वाले दिन ही बतायेंगे कि आप इससे कितना लाभ के कार्य कर पायेंगी । धन की जो उपलब्धता आपको जहां से होनी थी उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हो पायी है तो खर्च भी निश्चित रूप से आपको सीमित करना पड़ेगा । अनुसूचित जाति के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात रामजग जी कर रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं संक्षेप ही कर रहा हूं । मान्यवर, इसमें 7816.20 लाख रुपये वर्ष ९८-९९ में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए खर्च कर चुके हैं । केन्द्र से जो सहायता मिलनी थी उसके लिए यदि आप मैचिंग शेयर कर पायी होतीं तो यह जो इसके अगेन्स्ट 8714.23 लाख का प्रोविजन था खर्च हुआ 5375.74 लाख तब पुनरीक्षित में यह 5375.74 लाख में तब आया । 8708.74 लाख रुपये रखने की आपने कोशिश की है कितना आप प्राप्त कर पायेंगे । यह तब होगा जब प्रदेश सरकार का जो अंश है, उसे आप उपलब्ध करा पायेंगे । इसी तरह से विमुक्त एवं खानाबदोश जनियां हैं जिन्हें पहले क्रिमिनल ट्राइब के नाम से जाना जाता था इसके लिए 233.30 लाख रुपये का प्राविजन ९८-९९ में था । ९९–2000 में 304.37 लाख था । इस वर्ष आप पता नहीं कहां से इनके लिए 274.93 लाख रुपये का बजट प्राविजन ला रही हैं यह भी पिछले वर्ष से घट गया है । इससे पता नहीं क्या आप उनका कल्याण करने जा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं । जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है उसी की तरफ सदन का ध्यान खींचने की कोशिश की है । उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त विकास निगम है उसके द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनको बजट पुस्तिका में दिखाया गया है । कितना लक्ष्य था कितनी प्राप्ति थी । 97-९८ में यह ९1 प्रतिशत एचीवमेन्ट था ९८-९९ में 100 प्रतिशत था और इस वित्तीय वर्ष में 37.9 प्रतिशत एचीवमेन्ट रहा है । यह गिरावट क्यों आयी है इसको भी देखने की जरूरत है । अनुसूचित जाति के भले के लिए जो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, उसके द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसका लाभ तब ही मिल पायेगा जब उसकी तरफ आपकी निगाह होगी ।

प्रदेश से बैंक से जो ऋण मिलता है वह तब ही मिल पायेगा । आज प्रदेश का सी० डी० रेशियो गिर रहा है । इन योजनाओं में जो मार्जिन मनी आप देती हैं तब ही ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक देगा और उससे भी प्रदेश का सी० डी० रेशियो बढ़ेगा । इसलिए अनुरोध है, दो मेरे सुझाव हैं । इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है वित्त मंत्री जी ज्यादा पैसा दे दें हम तो सर्वसम्मति से चाहेंगे । पूरा विपक्ष आपको इस बात के लिए पूरा का पूरा विपक्ष सहयोग दे रहा है कि आप ऐसा समाज के कल्याण के काम करने के लिए पैसा मांग रही हैं । वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जितना पैसा ये मांग रही हैं उतना दे देने की कृपा करेंगे । लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं । इनकी योजनाओं में मैंने देखा है तमाम योजनाओं में आपने कैंची लगाई है । जो पीछे खर्चा हो चुका है उससे कम देने का काम किया है ।

*वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय समाज कल्याण विभाग की मंत्री जी ने जो मांगा है वह दिया गया है और आवश्यकता होगी और वह मांगेंगी तो वह उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसकी मानीटरिंग होनी चाहिए । इसके भ्रष्टाचार के ऊपर जितना अंकुश लगायेंगे सही व्यक्तियों तक यह कल्याणकारी योजना पहुंच सकेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहूंगा कि इस वर्ग के लिए जितना पैसा दिया जा सके दिया जाए इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बनवारी लाल दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समाज कल्याण विभाग के बजट में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मान्यवर, यह ऐसा बजट है जो समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए हर प्रकार से, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े हैं जो दबे कुचले हैं जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर है ऐसे समाज में लोगों का उत्थान करने के लिए, माननीय मंत्री जी द्वारा यह बजट लाया गया है ।

यह निश्चित ही सराहनीय है यद्यपि इस बजट में किसी भी जीवन के क्षेत्र को छूने का कार्य या उत्थान का कार्य, चाहे वह विकलांग क्षेत्र में देख लें तो विकलांगों के लिए,चाहे वह मूक-बधिरों के लिए, चाहे वह मानसिक अक्षम हों उनके लिए जो बजट में प्राविधान किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है । चाहे वह छात्रवृत्ति हो, चाहे वह पेंशन हो, चाहे वह अनुदान हो समाज के हर पहलू को छूने के लिए, उत्थान के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, यह बजट है, मैं रामजग जी से कहूंगा वह उस समाज के सदस्य हैं उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं समझ रहा था माननीय सदस्य रामजग जी को कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था क्योंकि हर समाज के उत्थान के लिए यह बजट लाया गया है । वित्त मंत्री जी इस समाज के लिए और आवश्यकता पड़ेगी तो और बजट देंगे माननीय वर्मा जी ने भी उनसे निवेदन किया यह सराहनीय है ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है उसमें 10 हजार का प्राविधान है इसमें माननीय मंत्री जी बढ़ाने का प्राविधान करें इसको बढ़ाया जाना चाहिए । जो पुत्रियों की शादी के लिए 35 सौ रुपया जिसकी वार्षिक आय उसको 10 हजार रुपये देने की बात कही है इसी तरह से शहरी क्षेत्र में जिसकी 4500 रुपये वार्षिक आय है उसको 10 हजार रुपये पुत्री के विवाह में दिये जायेंगे यह कहा गया मान्यवर, आज के समय में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही कमजोर क्यों न हो कहीं काम करने जाएगा तो 10–15 रुपये प्राप्त कर सकता है अगर काम करता है तो 500–600 पैदा कर सकता है तो वार्षिक आय बढ़ाने का काम किया जाए ताकि दस हजार रुपया प्राप्त हो सके । यह बहुत ही सराहनीय बजट है मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री रामविशुन आजाद–

मान्यवर, 1955 में समाज कल्याण का गठन हुआ उत्तर प्रदेश के दबे और कुचले दलितों के विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शैक्षिक योग्यता देने के लिए इस विभाग का गठन किया गया था आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी आबादी है मान्यवर, सवा तीन करोड़ अनुसूचित जाति के लोग जो समाज में दबे कुचले हैं उनके विकास के लिए मंत्री जी ने कोई बजट नहीं रखा है जिससे उनका विकास हो सके ।

इसलिए मान्यवर, माननीय राम जग जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है और इसलिए रखा है कि यह सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आयी है तब से समाज के दबे, कुचले वर्ग के लिए कोई योजना नहीं रखी और यह देखा जाय कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का इससे विकास नहीं हो पाया है । आज आप शिक्षा की बात करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा देंगे । लेकिन वहीं इस सरकार ने ट्यूशन फीस बढ़ा दी है और जो समाज का दबा, कुचला और गरीब वर्ग है उसने उसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शैक्षिणिक स्तर ऊँचा नहीं हो सकता है । राजकीय आश्रम पद्धति की बात करते हैं । पाँच सौ रुपया प्रति माह बच्चों के लिए देते हैं । चार सौ रुपया प्रति माह कपड़े के लिए देते हैं और 150 रु० लेखन सामग्री के लिए देते हैं । पाँच सौ रुपये में वह बच्चे क्या खा सकते हैं इस मंहगाई के जमाने में । तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जो समाज के दबे, कुचले बच्चे हैं उनको पाँच सौ रुपये से बढ़कार एक हजार रुपया प्रति माह भोजन के लिए दिया जाय जिससे वह भोजन कर सकें । जो 150/- रुपया लेखन सामग्री के लिए दिया जाता है उसे बढ़ाकर तीन सौ रुपया कर दिया जाय और जो आप चार सौ रुपया कपड़े का देते हैं, मान्यवर, अगर आप स्वेटर लेने जायें तों आपको पता ही होगा कि चार सौ रुपया का तो एक स्वेटर ही आता है तो वह आगे क्या करेंगा । इसे कम से कम तो हजार रुपया किया जाय । मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा–1 से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । हमने कहा कि इसे हाइस्कूल का दर्जा दे दिया जाय नहीं मिल पाया है । तो मेरा अनुरोध है कि इसे हाईस्कूल का दर्जा दिया जाय । राजकीय परिवार योजना का लाभ जो घर का मुखिया होता है, अचानक जब वह मर जाता है तो सरकार दस हजार रुपये देने की बात करती है । लेकिन तहसील में जब दरख्वास्त दी जाती है तो लेखपाल, एस०डी०एम० उसको दौड़ा-दौड़ा कर परेशान कर देते हैं । तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इसमें नियमों को शिथिल किया जाय और वहाँ पर उनको पैसा दिया जाय जिससे परेशानी का सामना उनको न करना पड़े । मान्यवर, मद्य निषेध के नाम पर करोड़ों रूपया खर्च करती है । लेकिन जो दलित लोग हैं उनको शराब बनाकर पिलाने का काम यह कर रही है । यह सरकार जहरीली शराब पिलाकर उनके शरीर में जहर घोलना चाहती है । एक तरफ तो यह कहती है कि हम मद्य निषेध लागू करने जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ 2000-2001 में तीन सौ करोड़ से भी अधिक आप शराब से लाना चाहती है । इसमें जो दर्शाया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए शैक्षिणिक कार्य । लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हैं यह देखिये । आप अम्बेडकर की बात करते हैं।

मान्यवर, अम्बेडकर ग्राम योजना चलायी गयी कहा गया कि वहां पर शराब बंदी विशेष तरीके से लागू की जायेगी । लेकिन आज स्थिति क्या है पुलिस से मिल करके शराब की बिक्री जारी है इस तरह से अनुसूचित जाति और दबे, कुचले हुए लोगों के बीच दूषित वातावरण सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है उनका सामाजिक जीवन ऊँचा नहीं हो सकता है । मान्यवर, थारू विकास परियोजना बलरामपुर में चल रही है वहां सड़क, बिजली की बात की जाती है इन जनजातियों के उत्थान के लिये जो भी पैसा जा रहा है उसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो रहा है । मान्यवर, मातृत्व विकास के लिये 5 हजार रु० दिये जाते हैं सूची जो बनायी जाती है जो पात्र नहीं होती हैं उनकी सूची बनती है । जनपद गोंडा में मातृत्व लाभ योजना जो चल रही है उसको देखने की जरूरत है । इसी तरह से विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को देखने की जरूरत है । अगर सरकार वास्तव में अनुसूचित जातियों के लोगों का उत्थान करना चाहती है तो बजट को बढ़ाने का काम करे तभी इन जातियों का उत्थान हो सकेगा । इसके साथ रामजग जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

डॉ० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, अधिष्ठाता जी हमारी माननीया समाज कल्याण मंत्री जी ने जो सोच समझकर बजट रखा है उसका पूरा सदुपयोग होगा । लेकिन थोड़ा सा हमें दुख है कि अभी 100 करोड़ रु० का ही केवल बढ़ाया गया है यह कम हमको लगता है इसको बढ़ाने का कष्ट करें चाहे केन्द्र सरकार से सहायता लें या अपनी उ० प्र० की सरकार से सहायता लें । अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों और गरीबी के कारण हमारे समाज की बहुत संख्या में लोग एक त्रासदी अमानवीय जीवन जीने के लिये मजबूर हैं हमको अपनी ओर से कुछ सहायता दे सकें तो अति उत्तम हो । मान्यवर, जो वंचित हैं, परित्यक्त हैं, असहाय हैं आपके मन में उनके उत्थान की बात है और सभी लोग चाहते हैं कि उनके विकास की योजनायें बनायी जायें लेकिन घोषणाओं और वास्तविक योजनाओं को बनाने में बहुत अंतर है । क्या आप ऐसी

कोई योजना बनायी है जिससे कि जो अपंग लोग हैं, वह किस कारण से विकलाँग हुए हैं, यह पता लगाया जा सके। टी०बी० से, एक्सीडेंट से, पोलियो से, टायफाइड से या जन्मजात हैं विकलांगता का एक साईंटिफिक सर्वे करायें ? क्या आपने इस दिशा में कोई कोशिश की है कि उनका इलाज करायें और उनकी विकलांगता खत्म करायें उनको सम्पूर्ण मानव के रूप में जीने का अवसर दिया जाय। बहुत से विकलांग ऐसे हैं, जिनको समय से सहायता दी जाय। पोलियो (Polio) से विकलाँग हुए बच्चों का समय से आपरेशन कराया जाय तो बहुत से बच्चे पूरे जीवन के विकलाँगता के शाप से बच कर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

यह मेरा सुझाव है कि आप इस पर विचार करें जो ऐसे विकलांग हैं उनके लिए हर ब्लाक में एक ऐसा स्थान हो जहाँ वह रह सकें और उनकी देख-रेख के लिए जो वृद्धों को, विधवाओं को परित्यक्ताओं को, स्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, उनको सेवायें ऐसी संस्थाओं में लें जो हमारे समाज को कुछ दे सकते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको इनकी देखरेख के लिए रखें जाय ताकि उनका भी भला हो सके। जो पेंशन दी जा रही है, इसी धन को हम तनख्वाह के रूप में दे सकते हैं। उनके लिये भी यह एक सम्मान की बात होगी, वह भी एक साधारण जीवन सम्मान से जी सकें। मान्यवर, सबसें खराब बात होती है जब मनुष्य हीन भावना से ग्रसित होकर रहता है। इसको खत्म करने के लिए आप प्रेक्टिकल ढंग से इसको सोंचे केवल हवा में घोषणायें करने से कुछ नहीं होगा। जो आज की व्यवस्था है, वही असहाय और विकलांग सी लगती है। जो पेंशन वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा और विकलाँगों को मिलनी चाहिये दे रहे हैं वह उन तक नहीं पहुँच रही है। उनको तहसील तक आने जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है और बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी वह उनको नहीं मिल पाती है, जो मिलनी है। पूरे प्रान्त से ही ऐसे समाचार हैं कि भ्रष्टाचारी कर्मचारी उनको लूटने का काम करते हैं, दया नहीं दिखाते हैं इसकी व्यवस्था आप क्या कर रही हैं। इसको देखने की आवश्यकता है ताकि जिसका जो देय है उस तक वह पहुँच सके। इसके लिए दृढ़ता से कदम उठाना पड़ेगा ताकि भ्रष्टाचार भी कम हो और जो योजना बनाई गयी है उसका सही लाभ लोगों को मिल सके।

वैसे जो भी हमारा बजट रखा गया है समाज कल्याण का, बहुत अच्छा है सभी पहलुओं पर मंत्री जी ने सोचा है हमारा अनुसूचित जाति के लिये परियोजनायें हैं जो दूसरा गरीबों के लिए भी बजट में प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और इसका समर्थन करती हूँ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि आप समाज कल्याण विभाग के बजट पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीया समाज कल्याण मंत्री ने इस सम्मानित सदन में जो अपने विभाग का बजट प्रस्तुत किया है उसमें मुझे इस बात की बहुत उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी अपेक्षा के अनुसार कुछ नई घोषणाएँ प्रदेश में चलने वाली अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के कल्याण के खातिर करेंगी लेकिन मुझे निराशा हुई उनका बजट साहित्य पढ़ने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि माननीया मंत्री जी ने 1997-98, 1998-99, 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 के लिए जो बजट का प्राविधान किया है वह विगत वित्तीय वर्षों की तुलना में बहुत कम है। उन्होनें अपने बजट में अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों के कल्याण के खातिर कोई ठोस प्राविधान नहीं किया है। मैं आपकी अनुज्ञा से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहाँ सिर्फ 1997-98 में आयोजनागत और आयोजनेत्तर दोनों व्ययों का योग 21 कारेड़ 88 लाख रुपये था, वहीं 1998-99 में आयोजनागत और आयोजनेत्तर दोनों व्यय घटकर 16 कारेड़ 3 लाख रुपया हो गया। उसके बाद 1999-2000 में यह दोनों व्यय बढ़कर 20 करोड़ 46 लाख रुपये रहा। लेकिन 2000-2001 के बजट में यह नीचे उतरकर 16 करोड़ 2 लाख रुपये हो गया।

मैं आपकी अनुमति से माननीया मंत्री जी के संज्ञान में यह बात डालना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में आवर्तक अनुदान पर 586 अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय हैं और जिनमें लगभग

4 हजार अध्यापक कार्यरत हैं । श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं माननीया मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूँ कि बहुत पहले प्रदेश में राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये लाभ नई योजना प्रारम्भ की गई थी । इस संबंध में नियमावली बनी । माननीया मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वह नियमावली अक्टूबर, 1964 को प्रवृत्त हुई समझी गई थी । इस नियमावली में उक्त योजना के नियमावली के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है । नियमावली का उद्देश्य राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये 3 प्रकार की सेवा लाभ सुनिश्चित करना है । अर्थात् अंशदाई भविष्य निधि, बीमा तथा पेंशन, लाभ कई योजना है । श्रीमन् यह लाभत्रई योजना आज तक प्रदेश की धरती पर उतर नहीं पाई और 4 हजार अध्यापक जो अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, सन् 1964 से आज तक नियमावली की व्यवस्था से वंचित हैं । माननीया मंत्री जी को इस बात की जानकारी है, वह स्वयं इस बात को जानती हैं कि 15 अक्टूबर, 1992 और 15-8-95 को प्रमुख सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी और वार्ता में सिद्धान्त रूप से उक्त लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया था । निदेशालय स्तर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है लेकिन आज तक निदेशालय द्वारा प्रस्तुत उस आख्या पर शासन, लाभत्रई योजना का लाभ शिक्षकों को मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाये । आज तक राजाज्ञा जारी नहीं हो सकी जिसका परिणाम यह है कि अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, वह लाभत्रई योजना से वंचित हैं ।

माननीया मंत्री जी से बहुत उम्मीद थी और पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, उनको इसलिये भी उम्मीद थी क्योंकि सन् 1992 में प्रमुख सचिव स्तर पर जो वार्ता हुई थी, वह माननीया मंत्री जी के निर्देश पर ही हुई थी । आज उत्तर प्रदेश में उन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले गरीब परिवारों के जो शिक्षक हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि आप पुनः सत्तारूढ़ हुई हैं और यह महकमा आपने पुनः संभाला है, अतः इस बजट में लाभत्रई योजना को जरूर दिलवायेंगीं । लेकिन अब तक इसकी घोषणा माननीया मंत्री जी नहीं कर सकी हैं । मैं आपकी अनुमति से इस बात को कहते हुये समाज कल्याण के बजट पर जो माननीय श्री रामजग जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देते हुये अपनी बात खत्म करता हूं, पुनः माननीया मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ , कि सन् 64 की इस लाभत्रई योज़ना, जो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मुस्तकाबिल से जुड़ी है । उसे कृपा करके अमलीजामा दें, उसे कार्य रूप में परिणित कराने की कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी और 3 बजट हैं, बहुत समय लगेगा इसलिए केवल 2-2 मिनट में अपनी बात कह लें । सबको मौका मिल जाये । यह अनुरोध कर रहा हूँ ।

* श्री अक्षयवर लाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने समाज कल्याण के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित वर्ग के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बहुमुखी विकास के लिए जो योजनाएं रखी हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । किसानों के हित के लिए जो फ्री-बोरिंग योजना है, ट्रैक्टर पर मार्जिन मनी योजना है, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि अनुसूचित वर्ग के पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए कार्य करने के लिए जो मिनी बस, टैम्पो योजना लागू की गयी है, उसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि जो आपने इस सीमा को बढ़ाया है, समाज के उत्थान के लिए अवसर दिया है और जो बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनके लिए भी आप इस सीमा को और बढ़ाने की कृपा करें । जो योजना सरकार के द्वारा लागू की गयी है आज उसका प्रतिफल ग्राम के अन्दर दिखायी दे रहा है । चाहे हमारे वर्ग की पुत्रियों की शादी के लिए, बच्चों के जो कम्पटीशन होते हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजना चलायी है उससे समाज का विकास हो रहा है ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान एक विशेष प्रकरण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ । इस पंचायत चुनाव में बहेलिया वर्ग 'अनुसूचित वर्ग में आती है, उसे हम चिड़ीमार भी कहते हैं, इस वर्ग का एक व्यक्ति जब सर्टीफिकेट लेने गया तो उसे सर्टीफिकेट नहीं दिया गया । वह चाय बेचता है । मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है । आप एक सर्कुलर जारी करें कि इस प्रकार भेदभाव करना अपराध है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो योजनाएँ चलायी जा रही हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ और मैं राम जग जी से निवेदन करूँगा कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, हम लोगों की समाज के हित में वह नहीं है, उसको आप वापस लें और इस बजट का समर्थन करें ।

* श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, आदरणीय राम जग जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है । अनुसूचित जाति, जनजाति के तमाम लाखों-करोड़ों लोगों की उपेक्षा इस सरकार के द्वारा की गयी है । मान्यवर, 1997-98 में इस प्रदेश में 58 छात्रावास अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए बने थे । उन 58 छात्रावासों में रसोइया, चौकीदार, भोजन बनाने वाले, सफाई करने वाले और छात्रावास के अधीक्षक मान्यवर, आज तक किसी की तैनाती नहीं हुई है और वह 58 के 58 छात्रावास प्रदेश में लगभग 3 साल से वहां खड़े हुए हैं । मान्यवर इसी तरह प्रदेश में कई आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, 97-98 में स्वीकृत हुए थे उनमें आज तक किसी भी अध्यापक की और अन्य विभाग के जो स्टाफ हैं, उनकी किसी की तैनाती नहीं हुई है । जिसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है । पिछड़ी जातियों के छात्रों को प्रति कक्षा में केवल 5 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है मैंने पिछले साल भी जब माननीय हरीश जी ने समाज कल्याण का बजट रखा था तो सुझाव दिया था कि पिछड़ी जातियों की 52 प्रतिशत आबादी है इसमें से अधिकतर लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं इसलिए पिछड़ी जातियों के शत प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति देनी चाहिए । 1999-2000 में सरकार द्वारा कुछ विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों व अध्यापकों के हितों को ध्यान में रखकर राज्य आकस्मिकता निधि से व्यवस्था करके इनको अनावर्तक अनुदान सूची पर लिया गया जिससे इनको केवल 1 साल के लिए अनुदान मिला और भविष्य में अब इनके अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए इन विद्यालयों को अनावर्तक सूची पर लेकर इनको सहायता दें ताकि इनके अध्यापकों को वेतन मिल सके । इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसमें प्रदेश स्तर पर लाखों करोड़ों रुपया का घपला हो रहा है । इस संबंध में अखबारों में खबरें छपी हैं, शासन स्तर पर, निदेशालय स्तर पर और मंत्री जी से भी शिकायतें की गयी हैं लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग में कोआर्डिनेशन करके इसमें सुधार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें । (श्री दीप लाल भारती का नाम पुकारा गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण बजट पर अभी माननीय सदस्य ने बोलने की शुरुआत की है और आज कह रहे हैं कि समाप्त कर दीजिए । कुछ समय आप दें ।

श्री श्रीराम पाल–

फिर मेरे बोलने से क्या फायदा । मैं सुझाव के रूप में बात कह रहा हूं । मेरी बात विभाग और प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों के हित.....

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठिये ।

श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, आपने समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । श्रीमन्, हम सभी जानते हैं कि 1961 में [× × ×] समाज कल्याण विभाग के नाम से यह विभाग था जिसका नाम 1995-96 में बदल कर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया ।

श्री श्रीराम पाल–

[× × ×] शब्द संसदीय नहीं है, इसको कार्यवाही से निकाल दें ।

*श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, यह बजट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लाभकारी है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसको पढ़ने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना हो रही है ।

उत्पीड़न की घटनाओं पर आर्थिक सहायता दी जा रही है । पुत्रियों की शादी और परिजनों की बीमारी हेतु भी धन दिया जा रहा है । स्पेशल कम्पोनेंट योजना अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बनाकर दिया जा रहा है । आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण जिसमें आई० ए० एस०, पी० सी० एस० कोचिंग सेन्टर स्थापित किया जा रहा है । इस वित्तीय वर्ष में 2000-2001 के सापेक्ष आय-व्ययक में अब तक 35,171.76 लाख रुपये का प्राविधान आयोजनेत्तर 2777.64 लाख का प्राविधान करते हुए कुल 57,248.82 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है । छात्रवृत्ति में जो धन सरकार ने दिया है 1998-99 में वह कुल 78.90 लाख छात्रों को दिया गया है । वर्ष 2000-2001 में 95 लाख 1 हजार 204 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य है ।

मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण के संबंध में अस्पृश्यता का मानक मानकर अनुसूचित जाति माना गया है । उसके अन्तर्गत गोरखपुर जिले में कुछ ऐसी जातियां हैं जो स्थानीय चुनाव हुआ है उसमें पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र लेकर चुनाव लड़े हैं । वह कहीं कहार लिख रहे हैं तो कहीं गौड़ लिख रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाय । मान्यवर, 1982-83 में जो आई० सी० डी० एस० योजना चलायी गयी.....

श्री बालचन्द्र मिश्र–

आई० सी० डी० एस० योजना बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का है, आज समाज कल्याण की बात करें ।

नोट :– [× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, यही बात कह कर मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बढ़िया बजट जो गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया, आपका आभार। माननीया मंत्री जी ने अभी जो भाषण पढ़ा। वास्तव में यह ऐसे वर्ग के लिए बजट है जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, विकलांग, वृद्ध जो असहाय की श्रेणी में आते हैं। माननीया मंत्री जी जब बजट पढ़ रही थीं तो ऐसा लगता था कि अब इस प्रदेश में कोई दुःखी नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। समय है नहीं कि आंकड़े पढ़ें। १९९८-९९ का जो पुनरीक्षित हुआ उसको देखें और आज का देखें तो बजट पिछले साल से इस साल कम है।

मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आपके पास धन की व्यवस्था कम है तो इन सब जातियों का कल्याण कैसे होगा, यह तो बहुत कष्टकर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में है और प्रदेश में भी है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि भारत सरकार से इतनी धनराशि उपलब्ध करायें जिससे वहां के दलित कमजोर और पिछड़े लोगों का कुछ कल्याण हो सके। आपका बजट पिछले वर्ष से कम है जब बजट पुनरीक्षित होगा तो और कम होगा। विश्लेषण करना चाहते थे कि लेकिन समय नहीं है। दो-तीन बातें कहना चाहते हैं जहां तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात कही है फ्री-बोरिंग योजना में धन केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लेते हैं। वास्तविक रूप से जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। यही हालत छात्रवृत्ति की है पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के संबंध में आप देखें किसी स्कूल में 50 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती, किसी में 100 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती और किसी में 4 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती। प्रबन्धीकरण और अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ हो जाती है ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाती है।

इस संबंध में मानक निर्धारित होना चाहिए कि इतने बच्चों पर इतने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। वरना पूरी की पूरी छात्रवृत्ति अधिकारी और प्रबन्धीकरण हड़प लेते हैं। जहां तक पुत्रियों की शादियों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की लड़कियों के लिए धन आवंटित होता है ऐसा रोज देखने को मिलता है जिनकी एप्रोच होती है, जो एप्रोच कर लेते हैं उसको रुपया मिल जाता है वरना रुपया नहीं मिल पाता है। इसमें होना यह चाहिए कि प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

जहां तक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की बात है मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता मैं अपने जिले मैनपुरी की बात करता हूं वहां सारे के सारे लोगों की पेंशन एकदम बन्द हो गयी है बन्द होने के बाद एक-एक करके लोग जाते हैं जो लोग पहुंचते हैं, दफ्तर में जाते हैं वहां मिल कर जाते हैं उन्हीं की पेंशन निर्धारित होती है वरना पेंशन रोक दी गई है। करहल विकास खण्ड में बाल विकास पुष्टाहार में जो सामान बच्चों को खाने के लिए, बिस्कुट आदि मिलते हैं उसमें छापे के दौरान कुएं में सामान फेंक दिया गया जो पकड़े गये उसमें आज तक कार्यवाही नहीं हुई। जिन गांवों में बाल विकास पुष्टाहार की योजना चल रही है आप एक दो गांव करहल ब्लाक के परीक्षण करवा लें कोई चीज नहीं बंट रही है। जबकि आपकी मंशा है कि गरीब की मदद करें, कमजोर की मदद करें, विधवा को पेंशन दें उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं मिलना चाहिए उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आपने बजट भाषण में कहा है कि हम बिना पक्षपात, बिना एप्रोच के उनको यह सुविधाएं प्रदान करेंगे इसलिए मेरा कहना है कि आप चार-छह जगहों का परीक्षण करवा लें सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। यही मुझे कहना है। यह बजट पूरा आकंठ अधिकारियों के हाथ में है सारा का सारा अधिकारियों के हाथ में

है लाखों रुपये अधिकारी खा जाते हैं । इसकी जांच करा लें । इसीलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

आपने समाज कल्याण विभाग के बजट पर मुझे समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अभी हमारे विपक्ष के विद्वान साथी जो इसके पहले सरकार में रहे हैं आज दलितों के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे । मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि––

दलितों के नाम घड़ियाली आंसू बहाने वाली
झूठमूठ उन पर अहसान जताने वालों
अब आपके झांसे नहीं आयेंगे दलित
बजट के समय सदन में हल्ला मचाने वालों
हल्ला करने के केवल बहाना चाहते
हमारे सच्चे कामों को झुटलाना चाहते
अपने समय में तो केवल ये लूट रहे थे
अब गाना आये या न आए गाना चाहते
आप हैं विद्वान भिज्ञ लेकिन मन ना धीर हैं
सच को झूठ साबित करने में भी माहिर हैं
आप तो सरकार थे दलितों के मसीहा भी थे
कितना कल्याण किये थे यह भी जगजाहिर है
आर्थिक विपन्नता से जो भी लोग त्रस्त हैं
सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों से ग्रस्त हैं
कृत संकल्प हम हैं उनके समाजोत्थान के लिए
अस्वच्छ अवयस्क पेशे में लगे जो अशक्त पस्त हैं
विधवाओं का पेंशन से उत्थान बजट में
परिवारिक लाभ में दस हजार प्राविधान बजट में
पुत्र की शादी हो या बीमारी की अवस्था
समय से दे रहे उचित अनुदान बजट में
विकलांगों को सम्मानयुक्त जीने का अधिकार दे रही
पेंशन और नौकरी मेरी सरकार दे रही
शादी के लिए चौदह और भरण पोषण भी
दुकानों के लिए उन्हें बीस हजार दे रही
सरकार चिंता कर रही पूरे समाज की
चिंता है अबला विधवाओं के लाज की
विकलांग, वृद्धा, विधवा, किसान पेंशन
है दे रही सम्मान उन्हें आवश्यकता है आज की

अनुसूचित छात्रों पर विशेष ध्यान बजट में
शिक्षण प्रशिक्षण छात्रवृत्ति का विधान बजट में
मुफ्त भोजन, मुफ्त कपड़ा और मुफ्त किताबें
विदेशों में मुफ्त भेजने का अनुमान बजट में
कुचले दबे, दलितों को आगे बढ़ाना हम चाहते
गरीबी रेखा से ऊपर उठाना हम चाहते
असहाय, वृद्ध वंचित, उपेक्षित, दुखी परित्यक्त
सबको समाज में सुविधा दिलाना हम चाहते

अब मैं माननीय रामजंग जी के लिए दो शब्द कहूंगा कि–

आप जो भी मित्र दे रहे दलील है
लगता है दलितों के कष्ट को आप कर रहे फील हैं
फिर भी बजट में कटौती करने को हैं आमादा
समझा दलितों के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं

इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, मैं रामजग जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। शिक्षा के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि पहले गरीब बच्चों की फीस माफ हुआ करती थी लेकिन इस सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। गरीब लोगों की मजदूरी, सरकारी रेट के तहत 47 रुपये की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि मात्र 47 रुपये में एक मजदूर अपने बच्चे का क्या खिलायेगा, क्या पढ़ायेगा, क्या फीस देगा और क्या किताबें खरीदेगा ? मैं चाहता हूं कि मजदूरी दुगुनी कर दी जाय और अनुदान केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी मजदूरी या वार्षिक आय एक हजार रुपये हो तो मान्यवर, 47 रुपये के हिसाब से 1410 रुपये होती है। मैं चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाय। एक मजदूर लेखपाल के पास जाता है प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए तो लेखपाल कहता है कि कैसे बनायें हमारी गर्दन नप जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन मजदूरों को, विकलांगों को, गरीबों को, दलितों को प्रमाण-पत्र बनवाने की सुविधा के लिए योजना बनाये जिससे इनको लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राम जग जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, आपने समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1948-49 में इसलिए की गई थी इस विभाग द्वारा जो योजनायें चलायी जायेंगी चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हों चाहे समाज के दूसरे दबे-कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए रास्ते बनायेंगी। आज सरकार जो योजनायें चला रही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं वास्तव में इन योजनाओं से इन वर्गों के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, यह सोचने की बात है। जैसा कि श्री बाबू राम जी ने कहा चाहे वह विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे शादी के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये जाने वाले पैसे का सवाल हो, चाहे परिवार लाभ योजना का सवाल है, इन सबकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मैं उन्नाच के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

वृद्धावस्था पेंशन जो योजना है 1999-2000 में कोई भी नई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। यही स्थिति वहां पर विधवा पेंशन की है। पिछले वर्ष जिनको वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन मिल रही थी, वह भी रोक दी गई है। जहां तक शादियों के अनुदान का सवाल है, दलित परिवार की लड़की की शादी के लिए जो 10 हजार रुपये देने की योजना है, वास्तव में जितनी दलित लड़कियों की शादी हो रही है, उन सारी की सारी लड़कियों को पैसा मिलता है। तमाम प्रार्थना-पत्र आते हैं तो यह बताया जाता है कि हमारे पास सीमित पैसा, हम 10–15 लोगों को ही इस योजना में लाभ पहुंचा सकते हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जनपद में जितने भी प्रार्थना-पत्र शादियों के अनुदान हेतु आते हैं, उनकी जांच करवा कर अनुदान देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत भी यही स्थिति है। जहां तक शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति देने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी शिक्षण संस्थायें चल रही हैं जो मात्र कागजों पर हैं और सरकार से अनुदान लेकर बंदरबांट प्रधानाचार्य व दूसरे लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं। विगत वर्ष मैंने आपको एक पत्र रायबरेली के एक इण्टर कालेज के बारे में लिखकर दिया था, जहां पर छात्रवृत्ति का लाखों रुपये का घपला किया गया था। जहां तक निःशुल्क बोरिंग का सवाल है, इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसके बारे में आपको सोचना होगा।

[समय–6 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, स्वतः रोजगार योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके अन्तर्गत माननीय मंत्री जी द्वारा जो 6 हजार रुपये की अनुदान राशि रखी गयी है वह बहुत कम है। चूंकि सरकार 6 हजार रुपये, 50 प्रतिशत अनुदान देने का काम कर रही है, तो कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति 12 हजार रुपये में कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता है। इसलिए इस अनुदान की धनराशि को बढ़ाया जाय।

मान्यवर, मैं पुनः बाल विकास पुष्टाहार योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जिले में 16 में से 15 विकास खण्डों में यह योजना चलाई जा रही है जिसके बारे में सोचने और विचार करने की बात है। जहां यह योजनाएं चल रही है उनमें चाहे बिस्कुट अथवा अन्य सामग्री जो वितरित की जाती है वह गांवों में वितरित न करके बाजारों में बेंच दी जाती है। इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री राम जग जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम जग–

अधिष्ठाता महोदय, समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुत बजट पर मेरे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर श्री बी० आर० वर्मा, श्री दोहरे जी, श्री आजाद, श्रीमती ज्ञानवती, श्री श्रीवास्तव, श्री अक्षयबर, श्री बाबूराम, श्री उदयराज तथा जिन अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं और जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया उन्होंने चिन्ता जताई है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ी जाति समाज के बहुत ही पिछड़े और कुचले जो लोग हैं जो सदियों से पिछड़े हैं उनके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जो बजट लाया गया है और जो व्यवस्था की गयी है वह अपर्याप्त है। मान्यवर, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है; इसलिए मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और समाज कल्याण मंत्री जी को इस समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक धन लाने की व्यवस्था करना चाहिए। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा जितनी भी योजनायें चलाई जा रही हैं वह चाहे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लड़कियों की शादी हो या दूसरी योजनाएं हों उन सभी में सभी जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाय। मान्यवर, आज

उत्तर प्रदेश के अन्दर छात्रवृत्ति देने में व्यापक धांधली हो रही है और प्रभावशाली लोग छात्रवृत्ति खा जाते हैं जिसके संबंध में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जतायी है ।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं उनका लाभ शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिले जिसके संबंध में मंत्री जी ने एक जांच समिति बिठायी थी जिसकी निदेशालय से रिपोर्ट आ गयी है उसके संबंध में मैं चाहता हूं कि आप उसे लागू करायें ।

मान्यवर, महंगाई बढ़ी है इसलिए उसके अनुरूप कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए । हाईकोर्ट ने जो रोक आपने लगा रखी थी उसके खिलाफ फैसला दिया है जिससे उनका वेतन बढ़ाया जाना है । इसलिए उसके अनुरूप धन उपलब्ध कराया जाय । मान्यवर, महंगाई को देखते हुए जो छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा रही है वह बहुत कम है इसलिए महंगाई के अनुरूप आप छात्रवृत्ति को बढ़ायें । कक्षा 1. 2. 3 के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था आपने किया है वह नाकाफी है । मान्यवर, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए अधिक छात्रवृत्ति की आप व्यवस्था करायें । इस प्रकार सम्मानित सदस्यों ने जो विचार रखे हैं । जो हमने चिन्ता जताई है जो अपने कटौती के प्रस्ताव में बात कही है उसको सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी साथियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन किया ।

हमारी यही मंशा है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करें । केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार का जो पैसा मिलता है उसका ईमानदारी से उपयोग हो ताकि जिनके लाभ के लिए यह योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, उसका लाभ उन लोगों को मिल सके । यहां पर मैं माननीया मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि सदन में छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने के बारे में भी घोषणा करें । जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उसी अनुपात में छात्रवृत्ति भी बढ़ाई जाय । वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के जो पात्र व्यक्ति हैं उनका पता लगाकर सही पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ देंगे । इसके साथ-साथ यह भी कहना है कि छात्रवृत्ति का लाभ समय से लोगों के मिल सके । साल बीत जाता है और यह छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल पाता है । आश्रम पद्धति के विद्यालयों में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो । अधिक से अधिक धन देकर जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा करवायें । कहीं पर भवन नहीं हैं या उनकी मरम्मत की जरूरत है तो उसको पूरा करवायें । आई० पी० एस० की कोचिंग सेन्टर हैं वहां पर सुविधायें बढ़ायें। समाज विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में वेतन की बढ़ोत्तरी पर रोक है, वहां पर वेतन बढ़ायें ।

इसी के साथ यही कहना चाहता हूं कि जो बात हमने रखी है उनको ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो इनकी जो मंशा है वह पूरी हो सकेगी । मुझे तो यही कहना है कि करनी और कथनी में बड़ा अन्तर है । "मुंह में राम बगल में छुरी" यह भा० ज० पा० के लोगों के विषय में है । फिर भी वित्त मंत्री जी आप बैठे हैं आप अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ लिखने के लिए कलम हमेशा उठाते हैं फिर भी आपसे आग्रह करेंगे कि इस विभाग को अधिक से अधिक धन दें । इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों की । हमारे भाई बेचन राम, बी० आर० वर्मा, बनवारी लाल, रामनक्षत्र, बहिन ज्ञानवती, भाई सुबाष श्रीवास्तव, अक्षयवर, बाबू राम यादव, दीप लाल भारती, पूर्णमासी पंकज, उदयराज जी की और खास तौर से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखकर इस विभाग के लिये अच्छे सुझाव दिये हैं । भाई रामजग जी ने बहुत ही अच्छे कुशलतापूर्वक बहुत सार्थक सुझाव दिये हैं । जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से सुझाव का आंकलन है । मुझे कोई संकोच नहीं है समय-समय पर उन सुझावों का सदुपयोग होगा । कुछ बिन्दु ऐसे भी आये हैं जहां स्पष्ट करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है । मुख्य रूप से बात आई है

छात्रवृत्ति की । यह हमारे विभाग का आने वाले कल के भारत के भविष्य के रूप में बढ़ती हुई पीढ़ी की समृद्धि. शीलता से जुड़ा सवाल है । हम इस विषय पर बड़े गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन कर रही हूं । यह बात सच हो सकती है कि अभी कुछ.....

(सदन की लाइट चली गई)

जिलों में और कुछ विद्यालयों में छात्रवृत्ति के वितरण में विलम्ब हो रहा है और इसका कारण छिपा नहीं है ।

(सदन की लाइट आ गई)

हम सब जानने हैं कि पिछले दिनों प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी । बड़ी कठिनाइयाँ थीं । अंतिम दिन तक प्रयास करके मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने यशस्वी वित्त मंत्री जी को जिन्होंने पूरी तन्मयता से छात्रवृत्ति से संबंधित सम्पूर्ण बजट का किसी भी कठिनाई में व्यवस्था की । वितरण में थोड़ा विलम्ब अवश्य हो रहा है । शासन ने सुनिश्चित किया है कि 30 मई तक विद्यालय इस वर्ष खुले रहेंगे । हमने विभाग की ओर से चिन्ता की है और सतत् प्रयत्नशील हैं कि छात्रवृत्ति 30 मई तक वितरित हो जाय ।

कठिनाई एक हुई है जिसे हम स्वीकार करते हैं यह छात्रवृत्ति समय से मिल जाती तो इसका सदुपयोग होता..लेकिन इसमें कहीं किसी की कोताही नहीं है कुछ परिस्थितिजन्य कठिनाई थी । जो घपला शब्द आया है, अन्दर जाकर, अन्दर घुसकर किसी चीज को देखा जाएगा, परखा जाएगा तो जो कमियां हैं वह उजागर होंगी, फिर उनको देखा जायेगा । कोई अनियमितता सामने आती है तो इस पर विश्वास नहीं होगा शिक्षा विभाग की सूची, आदि का वैरीफिकेशन होगा, समाज कल्याण विभाग ने धन आवंटित कर दिया, अब समाज कल्याण अधिकारी को भी स्पष्ट निर्देश है तकनीकी कारणों से भले बच जायें लेकिन समाज कल्याण अधिकारी भी उसका भौतिक सत्यापन करेंगे । यदि घपला उजागर होगा तो कार्यवाही की जाएगी, घपले अब उजागर नहीं होंगे इनको समाप्त करने का संकल्प है, इसमें आपकी भागीदारी की आवश्यकता है, इस बजट को रखते समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन योजनाओं में आपकी सहभागिता भी हम चाहेंगे । अगर आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से दबे कुचले लोगों के लिए व्यवस्था है तो यह व्यवस्था उनके हाथों में सीधे पहुँचे ।

हमारी सरकार की पूरी-पूरी सक्रियता है, इस बात पर सक्रियता होगी कि जिन लोगों के लिए योजना है उनको मिले । छात्रवृत्ति भी इससे अलग नहीं है । दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहूँगी कि अध्यापकों के संदर्भ में बात आई मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालयों में ग्रेच्युटी पेंशन की योजना को लागू किया है समाज कल्याण विभाग वेतन के समतुल्य अनुदान देता है हमारे 586 विद्यालयों में जो यह अनुदान संस्थाओं को जाता है यह वेतन भर का जाता है । मान्यवर एक चिन्ता प्रकट की गई कि 345 विद्यालयों को जो एक वर्ष का अनावर्तक अनुदान पिछले वर्ष मिला है वह 94 के बाद मिला है और वह भी इस शपथ-पत्र के साथ मिला है कि आगे मांग नहीं होगी यह सिर्फ उन्हीं को मिला है जिन्होंने शपथ पत्र भरकर दिया है कि आगे मांग नहीं करेंगे । 345 विद्यालय में से 55 को यह राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है बाकी को उपलब्ध हो गई है ।

एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कृतज्ञता के साथ जोड़ना चाहती हूँ इन विद्यालयों की आज भी रूप रेखा बनी होगी निश्चित रुप से हमारे प्रदेश की सामाजिक कठिनाईयां इस तरह की जरूर रही होंगी जब पठन-पाठन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा, जब विद्यालय का प्रारुप बना होगा । अब स्थितियां बदल गई हैं हम सबकी भागीदारी लेकर, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी गुणवत्ता को देखना चाहते हैं इसलिए ऐसे विद्यालय जिन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठान का रूप से लिया है, मैंने बहुत बड़ी शिकायत बहुत बड़ी जाँच बहुत बड़ी

मान्यता को समाप्त करने की बात अपने बजट भाषण में कही थी सैकड़ों विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो गई आप लोग इस बारे में कुछ कहेंगे आप लोग पूछेंगे कि बच्चों का क्या हुआ कुछ साथी पूछेंगे लेकिन यह बात नहीं उठी, यह इसलिए नहीं उठी क्योंकि उन विद्यालयों में एक भी बच्चा नहीं था। ऐसे विद्यालय सरकारी विद्यालय के रूप में धन ले रहे थे, इसलिए इनकी मान्यता समाप्त कर दी गई तो इनके औचित्य पर एक बार चिन्तन करना होगा। एक बात बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ और जोड़ना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वर्षों बाद आंशिक रूप से शुल्क में वृद्धि हुई है और उस शुल्क वृद्धि करने के बाद यह राशि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्ग के बच्चों की है वह आधी है.....

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने अभी चर्चा में भाग ले रहे माननीय सदस्यों का नाम गिनाया। उसमें उन्होंने श्री भीम प्रसाद सोनकर जी और राम बिशुन आजाद जी का नाम नहीं लिया जबकि उहोंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैंने आजाद जी का नाम तो लिया था। लेकिन श्री भीम प्रसाद सोनकर जी का नाम नहीं लिया था इसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीया मंत्री जी संक्षिप्त करें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

हम भाई वर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं इसलिए कि उन्होंने बारीकी से बजट का अध्ययन किया और वित्त मंत्री जी से सिफारिश की और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सहमति हमें दी है वह हमारे लिए सम्बल का काम करेगी। उन्होंने जो बिन्दु उठाये हैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होने एक बात कही कि धनराशि की कमी होना। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि धनराशि में कमी नहीं हुई है। प्लान सेक्टर और नान प्लान सेक्टर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाय तो यह कुल धनराशि 53.17 करोड़ हो जायेगी जो कि पिछले वर्ष से कम नहीं है। बात सिर्फ यह है कि यह पहुंच नहीं पा रही है। इसी के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के पुत्रियों की शादी के लिए उन्होने कहा तो इसके लिए 10 करोड़ 48 लाख 98 हजार की धनराशि अवमुक्त करा दिया है। यदि प्लान और नान प्लान को दोनों को जोड़े तो इसकी पूर्ति हो जाती है। भ्रष्टाचार की बात आयी। पूर्व में कहा है कि अंकुश लगाने का कार्य होगा।

श्री लालजी वर्मा–

जो 225/- रुपये की बाध्यता है उसको गरीबी की रेखा से नीचे कर दें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मैने अपने बजट भाषण में पहले ही यह बात रख दी थी और यह घोषणा कर दी थी कि जो हमारी किसान पेंशन वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन है इसमें एक हजार रुपया प्रति माह जिसकी आमदनी है उसको दी जायेगी। एक माननीय सदस्य ने बात कही कि विद्यालय उस स्थान पर बना जहां हमारे नेता रहते थे मान्यवर तीन स्वप्नों का प्रस्ताव आया था सीमित धनराशि थी आजमगढ़ के लिए वह विद्यालय के लिये धनराशि अवमुक्त हो रही थी तो दिमाग में यही था कि पूर्वांचल का यह अति आवश्यकता वाला जिला है। अपनी सीमा तो पूरा उत्तर प्रदेश है। मान्यवर, विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के नाते थोड़ा विलम्ब हो रहा है छात्रवृत्ति और पेंशन में मान्यवर लेकिन फायदा भी है जब कभी किसी की मृत्यु होती है तो तुरन्त प्रस्ताव मिल जाता है पंचायत से।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीराम पाल–

58 छात्रावास बन कर तैयार स्टाफ नहीं है बच्चे जा नहीं रहे हैं । इसी तरह से आई०ए०एस०, पी०सी०एस० कोचिंग के लिये 97 में पहली किश्त दी गयी थी, दुबारा धनराशि नहीं दी गयी ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

छात्रावास योजना में 71.63 लाख रु० ही अवमुंक्त हो सके इस वित्तीय वर्ष में 425 लाख रु० का प्राविधान किया तो कुछ निश्चित रूप से सुधार होगा । अधूरे छात्रावासों को पूर्ण करने में सुविधा होगी ।

मान्यवर, इस वर्ष पी०सी०एस० आई० ए० एस० कोचिंग के लिए कोई प्राविधान नहीं है लेकिन जो छात्रावास बने हैं उसकी चिन्ता हम करेंगे यह आश्वस्त करना चाहते हैं । मान्यवर, जो यह बजट में हमने यह धनराशि माँगी है निश्चित रूप से कम है सब तरफ से यह बात कही जा रही है । भाई राम जग जी आपके कटौती के प्रस्ताव पर सचमुच में सदन अमल कर लें तो कल से इन 13 लाख लोगों को भुखमरी से कौन बचायेगा, युवकों की शादी ब्याह, बीमारी इलाज की बात है छात्रवृत्ति की बात है सारे समाज के हितों से जुड़ी हुई बात है कैसे चलेगा । मान्यवर, जो सीमा पर अपना सीना ताने खड़े हैं कोई भी बात आती है तो यह ध्यान में उनके रहता है कि समाज हमारी रक्षा कर रहा है चिन्ता कर रहा है ।

मान्यवर, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में देश को दिशा देने का काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में जो व्यवस्था हमने की है, किस तरह से कम्प्यूटर से सारी चर्चा को ई मेल के माध्यम से त्वरित व्यवस्था करते हुए पूर्व सैनिकों के बच्चों की आगे नियुक्ति हो जाये उनको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, यह कैसे होगा तो इसने आवश्यक कार्यों को रोकने का यह अपराध आप नहीं करना चाहेंगे ऐसा मुझे लगता है । इसलिये मेरा बहुत बहुत आग्रह है कि इस कटौती के प्रस्ताव को आप वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता-

रामजग जी आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री रामजग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के सामने मैने एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण दिया। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लाख दलित परिवार के बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कालेजों में पढ़ रहे हैं उनको जो छात्रवृत्ति मिल रही है वह इस मंहगाई में नाकाफी है । अगर माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि जिस अनुपात में मंहगाई बढ़ी है उसी अनुपात में पैसा देंगी तो मैं इनका धन्यवाद करता । लगता है माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीर नहीं है इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,94,40,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,11,68,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,61,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,31,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या 15 (5) तथा मद संख्या 15 (6) पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, दोनों विभागों की प्रकृति अलग-अलग हैं, इसलिए एक साथ कैसे हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, पहले मंत्री जी मद संख्या 15(5) रखें ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2001 को **समाप्त होने वाले वर्ष में** अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,10,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी में 50 प्रतिशत कां प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की समस्याओं से सम्बन्धित मेरा यह विभाग है । इस निदेशालय की स्थापना 1979 में की गयी थी । मान्यवर, महिलाओं के बारे में आमतौर पर यह एक समाज की धारणा है कि यह कमजोर वर्ग है, इसलिए उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से बहुत सी विशेषकर वह महिलायें जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रही हैं, या जो विधवा हैं, उनको असुविधा है । मान्यवर, महिला कल्याण विभाग के तहत विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत जिनकी आय 225 प्रति माह है, को 125 रुपया प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है और 5 लाख 4,495 विधवाओं को पेंशन देकर हम लाभ पहुंचा रहे हैं ।

मान्यवर, वृन्दावन और मथुरा में विधवाओं की तमाम समस्यायें हैं । बंगाल से जो विधवायें आती हैं, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी, उनका हर तरह से शोषण होता था, सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देकर, वृन्दावन और मथुरा में जो विधवायें हैं, परित्यक्ता हैं, उनके लिए 2 महिला आश्रय सदन की स्थापना की गयी है । इन आश्रय सदनों का किराया उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है। मान्यवर, विधवाओं की स्थिति समाज में अत्यन्त दयनीय है । सरकार का ध्यान इस तरफ गया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिये, जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु से कम की विधवा से विवाह करने के लिए आगे आते हैं, उनको सरकार 11 हजार रुपये का प्रोत्साहन देकर विधवा विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।

मान्यवर, हर रोज दहेज के प्रकरण सामने आते हैं, अखबार इन खबरों से भरे रहते हैं । दहेज हत्यायें अलग हो रही है, जिस पर हर व्यक्ति का ध्यान जाता है और जाना भी चाहिए । हमारी सरकार ने इस तरफ विशेष ध्यान देकर दहेज से पीड़ित, जो महिलायें गरीबी की रेखा के नीचे परिवार की महिला है, उनको एक मुश्त कानूनी सहायता एक हजार रुपये देकर, जब तक वह मुकदमा लड़ेगी, 100 रुपया महीना देकर सहायता करेगी जो बालिकाएं जो गरीबी की रेखा से नीचे की हैं और टेक्निकल एजूकेशन की तरफ अध्ययन करने का प्रयास कर रही हैं । जैसे आई० टी० आई० में एडमिशन हो जाता है या इंजीनियरिंग में, मेडिकल कालेज में एडमिशन हो जाता है उनको छात्रवृत्ति देने का भी प्राविधान है । 50 रुपये से लेकर विभिन्न शिक्षा में छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया जाता है ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उच्च शिक्षा की तरफ जा सके ।

मान्यवर, प्रदेश में बहुत सी आवासीय संस्थाएं हैं, 59 सम्परीक्षा गृह हैं, 10 किशोर गृह हैं, संरक्षण गृह, नारी निकेतन आदि संस्थाएं संचालित हैं इसमें उनको निःशुल्क रहने और खाने की, भोजन की व्यवस्था शासन स्तर पर की जाती है । मान्यवर, महिला कल्याण के साथ बाल विकास की तरफ भी हमारे मंत्रालय का ध्यान है । इसकी तरफ सरकार ने काफी ध्यान दिया है । इसके अन्तर्गत 3–5 वर्ष की आयु के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार देने की योजना है जिसके अन्तर्गत जो बच्चे 3–6 वर्ष की आयु के हैं उनकी प्री स्कूल एजूकेशन की आंगनबाड़ी केन्द्रों में उनको शिक्षा देने का भी प्रयास किया जाता है । मान्यवर, बताना चाहूंगी कि इस वर्ष वर्तमान में हमारी पूरे प्रदेश में 507 परियोजनाएं संचालित हैं और 44 लाख 97 हजार लाभार्थी उसमें इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं ।

मान्यवर, बहुत सी शिकायतें आंगनबाड़ी केन्द्रों की आती हैं कि वह संचालित नहीं हो रहा है, मैं बताना चाहूंगी कि यद्यपि कुछ पुराने समय से जब से ये शुरू हुई थी, उसमें कुछ खामियां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और जहां भी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और आंगनबाड़ी कार्यकत्री का चयन है, उसी गांव की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्री होनी चाहिए और प्राथमिकता उस गांव की विधवा को मिलेगी, यदि विधवा महिला नहीं मिलेगी तो परित्यक्ता महिला को मिलेगी और दोनों में से कोई नहीं होगा तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला जिसकी योग्यता हाई स्कूल होगी, यह व्यवस्था बना दी गयी है । मैं समझती हूं कि आप इस व्यवस्था से पूरी तरह से सहमत होंगे ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पुष्टाहार वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें हैं जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यद्यपि समाज कल्याण का बजट था, पुष्टाहार की चर्चा की । मैं बताना चाहूंगी कि पुष्टाहार वितरण की पूरी व्यवस्था ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में रही या उनके नियंत्रण में संचालित की जा रही है । ग्राम स्वास्थ्य समिति के एक सदस्य प्रति दिन केन्द्र पर आकर पुष्टाहार का वितरण करायेंगे और उस पर नियमित रूप से हस्ताक्षर होते रहते हैं । मैं समझती हूं कि जो पुष्टाहार मिलता है, बाजार में बिकता है, इस भ्रम को निकाल दें, कभी होता रहा होगा, आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, हमने नयी एक योजना प्रारम्भ की है अभी उसको प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ कर रहे हैं । हमने पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर केवल 6 माह के लिए 5 जनपदों में 5 परियोजनाएं चुनी हैं और एक परियोजना में 20 आंगनबाड़ी केन्द्र लिये हैं चूंकि यह व्यवस्था एक प्रयोग के तौर पर है और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों का जो भी पुष्टाहार 1 रुपये प्रति कन्डीडेट के हिसाब से जो भी होगी उसको सीधे ग्राम प्रधानों को दे दिया जायेगा, जो गांव स्तर पर पुष्टाहार जैसे सीजनल फ्रूट होगा, कच्चे चने आदि इस सब का पूरा अधिकार ग्राम प्रधानों को होगा और वहां की मुख्य सेविका का, जो इस पुष्टाहार की व्यवस्था स्थानीय आधार पर करेंगे । मैं समझती हूं इस योजना को हम प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं । जो आशंका माननीय सदस्यों को होती है कि पुष्टाहार बिक जाता है, सम्भवतः हमारे इस नए प्रयोग से ये आशंकाएं दूर हो सकेंगी । मान्यवर, ऐसी व्यवस्था में अभी 110 प्रोजेक्ट शुरू होने हैं जिनमें से 10 परियोजनाएं शुरू कर दी गयी हैं शेष आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में लागू की जायेंगी । मैं समझती हूं कि महिला कल्याण और बाल विकास के संबंध में मैंने जो योजनाएं रखी हैं उनको ढंग से आपने सुना होगा । मेरा अनुरोध है इस बजट को पास करके मेरा सहयोग करें, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करती हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, महिलाओं के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए तथा महिलाओं को देश की मुख्य विकास की धारा से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस विभाग का गठन किया गया है और इस संबंध में योजनायें विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं किन्तु जो बजट पेश किया गया है और जो साहित्य हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है उसमें जो कार्यक्रम दिये गये हैं उनको देखकर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह भाजपा सरकार केवल दिखावे के लिए, इन कार्यक्रमों को चलाने की बात कर रही है वास्तव में धरातल पर वह कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं मंत्री जी ने बताने का काम नहीं किया है । साक्षर महिलाओं को रोजगार देने के लिए इस बजट में कहीं कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कैसे पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कैसे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी ।

मान्यवर, बाल विकास एवं पुष्टाहार योजनाओं पर विशेष बल दिया गया लेकिन यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि यह सरकार योजनाएं तो चला रही है लेकिन धन की उचित व्यवस्था नहीं है । 6 वर्ष तक के कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं का कुपोषण दूर करने के उद्देश्य के लिए पुष्टाहार योजना चलायी गयी है उसमें प्रति लाभार्थी के लिए जो व्यय दिखाया गया वह केवल 1 रुपया है । एक रुपये में क्या लाभ दिया जायगा इसको देखकर सरकार की संवेदनहीनता का पता चलता है और एक रुपये में वह कौन सा पुष्टाहार देंगे । इन्हीं के साहित्य से पढ़कर मैं बता रहा हूं । इसमें दिया गया है कि बच्चों को 250 से 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 ग्राम प्रोटीन अनुपूरक पुष्टाहर में उपलब्ध हो ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने औपचारिक रूप से कटौती का प्रस्ताव रखा ही नहीं, फिर किस पर बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती का प्रस्ताव रख दिया गया है ।

श्री सीताराम निषाद–

गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए 500 कैलोरी ऊर्जा और 16–20 ग्राम प्रोटीन का मानक निर्धारित किया गया है । मान्यवर, इनका मानक यह है और उसकी पूर्ति के लिए केवल एक रुपया । इतनी कैलोरी और इतनी प्रोटीन एक रुपये में कैसे पूरी कर पायेंगे । मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें और एक रुपये से बढ़ाकर 10 रुपया कम से कम करे । तब गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को 10 रुपये में पुष्टाहार मिल सकेगा तब उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा ।

मान्यवर, दहेज से कितनी महिलायें हर साल पीड़ित हो रही हैं । उस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठायी है । मान्यवर, गरीबों की लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है । उसके संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिसमें गरीबों को चिन्हित करके उनकी लड़कियां जो विवाह योग्य हैं, उनके विवाह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी, थोड़ा संक्षिप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में चल रही है लेकिन बहुत से विकास खण्ड पड़े हुए हैं जिसमें इस योजना को नहीं लिया गया है । मैं फैजाबाद जिले के बारे में बताना चाहता हूं ।

वहां पर तारून और बीकापुर दो ऐसे विकास खण्ड हैं जहां पर अनुसूचित और पिछड़े लोगों का बाहुल्य है और बहुत ही गरीब इलाका है वहां पर गरीबी की रेखा के नीचे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर इस योजना को चलाया जाना चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष 2000-2001 में समेकित बाल विकास योजना, आंगनबाड़ी योजना को फैजाबाद जिले के तारून और बीकापुर में भी चालू करने की घोषणा करें । इस विभाग द्वारा जो और योजनायें चलायी जा रही है उसका अनुश्रवण न करने की वजह से उसमें बहुत अनियमितता पायी जा रही है । पुष्टाहार के नाम पर जो सामान दिया जाता है उसमें बिस्कुट और पंजीरी ये दो चीजें दी जाती हैं और उसकी केवल एक कम्पनी मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली से सारा सामान बांटा जाता है वहीं पर केन्द्रित किया जाता है । अमेरिका से वह सामान जो रिजेक्ट कर दिया जाता है जिसको अमेरिका के लोग नहीं खाते हैं वह सामान हिन्दुस्तान में इस सरकार के द्वारा मंगाया जा रहा है उसको माडर्न फूड इण्डस्ट्री लि० दिल्ली में मंगाकर वहां कारखाने में उसका प्रसंस्करण करते हैं और बांटने का काम किया जाता है । हमारे देश में तमाम पौष्टिक चीजें ऐसी पैदा होती हैं, तमाम अनाज पैदा होते हैं उससे पुष्टाहार बनाया जाए जो ज्यादा पौष्टिक होगा उसमें प्रोटीन होगा कैलोरी मिलेंगी यह बाहर से जो सामान मंगाया जा रहा है वह रिजेक्टेड है प्रदेश में जो उत्पादन हो उसी से आहार तैयार करके विभाग के द्वारा बंटवाया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं महिला कल्याण पुष्टाहार मंत्रालय मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में आपके समक्ष उपस्थित हूं । इस देश में जनशक्ति का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए था वह हम 50–52 वर्षों में नहीं कर पाये । यह सत्य है कि जनसंख्या की आधी आबादी मातृ शक्ति की है । उसका कारण यह है कि वर्षों तक पराधीनता की जंजीरों में हम जकड़े रहे । शक्ति के बिना शिव भी शव है । एक समय जब मात्र शक्ति सशक्त थी तो देश सशक्त था यह देश विकसित था यह देश सोने की चिड़िया व जगत गुरू कहलाता था । जब हमने अपनी विरासत को छोड़ना शुरू किया तो हम धीरे-धीरे विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए, गरीब देशों की श्रेणी में आ गए । आवश्यकता इस बात की है कि इस मातृशक्ति के शक्तिकरण पर फिर जोर दिया जाए ।

मैं साधुवाद देना चाहता हूं मंत्री जी को कि उन्होंने इस पर जोर दिया इसके पहले जो इस मंत्रालय को बहन जी देख रही थी इन दोनों महिलाओं ने मिलकर पहली बार इम्पावरमेंट आफ वोमन की दिशा में सार्थक कदम रखने शुरू किये हैं । गांव की महिलाएं सिर्फ गोवर पाथने और एक दूसरे की शिकायत करने का काम करती रही उनको सही दिशा नहीं दी गई उन्हें कभी अपनी शक्ति का परिचय नहीं कराया गया, उनको दबाकर रखा गया । इस सरकार का संकल्प है कि 50 प्रतिशत आबादी जो मातृशक्ति की है वह अपने पैरों पर खड़ी हो, उनमें स्वाभिमान की भावना जगे वह विकास में कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चलें । दो तीन जो नये प्रयोग किये गये हैं उनकी मैं विशेष कर प्रशंसा करना चाहूंगा । जिस प्रकार से वृन्दावन और मथुरा में वे महिलायें जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, वे महिलायें वे विधवायें जिनको उनके परिवारजनों ने त्याग दिया था, उनकी चिन्ता, यह सरकार कर रही है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं । दो-तीन नये प्रयोग प्रारम्भ किये गये हैं । दिन में दो बार पुष्टाहार देने का । बालकों को लेकर महिलाओं को केन्द्र तक आने में जो परेशानी होती थी उसको दूर करने के लिए पूरे सप्ताह का पुष्टाहार उन्हें दिया जा रहा है ।

माननीय निषाद जी ने अभी जो कुछ कहा उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय निषाद जी आप तो हम सबसे काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्रिमण्डल में भी रहे हैं मुझे आश्चर्य है, मैं जो आप और अनुभव के साथ जानकारी को जोड़कर चलता हूं आपसे अपेक्षा करता था कि वास्तविकता क्या है

आपको जानकारी होगी । आपने उल्लेख किया कि विदेशों से जो सामान मिलता है वह रिजैक्टेड होता है तो यह बहुत बड़ा भ्रम है विदेशों से जो सहायता मिलती वह अच्छी होती है । जो सारा का सारा गेहूं मिलता है वह नहीं खरीदा जाता है उसकी प्रोसेसिंग यहीं पर होती है । सोयाबीन बना बनाया आता है जो बच्चों को दिया जाता है । जब से यह सरकार आई है तब से बाल पुष्टाहार के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार पूर्व की सरकारों ने किया है वह खत्म करने का कार्य किया है । इससे ज्यादा साफ नीयत और क्या हो सकती है । विकेन्द्रीकरण के नाम पर हर गांव, पंचायतों की ओर बढ़े हैं । बाल पुष्टाहार ग्राम प्रधान के नियंत्रण में बांटा जाता है, समिति के नियंत्रण में बांटा जाता है । स्वास्थ्य समिति का सदस्य साथ जाकर बांटता है और हस्ताक्षर करता है । इससे ज्यादा स्वस्थ परम्परा और क्या हो सकती है इसके लिए मैं आपसे इस सरकार को साधुवाद देने की आशा करता था ।

एक निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य करना चाहूंगा एक सुझाव देना चाहूंगा कि बच्चों को जो पंजीरी और बिस्कुट दिया जाता है मैं समझता हूं कि ये बच्चे मीठा खाते खाते अरुचि प्रकट करते होंगे । मैं चाहूंगा कि एक नमकीन आहार जो कि पौष्टिक हो उसको दिये जाने की व्यवस्था करें । चाहे ऐसा कर लें कि सप्ताह में तीन दिन पंजीरी बिस्कुट और बाकी तीन दिन नमकीन या दो दिन मीठा और दो दिन नमकीन बंटवाया जाय तो बच्चों में इसके प्रति जागरूकता और रुचि ज्यादा होगी ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो सीजनल फ्रूट देने की बात सोची है उसके लिए मैं इस सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा । प्रकृति द्वारा विशेष मौसम में विशेष फल प्रदान किये जाते हैं जिनके सेवन से अत्यधिक लाभ होता है वी आर नथिंग बट एक्सटेंशन आफ नेचर । हम प्रकृति के अनुरूप चलेंगे तो ज्यादा लाभ होगा । मान्यवर, जिस देश में महिलाऐं सशक्त होंगी उनकी कठिनाइयों का निराकरण होगा, जब महिलायें अपनी अस्मिता को पहचानेंगी, उनको जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा तो उस प्रदेश और देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस देश में बालक प्रशिक्षित होंगे जैसा कि यह सरकार कर रही है उनके टीकाकरण का काम, उनकी प्राथमिक शिक्षा का काम, जब उनके प्रारम्भिक व्यक्तित्व के काम में प्रारम्भ से लगेंगे उनमें जाग्रति पैदा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब यह देश फिर से सोने की चिड़िया और जगतगुरू की श्रेणी में आ जायेगा । मैं इस सरकार को और माननीया मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय निषाद जी अपना थोड़ा सा सामान्य ज्ञान और बढ़ायेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

| समय– 7 बजकर 30 मिनट |

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, यह महिला कल्याण बाल विकास विभाग जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं को समानता का अवसर दिये जाने के संबंध में बनाया गया जिसके अनुसार तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों की बराबरी में महिलाओं को लाने के लिए जो प्रयास किया गया है महिला कल्याण बाल विभाग, क्योंकि बहुत सारा पैसा भारत सरकार से मिलता है लेकिन तमाम योजनाओं के होने के बावजूद भी अगर किसी विभाग में अनियमितता और अव्यवस्था हो तो कितना ही बजट दिया जाय उतना ही जनहितकारी नहीं हो सकता है । 3 जून, 1999 को उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ में इस विभाग की जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने उसका दौरा किया था, एक वहां महिला बंदी थी रेनू चौधरी, उसे गर्भावस्था में पाया गया ।

दूसरे एक महिला संरक्षण गृह लखनऊ में 3 लड़कियां लापता हो गई, एक और संरक्षण महिला घर की लड़की के साथ कर्मचारियों ने बलात्कार किया, लखनऊ राजकीय किशोर और वाराणसी किशोर गृह से 9-9 बच्चे फरार । इस तरह से घटनायें हो रही है । इन घटनाओं के चलते ऐसा लगता है कि इस विभाग के प्रति विभाग के अधिकारी और शासन लापरवाह है । क्योंकि रायबरेली के

फुर्सतगंज से 5 अगस्त, 1999 को 4 लड़कियां लखनऊ लायी गई और 5 अगस्त से 8 अगस्त तक वह कहां रहीं। उन्हें एक महिला अधिकारी लखनऊ लेकर आयी। आखिर लखनऊ में वंह कहां रही ? क्या पांच सितारा होटल और तीन सितारा होटल में रही ? इन गरीब, बेसहारा, दीन दुखी जो ये महिलायें हैं क्या उनको पेशे की तरफ ले जाया जा रहा है ! महिला कल्याण बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष, 14 वर्ष तथा 18 वर्ष के लड़के और जो नाबालिग लड़कियां हैं और मानसिक रूप से कमजोर हैं ऐसे लोगों को उत्तर रक्षा गृह में रखा जाता है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार तथा पशुवत व्यवहार किया जाता है। महिलाओं की स्थिति 15वीं तथा 16वीं शताब्दी जैसी ही है। महोबा जनपद के सतपुरवा में एक महिला सती हो गई। पूरे आला अधिकारियों, कमिश्नर, एस० पी० ने उस महिला को इतना महिमामण्डित किया कि वह अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई और सभी अधिकारी/कर्मचारी उसके सामने साष्टांग हो गये। यह 15वीं तथा 16वीं शताब्दी का इतिहास दुहराया जा रहा है। जो तमाम कुरीतियां आज इस प्रदेश में व्याप्त हैं जिसके कारण आज महिलायें 15वीं और 16वीं शताब्दी में खड़ी हैं जबकि 21वीं शताब्दी में जाने की जो बात की जा रही है वह कोरी बकवास है। इसलिए मंत्री जी ने जो बजट में धनराशि मांगा है वह [× × ×] के लिए है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार पर बोलने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, भारत देश गांवों का देश है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि पूर्व की सरकारों द्वारा महिलाओं के बारे में कहने के लिए तो कहे थे लेकिन परोक्ष रूप में उन्होंने कुछ नहीं किया है।

मान्यवर, अपनी सरकार और मंत्री के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं और इसके पूर्व इस विभाग की मंत्री श्रीमती प्रेमलता कटियार के प्रति भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके हौसले को बढ़ाया है। आज इस प्रधान पुरुष देश में महिलाओं की आये दिन उपेक्षा होती रहती है लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं की उन्नति के लिए अनेक योजनायें लागू करके उन्हें काम देने का प्रयास किया है और विधवा/परित्यक्ता स्त्री को नौकरी देने में प्राथमिकता दिया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, मैं जब अपने विद्यार्थी जीवन में थी तो मुझे पढ़ाया गया था कि यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने कहा था कि 100 शिक्षित महिला दें तो एक सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। आज महिलाओं की हर क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है और महिलाओं ने अभूतपूर्व योगदान हर क्षेत्र में दिया है। मान्यवर, आज चर्चा के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जाके पांव न फटै बिवायीं, वह क्या जाने पीर पराई। इस विभाग की मंत्री जी एक महिला हैं वह महिला की पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकती हैं इसीलिए सक्षम अधिकारियों द्वारा बजट में सभी बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए बजट बनाया है।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले निगम में छंटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी लेकिन आपकी सरकार द्वारा अब उनको हटाया जा रहा है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि उन कर्मचारियों को उस समय तक न हटाया जाय जब तक उनकी दूसरी जगह नियुक्ति करके काम नहीं दे दिया जाता है, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह सही है कि गांव में बाल विकास पुष्टाहार योजना के माध्यम से गांव-गांव में सामग्री जो आती है उनकी गुणवत्ता में गिरावट हुई है, इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

नोट :– [× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद देती हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी जब अभी उत्तर देंगी तो मैं उनसे जानना चाहता हूं और वह बतायेंगे कि इसके पूर्व बजट में, पिछले वर्ष जो बजट रखा गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जिन ब्लाकों में बाल विकास की योजनायें नहीं चल रही हैं क्या उन सभी ब्लाकों में इसको लागू कर दिया जायेगा और इसके लिए क्या धन की व्यवस्था की जायेगी ?

मान्यवर, यह जिक्र आया है कि अमरिका में। अमेरिका इसलिए कह दिया क्योंकि वर्ल्ड बैंक और जो दूसरे संस्थान हैं इसकी रखैल संस्थाएं हैं इसलिए वहां जो न्यून क्लीयर एक्सलोजन के बाद जो पाबन्दियां लगाई थीं। माननीय मंत्री जी ने इस सदन को भी सूचित कर दिया था कि वे पाबन्दियां भी इस मसले में समाप्त हो गई हैं और इस मद में आने वाला धन नहीं रुकेगा। लेकिन उस घोषणा के बाद भी अभी तक मैं जनपद जनपद बलिया का जिक्र करना चाहता हूं वहां एक भी विकास खण्ड में एक भी योजना नये सिरे से नहीं भेजी गई। इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रदेश के अन्य जनपदों में भी स्थिति यही है। जब आप अपना उत्तर देंगी तो कृपया इस सम्बन्ध में भी बताने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का जो माननीय निषाद जी ने रखा है, का समर्थन करता हूं।

*श्री मोती लाल पैलवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव है जो माननीय सीता राम निषाद जी ने रखा है इस पर बल देता हूं कि सम्पूर्ण धन कम करके एक रुपया रखा जाय। कैसे इससे कल्याण होगा। मेरा एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में यदि मद्यनिषेध पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाय तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाएं विधवा हो रही है, उन पर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है इससे महिलाओं एवं बालकों का कल्याण हो जायेगा। कोई महिला विधवा नहीं होगी और बच्चों को घर पर खाना पीना मिलेगा। इस प्रदेश का विकास व उत्थान होगा। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास होगा।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं वह यही बताते हैं कि इस विभाग में बहुत कमियां हैं और इन कमियों के कारण जो उसके उद्देश्य हैं हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो ध्यान आकृष्ट किया है सभी विकास खण्डों की जो बात कही है कि वे इस योजना से वंचित रह रहे हैं। पिछले बजट सत्र में जो घोषणा की गई थी मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज अभी अपना उत्तर भाषण देंगी तो यह घोषणा करेंगी कि सभी विकास खण्ड जो इन योजनाओं से वंचित हैं वहां पर भी यह योजनाएं लागू कर दी जायेंगी। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं को बड़ा कष्ट है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जब हम लोग सड़कों से विशेष कर रात में यात्रा करते हैं तो सड़कों के किनारे वहां महिलाएं मजबूर होकर शौच के लिए जाती हैं जब उन पर रोशनी पड़ती है तो उन्हें खड़ा हो जाना पड़ता है। बड़ी शर्मिन्दगी होती है तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि महिला काम्पलेक्स हर गांव में विशेष कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़े निर्बल वर्ग और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग जहां पर रहते हैं, ऐसी बस्तियों में अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा ऐसी योजना बनायी जाय कि अनिवार्य रूप से हर गांव, हर बस्ती में महिला काम्पलेक्स का निर्माण सरकार की तरफ से कराया जाय जिससे ग्रामीण महिलाओं को प्रसाधन के लिए सुविधा प्राप्त हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्मानित सदस्यों के मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं माननीय सीताराम निषाद जी ने अपनी बहुत सी जिज्ञासायें प्रकट की हैं और जानना चाहा है कि महिलाओं के रोजगार की क्या व्यवस्था है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है नौकरियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने । इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग में महिला कल्याण निगम है उसके माध्यम से भारत सरकार के माध्यम से सलाहकार बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल सुधार योजना स्वरोजगार योजना आदि योजनायें चलाई जा रही हैं यह एन० जी० ओज के जरिए चलाई जा रही हैं । इस वर्ष 150 के करीब योजनाएं भारत सरकार को भेजी हैं इसके अलावा बताना चाहूंगी कि साक्षर महिलाओं को रोजगार देने के लिए स:शक्ति योजना विश्व बैंक और आई० एफ० डी० की सहायता से चलाई है । 2000-2001 के लिए 42 हजार महिलाओं को रोजगार देने के लिए 2800 महिलाओं का समूह बनाकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना है यह पांच वर्ष के लिए है जिसके लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ का प्राविधान किया है ।

(मेजें थपथपाई गईं)

निषाद जी ने एक प्रश्न उठाया है कि जो सामाजिक समस्या है जैसा महिलाओं के लिए महिला काम्पलैक्स बनाने की बात कही है मैं इस संबंध में आपको विशेष आश्वासन नहीं दे सकती हूं यह मेरे विभाग का प्रकरण नहीं है लेकिन चिन्तनीय विषय है हम सब ग्रामों से सम्बन्धित हैं आपका कष्ट हम सबका कष्ट है इस पर विचार करेंगे ताकि कोई ठोस योजना बनाई जा सके । हमारी सीमा द्विवेदी विधायिका जी ने भी कुछ अपनी चिन्ता व्यक्त की है मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय विधायक होगा विधायिका नहीं होगा ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मैंने अपनी भूल सुधार कर ली है सीमा द्विवेदी जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम में कार्यरत छटनीशुदा कर्मचारियों को हटाया नहीं जा रहा है पहले विभिन्न योजनाओं में मानदेय के साथ कार्य कर रहे हैं इस समय सेवा अवधि समाप्त हो गई है इसलिए उनको हटा दिया गया है इस पर पुनर्विचार का प्रयास कर रहे हैं ।

माननीय अम्बिका जी ने जो जानना चाहा है कि हर ब्लाक में, हर विकास खण्ड में आई० सी० डी० एस० योजना संचालित नहीं है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं । नयी आई० सी० डी० एस० परियोजना का संचालन शत प्रतिशत भारत सरकार के माध्यम से होता है । उनकी स्वीकृति के बाद हम संचालित करते हैं । जैसे-जैसे स्वीकृति मिलती जा रही है वैसे-वैसे विभिन्न ब्लाकों में सह संचालित करा रहे हैं । यह हमारे 507 विकास खण्डों में संचालित हैं । मैं माननीय सदस्यों से विशेषकर माननीय सीता राम निषाद जी से आग्रह करना चाहूंगी चूंकि यह महिला कल्याण एवं बाल विकास का बजट है इस पर जो आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है, चूंकि यह बच्चों के पुष्टाहार के बारे में है और महिला कल्याण से जुड़ा है इसलिए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । माननीय डंग जी ने एक

बात कही उसका उत्तर मैं देना चाहूंगी कि पंजीरी और बिस्कुट खाते-खाते बच्चे ऊब गये हैं, तो इसमें हम टेण्डर इन्वाईट करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सीता राम निषाद जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–49—महिला एवं बाल कल्याण में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,10,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय'' सम्बन्धी नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा को श्री लालजी वर्मा द्वारा कल लिये जाने का अनुरोध

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मद संख्या–14 पर चर्चा जारी करने का अधिष्ठाता महोदय ने निर्देश दिया था । मैं अनुरोध करूंगा कि पुनर्विचार करके इसे कल के लिए कार्यस्थगन के बाद ले लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कल ले ली जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,03,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आज हम जिस तेजी से 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारी प्राविधिक शिक्षा में हो रहा है । मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्च स्तर की कुशल प्रशिक्षण तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति हेतु प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाने, प्रशिक्षण को आवश्यकताओं के अनुरूप लाने, छात्रों को आधुनिक मशीनों/उपकरणों पर प्रशिक्षित करने तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में एक रुड़की विश्वविद्यालय जो डीम यूनिवर्सिटी है। दो राजकीय संस्थायें हैं एक केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में है दूसरा राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय लखनऊ में है.। 9 अन्य संस्थायें हैं जो स्वशासी हैं इसमें प्रवेश की संख्या 2422 थी । मान्यवर, उ० प्र० के तमाम छात्र हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों में जाकर प्रवेश लेते थे । इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी पिछले 3-4 वर्षों में निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहूँगी कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 37 निजी क्षेत्र की संस्थायें यहां स्थापित हो गयी हैं, इसमें जो मानक हैं जो सारी शर्तें पूरी करती हैं उनको ही एफीलियेशन मिलता है ।

मान्यवर, हमारी प्रवेश क्षमता तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिये 10,589 हो गयी है । यह संस्थायें नयी खुली हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों से एफीलियेटेड हैं । अलग-अलग विश्वविद्यालयों द्वारा एक समय पर परीक्षा करा पाना एक जैसा सेलेबस तो इसमें कठिनाई अनुभव हुई इसमें सोचा विचारा गया और यह निश्चय किया गया कि प्रदेश में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय ताकि उ० प्र० के सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ उसका एफीलियेटेड करके एक स्टैण्डर्ड स्थापित किया जाय । स्टैण्डर्ड में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कठिनाई अनुभव की गयी, उस पर विचार कर निश्चय किया गया । इसमें मान्यवर, यू०पी० लेविल की प्रवेश परीक्षा होती है मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाता है जो व्यवस्था है उसके अनुसार प्रवेश दिया जाता है । उनके अनुरुप मेरिट से परसेन्टेज वह भी निर्धारित किया जाता है । बहुत ही एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रवेश परीक्षा लेकर इन बच्चों को प्रवेश देने का कार्य किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शिक्षा के बारे में भी बताना चाहूँगी हमारे प्रदेश में 95 पालिटेक्निक हैं 67 राजकीय हैं 9 निर्माणाधीन हैं 20 निजी क्षेत्र के हैं जो सौ प्रतिशत राज्य सहायतित हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के हैं इसमें पिछले वर्ष 1999-2000 में 9373 छात्रों का हमने चयन किया प्रवेश दिया . मान्यवर, महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की तरफ विशेष प्रयास किये गये हैं मान्यवर, 7वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की सहभागिता 10 प्रतिशत थी, अधिक प्रयास से 8वीं योजना में यह संख्या बढ़कर 21% हो गयी हमारा एक लक्ष्य है 9वीं योजना में कि हमारी महिलाओं की 35 प्रतिशत सहभागिता तकनीकी शिक्षा में हो सके इसके लिये हमारी तमाम तरह की योजनायें हैं ।

इस समय प्रदेश में 11 महिला पालीटेक्निक हैं और 5 महिला पालीटेक्निक की स्थापना की बात है जो अभी निर्माणाधीन है, प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा में काफी आगे हैं । हमने तो यह भी विचार किया है । शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है और उसके बारे में कोशिश प्रारम्भ की है, जो रोजगारपरक हो जिनमें प्रवेश लेकर बच्चे स्वतः रोजगार स्थापित कर सकते हैं । यह एक बहुत बड़ा अहम विभाग है जिससे पूरे देश की तरक्की का प्रश्न है । हमारे यहाँ एच०बी०टी०आई०, एम०एन०आर० रूढ़की और आईआईटी से पढ़कर बच्चे अपने प्रदेश में ही नहीं देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सेवाएँ दे रहे हैं । मैने इस महत्वपूर्ण विभाग की यह संक्षिप्त रूपरेखा रखी है, मैं चाहूँगी कि इस बजट को पास करने में अपना योगदान दें ।

श्री अधिष्ठाता-

सुधाकर सिंह जी कटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, मैं आंपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अब माननीय संजय गर्ग जी को चर्चा के लिए पहले बुला लें ।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, अभी माननीया मंत्री जी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग पर अपना बजट प्रस्तुत किया है। बात बहुत साफ है आज जब कि पूरा समाज इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहा है और इतने महत्वपूर्ण विषय पर और इतने महत्वपूर्ण विभाग पर जिसमें पूरी मानवीय समाज की मानवीय ऊर्जा को सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करने का प्राविधान है उस विभाग का प्रस्तुतीकरण कितने सरलीकरण ठंग से हुआ उस पर मुझे तरस आता है और तरस आता है मंत्री महोदया पर कि 95 मंत्रिमंडल के सदस्यों में इन 2 विभागों को जिनका कोई तालमेल नहीं है प्राविधिक शिक्षा और महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार को एक साथ देने का काम किया गया है ताकि जन भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व न हो सके इस बात की साफ नीयत है और जो इस प्रस्तुतीकरण से दिला रही है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक सम्पदाओं के साथ, मानवीय उर्जा का सबसे बड़ा भण्डार है मुल्क में सबसे जयादा जनसंख्या की आबादी होने के बावजूद आज तमाम ऐसे बेरोजगार हैं उस मानवीय उर्जा का सही रूप से इस्तेमाल हो सके उसका सही रूप से प्रशिक्षण हो सके, उसका सही रूप से औद्योगीकरण में इस्तेमाल हो सके और मौजूदा नव विषयों में लोगों को ट्रेन प्रशिक्षित कर न केवल बेरोजगारी को दूर करने का काम कर सके बल्कि उत्तर प्रदेश को दुबारा उन्हीं ऊँचाइयों पर ले जा सके । मान्यवर, 1998-99 में 143 करोड़ का प्राविधान मौजूदा आय-व्ययक में रखा गया था, 1999-2000 में पुनरीक्षित अनुदान भी 143.82 पर का हुआ और मौजूदा 2000-2001 में नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रमुख विभाग को केवल इतना ही इसके सापेक्ष में 144 करोड़ रुपये बजट में आवंटित करने का काम किया है तो निश्चित रूप से जितनी बड़ी बहुत लम्बी योजनाएँ प्रवेश क्षमता और अन्य क्षमताओं को बढ़ाने की घोषणाएँ इस सदन में करने का काम किया गया है तो क्या इतनी घोषणाएँ इस सापेक्ष बजट में मंत्री जी पूरी तरह से कर पायेगीं या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है ? डिग्री एवं स्नातकोत्तर कालेजों और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के 12 विश्वविद्यालय है, जिसमें से रुड़की विश्वविद्यालय, जो केवल हिन्दुस्तान के प्रमुख आई०आई०टीज ही नहीं बल्कि दुनिया और एशिया में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है, इसका पुनरीक्षित अनुमान पिछले वर्ष 33.19 करोड़ रुपये था, इस वर्ष उस विश्वविद्यालय की गरिमा को घटाकर 27.41 करोड़ रुपये कर दिया गया । इतनें प्रमुख विश्वविद्यालय के बजट को बढ़ाने के बजाय घटाकर हम किस तरह से प्रशिक्षित अभियंता समाज को देना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है । निश्चित रूप से जो हमारी तकनीकी संस्थायें हैं, उनके अन्तर्गत सुविधायें बढ़ानी चाहिये थीं, उनकी लैब को विकसित कर आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये था, परन्तु शेष औद्योगिक स्तर की 11 राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थायें हैं, उन कालेजों का जो बजट है, वह भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुआ है ।

वर्ष 1999-2000 में जहाँ यह 45.60 करोड़ था, वहीं अब 2000-2001 में मात्र 38.66 करोड़ रह गया है । इस तरह से कटौती करके उन तमाम तकनीकी विश्वविद्यालयों के अन्दर शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को किस तरह की शिक्षा देने की नीयत यह सरकार रखती है, इस पर शक की सूई जाती है । निश्चित रूप से पिछली बार जो बजट रखा गया था उसमें प्रवेश की क्षमताओं का सदुपयोग हो सके, इसके लिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त एडमीशन देने की बात कही गई थी, परन्तु जो आंकड़े सरकारी विभाग द्वारा दिये गये हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है कि 1997-98 में शासन द्वारा पोषित डिग्री स्तरीय स्नातकोत्तर विद्यालयों की प्रवेश क्षमता जो 2285 स्वीकृत थी उसका मात्र 2187 उपयोग हुआ । इसी प्रकार 98-99 में स्वीकृत क्षमता जो 2420 थी, उसका मात्र सदुपयोग 2601 हुआ । इसी प्रकार 99-2000 में 2422 के मुकाबले 2339 सीटों का उपयोग हुआ । इस प्रकार रिक्त स्थान खाली रहे

और उनका सही रूप से सदुपयोग उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों के लिये नहीं किया जा सका । इन कालेजों के अलावा माननीय मंत्री जी ने बताया कि डिप्लोमा प्रदान करने वाली 95 अन्य संस्थायें स्वीकृत हैं, इसमें से मात्र 86 कार्यरत हैं । इसमें वर्ष 1997-98 में 8785 के मुकाबले 8085 सीटें भरी गई । इसी प्रकार 98-99 में 9070 के मुकाबले 8523 सीटें औसत, 99-2000 में 9940 के मुकाबले 8060 सीटें भरी गई । इसी प्रकार स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री देने वाली दूसरी संस्थाओं को खोलकर निजीकरण को बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया है । वर्ष 1995 में 1688 प्रवेश क्षमता के बाद, 1996 में 2055, 1997 में 4500, 1998 में 6000, 1999 में 7200 और 2000 में 10579 प्रवेश की क्षमता बढ़ाने का काम हुआ है । इस प्रकार के चेन्ज को लाने का काम करते हुये बड़े-बड़े पूँजीपतियों को और निजीकरण को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है । शिक्षा का उपयोग मुनाफे के लिये किया गया है, जबकि मुनाफे का उपयोग शिक्षा के लिये होना चाहिए और इतने मात्र दो वर्षों में नो आबजेक्शन सर्टीफिकेट 76 स्कूलों और कालेजों को प्रदेश सरकार ने दिया जिसमें से केवल 37 प्रारम्भ हुए हैं जिसकी वजह से इतनी क्षमता बढ़ी है और क्वालिटी के साथ समझौता करने की सरकार की नीयत रही है । यह इस बात को परिलक्षित करता है कि किस प्रकार के अभियंताओं को हम निकालने का काम करेंगे ? जहां कोई सुविधाएँ नहीं है, लैबोरेटरीज नहीं हैं, आवासीय सुविधाएँ नहीं है और इसके बावजूद बड़े बड़े पूँजीपतियों के दबाव में 76 इन्स्टीट्यूट को नाक दिये गये । उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने के लिए तकनीकी विद्यालयों के नाम पर इन ए०आई०सी०टी० के मानकों को पूरा न करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करें ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, कटौती पर बोल रहा हूँ । यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मेरा अनुरोध है । मान्यवर, इन चीजों को आपके सामने रखकर मेरा कहने का आशय यह था कि ऐसी संस्थाओं से जो इंजीनियर निकलेंगे किस तरह से काम करेंगे, एक सवालिया निशान इस प्रदेश के सामने होगा । निश्चित रूप से पश्चिम का अन्धानुकरण नहीं होना चाहिए । हावर्ड विश्वविद्यालय में सन् 1626 में एक अध्यापक पर 9 छात्रों का रेसियो था आज वहाँ 18 हजार छात्रों पर 2082 अध्यापक हैं जबकि आपने जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालयों को इजाजत दी है वहाँ पर होड़ लगी हुई है, अंशकालिक टीचर्स की । जो 1 घण्टे या दो घण्टे के लिए अपनी बात कहकर आ जाते हैं उनका छात्रों से और अभियन्ताओं से किसी भी तरह का भावनात्मक रिश्ते की बात नहीं होती और इसीलिए हम उस रूप में चिन्तित हैं कि इस तरह से हमें निश्चित रूप से जिन अभियन्ताओं की अपेक्षा है, जो निजी कालेजों से निकलने वाले अभियन्ताओं से पूरी नहीं होगी । मान्यवर, इसके साथ-साथ तकनीकी औद्योगिक जनशक्ति को लें उसमें रोजगार की जो दर है उसमें 422 रोजगार की दर प्रति 1 लाख संख्या पर है जब कि इसके सापेक्ष पूरे राष्ट्र की औसत दर में 7631 प्रति लाख दर यहां तकनीकी शिक्षा रोजगार की अभियन्ताओं की है ।

एक सवाल मुख्य रूप से उठ रहा है कि जो सही रूप से राज्य के द्वारा वित्त पोषित डिग्री कालेज हैं उनमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक सेवाओं में जाने की होड़ ज्यादा बढ़ रही है और आज वे आई०ए०एस० और आइ०पी०एस० की तरफ जाने को अग्रसर हैं । यह प्रतिभा पलायन हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें उनके अधिकार एवं सम्मान देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और इस तरह से प्रतिभा पलायन दूसरे प्रदेशों में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर भी वह अपने को सम्मानित महसूस करते हैं । जिसको रोकने के लिए इस पर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, केवल दो मिनट लेना चाहूंगा । मान्यवर, जो महिला पालीटेक्निक की बात कही गयी है कि 18 महिला पालीटेक्निक स्वीकृत हुई हैं उसमें से 13 कार्यरत हैं । 5 पालीटेक्निक के बारे में आपने कहा है कि यह निर्माणाधीन हैं यह स्थिति शोचनीय है । जिनको आप निर्माणाधीन कह रही हैं उनमें से एक सावित्री देवी फुले राजकीय महिला पालीटेक्निक सहारनपुर, बहन मायावती के कार्यकाल में 1997 में 6 महीने में इसकी बिल्डिंग बन गयी थी लेकिन प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है ।

इसी तरह से राजकीय महिला पालीटेक्निक, बादलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और बलिया इसमें से बलिया को छोड़ कर सभी 97 में शुरु किये गये थे और इनके प्रशिक्षण चालू करने की व्यवस्था आप नहीं कर पायी हैं । इसी तरह से राजकीय पालीटेक्निक फिरोजाबाद 90 में, सोनभद्र 93 में, मऊ 96 में शुरु किये गये और अम्बेडकर नगर के बारे में जो व्यवस्था की जानी चाहिये वह आप नहीं कर पायी हैं। आज 2000-2001 के बजट में मंत्री जी प्राविधान नहीं करा पायी हैं जो चिंता का विषय है । इसी के साथ जो कम्युनिटी पालीटेक्निक मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से मौजूदा सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं उनके बारे में सुझाव देना चाहता हूँ कि जनशक्ति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 6-7 महीने की ट्रेनिगं जैसे मोटर बाइंडिंग, इंजन रिपेयर, टेलरिंग निटिंग टाइप राइटिंग, रेडियो/टी०वी० रिपेयर, कम्प्यूटर आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन किया गया है उसमें दस्तकारिता को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रमों को शामिल कर दें । सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का काम और फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम होता है । फिरोजाबाद में पहले कोयले से यह कार्य होता था जो अब गैस से होता है इसी तरह से साड़ी बनाने के लिये वाराणसी, भदोही में कालीन दरी, मुरादाबाद में पीतल, हर्बल उत्पाद जैसी तमाम चीजों के लिये ट्रेनिग दें जिससे दस्तकारिता जो एक लंबे समय से चली आ रही है जिसमें ज्यादा लोग लगे हैं उसके लिये एप्रोप्रियेट टेक्नालोजी लाकर उसका संर्वधन करके दस्तकारिता को प्रोत्साहन देने का काम करें उससे समाज के दबे कुचले लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा । इसी तरह से जो अंशकालीन डिप्लोमा के लिये केरल, कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, मेरठ में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है जिससे मजदूरों का फायदा होगा तो इन पाठ्यक्रमों को अन्य जनपदों में बढ़ाना चाहिये ताकि उन औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों को प्रोत्साहन मिल सके । इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि रुड़की विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सहारनपुर में इंडियन पेपर टेक्नालाजी संस्थान चालू है जहां पर पेपर बनाने की टेक्नालाजी की स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है लेकिन उधर छात्रों को रुझान न देखते हुये उसका प्रापर यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है इसलिये इस संस्थान को रुड़की विश्वविद्यालय से संबद्ध रखा जाय परन्तु नयी तकनीक विषयों के पाठ्यक्रम शुरू किये जांये जिससे इसका सदुपयोग हो सके । तथा वहाँ की लैब, वर्कशाप एवं संस्थान की सभी सुविधाओं का पूर्ण दोहन हो सके । और हम अपने सीमित साधनों के अन्दर रहते हुये अपने नागरिकों के लिये एक नई चेतना के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधायें उपलध कराने की बात कर सकें । चूँकि मौजूदा बजट में सरकार की नीयत इन तमाम कार्यक्रमों के प्रति सही नहीं है इसलिए मेरा मानना है कि जो यह बजट रखा गया उसमें कटौती करके एक रुपया कर दिया जाय । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

बजट पर आगे चर्चा चले इससे पहले मैं कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश को रखना चाहता हूँ । कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 मई, 2000 की बैठक में विधान सभा का 3 मई से 26 मई, 2000 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>मई, 2000</u>

3 बुधवार	1––उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं पारण । (आधा घण्टा)

2—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

3—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधानसभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर आधे घण्टे की चर्चा ।

4 गुरुवार

1—उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण (आधा घण्टा)

2—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आयं-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

3—"ग्राम पंचायंतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

4—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाए ।"

5 शुक्रवार
6 शनिवार
7 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

8 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा .

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रसर चर्चा:–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करें।"

9 मंगलवार

1––वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—"प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने" के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर व डा० अशोक बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

10 बुधवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—"प्रदेश में आई०एस०आई० की गतिविधियों के विस्तार के आतंक फैलने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

11 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

13 शनिवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—"कानपुर जिले के वाजिदपुर पेबन्दी शेषपुर, मोतीपुर, आलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गंभीर समस्या" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

3—प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयंसेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

4—उक्त उपवेशन में नियम–52 एवं नियम–311 की सूचनाएं न ली जाय।

(आगे का शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता द्वारा दी गई है से सहमत है ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (क्रमागत).....

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि प्राविधिक शिक्षा के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं साथ ही साथ अपने इस प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सीमित संशाधनों के होते हुए भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की ओर कदम उठाने का साहस जुटाया है । मंत्री जी ने अपने बजट में युवा पीढ़ी के लिए तकनीकी क्षेत्र में जानकारी देने के लिए जो प्रयास किये जाने की बात की है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ । मैं दो तीन विषयों पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने प्रदेश में तकनीकी कक्षाओं में प्रवेश की क्षमता में वृद्धि करने में प्रयास किया है वहीं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय शासन ने किया है । प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा यह निश्चित है ।

इसके साथ ही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा वृक्षारोपण होता है वृक्ष उसी प्रकार उत्पन्न होता है । जो प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है इसकी स्थापना के बाद इसका स्तर इस प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय रुड़की, आई०आई०टी० से भी ऊँचा रहे यह प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का रहे और सही मायने में यह मील का पत्थर साबित हो । प्रवेश क्षमता तकनीकी क्षेत्र में बढ़ाई गई है लेकिन इसके बावजूद मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि तकनीकी शिक्षा जितनी मंहगाई हो गई है उसमें अगर गरीब और मध्यम वर्ग की प्रतिभाओं के समक्ष यह परिस्थित आये कि उनको निजी इंजीनियरिंग कालेजों में जाना पड़े तो शायद उन प्रतिभाओं का प्रारम्भ ही नहीं हो पायेगा उनकी भ्रूण हत्या हो जायेगी । वह तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पायेंगे । श्री संजय गर्ग जी इस बात के लिए व्यंग कर रहे थे कि पता नहीं सरकार ने कैसे महिला बाल विकास पुष्टाहार मंत्री के साथ प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय भी जोड़ दिया मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि अगर आप महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो महिलाओं को प्राविधिक शिक्षा से जोड़ना होगा। इसके साथ-साथ में एक बात कहना चाहता हूँ निजी क्षेत्र का अगर ज्यादा प्रवेश होगा तो आर्थिक परिस्थितियां है उसमें युवा पीढ़ी का शोषण होगा । दरअसल युवाओं को अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए इस बात की देखरेख सरकार को करनी चाहिए ।

[समय–8 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, कम्युनिटी पॉलीटेक्निक के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीटेक्निक की सरकार की, आपकी मंशा की मैं सराहना करता हूँ । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरठ जनपद में पूर्व में आई०टी०आई० के पास, चौधरी मुख्तार सिंह पॉलीटेक्निक की सम्पत्ति है, दो मंजिला भवन उपलब्ध है अगर सरकार सहमत हो, सरकार की अनुमति हो तो वहाँ एक महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना करवा दिया जाय मैं इसके लिए अपने विधायक निधि से 25 हजार रुपये भी दूँगा । इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री हरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो प्राविधिक शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और सराहना करता हूँ। इस सरकार ने इतने बड़े प्रदेश में जो टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ाने का प्रयास किया है उसके लिए मैं इस सरकार की सराहना करता हूँ। हमारे कुछ साथियों ने इसे निजीकरण को बढ़ावा देने का नाम दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज कितने ही हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व महाविद्यालय निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज से नहीं वर्षों से चल रहे हैं तब आपकी भी सरकार थी आपनें क्या किया। यदि इस टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ाया नहीं जायगा तो जो हमारे विद्यार्थी पहले प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र, बंगाल आदि प्रदेशों में जाते थे वे अब वहाँ नहीं जायेंगें। माननीय मंत्री जी का यह कार्य केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि छात्राओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बढ़ते शिक्षा प्रसार को देखते हुए टेक्निकल एजूकेशन की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। आज वी०एस०सी०, एम०एस०सी० के लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं।

इसीलिए आज का युवा वर्ग टेक्निकल हैण्ड होना चाहता है। परिवार का हर सदस्य यही चाहता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा कुछ कमाये और यदि हाथ में तकनीकी शिक्षा होगी तो वह स्वयं रोजगार कर सकता है। आज इसीलिए निजीकरण को बढ़ावा देना उचित है। जो 76 टेक्निकल डिग्री कालेजों को एन०ओ०सी० दी जा रही है वह एक सराहनीय कार्य है। निजीकरण की जो बात कही जा रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसनें निजी कालेजों को नहीं खोला है, इतना ही पर्याप्त हुई "धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले" कहना बहुत आसान है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहाँ-कहाँ क्या क्या हो रहा है यह मत पूँछों। नेता, अभिनेता, धनाड्य सब कोई निजीक्षेत्र में कालेज खोलना चाहता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ खुर्जा का विधायक हूँ वहां एक उद्योगपति सेठ गंगासागर ने पॉलीटेक्निक सन 55-56 में बनवाया था और उसे अब सरकार के हवाले कर दिया। जब इतने बड़े सेठ ने वहाँ पॉलीटेक्निक खोली है तो मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वहां पॉलीटेक्निक को उच्चीकृत कर एक इंजीनियरिंग कालेजे का रूप देना चाहिए। विपक्ष के लोग मनन करें चिंतन करें। विपक्षीगणों ने भी तो ऐसे ही निजीकरण को बढ़ावा देकर कालेज खोले थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

* श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो टेक्निकल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है चँकि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिये इसे मऊ जनपद में खोल दिया जाय। दूसरा, यह कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमा तथा आई०टी०आई० तथा डिग्री धारक पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में है और सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके रोजगार की कोई गारन्टी नहीं है। उनकी डिग्रियाँ नमक के भाव बिक रही है। आपने जो यह बजट रखा है, उसमें इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, बहुत ही मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं उनको इसके लिए साधूवाद देना चाहती हूं। श्री सुधाकर सिंह जी ने विशेष चर्चा की और श्री संजय गर्ग जी ने भी कुछ बातें कही, मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि यह सही है कि रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के लिए बजट में प्राविधान कम किया है, निश्चित रूप से सप्लीमेन्टरी बजट के समय हम इस पर विचार करेंगे। यह भी एक सुझाव आया कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्कशाप को सुदृढ़ीकरण करने का, आवश्यकतानुसार संस्थाओं में उच्चस्तरीय शिक्षा के सुदृढ़ीकरण का यह सुझाव सराहनीय है, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। डिग्री और डिप्लोमा की कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं, यह सही है और जो निजी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग कालेज हैं, माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की कि गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे किस तरह से इन संस्थाओं से शिक्षा ले पायेंगे क्योंकि ये बहुत मँहगे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 50 प्रतिशत सीटों पर वह उतनी ही फीस लेंगे जितनी हमारी राजकीय संस्थाओं में लिया जाता है। 45 प्रतिशत सीटें पेमेंट की हैं और पाँच प्रतिशत सीटों पर वह जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मध्यम वर्ग के लोग इन संस्थाओं से शिक्षा न पा सकें। हमारे बहुत से छात्र प्रदेश से बाहर जाते थे जिससे करोड़ों रुपया हमारे प्रदेश का बाहर के प्रदेशों में लगभग 100-200 करोड़ रुपये चला जाता था। यह सिर्फ सीटें कम होने के कारण होता था। छात्रों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में जाना पड़ता था, इसी कारण हमने निजी क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। श्री संजय गर्ग जी ने कहा कि 76 संस्थाओं को एन०ओ०सी० दिया गया, यह सही है परन्तु अभी तक 37 को मान्यता दी गई है।

समय-समय पर हमने इन संस्थाओं की गुणवत्ता तथा मानकों का आंकलन करते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा वहां पर दी जा रही है। हमारे पास एक टेक्निकल एक्सपर्टस की टीम है, जिसमें हम अच्छे इन्जीनियरिंग कालेज के जो डाइरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट्स हैं, उनको रखते हैं जो उनके मानकों और शर्तों का आंकलन करते हैं। जिन्होंने मानक पूरे नहीं किये हैं, उनके खिलाफ हम कार्यवाही भी करते हैं। 2 इन्जीनियरिंग कालेज की मान्यता हमने समाप्त की है और 9 की अभी विचाराधीन है। मैने निर्देश दिया है कि मई के अंत तक एक बार पुनः आंकलन कर लिया जाय। जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं को जिन शर्तों और मानकों के आधार पर मान्यता दी गई है, यदि वह पूरा नहीं करतें हैं तो आगे भी उनकी मान्यता को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता हैं.....

माँन्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि पॉलीटेक्निक में जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तमाम योजनायें चालू की गयी हैं जिससे उस क्षेत्र के छात्रों को 3-3 महीने के कोर्स में ट्रेनिंग दी जा सके जिससे उन्हें स्वरोजगार मिलता है, यह भारत सरकार की शतप्रतिशत अनुदान की योजना है।

मान्यवर, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी ने एक ब्रात कहा था जिसका मैंने पहले ही जबाब दे दिया था लेकिन पुनः मैं बताना चाहती हूँ कि प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना केवल इसी चिन्ता के साथ की गयी है कि हमारे जो निजी क्षेत्र की संस्थायें हैं उनकी गुणवत्ता ठीक रहे और नवीन पाठ्यक्रम लागू किये जा सकें जिससे इन इंजीनियरिंग कालेजों का जो स्टेटस हों वह आई०आई०टी० और रुड़की इंजीनियरिंग कालेजों के स्तर के बराबर हो सके। इसलिए इस सम्बन्ध में जो विधेयक को आप लोगों ने पास किया है और उसमें जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। मान्यवर, यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में मिलने की आशा है। मान्यवर, आज तकनीकी क्षेत्र में तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है इसलिए इस ओर हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, छोटी-छोटी कुछ कमियां हैं और कुछ ऐसे कालेज हैं जो मानक के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिए इसकी हमें चिन्ता है चूँकि जब अच्छे प्रोफेसर और प्रयोगशालायें नहीं मिलेंगी तो अच्छे इंजीनियर नहीं आयेंगे। इसलिए इस चिन्ता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों का स्टैण्डर्ड वही रखना चाहते हैं जो पूना यूनिवर्सिटी या आई०आई०टी० तथा रुढ़की का है। इन शब्दों के साथ मैं श्री सुधाकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, जो 5 महिला पॉलीटेक्निक जिनके 1997 से भवन बने पड़े हैं जिनमें पिछले तीन सालों से प्रशिक्षण चालू नहीं किया गया है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं बताना चाहती हूँ कि महिला पॉलीटेक्निक्स की चिन्ता हमें अधिक है और शीघ्र ही इसमें विचार करूँगी ।

मान्यवर, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई जी ने कहा कि मेरठ में भवन है, छात्रावास है और वह 25 लाख रुपये अपने विधायक निधि से देने के लिए तैयार है तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस पर बहुत शीघ्रता से हम विचार करेंगे । मान्यवर, इन सारी बातों से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सहमत होंगे, इसलिए माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर बजट को पास कराने में अपना योगदान दें ।

श्री सुधाकर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे द्वारा बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूँ । मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि मऊ जनपद में एक पॉलीटेक्निक जो वर्ष 1996 में स्वीकृत हुआ था जिसकी चहारदीवारी खड़ी करने के अलावा उसमें और कोई कार्य नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त बलिया में भी इसी प्रकार कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसलिए शासन की नीति जो है उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अुनदान संख्या 47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,03,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली खां)–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,34,41,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार.....

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह अल्पसंख्यक विरोधी चरित्र इनका उजागर हो गया । मंत्री जी खड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक से संबंधित बजट है और तभी ये शोर मचाने लगे । माननीय मंत्री जी ने इतनी मेहनत से बजट तैयार किया है जरा सुनें तो ।

श्री राम औतार शाक्य--

पश्चिम से सूरज निकल आया। बड़े हितैषी बन रहे हैं अल्पसंख्यकों के....

श्री राजा गजनफर अली खां--

मान्यवर, भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा हेतु प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग कार्यरत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या का 18.02 प्रतिशत अल्पसंख्यकों का है।

(व्यवधान)

प्रदेश में 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद हैं जिनमें 20 प्रतिशत या उससे अधिक केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं तथा प्रदेश में 57 विकास खण्डों को शैक्षिक रूप से पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्ड घोषित किया जा चुका है।

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण एवं उनके विकास के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक नहीं है, उनको छात्रवृत्ति देने की योजना चलाई जा रही है। वर्ष 99-2000 में इस योजना के अन्तर्गत 106.40 करोड़ की धनराशि के माध्यम से 252787O छात्रों को लाभान्वित किया गया है। 2000-2001 के इस मद के अन्तर्गत रुपये 01 अरब 07 करोड़ 02 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। छात्रवृत्ति की इस योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु एवं अनियमितताओं पर अंकुश रखने हेतु विभाग में एक मानीटरिंग/शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है तथा तत्काल जांच हेतु 04 सचल दल भी स्थापित किये गये हैं। अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि हेतु अनुदान सूची पर लिये जाने की योजना के अन्तर्गत चयनित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में 12 शिक्षक, 1 प्रधानाचार्य, एक लिपिक तथा 1 चपरासी कुल 15 कर्मियों के लिए वेतन आदि अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस समय 317 मदरसे अनुदान सूची में हैं जिन पर 2000-2001 में 3600 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनुदानित मदरसे को रुपये 765 प्रति मदरसा प्रतिवर्ष की दर से जल, विद्युत, भूमि, भवन कर एवं लेखन सामग्री हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। 1999-2000 में इस मद में रुपये 12.70 लाख का बजट था। 2000-2001 में इस मद में 10 लाख रुपये का बजट प्रस्तवित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत उन्हें.....

श्री अधिष्ठाता--

कृपा करके जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करें। आप पूरा भाषण न पढ़ें।

श्री राजा गजनफर अली खां--

अब तक इस योजना के अन्तर्गत 259 विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जा चुका है तथा भविष्य में भी यह योजना चालू रहेगी।

श्री अम्बिका चौधरी--

मंत्री जी जो करते हैं उसके लिए ऊपर वाले से नहीं डरते हैं तो आपसे क्या डरेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजा गजनफर अली खां–

मान्यवर, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हमने बनायी है इस योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों के आधुनिकीकरण हेतु एक शिक्षक गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान पढ़ाने के लिए रु० 3000 प्रतिमाह की दर से एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया जाता है । अब तक इस योजना के अन्तर्गत 690 मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ 86 लाख 72 हजार प्रस्तावित है ।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी इसको पढ़े नहीं अपनी तरफ से विचार व्यक्त करें ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें कठिनाई यह है कि इतनी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं कि सारे आंकड़े देने पड़ेंगे इन लोगों को तकलीफ हो रही है यह लोग तो कुछ कर नहीं पाए इन्होंने उसको कर दिखाया है ।

(व्यवधान)

श्री राजा गजनफर अली खां–

मान्यवर, टर्मलोन योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सात प्रतिशत के ब्याज पर तथा गरीबी रेखा से दोगुने के नीचे जीवन यापन करने वालों को 10 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत 3490 इकाइयों को रु० 409 लाख का ऋण दिया गया तथा वर्ष 2000-2001 में इस योजना का लाभ मिलेगा ।

(मेजें थपथपाई)

मान्यवर, मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण पर मार्जिन मनी की धनराशि 7.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराई जाती है । गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 400 परिवारों को रु० 90 लाख का ऋण वितरित किया गया है । इसी तरह से ब्याज रहित ऋण योजना है इसके अन्तर्गत वर्ग के मेधावी युवकों को जिनके अभिभावकों की आय रु० 60,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भाग लेने तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु रु० एक हजार प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में 199 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, इसी तरह से हमने कोचिंग योजना चलाई है इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने हेतु कोचिंग दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० की प्रारम्भिक परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली हैं उनको मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग दी जाती है इस योजना के अन्तर्गत 413 छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है । इस योजना के लिए 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

(मेजें थपथपाई गई)

इसी तरह से व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार कार्यक्रम योजना है इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें । इस योजना के लिए 25 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । इन योजनाओं के अतिरिक्त उ० प्र० सुन्नी शिया सेन्टल वक्फ बोर्डों का चुनाव कराकर इन बोर्डों का गठन किया गया है । इसी तरह से उ० प्र० हज समिति के माध्यम से लगभग 15 हजार यात्री हज यात्रा पर भी भेजे गये । इसी के साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि वर्ष 2000-2001 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं को प्रभावी गीत से चलाने के साथ-साथ कुछ योजनाओं को

प्राथमिकता पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश के मान्यता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के लगभग 6 हजार शिक्षकों में से प्रथम चरण में तीन हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से इन मदरसों में विज्ञान, गणित आदि विषयों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है और इन मदरसों के 6 से 12 तक के पाठ्यक्रमों को तद्नुसार संशोधित किया जाय । वक्फ की सम्पत्तियों की आय बढ़ाने हेतु सर्वे कराने का काम भी प्राथमिकता के आधार पर कर लिया गया है ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48—मुस्लिम वक्फ के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे । यह गौरव की बात माननीय मंत्री जी के लिए मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष का ऐसा प्रबल समर्थन किसी माननीय मंत्री को शायद ही प्राप्त होगा जितना कि इनको प्राप्त हुआ है । सहयोग और समर्थन में क्या बोल गये यह सुनाई नहीं पड़ा। जो योजनाएं थीं वह इसमें बह गयीं । जो साहित्य उपलब्ध कराया गया है उसके आधार पर मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा–

"कुछ फूल बालों में, कुछ फूल गिरेबां में,
यह चमन को लूटने वाले खुद गुलिस्तां बन के बैठे हैं ।"

यह जोश मलिहाबादी का शेर है । विभाग द्वारा जो साहित्य में भूमिका व उद्देश्य दिये हैं । पेज 1 से 4 में है । इसमें यह है कि "भारतीय संविधान में भारत वर्ष को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है । धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि उस राज्य का अपना कोई मजहब/धर्म नहीं है और वह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है । संविधान के अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य तथा नैतिकता के अधीन रहते हुए केवल ऐसा धर्म ग्रहण करने की स्वतंत्रता नहीं देता, जैसा कि उसके निर्णय एवं अन्तःकरण द्वारा अनुमोदित हो, बल्कि अपने विचारों का प्रचार-एवं प्रसार करने के लिए विश्वास को ऐसे बाहरी कार्यों में भी प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता देता है, जैसा कि वह व्यक्ति उचित समझता है । धर्म की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा कतिपय पाबन्दी लगाने की व्यवस्था भी संविधान में है ।

अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी एक भिन्न भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे रक्षित करने के उनके अधिकारों को गारण्टी प्रदान करता है । अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार देता है । उद्देश्य यह है कि इनके विभाग की जो वक्फ सम्पत्तियां हैं उसे सुरक्षित करें, विकसित करें, अल्पसंख्यकों के लिए जो संस्थाएं चला रहे हैं, उसमें टेक्निकल एजूकेशन कम्प्यूटर एजूकेशन दें । अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को मान्यता दें ।

मान्यवर, इसी बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं । सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अन्तर है और माननीय मंत्री जी के रहते हुए इस विभाग का कितना विकास हुआ है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । मान्यवर, वक्फ को जो सम्पत्तियां देते हैं–एक तो वे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती है और वह जनकल्याणकारी कार्यों के लिए सम्पत्ति दे देते हैं और दूसरे वे होते हैं जो अपनी औलाद का हक मानकर भी जन कल्याण में सब दे देते हैं । मान्यवर, 95-96 में हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग कायम किया । मान्यवर, जब उनकी बरबादी शुरू हुई, बिक्री शुरू हुए सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और अधिकारियों के माध्यम से तो आवश्यकताओं को देखते हुए 83-84 में गवर्नमेंट ने आदेश किये थे वक्फ की सम्पत्ति का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । दोनों वर्षों में अलग-अलग शासनादेश जारी करने पड़े ।

मान्यवर, इस सरकार के आने के बाद क्योंकि इस सरकार को इन मंत्री जी से ज्यादा तजुर्बेकार और सक्षम मंत्री नहीं मिल सकता है। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाना चाहता हूं। आपने अल्पसंख्यक कल्याण की परिभाषा ही बदल दी है स्वयं परिवार कल्याण का नाम दे दिया। अभी तक अपने परिवार का कल्याण किया। करोड़ों की सम्पत्ति देहरादून में वक्फ संख्या 426 एक फर्जी संस्था बनाकर ट्रांसफर कर दी गयी उसके एडमिनस्ट्रेटर मंत्री जी के सगे दामाद हैं। वक्फ संख्या 3179 नोयडा में सेक्टर 15 में है कब्रिस्तान दर्ज कराया गया उसमें भी इनके भांजे और दामाद हैं। आजमगढ़ में 62 नम्बर की सम्पत्ति ट्रांसफर हुई। बुलन्दशहर में 308 नं० की सम्पत्ति ट्रांसफर हो गयी इसी तरह से कितनी सम्पत्तियां ट्रांसफर हो गयी परिवार वालों के रिश्तेदारों का पेट भर गया।

मान्यवर, कलियर शरीफ की दरगाह है वहां अनियमितता बहुत हो गयी अप्प चाभी लेकर साथ आ गये, फिर स्टाफ गया चाभी लेकर और अनियमितता कर आया। सब धन ले आये। आप वहां के एडमिनिस्ट्रेटर रिजवानुल हक साहब से पहले नाराज थे उनको त्याग-पत्र देना पड़ा आज उनसे खुश हैं वहीं फिर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हैं वे वारे न्यारे कर रहे हैं मंत्री जी भी खुश हैं। बहराइच की दरगाह है वहां का माननीय मंत्री जी ने दौरा किया इनके जूते चोरी हो गये बहुत शोर मचाया, तब शांत हुए जब दरगाह वालों ने इनको जूतों के पैसे दे दिये। उसी दरगाह पर आज 5 एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो बदला गया वह हटाया नहीं गया। बदइंतजामी को आप जान सकते हैं। वहां आलम सरहदी साहब हैं 55 हजार का रिवाल्वर खरीदने के लिए फंड के पैसे का इस्तेमाल किया और आश्चर्यजनक रूप से कन्ट्रोलर वक्फ और हज समिति के सचिव ने उसकी सेंक्शन भी दे दी जब इसकी जांच हुई तो रिकार्ड गायब कर दिये गये कैश बुक गायब हो गयी अब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। मान्यवर, अब्दुल हलीम साहब वक्प बोर्ड अधीक्षक हैं, सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के आफिस में रहे घोटालों में उनको सस्पेण्ड किया गया। वह बहुत जमाने तक सस्पेण्ड रहे उनके विरुद्ध आगरा और फैजाबाद के बिजिलेंस की इन्क्वायरी चल रही है। उनको फिर बहाल कर दिया और फिर वक्फ अधीक्षक के पद पर बैठा दिया। इन्हीं अब्दुल हलीम साहब का इंदिरा नगर में लगभग 50 लाख का मकान बन रहा है उसकी भी इन्क्वायरी शुरू हो चुकी है। मान्यवर, अब तक तो माननीय मंत्री जी ने अपने परिवार पर कृपा की कुछ रिश्तेदारों को निभाया और अब मित्रों की बारी आयी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस तरह से गजनफर पुराण न लिख दें।

(व्यवधान)

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, अरशद अली साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य नामिनेट हो गये उनकी संस्था का पता नहीं कहां से आये। इसी तरह से शमीम आलम देहरादून से नामिनेट किये गये हैं। ये बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए गये वहां इनका हाईस्कूल का सर्टिफिकेट, बी० एस० सी० का सर्टिफिकेट और एल० एल० बी० का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया और इनको सजा हो गयी और ये 4 माह तक जेल में रहे लेकिन आज तक उनकी मेम्बरशिप खत्म नहीं हुई, मंत्री जी की मेहरबानी से बने हुए हैं। इसी तरह से समीउल्ला अंसारी साहब हैं वह भी आज मेम्बर हैं और मंत्री जी के कृपा पात्र हैं।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर आरोप लगाने की परम्परा इस सदन में नहीं है।

श्री राम नरेश रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम बार-बार सुनते आ रहे हैं कि किसी एक अधिकारी विशेष या किसी आदमी का नाम लेने पर आप नाराज हो जाते हैं और आप निर्देश देते हैं कि नाम न लें लेकिन वे पचासों नाम कोड कर चुके हैं, क्या यही नियमावली में है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन की परम्परा रही है कि जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लेकर बार-बार जिक्र न करें । पदनाम से जिक्र कर दें, इससे काम चल जायेगा ।

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिजवी)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । पदनाम भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि बजट अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से रखा गया है न किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से रखा गया है । माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव में उन बिन्दुओं के संबंध में अभी तक एक भी बात नहीं कही गई है जो माननीय मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय उल्लेख किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सौलत अली जी, कृपया संक्षिप्त करें । जो कटौती का प्रस्ताव आपका है, उसके ऊपर कुछ तर्क रखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सौलत अली जी का एक लब्ज भी इर्रिलीवेन्ट नहीं है । सभी का सन्दर्भ इस बजट से है और यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इनको कटौती रखने दी जाय ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को नाम लेने पर आपत्ति है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा ।

हम जिस विभाग के बजट की चर्चा कर रहे हैं, उस विभाग के लिए सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड बना हुआ है, इसका बोर्ड गठित होता है और बजट पारित होने के बाद उसको ही जायेगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सौलत अली जी, जब कोई आरोप सदन में लगाया जाता है तो उसका सत्यापन की जिम्मेदारी भी उसकी होती है, इसलिए आप बहुत सोच समझकर अपनी बात कहें । जो यहां सदन की परम्परायें हैं, मर्यादायें हैं, उन परम्पराओं और मर्यादाओं के अन्तर्गत ही अपनी बात रखिये ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

एक भी आरोप बिना प्रमाण के नहीं है । यदि मंत्री जी डिलाई करेंगे तो मैं प्रमाणित करूंगा ।

मान्यवर, इस वक्फ बोर्ड में माननीय मंत्री जी के सगे भाई श्री आफताब अली को भी नामित किया गया है । इस सरकार को इन माननीय मंत्री से उपयुक्त कोई मंत्री इस विभाग के लिए नहीं मिला।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

कितने मदरसों में कम्प्यूटर दे दिये गये, यह बात साहित्य में कहीं नहीं मिली । इसी प्रकार बालिका छात्रावास की बात कही गई, मैं जानना चाहूंगा कि कितने बालिका छात्रावास मदरसों में बन पाये हैं ? मेरे क्षेत्र में रियासत हुसैन जनता हाईस्कूल चल रहा है । वहां वर्षों से अल्पसंख्यक संस्था की मान्यता

मांगी जा रही है, परन्तु मान्यता आज तक नहीं मिल सकी । इसी प्रकार हाजियों के बारे में जिक्र हुआ है। कितनी सुविधायें हज यात्रियों को उपलब्ध कराई गई, इसका अखबारों में बहुत जिक्र हुआ है । 8 अप्रैल का हिन्दुस्तान लिखता है, ''जान जोखिम में डालनी पड़ती है, हज यात्रियों को ।''

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, हज यात्रियों को जद्दा के हवाई अड्डे पर पड़े रहना पड़ा, न खाने की सुविधा, न सोने की सुविधा और न रहने की सुविधा । आप हज यात्रियों से 'ए' क्लास का 1800 रियाल लेते हैं और सी क्लास में ठहराते हैं । इसी प्रकार कुबेर टाइम्स लिखता है, मंत्रियों का ''घर परिवार खुश, मंत्री की पांचों उंगली घी में'' । अगर इनको सदन के सम्मुख रखने में परेशानी होती है तो इस विभाग और बजट का क्या सुधार कर पायेंगे, कैसे सुझाव दे पायेंगे ।

मान्यवर, मदरसों की मान्यता के बारे में आपने स्वयं स्वीकारा है कि गत वर्ष 787 को मान्यता दी है, इस बार 53 को और जोड़ दिया और ये 840 हो गये । 317 मदरसों का अनुदान था और आज की तारीख में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया है । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कहा है कि मदरसों को बढ़ावा देंगे, कम्प्यूटर देंगे और मा० वित्त मंत्री ने भी कहा है कि इसके लिए हमने धनराशि बढ़ा दी है । पिछले वर्ष इस विभाग को इस सरकार ने 1 अरब 59 करोड़ 43 लाख रुपये दिया था जबकि इस वर्ष 1 अरब 43 करोड़ 48 लाख दिया है । आपने 25 करोड़ रु० घटा दिया आप कहते हैं कि हम छात्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं, हम मदरसों को मान्यता दे रहे हैं, आप किसी प्रकार से इनका कल्याण कर रहे हैं । सब फर्जी है और इस ओर कोई ध्यान नहीं है । आप कहते हैं कि पुलिस व फौज और पी० ए० सी० की भर्ती हेतु उनको अल्पसंख्यकों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुरादाबाद से ज्यादा ट्रेनिंग कहा होगी, आज तक मुरादाबाद में एक सेन्टर नहीं खोल सके । बजट में कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश में कहां-कहां सेन्टर खोल दिये ? एक सुझाव आपका बहुत अच्छा है कि निगम द्वारा वक्फ की पट्टे पर भूमि लेकर विकसित करने और किराये पर देने का लेकिन इसको क्रियान्वित तो कीजिए । लिखने से नहीं होगा । मान्यवर, एक माननीय सदस्य श्री अफजाल साहब हैं, संस्था के माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा 68 मदरसों के अनुदान के विषय में, मंत्री जी ने लिखा कि हमारी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि एक भी मदरसे को अनुदान दे सके । आपने यहां पर बड़ी-बड़ी बातें की हैं यहां तो आप एक भी मदरसे को अनुदान देने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के मध्य)

श्री सौलत अली एडवोकेट–

इंसा लहरों में बह लेता तो हर कोई सत्ता सुख लेता,
ईमान बेंचकर जीता तो हर कोई महलों में रह लेता ।

श्री अधिष्ठाता–

आगे और भी बजट है और भी मद हैं और इस समय 9.20 हो रहा है, कृपया संक्षेप करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मैं संक्षेप में कह रहा हूं । मान्यवर, कुछ सुझाव हैं, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं मंत्री जी के सम्मुख । बार-बार एयर इण्डिया को ठेका देते हैं, हर साल शिकायतें आ

रही हैं कई साल से शिकायतें आ रही हैं लेकिन आप ठेका एयर इण्डिया को ही क्यों देते हैं आप ओपेन टेण्डर मांगिये और जो शर्तों को पूरा करते हैं उनको ठेका दीजिये । व्यवस्था ठीक न होने के कारण हज यात्रियों को परेशानी होती है और वह 5-6 दिन हवाई अड्डों पर पड़े रहते हैं । इसी तरह से दो वर्ष पहलेहज करने गये अनेक लोग वहां पर मीना में हुई दुर्घटना में मारे गये सरकार को उनको मुआवजा देने का काम करना चाहिए लेकिन आपने यह काम नहीं किया ।आप मुआवजा देकर अल्पसंख्यकों के दिल में जगह बना सकते हैं । एक बड़ा खतरनाक काम आपकी सरकार कर रही है ।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1995 में ओखला में 5 एकड़ जमीन हज हाउस बनाने के लिए हज समिति को दी थी और सुश्री मायावती सरकार ने 5 करोड़ रुपये हज हाउस को बनाने के लिए दिये थे । 2 करोड़ 6 लाख रुपया पी० एल० ए० में जमा किया गया था । अब दिल्ली में जमीन अरबों खरबों की हो गयी है । आप उस जमीन पर हज हाउस नहीं बनाना चाहते हैं आप हज हाउस को लखनऊ में बनाना चाहते हैं । हाजियों के लिए लखनऊ में हज हाउस बनाने से क्या फायदा होगा । हज यात्रियों की जिम्मेदारी सेन्टल हज कमेटी की होती है आप उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं । सेन्टल हज कमेटी का आफिस दिल्ली और बम्बई में है । अगर हज हाउस दिल्ली में नहीं बनेगा तो हज यात्रियों को सुविधा नहीं मिलेगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हज हाउस को दिल्ली में बनाना चाहिए। यह सरकार अल्पसंख्यक विभाग की ग्रांट खाये जा रही है और झूठे नारे दे रही है । एक शेर कहकर मैं अपनी बात खतम करूंगा :––

जमीं बेंच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन के निगमबां चमन बेंच देंगे,
शहीदों की लाशों का सौदा करेंगे और उनकी लाशों के कफन बेंच देंगे ।
अगर तुम न जागे वतन के अजीजो, यह सरकार वाले वतन बेंच देंगे ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी को पुकारे जाने पर)

संस्थागत एवं व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, समय का ध्यान रखें, कई व्यस्ततायें हैं, कई जगह जाना है ।

श्री बुनियांद हुसैन अंसारी–

इनको जल्दी है, इनको जाने दीजिये । मान्यवर, मैं इससे पहले इस कटौती के प्रस्ताव पर कुछ बोलूं मैं आपसे.....

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर शोर/व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अगर मंत्री जी अपनी कटौती करा लें तो मैं बैठ जाऊं । मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करिये ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन व्यवस्थित है, आप अपनी बात कहें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह अल्पसंख्यकों का बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं तो धैर्य से सुन तो लें । अगर अल्पसंख्यकों की बात भी सरकार नहीं सुन सकती तो मुझे खेद है । मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया सदस्यों को शान्त करें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपा कर ऐसे सुझाव दें जिसमें मंत्री जी का कुछ मार्गदर्शन हो ।

(शोर/व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

अगर सुनना ही नहीं चाहते हैं तो बहुमत से बजट पास करा लें क्या जरूरत है चर्चा कराने की।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बोलते रहने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अगर हम नहीं बोल पायेंगे तो आप भी नहीं बोल पायेंगे। इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

बुनियाद हुसैन जी कृपा कर बैठ जाइये। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बजट प्रस्तुत हो रहा है, समय काफी हो गया है। आपस के वाद-विवाद में न उलझें। सकारात्मक चर्चा करें ताकि इस प्रदेश की जनता का कुछ भला हो सके। उत्तेजना के क्षण न आने दें जिससे समय बर्बाद हो और हमारे बारे में गलत सन्देश जाये।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अल्पसंख्यक कल्याण का यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है इसके कटौती के ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। यह मोहकमा जमा खुला था और नया विभाग बना था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बहन मायावती जी बैठी थी तो उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग का नया सृजन किया। जब यह विभाग बना तो उत्तर प्रदेश की अक्लियत खासतौर से मुसलमान- जिनकी उम्मीदें बाबस्ता हो गयी और तालीम मदरसों का कार्य इसी विभाग को सौंपा गया है। बहुत बहुत ही शार्ट में अपनी बात कहूंगा। अरबी-फारसी बोर्ड का इम्तिहान 1998 को हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया, 35 हजार के लगभग उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बच्चों ने इम्तिहान दिया। 1999 के 40 हजार बच्चे इन्तजार कर रहे हैं उनका इम्तिहान नहीं हुआ। वर्ष 2000 के 40 हजार बच्चों का भी इम्तिहान नहीं हुआ तो यह उत्तर प्रदेश के सवा लाख अल्पसंख्यक बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। यह इतना सोचनीय विषय है कि पूरे सदन को इस पर चिन्ता करनी चाहिए। और सरकार के लिए शर्म की बात है।

[समय–9 बजकर 30 मिनट]

[× × ×] सरकार को उत्तर प्रदेश में सवा लाख अक्लियत के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह जो किताब दी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां छात्रवृत्ति की नम्बर एक पर मानी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है 1999-2000 में 1,83,000 रुपये थे इस बार यह बजट एक करोड़ सत्तर लाख हो गया जो कम है। ऋण मार्जिन मनी में गिरावट आई है। इस सरकार के कार्यकाल में एक चीज में बढ़ोत्तरी हुई है वह है भ्रष्टाचार में।

उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के द्वारा छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं सीतापुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने एक दिन में 60 लाख रुपये निकाले और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात का उत्तर दें। जब-जब डायरेक्टर ने या वरिष्ठ अधिकारियों ने लिखा कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए स्वयं मंत्री जी ने उसको रुकवाया। क्योंकि

नोट :– [× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वह इनका चहेता था । आज वह अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिसकी जिलाधिकारी ने जांच कराई दो करोड़ 60 लाख का गबन पाया एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आज जेल में है उसकी जमानत हाई कोर्ट में कैंसिल हुई ।

मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि मंत्री जी बतायें कि उत्तर प्रदेश में कितने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं जिस पर डायरेक्टर बराबर लिख रहा है कि जांच करनी चाहिए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । हज हाउस बनाने की बात यहां आई मैं स्पष्ट सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार हज हाउस बनाने के लिए एग्रीमेंट किया गया उस एग्रीमेंट की कापी मेरे पास है जिसको 25 लाख रुपये दिये गये उसके पास उसकी जमीन नहीं है उसके पास सिफे एक अधिकार पत्र है पावर आफ एटार्नी उस 25 लाख रुपये का पता नहीं है । इन्होंने कहा कि दूसरी जगह लेंगे 50 लाख रुपये उसका भुगतान भी कर दिया गया इस सम्बन्ध में मेरे पास मुख्य मंत्री के आदेश की प्रति है जिसमें उन्होंने लिखा है उपरोक्त परिस्थिति में सुझाव होगा कि 50 लाख रुपये का भुगतान का निर्णय जो दिनांक 23-12-1999 को लिखा गया है उसे तत्काल स्थगित कर दिया जाए तथा इस मामले में गम्भीर परीक्षण के बाद पुनः मेरे पास प्रस्तुत किया जाए ।

डा० वकार अहमद शाह–

माननीय, कुछ लोग [× × ×] सदन में बैठे हैं इनका [× × ×] करा लिया जाए ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

माननीय, यह सीधे-सीधे 75 लाख रुपये का गबन है । मैं मुख्य मंत्री जी की नोटिंग पढ़ रहा हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान उत्पन्न करने पर)

इसमें लिखा है कि "सचिव राज्य हज समिति जिम्मेदार होगी कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान न किया जाय । उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त होने के बाद उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।" पत्रावली पर नोटिस के बाद 50 लाख रुपये का भुगतान इस पार्टी को कर दिया गया जिसके पास न जमीन है न साधन, न नजूल की जमीन है और अनाधिकृत कब्जा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप बैठ जायं । हर सदस्य के लिए समय निर्धारित है । रात के 9.35 हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मंत्री जी ने पिछले वर्ष हज के समय में खाने के लिए अग्रीमेंट किया था सऊदिया की कम्पनी के साथ तमाम समाचार पत्रों ने इसे प्रकाशित किया । मेरे पास फोटो है । इसमें लिखा है "यू० पी० के वजीर सऊदी कम्पनी के मालिक मुहैया करते हुए"

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

हमारे दल के हिसब से समय देना चाहते हैं तो और कोई नहीं बोलेगा । मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं तब भी नहीं सुनेंगे आप । यह करोड़ों रुपये का गबन है । आप तथ्यों को छुपाना चाह रहे हैं । अभी एक सदस्य ने जो शेर पढ़ा वह ऐसे होना चाहिए कि "बर्बाद गुलिस्तां करने को, एक ही उल्लू काफी है यहां तो हर शाख पर उल्लू बैठे हैं अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा ।" इस

एग्रीमेन्ट में साफ-साफ लिखा है कि इसका उल्लंघन करने पर 12 लाख रुपये हर्जाना देना होगा । वहां सऊदिया में इनके [× × ×] मेरे पास एग्रीमेन्ट की कापी है । मैं आपके पास भेज रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायं । आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए आप प्रमाणित प्रतियां भेज दें तभी चर्चा हो सकती है ।

(व्यवधान जारी)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

जिसका बाप जिन्दा हो उसको कौन [× × ×] कह सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं और प्रमाणित प्रतियां भेज दें ।

(व्यवधान जारी)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री अंसारी जी आप कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

श्री अंसारी जी की बात नहीं लिखी जायेगी । सभी माननीय सदस्य भिज्ञ हैं कि सदन का कार्य संचालन नियमों से बंधा हुआ है । यह तय हो गया कि सबकी भागीदारी होगी और इतना समय तक माननीय सदस्य को बोलने के लिए दिया जायेगा । समय काफी हो गया है । यदि एक सदस्य आधा घंटा बोलना चाहेगा तो इससे सदन का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा । सभी को मौका दिया जा रहा है और सबकी बात आनी है । बात भी सभी की आ जाय और काम भी पूरा हो जाय । मैंने कई बार श्री अंसारी जी से आग्रह कियाँ कि आप समाप्त करें । कुल मिलाकर उनका भाषण 20 मिनट का होगया है । इस तरह से पीठ अनुमति नहीं दे पायेगा । कृपा आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी मेरी प्रार्थना है कि विपक्ष का एक मुख्य दल है, जिसकी संख्या 50 से अधिक है । किसी को आप समय न दें परन्तु श्री अंसारी जी को पांच मिनट का मौका आप और दे दें । सदस्य संख्या के आधार पर समय सीमा निश्चत की जाती है । वह पांच मिनट अन इन्टरपटेड बोलेंगे, यदि इन्टरप्शन हुआ तो उतना समय उन्हें और दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बुनियाद जी आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, शेख उम मंसूर ने सऊदी अरब में मुकदमा मंत्री जी के खिलाफ दायर कर दिया है । वहां से हज काउन्सलर जनरल आफ इण्डिया वहां उपस्थित हुए और उनकी दलील वहां नहीं मानी गयी ।

नोट :– [× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विदेश मंत्रालय से लिख कर आया कि अपनी पैरवी के लिए यहां किसी को भेजें । इसमें तारीख 1 मई, 2000 थी । मान्यवर, मंत्री जी ने बताया था कि एग्रीमेंट नहीं किया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें करोड़ों रुपये का घपला हुआ है । उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यहां से एडवान्स पेमेन्ट चेक से किया गया है । अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में तमाम जिलों के चेक यहां से कैस पास कराये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं इसका आधार क्या है ?

मान्यवर, यहां से जो हज करने गये थे और जिनकी हज के दौरान मृत्यु हो गयी तो उनके परिवार के आश्रित लोगों को अभी तक बीमा का पैसा क्यों नहीं दिलाया गया है ? मान्यवर, हाजी लोगों की जिनकी समाज में इज्जत की जाती है उसके साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है, यदि उनकी बददुवा इनके लग गयी तो बहुत बुरा होगा चूंकि उनके परिवार के लोग पैसा न मिलने के कारण आंसू बहा रहे हैं और उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दो दर्जन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन उनमें किसी एक अधिकारी पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिए इसमें कार्यवाही करने की जरूरत है ।

मान्यवर, अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में दो लोगों को मंत्री जी ने अपनी ओर से नामजद किया जो फर्जी डिग्री के आरोप में जेल में बन्द हैं । मान्यवर, जो अधिकारी वक्फ की सम्पत्ति को देख रहा था उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है । मान्यवर, वक्फ बोर्ड के एक व्यक्ति ने लखनऊ में चार बीघे जमीन अपने ट्रस्ट के नाम पर एलाट करा लिया है । जिसकी कीमत 4 करोड़ है वक्फ की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति या तो बेच दी गयी है या बेचने की साजिश की जा रही है अथवा बड़े-बड़े होटलों को चलाने के लिए दे दी गयी है । मान्यवर, हज सेक्रेटरी के ऊपर 4 करोड़ रुपये की जमीन का मामला चल रहा है तो मैं जानना चाहता हूं उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

*श्री रूप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री के क्रान्तिकारी बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज दोपहर में विपक्षी दल के माननीय सदस्य षडयंत्र रच रहे थे । जैसी यह बाहर बात कर रहे थे कि हम बजट का विरोध करेंगे । जैसी हमको आशंका थी वह इन्होंने किया । अल्पसंख्यकों के लिए आपने कितना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है यह भाषण से नहीं आपके काम से साबित होता है । इन्होंने तय किया था कि बजट चाहे कितना अच्छा क्यों न हो हमें विरोध करना है, सो इन्होंने विरोध किया और जैसे ही माननीय मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया इन्होंने व्यवधान करना शुरू कर दिया । हमारे माननीय मंत्री जी भाषण में नहीं काम में विश्वास रखते हैं । यह इस बात से साबित है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के मद में इस वर्ष 107.52 करोड़ रुपये बजट में प्राविधानित किया है । इसी प्रकार से अरबी, फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि हेतु अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए 2600 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव किया गया है जो कि एक बड़ा रिकार्ड है । हमारी पार्टी के लोगों को छोड़कर अन्य पार्टियों के लोग अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक मानते हैं वे न तो इनके रहन सहन के स्तर के लिए कुछ करते हैं न उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए । मंत्री जी ने मुस्लिम महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । टर्म लोन के लिए 409 लाख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपये ऋण का प्राविधान माननीय मंत्री जी ने इस बजट में किया है । इसी तरह से 15 हजार हज यात्रियों के हज के लिए अच्छी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने करवाई । यह बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है । अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना से समाज को गति मिल रही है । यह बजट बहुत ही अच्छा और सराहनीय है । इन लोगों को विरोध करना था सो इन्होंने किया । मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा जो इतना अच्छा बजट रखा गया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं उम्मीद करता हूं कि बुनियाद जी ने जो बेबुनियादी कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको जरूर वापस ले लेंगे ।

(डा० सरजीत सिंह डंग के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब मैं आपको भी अनुमति दूंगा । कौकब साहब बोल रहे हैं । आप लोग व्यवस्था में थोड़ा सहयोग करें । कृपया दो मिनट में अपनी बात कहें ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं । यह जो बजट रखा गया है उसमें मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 1 लाख 75 हजार औकाफ कुल मिलाकर हैं । जब आप हिसाब लगाते हैं कि यहां की आबादी मुसलमानों की 17 और 18 परसेन्ट है । कर्नाटक के जो औकाफ हैं उनकी आबादी इससे कहीं कम है करीबन 8/9 परसेन्ट है । आन्ध्र प्रदेश में 17 हजार औकाफ हैं और देखने की बात यह है कि कर्नाटक के अन्दर औकाफ मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज चला रहे हैं । आन्ध्र प्रदेश के अन्दर मेडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज चला रहे हैं । आन्ध्र प्रदेश के अन्दर मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज चला रहे हैं । जहाँ सबसे कम आबादी है वहां भी चला रहे हैं और जहाँ 1 लाख 75 हजार औकाफ हैं वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है आखिर इसकी कुछ न कुछ वजह तो होगी । हम इनके लिये कुछ नहीं कर पाये आखिर कोई कारण तो होगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं यह सोचने की बात है । आपकी वसूलियाबी में कमी है औकाफ में जो आमदीन होनी है उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है । उत्तर प्रदेश माइनौरिटीज सेन्टर है उसको आप सही तरीके से कन्ट्रोल नहीं कर पाये । जो हमारी जमीनें हैं उन्हें डेवलेप करना था लेकिन नहीं कर पाये । यह कमी कहीं न कहीं मालूम करनी चाहिए । जो हज कमेटी को चलाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी । एक साल में यहाँ से 15 हज यात्री जाते हैं और यहां से जो हाजी गये । जो हज कमेटी है, तीन-चार हजार तो प्राइवेट हज करने गये होंगे, आपने हाजियों के रहने का क्या इंतजाम किया ? वह परेशान क्यों हुए ? यह ऐसी खबर नहीं है कि यहां ख्वामखाह कर रहा हूँ हजारी परेशान हुए पीर अहमद साहब ने पॉर्लियामेंट में दिल्ली में ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

प्रधानमंत्री जी से हाजियों के बारे में बात की उसके बाद 10-12 दिन के बाद हाजी वापस हैं । हज कमेटी का डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी के तौर पर जिम्मेदारी होनी चाहिएं मेरी एक गुजारिश है और सभी विभागों के भी बजट होते हैं उसमें बहस नहीं होती है, अनुदान पर चर्चा नहीं होती है इसको भी इसी कैटेगरी में रखें इसकी वजह है आज और पिछले साल भी यही मजाक हुआ इस मुस्लिम वक्फ विभाग के बजट के साथ यह तमाशा क्यों किया गया तो सीधी-सीधी बात है इसमें चर्चा न की जाए.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

इसमें [XXX] इसमें चर्चा न हो इसको भी बिना चर्चा के पास कर देंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे खेद है जो लोग तथा कथित अल्पसंख्यक समर्थक कहे जाते हैं उन दलों के अल्पसंख्यकों की संख्या इस सदन में कितनी है ? इसको देखकर हृदय व्यक्ति होता है, मान्यवर, अल्पसंख्यकों का जहां तक सवाल है पांच श्रेणियों के लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं । मगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को केवल एक समुदाय के साथ जोड़ने का काम जो किया गया है इससे इस विभाग की ने मंशा थी सभी अल्पसंख्यकों के हितों को चोट पहुँची है ।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते समय सौलत अली साहब ने एक बात बहुत मजेदार कही, स्वयं कल्याण परिवार विभाग इसका नाम रखना चाहिए, सौलत अली साहब इजाजत दें तो कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री जी तो इतने सशक्त हैं कि स्वयं परिवार कल्याण के अलावा इनके परिवार का भी कल्याण कर दें । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है 18 प्रतिशत अल्पसंख्यक इस प्रदेश में बसते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या के बारे में हित चिन्तन नहीं, यह कहा गया जैसे डांड़-मेंड़ के झगड़े होते हैं, सौतिया डाह होती है इसी तरह के हल्के-फुलके जुमलों के साथ शुरू किया गया बुनियाद अंसारी जी बड़े विद्वान है 20 मिनट बुनियादी बात करने में लगातेहैं इन्होंने कहा कि एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी करोड़ों रुपये लेकर भाग गये यह उचित नहीं है और उसके बाद स्वयं स्वीकार किया कि वह दो महीने से जेल में पड़ा है । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह आपके कारण नहीं हमारे मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के कारण जेल में डाला है ।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेई–

इनकी तो बुनियाद ही खोखली है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं केवल दो तीन सुझाव देना चाहूँगा । हमारे मिर्जापुर में आज भी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का स्थान रिक्त है मेरा अनुरोध है कि उसको भर दिया जाय । दूसरा अल्पसंख्यक आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है उसमें किसी सयोग्य आदमी को चयनित किया जाय । तीसरा मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भानजे की दरगार हजरत इस्माइल चिश्ती की है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले भी कर चुका हूँ, वहाँ पर साल में दो बार उर्स होता है उसी दशा को सुधारने का काम किया जाय । वहाँ पर कमसे कम एक मुसाफिरखाना जिसमें स्त्री और पुरुष ठहर सकें और पानी पीने का इन्तजाम हो । वहाँ पर लोग आकर एक दो दिन रह सकें और जियारत कर सकें । इसको करा दें ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों का कल्याण वास्तव में राजनीतिक दल चाहते हैं तो अल्पसंख्यकों की इजारेदारी करना बन्द कर दें । वह स्वयं सक्षम है जब चाहेगा वह अपना हक ले लेगा । यह लोग कही शिया का वोट, कहीं सुन्नी का वोट और कहीं सिक्खों का वोट मांगकर अल्पसंख्यकों का अहित कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से काटने का काम कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दल दलदल से ऊपर उठकर बिना सम्प्रदाय की चिन्ता किये हुए

[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उन्हें वोटो के आधार पर न माने । इसी के साथ मैं सुयोग्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूँ ।

डा० दकार अहमद शाह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय सौलत अली जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । सारी बातें विस्तार से आ गयी हैं । मैं सिर्फ अपने बहराईच जिले तक सीमित रहूँगा । मान्यवर, हमारे बहराईच जिले में दरगाह सैय्यद सलार मसूद गाजी बहराइच की दरगाह है जहाँ पर लाखों हिन्दू और मुस्लमान श्रद्धालू आते हैं और जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं । मई के महीने में वहाँ पर मेला लगता है । वहाँ पर तीन एडमिनिस्ट्रेटर है और सभी आरोपित है । सभी के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है । दो साल से ऊपर उनके विरुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्टाचार की कार्यवाही चल रही है ।

मेरा अनुरोध है कि कृपया एक कमेटी जो पहले बनी थी वहाँ के सम्मानित लोगों की, वह बना दी जाय । दूसरा जो हटीले की दरगाह है जिसमें 20 सालों से एक ही कमेटी चल रही है । उसके अध्यक्ष वहाँ के उप जिलाधिकारी होते हैं । उस कमेटी का काम वहाँ के कुछ खास लोगों की हर साल दावत करना है और 20 हजार दरगाह के खर्च करना है । 30 लाख रुपया वहाँ के फंड में जमा है । जिसमें से 7 लाख रु० ऐसे बैंक को दे दिये गये जिसका अस्तित्व बिल्कुल नया है । मान्यवर, बहराइच की दरगाहों में जो अनियमिततायें हो रही हैं वहां भेजे हुए आदमियों को वहां से हटा लें । मई के महीने में मेला होने वाला है उससे पहले ही बहराइच के स्थानीय सम्मानित लोगों की कमेटी बना दें और इस भ्रष्टाचार को खत्म करायें ताकि दरगाहों की अब तक जो मान्यता है वह बरकरार रहे, इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो मांगे माननीय सदस्यों ने रखी हैं उनको मान लेंगे तो बड़ी कृपा होगी । माननीय डंग साहब ने भी कुछ मांगे रखी हैं, सत्तारूढ़ दल की कुछ मांगे हैं तो उनको भी समुचित तरीके से भरने का काम करें । श्री रुप चौधरी जी का कहना है कि मंत्री जी के पास काम की प्रचुरता है तो मान्यवर लोभ क्रोध मोह सब एक साथ हो जायेगा तो नरक हो जायेगा ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने विचार रखें उनका मैं आभारी हूँ । मा० डा० बकार साहब ने बहराइच की महत्वपूर्ण बात रखी है । मान्यवर, हल हर चीज का निकल सकता है । जितने भी प्रकरण सामने आये हैं जिस कारण विभाग बदनाम होता जा रहा है आप गंभीरता से सोचें । मैने कोई व्यक्तिगत दुर्भावना से कोई बात नहीं कही है । जहां अधिकारियों की सहमति से आज तक लूटा जा रहा है उनको रोकने के लिये कुछ उदाहरण रखे हैं । 'मीना' हादसे के कुछ लोगों का मुआवजा रह गये हैं कुछ लोगों के नाम से फर्जी लोगों ने 2-2 लाख का मुआवजा निकाला है जो रह गये हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिला दें । मान्यवर, सेन्ट्रल हज कमेटी को प्रस्ताव भेजें, 18 सौ रियाल ठहरने का किराया लेते हैं । जबकि वहाँ पर 400 रियाल में एयरकंटीशन रूम मिलता है जो टूरिस्ट एजेन्सी के माध्यम से जाते है तो इसमें बहुत बड़ा अन्तर है तो इससे हाजियों को मुक्ति दिला दें तो वहाँ पर जैसे पहले करते थे वैसे करें या आप भी वही 400 के आस-पास कर दें तो बहुत बड़ा बोझ हाजियों के ऊपर से उतर जायेगा । "ए" क्लास में वायदा करते है और "बी" या "सी" क्लास में ठहराते हैं । तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इन सब चीजों पर सदन को विश्वास दिलायेगें और उन पर ही अमल होगा इसके साथ ही कटौती पर बल देता हूँ ।

श्री राजा गजनफर अली खाँ–

मान्यवर, सौलत अली साहब ने हज के बारे में बताया कि हज में लोगों को तकलीफें रहीं और तरह-तरह की परेशानी रही तो हमारा जहाँ तक सवाल है जितना हमारा अधिकार है हम आवेदन पत्र भरवाते हैं और उनको सूचित करते हैं । सेंट्रल हज कमेटी को वहाँ पर उनको इत्तिला भेज देते हैं । हमारा जितना काम है, हम ट्रेनिंग दिलवा देते हैं । और कैम्प लगवाकर लखनऊ दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए जब तक यात्री नहीं चले जाते हैं हम कैम्प करते हैं ।

(बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर व्यवधान)

जैसा जो होता है वही दूसरे को समझता है । कलियर शरीफ की दरगाह के बारे में बनाया । रिजवानुल हक साहब स्टे लाये हुए थे अब स्टे खारिज हो गया है और उनको हटाने की कार्यवाई की जायेगी, बोर्ड उसमें कार्यवाई करेगा । आपका तो बोर्ड बन चुका है, सुन्नी और शिया बोर्ड बना है, सुन्नी में आपके चयरमैन हैं आप उनसे सारे काम कराइये वह आपकी पार्टी में पहुँच चुके हैं । कलियर शरीफ में जाँच की थी और जो बताया गया था कि इसमें से निकाल लेते हैं तो हमने उसमें लाक लगवा दिया । दूसरी जो दरगाह बहराइच की बात आई इसमें उच्च न्यायालय के आदेश से 5 सदस्यीय प्रशासक मंडल नियुक्त किया है जब तक यह लम्बित रहेगा तब तक बोर्ड कोई कार्यवाई नहीं कर सकता । बुनियाद हुसैन जी ने बुनियाद होते हुए भी बेबुनियाद लांक्षन लगाये हैं । जो आप हमको दिखा रहे हैं कैटरिंग का वह कोई पूरा नहीं हुआ हमने हाजियों से बता दिया जब हाजियों ने मना किया तो उसको कैंसिल कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सौलत अली जी, अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, जो सुझाव मेरी तरफ से दिये गये, उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने किसी पर भी स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया । बहराइच के मेले के लिये लोकल समिति बनाने का वायदा भी नहीं किया, मुआवजे की बात भी नहीं कही, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,34,41,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान अनु०

संख्या–22 खेल विभाग

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी एक विभाग के बजट की और चर्चायें बाकी हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सावा 10 बज चुके हैं और माननीय सदस्य बिना भोजन के चाहे, यह

कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। भूखे भजन न होय गोपाला। जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं, इनके भोजन का प्रबन्ध कर दिया जाय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुँवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,48,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खेल विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना सन् 1974 में की गई थी और तब से आज तक क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, उसका प्रचार-प्रसार, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं आवास आदि की व्यवस्था खेल विभाग करता आ रहा है। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से बड़े प्रदेशों में एक है। इतनी बड़ी जनसंख्या को खेल सुविधायें मुहैया कराना और प्रशिक्षण देना दुष्कर कार्य है फिर भी सीमित संसाधनों के बावजूद खेल विभाग निरन्तर अपने अथक परिश्रम करके नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। श्रीमन्, समय चूँकि बहुत कम है, इस कारण गागर में सागर भरे दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

आप खेलकूद मंत्री हैं, पेट में चूहे खेल रहे हैं, इसलिए जल्दी कर दें तो अच्छा रहेगा।

कुँवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"–

मान्यवर, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये 22 आवासीय छात्रावास हैं, जिसमें चयन हो जाने के बाद आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, खिलाड़ियों को किट आदि की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए विभाग ने 130.35 लाख का प्राविधान किया है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के साथ-साथ मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसमें इंदिरा मैराथन, के० डी० सिंह बाबू आमंत्रण हाकी प्रतियोगिता, सैयद मोदी आमंत्रण बैडमिन्टन प्रतियोगिता और इस वर्ष अखिल भारतीय आमंत्रण वालीबाल प्रतियोगिता का भी प्राविधान हमारे बजट में है। मान्यवर, शिक्षा और खेल एक साथ चलें, खेल के उच्चकोटि के प्रशिक्षण के साथ-साथ शिक्षा भी मुहैया करायी जा सके इसके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गयी है जिस पर प्रति वर्ष प्रति छात्र 22 हजार रुपये व्यय किया जाता है और विभिन्न छात्रावासों में 420 बालक इस समय प्रदेश में लाभार्जन कर रहे हैं। तीन स्पोर्टस कालेज जो क्रमशः गोरखपुर, लखनऊ और देहरादून में हैं, 575 छात्र शिक्षा और खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। खेल विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक जनपद में कम से कम एक स्टेडियम और एक बहुउद्देशीय हाल होना चाहिए। अब तक 42 बहुउद्देशीय हाल, 21 स्वीमिंग पूल मौजूद हैं। 15 मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन है। 2 बहुउद्देशीय हाल निर्माणाधीन है और 6 स्वीमिंग पूल निर्माणाधीन हैं।

हमारा प्रयास है कि इसी वर्ष यह काम समाप्त कर लिया जाये। स्पोर्टस एथारिटी ऑफ इण्डिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंसी नाम की एक नई स्कीम खेल विभाग ने शुरू की है उच्च कोटि के खेलों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में दो ऐसे सेन्टर हैं, एक लखनऊ में और एक बनारस में। वृद्ध खिलाड़ियों को भी जो 55 साल से ऊपर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनके लिए 5 सौ रुपये से 1000 रुपये तक प्रतिमाह पेन्शन की व्यवस्था की गयी है। और इसके साथ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वर्ष 1995-96 के बाद से लक्ष्मण पुरस्कार नहीं दिया गया है, इस वर्ष हमारी सरकार ने इस पुरस्कार को फिर से पुनर्जीवित किया है और इतना ही नहीं महिला खिलाड़ियों के लिए एक नया पुरस्कार रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार का भी इस सरकार ने

प्राविधान किया है । इसके तहत् प्रत्येक खिलाड़ी को 25 हजार रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है । इसके साथ ही कोचिंग में जिन लोगों ने उत्कृष्ट योगदान किया है, ऐसे कोचों को भी सम्मानित करने का प्राविधान है ।

जो महत्वपूर्ण योजनाएं इस वर्ष हम लाना चाह रहे हैं महिलाओं के लिए कोई स्पोर्टस कालेज नहीं है । इलाहाबाद में विशेष कर महिलाओं के लिए स्पोर्टस कालेज के लिए प्रस्ताव है, उसके लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है और हमारे पश्चिम के माननीय विधायकों को जानकर प्रसन्नता होगी । तीन स्पोर्टस कालेज गोरखपुर, लखनऊ और देहरादून में हैं, आगे चलकर जब उत्तरांचल राज्य का गठन हो जायेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई स्पोर्टस कालेज नहीं रह जायेगा, वहाँ के माननीय विधायकों की भावनाओं का समादर करने हुए मेरठ में स्पोर्टस कालेज की स्थापना का प्राविधान है । इसके लिए भी अधिग्रहीत कर ली गयी है और यहाँ से प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जा चुका है । मान्यवर, कानपुर को जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, विश्व विख्यात है, वहाँ पर वन डे मैच नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ रात में खेलने की व्यवस्था नहीं है कई सालों से यह खिलाड़ियों का दबाव पड़ता रहा है कि वहाँ पर फ्लड लाइटिंग करायें और हमारी घोषणा है कि कानपुर स्टेडियम में भी फ्लड लाइट की व्यवस्था की जायेगी । इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में खिलाड़ियों को ले जाने के लिये लखनऊ में एक बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की जायगी इसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । मेरा विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि खेल भावना से काम लें और अपना आर्शीवाद दें और सुझाव दें । मैने अपना भाषण संक्षेप में दिया है एक साल में ईश्वर ने चाहा तो परिणाम आपके सामने होगा । धन्यवाद ।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 22– खेल विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मेरे सामने और मेरे साथ बैठे हुये सारे माननीय सदस्य जाना चाह रहे हैं । मुझे खुशी है कि कम से कम तीसरी या चौथी बार, 1996 से जबसे सरकार चल रही है मुझे कटौती का प्रस्ताव रखने का मौका मिल रहा है । इसके पहले भी मंत्रियों ने बड़ी-बड़ी चर्चायें की लेकिन आगे बढ़कर काम नहीं किया । मुझे आज खुशी है कि एक खिलाड़ी मंत्री जी जो स्पोर्ट के जानकार हैं मुझे जानकारी है कि वालीबाल की दुनियां से हमारे मंत्री जी जुड़े रहे हैं और इत्तफाक से मुझे भी राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और एथलेटिक्स में भी मौका मिला है ।

जब 1994 में स्पोर्ट कालेज की बुनियाद रखी गयी थी तो वह इसलिये रखी गयी थी कि ग्रामीण अंचल के तथा शहरी अंचल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और उनको प्रशिक्षण देकर उनको उच्चस्तरीय खिलाड़ी बनाया जा सके । लेकिन अफसोस की बात है कि 1974-75 के बाद से हमारे उत्तर प्रदेश में स्तरीय खिलाड़ी नहीं पैदा हुये । जो डायरेक्टर स्पोर्ट कालेज में हुआ करते थे चौहान साहब और श्री ध्यान चंद, श्री के० डी०सिंह बाबू, झमन लाल शर्मा वालीबाल में, रणवीर सिंह, इलियास भाई जैनुल आदि । श्री झमन लाल, और बालीबाल में रणवीर जी, जनाब इलियास जी और जनाब जैनुल आज उस तरह के खिलाड़ी नहीं पैदा कर सके हैं । माननीय मंत्री जी ने जो स्पोर्ट कालेज और स्पोर्ट होस्टल में एडमीशन लेने की योजना की उसमें जब लड़के एडमीशन लेते हैं तो इस बार आजमगढ़ में स्पोर्ट हास्टल के लिये 20 दिन का कैम्प चलता है उसमें एडमीशन के लिये जो प्राविधान रखा गया है उसमें 20 प्रतिशत 12, 14 साल से कम उम्र के लेगें लेकिन स्पोर्ट कालेज में 4 साल- 5 साल की उम्र के लड़के हैं ।

[समय–10 बजकर 30 मिनट]

उनको भी इन्हीं के साथ कर दिया जाता है । स्पोर्ट्स हास्टल में एडमीशन जो लिया जायेगा । स्पोर्ट्स कालेज के लड़के जो रात दिन स्पोर्ट्स कालेज में रहकर प्रशिक्षण लेने के बाद उन लड़कों के साथ खड़े हो गये जो केवल 20 दिन का प्रशिक्षण लेकर आते हैं ।

मेरा कहना है कि इनको आप साथ न रखें स्पोर्ट्स कालेज के जो लड़के हैं उनको हास्टल में कर दिया जाय और उन्हीं का सेलक्शन किया जाय जिन्हें कैम्प में रखते हैं उनको कालेज में रखा जाय । माननीय मंत्री जी, मैं सुझाव दे रहा हूं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं । जो आप स्पोर्ट्स हास्टल यो कालेज के लिए सेलेक्शन करते हैं । आजमगढ़ में वालीबाल और रेसलिंग की प्रतिभायें हमेशा रही हैं और इस साल भी आजमगढ़ की लड़कियों ने उत्तर प्रदेश में थर्ड पोजीशन लिया है । जो एक स्कूल की लड़कियां हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कालेज को भी हराने का काम किया है । मैं चाहूंगा कि आजमगढ़ में एक स्पोर्ट्स कालेज या हास्टल वालीबाल का तथा कुश्तियों का जो स्पोर्ट्स कालेज या हास्टल चल रहे हैं उनमें ज्यादातर पूर्वांचल के लड़के, आजमगढ़ के लड़के मिलेंगे । आपने मेरठ के लिए घोषणा की है आजमगढ़ में आप एक स्पोर्ट्स कालेज और हास्टल खुलवाने का काम करें ।

इसी के साथ एक चीज और चाहूंगा हमारे जो खिलाड़ी बन्धु हैं जो लड़के या लड़कियां हैं उनको यू० पी० में एप्वाइन्टमेंट नहीं मिलता है, नौकरियां नहीं पाते हैं । पहले रोडवेज में, हाईडिल में ले लिया जाया करता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है जिसके कारण स्पोर्ट्स का स्तर गिरता जा रहा है और हमारे खिलाड़ी दर-दर मारे-मारे फिर रहे हैं । आप इसके लिए योजना बनायें तो अच्छा होगा । मान्यवर, यह कुछ सु[illegible] थे । मंत्री जी अगर चाहेंगे तो हम मिल बैठकर विचार-विमर्श कर लेंगे । आपकी सरकार ने बार-बार कहा कि हम खेल नीति बनाने जा रहे हैं । वर्षों से सुना जा रहा है । आज तक नहीं बना, उस खेल नीति को बनाने का कार्य करेंगे । एक सुझाव और देना चाहूंगा । जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं जो प्रशिक्षक आपके ही जनपद के श्री एस० वी० सिंह साहब जो विद्यान्त कालेज में रहे और खेलों को बढ़ावा देने के लिए उस आदमी ने अपनी जिन्दगी दे दी उसको कुछ नहीं मिला । क्या ऐसे प्रशिक्षकों को अपनी तरफ से प्रोत्साहन देने का काम करेंगे ? इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय खेल मंत्री जी ने खेल बजट प्रस्तुतिकरण में अनेक योजनाओं का उल्लेख किया है जिसके कारण इस प्रदेश के खेल विभाग और खेल योजनाओं का विस्तार होगा और जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा । इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और समय कम होने के कारण जो मंत्री जी ने उल्लेख किया है वह एक उल्लेखनीय काम उत्तर प्रदेश की सरकार का है । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं मैं विशेष तौर पर अपने सरकार के माननीय खेलकूद मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ क्रान्तिकारी घटना के लिए प्रसिद्ध है । मेरठ में मंत्री जी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करके स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की घोषणा की है मैं इसके लिए मंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं एवं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव वसीम अहमद ने प्रस्तुत किया है एवं जो सुझाव उन्होंने रखे हैं समयाभाव के कारण वह पूरे सुझाव नहीं दे पाये उनको मंत्री जी गम्भीरता से लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वसीम अहमद ने खेल भावना का परिचय देते हुए जो बातें मुखासिब थीं उन्हीं बातों पर सराहना करने का काम किया मैं मंत्री जी ने खेल खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए जो नई घोषणायें की हैं इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं यह सरकार की कार्य प्रणाली है कि उसने ग्रामीण जनता की ओर ध्यान नहीं दिया इनको अंधेपन रतौंधी वाली बीमारी है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए इन्होंने कोई प्राविधान नहीं किया है। गांव में जो प्रतिभाएं पड़ी हुई हैं जिनको विभिन्न बेइमानियों द्वारा जीवन भर उबरने नहीं दिया जाता है इन प्रतिभाओं को विशेष अवसर देकर उभारने का काम किया जाए ताकि यह खिलाड़ी विश्व में भारत का नाम रोशन करें एवं ओलम्पिक में पदक जीतकर आएं। इन सुझावों के साथ मैं जो कटौती का प्रस्ताव वसीम अहमद ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, आपने मुझे खेलकूद के इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बजट के समर्थन में कहना चाहता हूं कि–

प्रदेश में हम खेल का विकास कर रहे
खिलाड़ी प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे
क्रीड़ा के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ रहे
प्रतिभाओं की खोज खास, आस-पास कर रहे
इलाहाबाद में स्पोर्ट कालेज बनेगा महिलाओं के लिए
मेरठ का स्पोर्ट कालेज पुरुष प्रतिभाओं के लिए
खेलों के प्रति बढ़े रुझान लोगों के अन्दर
स्टेडियम हम दे रहे, नगर गांवों के लिए
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमने काफी नाम कमाये
खिलाड़ी भी प्रदर्शन है सराहनीय दिखाये
तीन कांस्य नौ रजत और चौदह स्वर्ण पदक
विदेशों से छीन कर हमारे खिलाड़ी हैं लाये
प्रतिभा निखार कर रही सरकार बजट में
बृद्ध खिलाड़ी नहीं रहेंगे अब लाचार बजट में
उपेक्षित रहे न कोई इसलिए हर महीने
आर्थिक सहायता दे रहे एक हजार बजट में
आवासीय छात्रावासों का निर्माण कर रहे
खिलाड़ियों का हम स्तरीय सम्मान कर रहे
निःशुल्क भोजन, शिक्षा, चिकित्सा और उपकरण
खिलाड़ी के लिए बजट में प्राविधान कर रहे
कानपुर स्टेडियम में फ्लड लाइट, पहली बार खेल में
प्रशिक्षण के जरिये कर रहे सुधार खेल में
पुरुषों को लक्ष्मण और महिलाओं को मान्यवर
प्रोत्साहन में लक्ष्मीबाई, पुरस्कार खेल में

एक बात मैं माननीय सदस्य वसीम जी के लिए कह रहा हूं कि–

कटौती के प्रस्ताव पर जो लोग बल हैं दे रहे
खेल के लिए सही नहीं वे हल हैं दे रहे

सरकार में थे तब तो ये कुछ भी नहीं किये
हम कुछ कर रहे तो उसमें भी दखल दे रहे
खेलों के लिए कमी न पड़े रुपैया के लिए
नाविक सुदृढ़ मिला है खेल नैया के लिए
खेल कूद के लिए जो ऐसा बजट ले आये
धन्यवाद है बधाई है राजा भैया के लिए
आपकी बातें हमें लगती अजीब से
खेल को देखा नहीं शायद करीब से
इतना महत्वपूर्ण बजट है ये खेल का
कटौती लें वापस आग्रह है भाई वसीम से ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वसीम अहमद–

शायद पंकज जी को जानकारी नहीं है। 1973 में वालीबाल में अगर उत्तर प्रदेश में कोई पदक लाया गया है तो वह वसीम ही है जो यह पदक लाया है और एथलेटिक्स में तीसरा स्थान लाया हूं मैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे गांवों, देहातों में प्रतिभावान हैं उनका सेलेक्शन नहीं होता एक उदाहरण मैं दे दूं कानपुर में क्रिकेट में आजमगढ़ के छोटे-छोटे बच्चों का सेलेक्शन होना था जिन्होंने लखनऊ और बनारस को हराया था लेकिन उनमें से किसी का सेलेक्शन नहीं किया गया जो दो टीमें हारी थी उनमें से दो-दो, तीन-तीन का सेलेक्शन हो गया। हमारे खेलों को भेदभाव से बचाया जाय। यदि ऐसा रहा तो खेलों का उत्थान नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"–

मान्यवर, बड़े रचनात्मक सुझाव आये मैं आभारी हूं। माननीय सदस्य वसीम भाई, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, रावत जी, अम्बिका जी की ओर से और भाई पंकज की ओर से जो सुझाव आये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये सुझाव निश्चित रूप से नई रुचि और संचार पैदा करते हैं। माननीय वसीम जी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वालीबाल के मैं भी हूं लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। जहां तक पुरस्कारों का प्रश्न है लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार की योजना शुरू की है हमने तथा जिन्होंने कोच में प्रतिभा दिखाई है उनके सम्मान का प्राविधान भी इस बजट में है। स्पोर्ट्स कालेज में एडमीशन ही नहीं खेल नीति में भी माननीय वसीम जी आपके सुझावों का आदर करता हूं और उनका समावेश हो जायेगा। आप हमें अपना बहुमूल्य वक्त दें हम कुछ और कर दिखायेंगे।

जैसा कि आपने कहा कि खेल नीति अधूरी है, मैं इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि आने वाले दो माह के अन्दर खेल नीति तैयार करके आपके सामने होगी। एक बार पुनः विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं, उनका मैंने समावेश कर लिया है। खेल भावना का परिचय देते हुए आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस बजट को सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता था इस शर्त पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज खोलने की बात कही है, उसी प्रकार पूर्वांचल में आजमगढ़ में भी वालीबाल तथा रेस्लिंग के लिए हास्टल खोल दें। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"–

मान्यवर, प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी प्रतिभा की उपेक्षा नहीं होगी, यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22––खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13.48.70.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हज यात्रियों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की स्थायी समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम–103 के अन्तर्गत श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 16, 17, 18, 19 स्थगित की जाती है।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 2-5-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं:–

(1) डां० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध तंत्रों को अवैधानिक ढंग से भंग करने तथा खाते का एकल संचालन किये जाने से शिक्षा जगत में व्याप्त असंतोष के संबंध में।
(2) श्री लालजी वर्मा	जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर द्वारा मनमाने ढंग से विद्युत शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत इनारगांव राजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना — जनपद आगरा के लेडी लायल अस्पताल (महिला) की स्टाफ नर्स आइनिस द्वारा पड़ोसी स्टाफ नर्स की पुत्री को धर्म परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

(1) श्री फरीद महफूज किदवई — प्रदेश में पूर्व मुख्य मंत्रियों को एक-एक आवास आवंटित किये जाने तथा उनके परिजनों द्वारा उन आवासों में समितियों/न्यास बनाकर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री उदयराज यादव — जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना से वर्ष 1995-96 व 96-97 में स्वीकृत अधूरे पड़े मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश के गृह विभाग द्वारा पुलिस पत्रिका के प्रकाशन के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये की धनराशि की फिजूलखर्ची एवं अनियमितताएं किये जाने के संबंध में।

(4) श्री रमेश राही — प्रदेश के ऊर्जा विभाग, विशेषतः लखनऊ महानगर अन्तर्गत मीटर रीडिंग अनुभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा श्री देवनाथ (टी०जी०–II) द्वारा की जा रही मनमानी व उच्च अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे प्रश्रय के संबंध में।

(5) श्री नवाब सिंह नागर — प्रदेश में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री अजय कुमार पोइया — ताज ट्रिपोजियम योजना के अन्तर्गत मथुरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) श्री तेजभान सिंह — जनपद सुल्तानपुर के सरकारी बैंक, जगदीश के मैनेजर तथा डेरी सचिव की मिलीभगत से हो रहे फर्जी भुगतान के संबंध में।

(2) श्री शिशुपाल सिंह यादव — जनपद एटा के विकास खण्ड सकीट अन्तर्गत रिजोररजपुरा मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में।

(3) श्री श्रीराम यादव — स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज, मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर के प्रधानाचार्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के संबंध में।

(4) श्री बुनियाद हुसैन अंसारी — जनपद इलाहाबाद में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता की हत्या किये जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(5) श्री मोहन सिंह रावत गांववासी — प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के ऋण लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ऋण धारकों का ऋण माफ किये जाने के संबंध में ।

(6) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — 400 के० वी०, अनपरा–उन्नाव ट्रासमिशन लाइन पर हुए फर्जी कार्यों एवं मूल्य विचलन की भरपाई अधिकारियों की परिसम्पत्ति से किये जाने के संबंध में ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं श्री पूर्णमासी पंकज, श्री रूप चौधरी, श्री चेतराम, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', श्री राम विशुन आजाद, डा० वकार अहमद शाह, श्री वसीम अहमद, श्री राम कुमार एडवोकेट, डा० कौशल किशोर,श्री उबैदुर्रहमान, श्री राजा राम पाल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री जय प्रकाश, श्री विजय पाल सिंह, श्री छोटे लाल राजभर, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री हरपाल सिंह एवं श्रीमती मिथिलेश कुमारी ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 21. 22. 23. 24. 25 और मद संख्या–26 पर संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।

बी० एल० एस० इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट गाजियाबाद में देश भर से चयनित एम० बी० ए० पाठ्यक्रम के तीन सेमेस्टर पढ़ चुके छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया है कि बी० एल० एस० इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, गाजियाबाद में शैक्षिक सत्र 1998-99 में यू० पी० एम० कैट के माध्यम से चयनित छात्र न लेकर 60 छात्रों का सीधे प्रवेश करा लिया था । विश्वविद्यालय द्वारा इन छात्रों की परीक्षा नहीं ली गयी । जिस कारण संस्था द्वारा मा० उच्च न्यायालय से आदेश लेकर विश्वविद्यालय से इनकी परीक्षा तो सम्पादित करवा दी है परन्तु एम० बी० ए० पाठ्यक्रम की तीन सेमेस्टरों की परीक्षा के बाद भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया है । शैक्षिक सत्र 1998-99 के एम० बी० ए० पाठ्यक्रम के छात्र तीन सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं परन्तु अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण नहीं ली जा रही है । संस्थान की गलती यह है कि अगस्त, 98 में यू० पी० एम० कैट प्रवेश व्यवस्था लागू होने के बाद इससे चयनित छात्रों का प्रवेश न लेकर 120 छात्रों के प्रवेश करा लिया गया । बाद में संस्था द्वारा शैक्षिक सत्र 1999-2000 से सम्बद्धता चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्थान पर इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से ले ली हैं जिस कारण शैक्षिक सत्र 1998-99 में प्रविष्ट 120 छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । मा० सदस्य द्वारा 120 छात्रों के भविष्य को संरक्षण प्रदान करनेका अनुरोध किया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2––इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि बी० एल० एस० इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, गाजियाबाद को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 1997-98 के लिए एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन तथा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव के आधार पर महामहिम कुलाधिपति कार्यालय के आदेश दिनांक 3 जनवरी, 1998 द्वारा एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 1-7-97 से आगामी दो वर्षों के लिए कतिपय शर्तों के साथ अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 9-10-98 को उक्त संस्था के एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 1998-99 में सीटों में वृद्धि करके 120 सीटों का अनुमोदन प्राप्त किया गया । विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार इन अतिरिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता का होना आवश्यक था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न करके अपने स्तर से ही शैक्षिक सत्र 1998-99 में ए० आई० सी० टी० ई० द्वारा अनुमोदित 120 छात्रों की प्रवेश क्षमता के विरुद्ध प्रवेश करा लिये गये । संस्था द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध कराये जाने पर यह तथ्य विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया । विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के पास उपलब्ध संसाधनों की जांच हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया था । निरीक्षण मण्डल ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया कि संस्था द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ति नहीं की गयी है । विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने निरीक्षण मण्डल की आख्या पर सहमति व्यक्त कर दी । विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाने के उपरान्त संस्था द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों की परीक्षा आयोजित कराने के आदेश दिये गये । संस्था द्वारा पुनः रिट याचिका योजित कर वर्ष 1998-99 की परीक्षा में सम्मिलित छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा में बैठने सम्बन्धी आदेश मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त किये गये । इसके आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित किये गये तथा तृतीय सेमेस्टर में छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गयी । वर्तमान स्थिति यह है कि मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 12-1-2000 द्वारा छात्रों के घोषित परीक्षा परिणामों की अंकतालिकाएं रिजर्व रखने के आदेश दिये गये । जिसके फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को अंकतालिकाएं प्रदान नहीं की गयीं । अब इस याचिका पर दिनांक 8-5-2000 को सुनवाई की तिथि नियत है ।

3—बी० एल० एस० इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट, गाजियाबाद द्वारा एम० बी० ए० तथा अन्य पाठ्यक्रमों में बिना चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं शासन की अनापत्ति प्राप्त किये गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त कर ली गयी है । जिस कारण विश्वविद्यालय द्वारा संस्था से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कार्यपरिषद् द्वारा संस्था की एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता समाप्त करने की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव भेजा गया जिस पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त महामहिम कुलाधिपति कार्यालय के आदेश दिनांक 17-2-2000 द्वारा एम० बी० ए० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

4—बी० एल० एस० इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट, गाजियाबाद के एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्धता प्राप्त शैक्षिक सत्र 1998-99 में प्रवेश लिये गये छात्रों का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के विचाराधीन है । मा० न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश देने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में तद्नुसार कोई निर्णय लिया जा सकेगा ।]

उत्तर प्रदेश में सी० पी० एम० टी० की परीक्षा में प्रश्नपत्रों की प्रणाली बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य ने नियम–51 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सी० पी० एम० टी० की परीक्षा के प्रश्नपत्रों की प्रणाली बदलने से उत्पन्न स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत कराया है कि उक्त परीक्षा में प्रश्नपत्रों की जो बुकलेट दी जाने लगी है उसमें हिन्दी व अंग्रेजी मीडिएम की बुकलेटें अलग-अलग होती है। परीक्षार्थियों को हिन्दी व अंग्रेजी के अलग-अलग नये तकनीकी शब्दों का ज्ञान न होने के कारण वह प्रश्नपत्रों का आशय नहीं समझ पाते। ऐसे परीक्षार्थी हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के मिले-जुले प्रभाव से प्रभावित होने के कारण ज्ञान रखते हुए बदले हुए अलग-अलग बुकलेटों में प्रस्तुत प्रश्नपत्रों में चूक कर जाते हैं और परीक्षा में असफल हो जाते हैं। पहले हिन्दी/अंग्रेजी दोनों भाषाओं की प्रश्नपत्रों की बुकलेट्स संयुक्त होती थी जो परीक्षा अंग्रेजी में टिक मार्क करना जानते थे वह अंग्रेजी में और जो हिन्दी में समझते थे हिन्दी में टिक मार्क कर देते थे तथा संयुक्त भाषा का प्रयोग कर सकते थे परन्तु अब बदली हुई प्रश्नपत्रों की प्रणाली बहुत दुरुह हो गयी है। खासतौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले परीक्षार्थियों के समक्ष भारी संकट है जिससे प्रभावित होने वाले पूरे प्रदेश के परीक्षार्थी आक्रोशित व आन्दोलित हैं।

2—इस सम्बन्ध में सूच्य है कि सी० पी० एम० टी०–2000 के आवेदन फार्म में अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की भाषा की चयन करने की छूट दी गयी है, जिसकेअनुसार उन्हें हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक के लिए विकल्प देना है एक बार दिया गया यह विकल्प अपरिवर्तनीय है।

3—यह सुनिश्चित किया गया है कि हिन्दी में छपने वाले प्रश्नपत्रों में आने वाले तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में भी उसी के साथ छापा जायेगा जिससे हिन्दी माध्यम वाले छात्रों को कोई कठिनाई न हो। यहां यह भी सूचनीय है कि सी० पी० एम० टी० परीक्षा 1999 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी थी तथा छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।]

जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी बीहड़ क्षेत्र में आये भीषण आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि से 8 व्यक्तियों की मौत और सैकड़ों किसानों की फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद एवं फिरोजाबाद में दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य आये आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि से काफी क्षति हुई है। क्षति एवं किये गये राहत कार्यों का तहसीलवार विवरण निम्नवत् है :–

तहसील–शिकोहाबाद

तहसील शिकोहाबाद मेंआंधी तूफान एवं ओलावृष्टि से कुल 9 व्यक्तियों तथा 5 बड़े 27 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई। 11 व्यक्ति घायल हुए। कुल 20 पक्के/कच्चे मकान तथा झोपड़ियों की क्षति हुई है। 47 ग्रामों में 5% से 80% तक फसल की क्षति हुई है। प्रभावित ग्रामों में रु० 500/- प्रति एकड़ की

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दर से फसल क्षति का मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । 9 मृतक के आश्रितों में कुल 3,00,000/- की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की गई हैं । एक बड़े व 11 छोटे मृतक पशु स्वामियों में रु० 7,000/- अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया है शेष मृतक पशु स्वामियों को जांचोपरान्त अनुग्रह अनुदान वितरित कर दिया जायेगा । प्रभावितों में 60 बोरा आलू, 41 कु० आटा, 09 बोरी दाल, 20 बोरी चावल एवं 02 बोरी नमक अहेतुक सहायता के अन्तर्गत वितरित किया गया है तथा घायल 11 व्यक्तियों का प्राथमिक चिकित्सा उपचार कराया गया था मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य चिकित्सकों की टीम द्वारा भी मौके पर जाकर प्राथमिक चिकित्सा उपचार किया गया ।

तहसील फिरोजाबाद

तहसील फिरोजाबाद में आंधी/तूफान एवं ओलावृष्टि से 3 व्यक्तियों तथा 3 छोटे व 1 बड़े पशु की मृत्यु हुई है । 27 व्यक्ति घायल हुए हैं । 16 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई । गेहूं, जौ, मटर तथा टमाटर की खड़ी फसलों को 3-% से 80% तक की क्षति हुई है । कुल 96.967 हे० क्षेत्रफल क्षतिग्रस्त हुआ है । लगभग 676 काश्तकार प्रभावित हुए हैं । 3 मृतक के आश्रितों को कुल रु० 1,00,00/- तथा तीन छोटे मृतक पशु स्वामी को रु० 500/- की दर से अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया रु० 9000/- धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गयी । ओलावृष्टि से फसलों को 50% से अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित कृषकों में नियमानुसार राहत सहायता वितरित की जा रही है । प्रभावितों में 20 बोरा आलू, 4.5 कु० आटा, 2.5 कु० दाल आदि वितरण किया गया है । घायल व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार किया गया है । मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा रु० 25,000/- की दर से कुल धनराशि रु० 3,00,000/- की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसका मृतक के परिजनों/आश्रितों में वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रभागी निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग फिरोजाबाद द्वारा पेड़ों के गिराने से अवरुद्ध हुए सड़क मार्गों को साफ कराकर यातायात सुचारु रूप से संचालित कराया गया । प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा यथाशीघ्र संचालित की गई ।]

जनपद संत रविदासनगर में स्थापित भू-अध्याप्ति इकाई को स्थानान्तरित/समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश में कार्यरत 72 भूमि अध्याप्ति इकाइयों जो भूमि अध्याप्ति निदेशालय के नियंत्रणाधीन है) के कार्यों की समीक्षा निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी थी समीक्षा के समय समिति द्वारा यह पाया गया कि भूमि अध्याप्ति इकाई, संत रविदास नगर के पास मात्र 29 वाद 320 एकड़ अर्जन कार्य उपलब्ध है जो भूमि अध्याप्ति मैनुअल में निर्धारित मानक से बहुत कम है, इसलिए उक्त इकाई सहित प्रदेश की अन्य इकाइयों को समाप्त किये जाने की संस्तुति निदेशालय से शासन को की गयी थी जिस पर शासन द्वारा शासनादेश संख्या–3574/1-13-99-रा०–13-10-1(1)/99-144, दिनांक 16-10-99 से 20 भूमि अध्याप्ति इकाइयों को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भूमि अध्याप्ति इकाई संत रविदास नगर से प्राप्त मासिक विवरण पत्र माह मार्च, 2000 के अनुसार वर्तमान समय में इस इकाई के पास 41 वाद 331.752 हेक्टेयर कार्य दर्शाया गया है जिसमें धारा–4 के प्रकाशन हेतु 9 वाद 42.968 हेक्टेयर धारा 6 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु 2 वाद 0.153 हेक्टेयर तथा प्रतिकर वितरण हेतु 4 वाद 44.327 हेक्टेयर कार्य लम्बित है, अर्थात कुल 15 वाद 215.99 एकड़ कार्य, कब्जा देने एवं अभिनिर्णय घोषित करने के प्रकरण लम्बित नहीं है । प्रतिकर वितरण हेतु प्रपत्र–6 में 0.816 करोड़ की धनराशि अन्य कारणों से अवशेष दर्शायी गयी है लेकिन प्रपत्र–7 में वितरण हेतु कोई धनराशि अवशेष तथा किसी अर्जन निकाय पर बकाया नहीं है । 102 ग्रामों की 255 एकड़ भूमि के प्रतिकर निर्धारण का विवरण सहित धनराशि मा० जनपद न्यायालय में जमा की जानी है, की कार्यवाही मा० न्यायालय द्वारा की जानी है जिसकी पैरवी अध्याप्ति निकाय के स्तर से की जानी है । भूमि अध्याप्ति इकाई (सं०सं०) संत रविदासनगर द्वारा भेजे गये माह मार्च, 2000 के मासिक विवरण के अनुसार 15 वाद 215.99 एकड़ अर्जन कार्य वर्तमान में उपलब्ध है जो निर्धारित मानक लक्ष्य से बहुत कम है । जहां तक इस इकाई के समाप्त होने पर किसानों को प्रतिकर लेने में कठिनाई होगी, का प्रश्न है, इस विषय में स्पष्ट करना है कि प्रतिकर विवरण की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम जहां की भूमि अधिग्रहीत की गई है उसी ग्राम में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाकर किया जाता है । इसलिए इकाई के समाप्त किये जाने से किसी भी काश्तकार के ऊपर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।]

जनपद एटा के कासगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर तथा उसके माइनरों में पानी न आने से किसानों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक ने नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया है कि एटा जिले की कासगंज विधान सभा के अन्तर्गत शाखा अनूप शहर तथा उसकी माइनर कनौबी, ढोलना, तैय्यबपुर, इनायती, बिलरामपुर, वाजिदपुर, इखौना में खरीफ, रबी एवं जायद की फसलें पानी न मिलने से नष्ट हो गयी हैं तथा सूखे के कारण पोखर और तालाब खाली होने से पशुओं एवं पक्षियों के पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अनूप शहर शाखा में मील 112 के बाद नहर में सिल्ट जमा होने तथा बर्म बढ़ जाने से नहर की क्षमता कम हो गयी है जिसके कारण अनूप शहर शाखा के मील 112 के बाद उसकी माइनरों कनौबी, ढोलना, तैय्यबपुर, इनायती, बिलरामपुर तथा इखौना में वर्तमान वर्ष में खरीफ व रबी की फसलों में पानी नहीं पहुंच सका है । माइनर वाजिदपुर में पानी पहुंचा है तथा सींच हुई है । सिल्ट सफाई तथा बर्म काटकर क्षमता वृद्धि करने के संबंध में वित्तीय संसाधन जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बन्द पड़े नलकूपों की रिबोरिंग कराकर उन्हें चालू कराने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नियम 51 के अन्तर्गत मा० सदस्य जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के असफल नलकूपों की रिबोरिंग कराये जाने के संबंध में सूचना दी गयी है ।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 191 नलकूप स्थित हैं जिनमें से 185 नलकूप चलित हैं । ग्राम चन्दापुर विकास खण्ड ज्ञा[illegible] ग्राम कोलापुर (चकपरोना) विकास खण्ड ज्ञानपुर में स्थित नलकूप कार्यशील नहीं हैं । ग्राम नौवापुर (गणेश रायपुर) विकास खण्ड ज्ञानपुर में स्थित नलकूप चलित दशा में हैं, परन्तु यह अपनी आयु पूर्ण कर चुका है । ग्राम नागमलपुर विकास खण्ड सुरियांवा में स्थित नलकूप चलित अवस्था में हैं ।

शासन की नति के अनुसार वर्ष 1999 में राजकीय नलकूपों को पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है । असफल नलकूपों के पुनः निर्माण हेतु जिला योजना में प्राविधान न होने के कारण इन नलकूपों का पुनर्निर्माण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।]

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में रोगियों हेतु दवाओं के मानकों में कथित विसंगति होने विषयक नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

डा० सरजीत सिंह डंग जी, इसमें मैं चर्चा को जारी रखने की अनुमति देता हूं ।

प्रदेश सरकार के ऊपर 31 अक्टूबर, 1997 को ऋणग्रस्तता की स्थिति तथा उसके परिप्रेक्ष्य लिये गये ऋण को कम करने हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी विशेष कार्य योजना के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस चर्चा को जारी रखने की अनुमति देता हूं ।

अब हम उठते हैं और फिर 11.00 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 2 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं०–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं की स्थिति :–

1 जुलाई, 1995 से प्रारम्भ

1–डॉ० के० एन० मोदी इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, मोदीनगर ।

1 जुलाई, 1996 से प्रारम्भ

1 आर० बी० एम० कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी आगरा ।

2–हिन्दुस्तान कालेज आफ साइंस टेक्नोलाजी, आगरा ।

3–एस० डी० कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, मुजफ्फरनगर ।

4–प्रियदर्शिनी कालेज आफ इंजीनियरिंग कम्प्यूटर साइंस, नोयडा ।

5–श्री राममूर्ति कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, बरेली ।

1 जुलाई, 1997 से प्रारम्भ

1–बी० एस० ए० कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, मथुरा ।

2–मेरठ इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, मेरठ ।

3–मुरादाबाद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मुरादाबाद ।

1–जुलाई, 1998 से प्रारम्भ

1–अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद ।

2–इंस्टीट्यूट आफ इंटीग्रल इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ ।

3–कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, गाजियाबाद ।

4–आजाद इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ ।

5–जे० एस० एस० महाविद्यापीठ, गाजियाबाद ।

6–शिवदान सिंह इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट महामायानगर ।

7–आनन्द इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, आगरा ।

8–श्री जगन्नाथ गणेशीलाल बजाज इंजीनियरिंग कालेज, मथुरा ।

9–आइडियल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, गाजियाबाद ।

10–बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ ।

11–बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी रिसर्च सेन्टर, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर ।

12–देहरादून इंस्टीट्यूट एण्ड टेक्नोलाजी, देहरादून ।

13–यूनाइटेड इंस्टीट्यूट एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।

1 जुलाई, 1999 से प्रारम्भ

1–आगरा इंजीनियरिंग कालेज, आगरा ।

2–बाबू मोहन लाल आर्य स्मारक कालेज, आगरा ।

3–नार्दन इण्डिया इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ ।

4–आई० ई० सी० कालेज आफ इंजीनियरिंग अण्ड टेक्नोलाजी, नोयडा ।

5–रामईश इंस्टीट्यूट आफ वोकेशनल एण्ड एजूकेशनल, गौतमबुद्ध नगर ।

6–राजीव एकेडमी आफ फार्मेसी डीमगेट, मथुरा ।

7–कालेज आफ इंजीनियरिंग, रुड़की ।

8–वीरा इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर ।

9–राधा गोविन्द इंजीनियरिंग कालेज, मेरठ ।

10–मराठवाड़ा इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, बुलन्दशहर ।

11–इंस्टीट्यूट फारेन ट्रेड एण्ड मैनेजमेंट, मुरादाबाद ।

12–ए० पी० जे० स्कूल आफ आर्कीटेक्चर, नोयडा ।

13–नेशनल स्कूल आफ आर्कीटेक्चर आफ प्लानिंग नेहरू नगर, गाजियाबाद ।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं०–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

अनुलग्नक "क"

अयोध्या पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

1–अयोध्या नगर के आंतरिक मार्गों का निर्माण	184.66
2 परिक्रमा मार्ग के एक ओर पटरी खड़ंजा का निर्माण	18.04
3–लखनऊ–गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग पर अयोध्या के शहरी मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुधार	155.81
4–अयोध्या में जलापूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	54.50
5–गुप्तार घाट पर सुरक्षा दीवार	41.80
6–राम की पौड़ी का पर्यटन विकास	6.04
7–राम की पौड़ी का पर्यटन विकास	11.88
8–तुलसी स्मारक भवन का सुदृढ़ीकरण	19.44
9–अयोध्या महोत्सव	10.00
10–अयोध्या में कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण उपक्रमों का क्रय	10.48
11–अयोध्या निधि की स्थापना	100.00
12–रामकथा पार्क के रंगमंच व ग्रीनरंग की साजसज्जा	6.10
13–धार्मिक स्थलों पर अनवरत सफाई	20.00
14–प्रमुख चौराहों का सौन्दर्यीकरण	40.76
15–सूरजकुंड से रानीघाट का पर्यटन विकास	31.29
16–श्मशान घाट पर नागरिक सुविधाएं	10.11
17–अयोध्या नगर के आंतरिक गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण	44.86
18–मार्ग सूचना प्रबंध एवं रिफलेक्टर	15.48
19–राम की पैड़ी के किनारे स्थित मंदिरों की रंगाई पुताई	19.14
20–सूर्यकुंड के घाटों पर प्रकाश व्यवस्था	8.68
21–रामकथा पार्क पर पेयजल व्यवस्था	4.25
22–रामकथा पार्क की जल निकासी	6.52
23–अयोध्या बस स्टेशन का विकास	9.13
24–18 सामुदायिक शौचालयों की स्थापना	72.00
25–नदी पुलिस का गठन	14.62
26–अयोध्या में चार पर्यटन बूथो की स्थापना	3.84
27–अयोध्या रेलवे स्टेशन का विकास	4.48
28–तीर्थयात्री रैनबसेरा का निर्माण	11.16

29–रामकथा पार्क पर सरयूदर्शन पथ का निर्माण	12.00
30–रामकथा पार्क की नीची जमीन का सौन्दर्यीकरण	1.00
31–अयोध्या में सीवर निर्माण का कार्य	393.80
32–रामलीला का मंचन	5.00
33–गुप्तार घाट से स्फटिक शिला तक स्पीड वोट सेवा	0.75
34–रामकथा पार्क से संलग्न यात्री निवास की साज-सज्जा	0.96
योग =	1348.66

(रु० तेरह करोड़ अड़तालिस लाख छाछठ हजार मात्र)

अशोक यादव

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सूची 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं०–21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

अनुलग्नक "क"

अयोध्या पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

1–अयोध्या नगर के आंतरिक मार्गों का निर्माण	184.66
2–परिक्रमा मार्ग के एक ओर पटरी खड़ंजा का निर्माण	18.04
3–लखनऊ–गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग पर अयोध्या के शहरी मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुधार	155.81
4–अयोध्या में जलापूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	54.50
5–गुप्तार घाट पर सुरक्षा दीवार	41.80
6–राम की पौड़ी का पर्यटन विकास	6.04
7–राम की पौड़ी का पर्यटन विकास	11.88
8–तुलसी स्मारक भवन का सुदृढ़ीकरण	19.44
9–अयोध्या महोत्सव	10.00
10–अयोध्या में कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण उपक्रमों का क्रय	10.48
11–अयोध्या निधि की स्थापना	100.00
12–रामकथा पार्क के रंगमंच व ग्रीनरंग की साजसज्जा	6.10
13–धार्मिक स्थलों पर अनवरत सफाई	20.00
14–प्रमुख चौराहों का सौन्दर्यीकरण	40.76
15–सूरजकुंड से रानीघाट का पर्यटन विकास	31.29
16–श्मशान घाट पर नागरिक सुविधाएं	10.11
17–अयोध्या नगर के आंतरिक गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण	44.86
18–मार्ग सूचना प्रबंध एवं रिफलेक्टर	15.48
19–राम की पैड़ी के किनारे स्थित मंदिरों की रंगाई पुताई	19.14
20–सूर्यकुंड के घाटों पर प्रकाश व्यवस्था	8.68
21–रामकथा पार्क पर पेयजल व्यवस्था	4.25
22–रामकथा पार्क की जल निकासी	6.52
23–अयोध्या बस स्टेशन का विकास	9.13
24–18 सामुदायिक शौचालयों की स्थापना	72.00
25–नदी पुलिस का गठन	14.62
26–अयोध्या में [illegible]र पर्यटन बूथो की स्थापना	3.84
27–अयोध्या रेलवे स्टेशन का विकास	4.48
28–तीर्थयात्री रैनबसेरा का निर्माण	11.16

29–रामकथा पार्क पर सरयूदर्शन पथ का निर्माण	12.00
30–रामकथा पार्क की नीची जमीन का सौन्दर्यीकरण	1.00
31–अयोध्या में सीवर निर्माण का कार्य	393.80
32–रामलीला का मंचन	5.00
33–गुप्तार घाट से स्फटिक शिला तक स्पीड बोट सेवा	0.75
34–रामकथा पार्क से संलग्न यात्री निवास की साज-सज्जा	0.96
योग =	1348.66

(रु० तेरह करोड़ अड़तालिस लाख छाछठ हजार मात्र)

अशोक यादव

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64–65 पर ।)

जनपद बलिया में वर्ष 1991 के बाद 12/99 तक तहसीलवार, वर्षवार, मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना

क्र०सं०	मार्ग का नाम	तहसील	वर्ष	राज्य योजना के जिला योजना में हस्तान्तरण का शासनादेश का संदर्भ	कार्य की स्थिति	
					पूर्ण/निर्माणाधीन	
1	2	3	4	5	6	
1.	गजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहिम पट्टी मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कर जनपद मऊ की सीमा तक	बेल्थरा रोड	91-92	2154 ई/23-11-88ई/93 दिनांक 24-9-93	पूर्ण	—
2.	इब्राहिम पट्टी मार्ग से बसरा होते हुए बरौली नहर मार्ग	,,	,,	तदैव	पूर्ण	—
3.	इब्राहिम पट्टी से नेमडार्ड होते हुए पेमरी भीमपुरा बेलौली मार्ग	,,	,,	तदैव	पूर्ण	—
4.	सीयर पशुहारी मार्ग	,,	,,	तदैव	पूर्ण	—
5.	टेकवारी भीमपुरा किशोरगंज मार्ग	,,	,,	तदैव	पूर्ण	—
6.	शाहपुर तेलमा जमालुद्दीनपुर से रछौली करनी किशोरगंज मार्ग	,,	,,	तदैव	पूर्ण	—

विधान सभा

7.	मधुबन बेल्थरा मार्ग के प्रमुख जिला मार्ग सं०-94 के कि०मी० 57 से 60.200 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	,,	..	तदैव	पूर्ण	—
8.	बेल्थरा बाजार से घाघरा घाट तक	,,	..	तदैव	पूर्ण	—
9.	रामपुर हजिया से हजिया रामपुर	,,	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
10.	छितौनी करनी नरला मार्ग एवं 1×4 मी० लघु सेतु	,,	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
11.	हल्दीरामपुर से किशोर गंज	,,	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
12.	बरौली इब्राहिम पट्टी मार्ग	,,	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
13.	सीयर चरौवां कसेसर मार्ग	,,	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
14.	इब्राहिम पट्टी से भीण्ड खुदा सम्पर्क मार्ग	,,	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
15.	देवकली सुजनापुर मार्ग	सिकन्दरपुर	..	तदैव	—	निर्माणाधीन
16.	सिकन्दरपुर कठौड़ा से डुहा बिहरा मार्ग	,,	97-98	हस्तानान्तरित नहीं है ।	—	निर्माणाधीन
17.	लखनऊ बलिया मार्ग से कपूरी चेरूईयां मोहान की मठिया मार्ग	बलिया	94-95	हस्तानान्तरित नहीं है ।	—	निर्माणाधीन
18.	बलिया बांसडीह मार्ग	बलिया	97-98	हस्तानान्तरित नहीं है ।	—	निर्माणाधीन
19.	बलिया गड़वार मार्ग	बलिया	97-98	तदैव	—	निर्माणाधीन
20.	शहीद स्मारक बसन्तपुर से पहुँच मार्ग	बलिया	99-2000	तदैव	—	निर्माणाधीन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	
21.	लखनऊ बलिया से रौरा चौर मार्ग	रसड़ा	90-91	2154 ई/23-11-88ई/93 दिनांक 24-9-93	—	निर्माणाधीन
22.	पकवाइनार सिधागर मार्ग से सिलहटा अतरसुवा मार्ग	रसड़ा	96-97	हस्तानान्तरित नहीं है ।	—	निर्माणाधीन
23.	पी०डब्लू०डी० मार्ग से श्री शशिभूषण तिवारी के छावनी तक सम्पर्क मार्ग	रसड़ा	98-99	तदैव	—	निर्माणाधीन
24.	ग्राम सभा विशुनपुरा से भीखा छपरा तक मार्ग	बैरिया	94-95	नावार्ड योजना में हस्तानान्तरित	पूर्ण	—
25.	श्रीनगर विशुनपुरा से ग्राम सभा अधिसिजुवा मार्ग	,,	,,	तदैव	अन्य विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है ।	
26.	श्रीनगर से रेवती मार्ग पर पुलिया का निर्माण	,,	,,	हस्तानान्तरित नहीं है ।	—	निर्माणाधीन
27.	कोलनाला से दलछपरा मार्ग	,,	97-98	तदैव	—	निर्माणाधीन
28.	सहतवार हल्दी सड़क से खानपुर मनौली मार्ग	बांसडीह	94-95	नावार्ड योजना में हस्तानान्तरित	पूर्ण	—
29.	दहताल गोसाईगंज से सुकुलपुरा मार्ग के मध्य	,,	96-97	हस्तानान्तरित नहीं है ।	—	निर्माणाधीन
30.	विद्याभवन नारायनपुर सेमरी मार्ग	,,	97-98	तदैव	—	निर्माणाधीन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं०–151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

वर्ष 1998-99 में प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, मुरादाबाद को स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं व्यय का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	आवंटन लाख रु० में	व्यय लाख रु० में
1	ठाकुरद्वारा–अलीगंज मार्ग का निर्माण एवं ढेला नदी पर सेतु का निर्माण ।	43.00	42.96
2	टिहरी–मुरादाबाद राज्य मार्ग–41 के कि०मी०–363 व 366 का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण	16.61	16.61
3	टिहरी-मुरादाबाद राज्य मार्ग–41 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (कि०मी० 350 से 393 तक)	17.13	17.12
4	मुरादाबाद एवं रामपुर मुरादाबाद डाँडा-दढियाल–बाजपुर-दोराहा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।	29.00	29.00
5	दोराहा-हिलारी-करनपुर-सुरजननगर मार्ग के कि०मी०–0 से 31 तक चौड़ीकरण ।	20.00	20.00
6	सुरजनगर-बसपुर मार्ग के कि०मी०–31 से 42 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।	22.00	21.99
7	ठाकुरद्वारा-डिलारी के कि०मी०–1 से 8 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण ।	25.00	25.03
8	ठाकुरद्वारा-डिलारी के कि०मी०–9 से 19.45 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।	05.00	04.99
9	मुरादाबाद शहर में पास होने वाले भारी यातायात को बाईपास करने हेतु लो०नि०वि० मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।	13.00	13.00
10	दोराहा-डिलारी-कानपुर-सुरजननगर मार्ग के कि०मी०–0 से 17 तक सुदृढ़ीकरण ।	16.00	16.00
	योग–	206.74	206.70

पी०एस०यू०पी०–एल० 325 विधान सभा (747)–2000–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।